राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक–2] नवीं विधानसभा के दूसरे सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या–4

शुक्रवार,
29 जून, 1990

विधान सभा की कार्यवाही म०पू० 11 00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामप्रसाद।

भुसावर एवं उच्चैन में उप तहसील

69. **श्री रामप्रसाद (वैर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील वैर में भुसावर व तहसील रूपवास में उच्चैन में उप तहसील खोलने की पूर्व में घोषणा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त उप तहसील कब तक खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री श्री नत्थी सिंह) : (1) जी नहीं।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल तो भरतपुर का है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भरतपुर के हैं। दूसरा सवाल यह है कि तहसील भुसावर वैर, रूपवास और सब तहसील उच्चैन के लिये पूर्व में घोषणा हो चुकी है और फाइल वित्त विभाग में पड़ी हुई है। मंत्री महोदय इस पर मनाही कर रहे हैं। वित्त विभाग से फाइल को मंगवा लीजिये और सदन के सामने रख दीजिए। पूर्व में मंत्री महोदय, घोषणा कर चुके हैं वित्त विभाग में फाइल पड़ी हुई है, और विचाराधीन है। अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मंत्री महोदय ने उस फाइल पर लिख दिया है लेकिन ये मंत्री महोदय इससे मुकर रहे हैं। मैं तो भरतपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय भरतपुर के होते हुए, भरतपुर के विकास के लिए कितने उत्सुक हैं जबकि वहां वैर में, रूपवास में मंत्री महोदय कहकर आये हैं कि दोनों तहसीलों को खोलेंगे।

श्री नत्थी सिंह : जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि घोषणा कर दी राज्य सरकार ने, वह पहले मैंने कहा कि कोई घोषणा नहीं की। यह बात सही है कि इन उप तहसीलों को खोलने के लिए जनता ने मांग की है। कलक्टर ने भी प्रस्ताव भेजे हैं राजस्व मण्डल को लेकिन राज्य सरकार के पास अभी तक इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली पेंडिंग नहीं है जिसमें कि खोलने का प्रस्ताव हो। जहां तक आप मांग की कहते हो, मांग तो है लेकिन मैं उसके साथ-साथ एक बात और कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जनगणना कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसके अन्तर्गत कोई भी राजस्व इकाई को बदलने का सवाल नहीं है 30 जून, 1991 तक। जनगणना का काम शुरू हो रहा है। इसलिए न तो उप तहसील, न तहसील, न जिला और न राजस्व गांव, कोई नहीं बदले जायेंगे। इस बीच में आपकी और कोई मांग होगी तो हम उस पर विचार कर लेंगे। अभी हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं है।

श्री रघु प्रसाद : दोनों तहसीलों की फाइल वित्त विभाग में पड़ी हुई हैं मंजूरी शुदा, वित्त विभाग की मंजूरी के लिये गयी हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इससे ज्यादा वह कुछ कहेगी नहीं। आप अपनी बात कह चुके कि वहां होना चाहिये। उन्होंने बता दिया कि प्रस्ताव आये हुये हैं अभी तक निश्चित नहीं हुआ है इसका हो जायेगा जब....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री महोदय, क्या आप इन दोनों उप तहसीलों को खोला जाना उचित समझते हैं, बनाया जाना उचित समझते हैं या नहीं ? यह बात बता दीजिये।

श्री नत्थी सिंह : मैं तो राज्य के किसानों के हित में बहुत कुछ उचित समझता हूँ लेकिन हमारी वित्तीय सीमा में और जनता की मांग के अनुसार उचित समय पर उचित निर्णय किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।
(अनुपस्थित)

श्री सांवरलाल। (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास।

बीसलपुर सिंचाई परियोजना

70. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार), **श्री सांवर लाल** (भिनाय) व **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या बनास नदी पर ईसरदा ग्राम के पास निर्माणाधीन बीसलपुर बाँध परियोजना का द्वितीय चरण का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) क्या उक्त सर्वे में एक नहर बाँध ढील में मिलाने का कार्य भी शामिल है ?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(3) ग्राम पंचायत ईसरदा, शिवाड़, सारसोप, रायपुर के कितने ग्राम उक्त परियोजना से सिंचित होंगे ? सिंचित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त योजना का कार्य ठेकेदारों से करवाये जाने के कारण धीमी गति से हुआ है ? यदि हां, तो इसे निर्धारित समय में पूर्ण कराने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(5) उक्त परियोजना से टोंक जिले की किस-किस तहसील के कितने क्षेत्र में किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा ?

(6) क्या बीसलपुर बाँध से टोरडी सागर में फीडर की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या इससे तहसील टोडारायसिंह एवं मालपुरा को लाभ मिल जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सिंचाई मंत्री (श्री विजय सिंह झाला) :

(1) निर्माणाधीन बीसलपुर परियोजना के द्वितीय चरण में बांध में दरवाजे लगाने व नहरों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। यह बाँध ईसरदा गांव के पास नहीं है वरन् बीसलपुर गांव के पास बनाया जा रहा है।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(3) सिंचित ग्रामों का नाम सर्वे पूर्ण होने पर व योजना को अन्तिम रूप देने पर मालूम हो सकेगा।

(4) बीसलपुर बांध का कार्य माह नवम्बर, 1991 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। नदी के भाग में बाँध का कार्य फरवरी, 1989 में न्यूनतम दरों पर आवंटित किया गया था, परन्तु इस ठेकेदार ने कार्य शुरू नहीं किया। इस ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की गई एवं यह कार्य अन्य ठेकेदारों को दिसम्बर, 1989 में आवंटित किया गया। इस कार्य के आवंटित होने में देरी होने एवं ठेकेदारों द्वारा पत्थर की खदान विकसित करने एवं अन्य तथ्य एकत्रित करने में समय लगा। इस कारण बाँध की प्रगति कुछ धीमी रही अगले कार्यवर्ष (अक्टूबर, 90 से जून, 90) में कम्पू के विभिन्न भागों के लिए लक्ष्यों का पुनः निर्धारण करके समय पर पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) बीसलपुर परियोजना से पेयजल हेतु जल की मात्रा का निर्धारण करना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। जिसके पश्चात् ही सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी तथा सिंचित क्षेत्र का विस्तार भी मालूम हो सकेगा।

(6) टोरडी सागर में फीडर डालकर टोडारायसिंह व मालपुरा तहसीलों में सिंचाई करने की योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर टोडारायसिंह के अन्दर है, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर है । वहां से आप इतना बड़ा लाभ पहुँचायेंगे अजमेर को । कल मुख्य-मन्त्री जी ने बजट भाषण में जयपुर के लिए भी कहा था । उस विषय में मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि जन-साधारण के अन्दर की भावना होती है कि जिस जगह के अन्दर आप बांध का निर्माण करें और उस जिले को उस तहसील को अगर बिल्कुल लाभ नहीं पहुचा है तो इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता । एक तो इसलिए मेरा आग्रहपूर्वक यह निवेदन है कि आप निश्चित रूप से कोई योजना ऐसी बनायें जिससे कम से कम टोडारायसिंह को, मालपुरा की तहसील को टोंक जिले को फायदा पहुँचे ।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि टोरडी सागर जयपुर स्टेट के सबसे पुराने बांधों में से है । रामगढ़ का बांध और टोरडी सागर में पूरे इण्डिपेन्डेंस के बाद आज तक भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ । इतनी बड़ी योजना बीसलपुर का आप निर्माण कर रहे हैं और वहां पर अगर आप फीडर लाइन डाल देते हैं तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी और जो वर्तमान में केपेसिटी है उसका भी पूरा उपयोग हो सकेगा । क्योंकि अभी तक पूरी केपेसिटी के हिसाब से उपयोग नहीं हो रहा है ।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि यह ठेकदारों से जो आप काम करवाते हैं, कितने ठेकेदारों से करवाते हैं कितना काम विभागीय तरीके से करवाते हैं ? आपका बहुत बड़ा पेराफरनेलिया वहां पर पड़ा हुआ है । आपके एडीशनल चीफ इंजीनियर के लेवल का वहां पर इन्चार्ज है और उसके बावजूद हैड-क्वार्ट्स जयपुर है । एक्स. ई. एन, जे. ई. एन. के लेवल पर बहुत बड़ा स्टाफ है तो विभाग से क्यों नहीं करवाते हैं जब कोई कठिनाई का अनुभव ठेकेदारों से आपको होता है तो ?

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक फीडर ले जाने का प्रश्न है फीडर से पानी टोरडी सागर में जा सकता है लेकिन जब तक मात्रा पेयजल की निर्धारित नहीं हो जाये और सिंचित क्षेत्र के लिए पानी कितना सरप्लस रहता है उसका जब तक निर्णय नहीं हो तब तक हम इसके बारे में कुछ कहने में असक्षम हैं । जहां तक ठेकेदारों से काम नहीं करवा कर विभाग से काम करवाने का प्रश्न है अधिकतर काम ठेकेदारों से ही कराया जा सकता था । अब क्या कर सकता है इसके बारे में हम सोच रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, अब यह एक प्रतिरोध की बात हो गयी । जयपुर ओरीजिनल प्लान के अन्दर नहीं था, आपने जयपुर बसाया । आप और जगह भी बसा देंगे । आपका यह कहना कि ओरीजनल प्लान क्या है, उसमें कमाण्ड एरिया कौनसा है, उनियारा तहसील और देवली तहसील का निश्चित रूप से कमाण्ड एरिया था । यह आपका प्रपोजल है, वहाँ मेड़ लगा हुआ है बीसलपुर डेम के ऊपर आज आप का यहां सदन के अन्दर खड़े हो कर कहना कि निर्णय नहीं किया, फाइनल निर्णय नहीं किया होगा । मैं इस बात को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मानता हूँ लेकिन आपके क्या प्रपोजल हैं, क्या प्रस्ताव हैं? जब योजना बने इतने साल हो गये? ऐसा थोड़े ही हुआ करता है कि पहले बांध बना लो और उसके बाद तय करेंगे कि उसका पानी कहां जाना है, कहां, उपयोग होना है। बँधे की योजना पहले बनती है। उस प्रस्ताव के अन्दर बाद में आप कोई अमेण्डमेण्ट कर सकते हैं, यह हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल आ गया है। मंत्री जी।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में भरतपुर में पेयजल के लिए केवल 850 एम. सी. फीट पानी ही लेने का था उसके बाद में यह क्षमता बढ़ा दी गयी क्योंकि खाली अजमेर को और दूसरे 1-2 नगरों को पानी जो पाइप लाइन जाती थी उसी से देने का था। लेकिन उसके बाद में अजमेर के कुछ गांवों को पानी देने का पाइप लाइन से 750 गांवों को अजमेर के और शेष 167 गांवों को अतिरिक्त अजमेर के तथा 756 गांव और इसमें सम्मिलित कर दिये गये। साथ ही साथ जयपुर को इण्डस्ट्रीज के लिए जो पानी की आवश्यकता है वह पानी भी इसी बीसलपुर बांध से देने का प्रस्ताव है। ऐसी स्थिति में पानी कितना बचेगा क्योंकि जो क्षमता है वह 32 हजार स्क्वायर फीट के आस-पास है और छीजत होने के बाद में इसका जो नैट बच जाता है वह 24 हजार साढ़े 24 हजार के आस पास है। ऐसी स्थिति में पेयजल का पानी निर्धारित नहीं हो जायेगा यह बात सही है कि ओरीजनल जो प्रपोजल था उसमें चेन्ज किया गया है। उसमें जयपुर को भी सम्मिलित किया गया है और अजमेर के 756 गांवों को और इसमें एड किया गया है। ऐसी स्थिति में पानी की क्षमता बढ़ेगी और ओरीजनल में जो छीजत थी वह 15 प्रतिशत ही मानी गयी थी लेकिन अब जो नया प्रस्ताव है उसमें छीजत 46-47 प्रतिशत मानी है। इस सारी परिस्थिति को देखकर जब तक सही पानी हमारे पास में उपलब्ध कितना रहेगा उसी के आधार पर सिंचाई के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह ओरीजनल में चेन्ज कब किया और क्यों किया और किस आधार पर?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। आ गया जवाब जो प्रश्न पूछा था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ओरीजिनल में चेन्ज किया है।

श्री अध्यक्ष : बता दिया ना कि ओरीजिनल में चेन्ज किया है उन्होंने

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या कारण है इसका यह नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : पानी की अवेलेबिलिटी पर यदि आपके गांव शामिल होंगे तो हो जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले शामिल थे अध्यक्ष महोदय, खुद मंत्री जी कह रहे हैं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं सका स्पष्ट नहीं कर सका....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने स्वीकार कर लिया कि चेन्ज किया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कारण नहीं बताया अध्यक्ष महोदय, कारण बतायें क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : कारण बता दीजिए चेन्ज का ।

श्री विजयसिंह झाला : कारण मैं पहले बता चुका हूँ । गांव अधिक इसमें अभी दिये हैं क्योंकि उनके पास में दूसरी योजना पेयजल की स्थाई नहीं है । जयपुर में पानी की कमी है इण्डस्ट्रीज के लिए उसके पानी की आवश्यकता है क्योंकि दूसरा स्थान कोई स्थाई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सालिगराम । (अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर ।(व्यवधान)

अब डिबेट मत करिये । (व्यवधान)

श्री विजयसिंह झाला : जो सरप्लस पानी रहेगा वह सिंचाई के लिए दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : You are entitled to ask only two questions.

श्री सुरेन्द्र व्यास : लास्ट क्वेश्चन । आप अब जो योजना बना रहे हैं फाइनल योजना अब तो कोई और गांव शामिल करके.... (व्यवधान)

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : वह केपेसिटी पर होगा कि कितना पानी आयेगा अवेलेबिलिटी पर (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिना केपेसिटी के बन नहीं सकती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । एक दो क्वेश्चन पर रुकिये मत, और लोगो के भी हैं । आपका सब जवाब आ गया, इससे ज्यादा मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको, क्षमा करें । मैं अलाऊ नहीं करूंगा, हो गया जवाब । एक दो सवाल पूछ सकते हैं आप, चार पूछ लिये हैं । आप कुछ तो नियमों का पालन करें मैं बताऊं क्या नियम पढ़ कर ?

आपने चार पूछ लिये अनलिमिटेड नहीं पूछने दूंगा । आप टाइम जाया कर रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई सदस्य नहीं पूछ सकता क्या । आपका जो आदेश है..

श्री अध्यक्ष : आप कोई भी हाथ उठाते हैं, मैं नोट करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पानी का प्रबन्ध करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर ।

श्री राम फर्टिलाईजर, कोटा को सीमेण्ट फैक्ट्री लगाने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

71. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या श्री राम फर्टिलाइजर कोटा को उसी परिसर में एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा तकनीकी एतराज के बावजूद भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(2) क्या इस पर प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा आपत्ति की गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रारम्भ में केवल परीक्षण के तौर पर, बावजूद प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल की आपत्ति के दिया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उद्योग ने इस दौरान व्यावसायिक उत्पादन किया है ।

(5) यदि हां, तो विभाग द्वारा उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : (1) जी नहीं । राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा दिनांक 24-12-82 को जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस-नोट संख्या-9 (1984) दिनाँक 21-6-84 के अनुसरण में उद्योग निदेशालय द्वारा मैसर्स श्री राम केमीकल एण्ड फर्टीलाइजर्स, श्री रामनगर, कोटा को सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु साइट क्लियरेंस का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ।

(2) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा 28-6-85 को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति उद्योग निदेशालय को पृष्ठांकित करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा जारी मार्ग-दर्शिका के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

(3) जी नहीं । राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल की आपत्ति के उपरान्त इस विभाग द्वारा इस विषयक कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया । राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मण्डल द्वारा परीक्षा के तौर पर (ट्रायल प्रोडक्शन के लिये) 3 माह की अवधि के लिए अनुमति दे दी गई ताकि प्रदूषण नियन्त्रण की उपयुक्तता तथा कार्यक्षमता की जांच की जा सके। दिनांक 27-7-89 को राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा उद्योग के उपकरण सही पाये जाने पर दिनांक 30-6-90 तक की सम्पत्ति वायु प्रदूषण निवारण एवं नियम, 1981 की धारा–31 (4) के अन्तर्गत दे दी गई।

(4) जी हाँ

(5) चूँकि दिनांक 27.7.89 को उद्योग को दिनांक 36.6.90 तक की अवधि के लिए राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा सम्मति दे दी गयी थी। अतः इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। दिनांक 27.7.89 से पूर्व उद्योग द्वारा उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाये जाने के कारण राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योग को समय-समय पर नियमानुसार नोटिस दिये गये एवं कार्यवाही की गयी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, श्रीराम कम्पनी के कोटा में पांच बड़े प्लांट इस एक परिसर में काम कर रहे हैं और जब पांचवे प्लांट के लिए उन्होंने आवेदन दिया। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने जो साइट क्लियरेन्स का प्रमाण-पत्र दिया है वह 25.1.85 को दिया है। डाइरेक्टर, इण्डस्ट्रीज ने 25.1.85 को प्रमाण पत्र दिया है और 82 के बाद पर्यावरण के सम्बन्ध में और प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे निर्देश, गाइड लाइन्स, कायदे और कानून बने। इन गाइड लाइन्स की अनुपालना में राजस्थान के प्रदूषण निवारण मण्डल ने 31.8.84 को निर्देश जारी किये कि ऐसे उद्योगों को जिनकी, जहाँ शहर की आबादी तीन लाख से ज्यादा है वहां बीस कि. मी. से दूर ही अनुमति दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने भी एक बार प्रश्न किया था और उस समय भी इसी प्रकार का जवाब दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, खुदा न खास्ता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय जवाब आपने दिया होगा

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नहीं, मैंने नहीं दिया था। मेरे से आप ऐसे जवाब की उम्मीद कर भी नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने दिया था।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सरकार ने दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसी सरकार ने।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : लेकिन शायद अगर मैं होता तो यह जवाब नहीं देता।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : बहुत बुरे दिन थे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बहुत अच्छे दिन थे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि अगर....

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सदस्य आप बोले नहीं, अब आप गलत उत्तर दे रहे हैं। आपकी सरकार को उस समय बोलना चाहिए था।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जब आप मन्त्री बन जाओ तो ध्यान रखना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। आप सवाल पूछिये।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं यह कह रहा था, मन्त्री महोदय इस बात को नोट कर लें कि 31.8.84 को जब वह गाइड लाइन्स जारी कर दी गई कि कोई भी साइट क्लियरेन्स बगैर पर्यावरण विभाग की अनुमति के जारी नहीं किया जायेगा विभाग ने उसको अनुमति दे दी मैं यह चार्ज लगाता हूँ कि इसमें भारी घोटाला करके प्रमाणपत्र जारी किया जो आज भी गलत है। चाहे वह मैंने जारी किया हो या और किसी ने जारी किया हो मैंने जारी किया है तो मैं गुनहगार हूँ। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घोटाले से मतलब क्या है आपका ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : गैर कानूनी तौर से दिया है। यह भी हो सकता है बहुत बड़े भरतराम, चरतराम जो उद्योगपति हैं, आपको भी दे सकते हैं मेरे को भी दे सकते हैं। और अगर आप जाँच कराना चाहो तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह दें कि भ्रष्टाचार का मामला है। आप स्पष्ट हो जाइये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप दूर करने में लगे हुए हैं। आप देखिये।

श्री भैरों सिंह शेखावत : आप आरोप लगाओगे तो निश्चत रूप से जांच कराऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : करिये, आप जांच करिये। इसमें राजस्थान का सबसे वरिष्ठ जो अधिकारी है उसका हित है यह भी आपको खुद को मालूम है और आपने खुद ने यह सवाल उठाया, मेरे से क्यों उगलवा रहे हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : किसके आरोपों की जांच करवा रहे हो ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप करवा लीजिए जांच मेरे को कोई एतराज नहीं है, मैं तो फिर आगे प्रश्न पूंछू ही नहीं। अगर आप इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से या ज्यूडिशियल आफिसर से करवाना चाहते हैं तो मैं कोई सवाल नहीं पूछुंगा, लेकिन जाँच में यह मुददा आना चाहिये, लेकिन जो अनापत्ति पत्र डाइरेक्टर इण्डस्ट्रीज ने दिया, मन्त्री महोदय, गाइड लाइन दी हुई है, स्पष्ट दिया हुआ है। मैं मुख्यमन्त्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा।

According to This Procedure for the select group of industries ; जिसमें यह आती है।

The letters of intent should be converted to industrial licences only after the following conditions have been fulfilled :

(1) The State Director of Indeustries confirms that the site of th-

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

project has been approved from the environmental angle by the competent State authority which is Environment Department in this case.

तो यह नहीं हुआ है, इसलिए गैर कानूनी है। जो आपने अनापत्ति पत्र दिया है यह प्रश्न के पहले भाग में मेरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे भाग में आपने जवाब दिया है वह पहले भाग का उल्टा है। पहले भाग में तो कहते हैं कि विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की थी, दूसरे भाग में आप खुद ही मान गए कि तृतीय पृष्ठांकन के तहत आपका ध्यान आकर्षित किया और इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आपको।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह कहा था कि यह आने के बाद हमने अनापत्ति पत्र जारी नहीं किया, यही कहा था कि प्रदूषण विभाग से जब यह गाइड लाईन आई उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, पहले ही किया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : गाइड लाइन 1984 में जारी हो गई।

श्री अध्यक्ष : जारी होने के बाद अनापत्ति पत्र जारी नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तारीख बता रहा हूं। यह जारी हुआ है 25-1-85 को।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसलिए यह बिल्कुल गैर कानूनी तौर से जारी किया गया। दूसरा जो मैं सवाल कर रहा था स्पष्ट तौर से आप कह रहे थे आपत्ति नहीं की पहले भाग में, दूसरे भाग में आप मान रहे हैं कि आपत्ति का पृष्ठांकन किया था, यह बिल्कुल स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। यह जो अनापत्ति पत्र डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज के द्वारा दिया गया है, वह गलत है, प्रावधानों के खिलाफ है और उस पर उन्होंने कोई विचार किया नहीं। उसके ऊपर जब यह मामला पर्यावरण विभाग की तरफ से राज्य सरकार के पास आया तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली और मीटिंग में यह कहा कि गई दफा जब यह सवाल आया था पैरा रखा गया था उसी प्रोसीडिंग का हवाला देते हुए यह जवाब दिया गया था उस समय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि चूंकि काफी निर्माण कार्य हो चुका है इसलिए कन्सेन्ट को विथड्रा नहीं किया जावे। यह कन्सेप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि जो कन्सेंट या एन. ओ. सी. पर्यावरण विभाग ने दी है 28-6-85 को वह सब्जेक्ट टू सर्टन कण्डीशन्स दी। अध्यक्ष महोदय, 20–25 कण्डीशन्स थी उसमें से एक का भी पालन नहीं हुआ। वह कन्सेन्ट या एन. ओ. सी. अपने आप आटोमेटिकली विरुद्ध हो जाता है। उसके ऊपर एक अर्से के बाद हम एक्ट कर सकें यह सभव नहीं है। इसलिए यह जो कहना कि आपत्ति नहीं हुई थी, आपत्ति हुई थी। आपत्ति के बाद जो कार्यवाही हुई है, भाग दूसरा है, मंत्री महोदय, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने यह माना है कि हमने ट्रायल के तौर पर उस

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

इण्डस्ट्री को उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया था । आप उद्योग विभाग के मंत्री हैं । मैं आपको करता हूं कि उसमें ट्रायल के तौर पर नहीं बल्कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑन दी वेरी डे, 28-6-85 से चालू कर दिया है और आज तक कर रहे हैं बावजूद सारी आपत्तियों के । मैं सोचता हूं पर्यावरण विभाग के पास, हो सकता है शक्तियां नहीं हों कि उद्योग को बन्द कर सके, मगर आपके पास तो है । उस उद्योग में दो लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष सीमेण्ट का उत्पादन हो रहा है । इस तरीके से, चालाकी से, अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस अप्लाई किया है कि बाई-प्रोडक्ट होता है उसको यूज करके सीमेण्ट बनाना चाहते हैं । दूसरी तरफ उद्योग विभाग से लाइम स्टोन की लीज ले ली । उससे वह सीमेण्ट बना रहे हैं । उससे प्रदूषण होता है वह यहां वैसा का वैसा पड़ा हुआ है । यहां पर कोटा के लोग बाग बैठे हुए हैं जो मेरी बात की ताईद करेंगे । मैं यह कहना चाह रहा था इतने लम्बे समय से एक उद्योग सरकार की आंखों में धूल झोंककर सरकार के सारे आदेशों के विपरीत प्रोडक्शन करता रहा, अभी तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की । आज मैं मुख्य मंत्री जी की तवज्जह चाहूंगा कि जाते-जाते पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड के जो मेम्बर सेकेट्री हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जाते-जाते, कौन जा रहा है । इन्तजार करो सौ साल तक ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हम तो चाहते हैं पांच साल तक इन्तजार करें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वाले खुद चले गये । इनको याद आ गया ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तो मैं आपकी नोलेज में लाना चाहता था । (व्यवधान)

27-7-89 को जब पोल्यूशन विभाग वालों ने मना कर दिया कि हम उसको प्रोडक्शन की इजाजत नहीं देंगे जब तक आप यह सिस्टम नहीं लगायें । 27-7-89 को जो मेम्बर सेक्रेट्री थे वह 31-7-89 को रिटायर होने वाले थे । जाने से चार रोज पहले कन्सेन्ट दे दी कि आप अपना प्रोडक्शन चालू कर दो । आज तक उनके इस एक्शन का अप्रूवल बोर्ड के द्वारा नहीं हुआ है, मंत्री महोदय, यहां खुद बैठे हुए हैं इसकी ताईद करेंगे । इसमें तो घपला जरूर है । रिटायर होने वाले थे, अप्रूवल करवाया नहीं, और उसके लिए लड़ाई चल रही थी । इस लड़ाई के जाते-जाते चार रोज पहले सारा काम कर दिया । और उसका नतीजा यह हुआ विभाग को आज काम करने से पहले

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वैरी इन्काम्पीटेन्ट गवर्नमेन्ट ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अब मैं आखिर में एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं वह भी जितना होना था हो गया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : काफी फजीहत उड़ाई है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : फरमाइये, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं, आप पूछिये, माननीय सदस्य आप सवाल पूछने में बहुत लम्बा समय लगा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है आपको। आप आखिरी सवाल पूछिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी आतंकवादी ने इस फैक्ट्री पर हथगोला फैंक दिया तो जो वहां अमोनिया नाम की गैस है उससे पूरा कोटा दो घण्टे के अन्दर, भोपाल की तरह, शमशान घाट बन जायेगा। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : (मुख्य मंत्री) : गोबिन्द सिंह जी, सार्वजनिक रूप से इस तरह का सुझाव नहीं दें तो बहुत अच्छा होगा। आपने कहा कि वहां अगर किसी टेरेरिस्ट ने बम्ब फैंक दिया तो अमोनिया गैस से कोटा जल जायेगा। यह पागल को कहें कि आग नहीं लगा देना यह उस प्रकार की बात है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह तो मुझे मालूम है। यह जो डिजास्टर प्लान बनाया है, उनको भी मालूम है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मालूम आपको भी है, मालूम हमको भी है लेकिन आप कहते क्यों हैं?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि इस प्रश्न का महत्त्व इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो जिस प्रकार से हमने ढिलाई की, आप भी ढिलाई करते रहेंगे। कोटा के सदस्य बैठे हैं माननीय उद्योग मंत्री जी भी कोटा के हैं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आपके पास फिर एक अवसर आ रहा है, 30 जून को कन्सेन्ट जाते-जाते रिटायर होते हुए जो अधिकारी दे गया, वह 30 जून के बाद वापिस न दें। अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, अनियमिततायें हुई हैं उनमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, घपले हुए हैं उनकी आप जांच करायें, मैं समझता हूं उससे बहुत सी चीजें आपको पता लगेंगी और जो आदमी हैं वह कटघरे में खड़े होंगे, मेरा इतना निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन्होंने यह सारे प्रश्न उठाये हैं स्वयं पर्यावरण के राज्य मंत्री रह चुके हैं लेकिन जहां तक आपने तारीखें बताई हैं उनसे मैं कहीं भी असहमत नहीं हूं लेकिन यह कहना कि तत्कालीन डाईरेक्टर इण्डस्ट्रीज जो भी थे उन्होंने कानून को ताक में रखकर या इल्लीगल वे में कोई साईट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया है जो मेरे पास रिकार्ड है उसके आधार पर, अध्यक्ष महोदय, 24-12-82 को राजस्थान स्टेट बोर्ड आफ पोल्यूशन, प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ने एक प्रार्वीजनल एन. ओ. सी. दिया था और उस प्रोवीजनल एन. ओ. सी. आने के बाद डाइरेक्टर इण्ड

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

स्ट्रीज ने 25-1-85 को साईट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया है । इस इण्डस्ट्री ने जो कैल्शियम हाईड्रोसाईट स्लकन पर जो लगभग एक वेस्ट मैटीरियल है फर्टीलाईजर का उस पर आधारित दो लाख मीट्रिक टन का सीमेंट का कारखाना लगाने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से ली थी और उन्हें इस आधार पर लैटर आफ इन्टेन्ट 11-7-80 को प्राप्त हो चुका है । और 8-1-86 को उद्योग का लाइसेंस भी मिल गया है । तो जब यह साईट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिला जो कि अनिवार्यता थी उस अनिवार्यता के आधार पर इस कारखाने को यह लाईसेंस मिला है । यह सच है कि पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड ने हर स्टेज पर आपत्तियां की हैं लेकिन यह भी सच है प्रोवीजनल एन. ओ. सी. भी उन्होंने ही दी है । यह भी सच है कि परमानेन्ट एन. ओ. सी. भी उन्होंने ही दी है और आपत्तियां भी वह करते रहे हैं । इन्टर इश्यूज कमेटी की जब-जब मीटिंग हुई उसमें सारे चीफ सैकेट्री के साथ साथ और अधिकारियों के अलावा पोल्यूशन बोर्ड के सैक्रेट्री और मैम्बर स्वयं वहां रहे हैं । इन सारे प्रश्नों पर समय-समय पर बहस हुई है । इसके कारण स्थिति खराब होगी पोल्यूशन बढ़ेगा इन पर चर्चा हुई है और फिर सब लोगों ने बैठकर समय-समय पर निर्णय लिये हैं और गाईड लाईन दी हैं और इसी आधार पर जहां तक माननीय सदस्य ने कहा इसमें घोटाले हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, मैं तो इस प्रश्न को कोई राजनैतिक आधार देना नहीं चाहता लेकिन जैसा आपका आग्रह है निश्चित रूप से इस सारे संबंध के अन्दर एक जांच करा ली जायेगी कि किस-किस स्तर पर क्या-क्या हुआ और अगर कोई जिम्मेदार है तो किस पर जिम्मेदारी आती है यह हम इस पर विचार करालें क्योंकि आपने इस प्रश्न को उठाया है सारे सवाल को आपने उठाया है इस दृष्टि से हम देख लेंगे । जांच के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं जो भी स्थिति होगी हम देख लेंगे ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । भारत सरकार के पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट जिन उद्योगों के खिलाफ आ गई उन सब को बन्द कर दिया है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तत्काल इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप जो कहते हैं कि इस प्रकार से जो पोल्यूशन बोर्ड से कोई जानकारी आई है उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री अमीन खां ।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक सवाल, आधा मिनट भी नहीं लगेगा साहब ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल को डिबेट मत बनायें । नैक्स्ट श्री अमीन खां ।

श्री रामनारायण वर्मा : थर्मल पावर प्रोजेक्ट में इससे भी ज्यादा पोल्यूशन होता है....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं प्रश्नकर्ता ने बहुत विषद् रूप से पूछा है विशेष कुछ नहीं रहा । श्री अमीन खां ।

ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत सामग्री क्रय

72. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम के तहत गत वर्ष बाड़मेर जिले में भारत सरकार व राज्य सरकार के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि से ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम में निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध घटिया सामान क्रय किया गया है ?

(3, यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह की अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) :

(1) गत वर्ष बाड़मेर जिले को ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजनान्तर्गत 8,95,763 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई ।

(2) जी नहीं, सामान क्रय की प्रक्रिया चल रही है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, यह 8,95,763 रुपये की राशि का खर्चा नहीं हुआ है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैंने कहा, सामान क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है, सामान खरीदा जा रहा है ।

श्री अमीन खां : अभी तक सामान खरीदा जा चुका है या अभी खरीदना है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : खरीदा जा रहा है । कितना खरीद लिया कितना खरीदना बाकी है यह पूछना चाह रहे हैं क्या आप ?

श्री अमीन खां : मेरा साफ सवाल एक ही है । मुझे जहां तक जानकारी है सामान जिन मापदण्डों के हिसाब से खरीदना चाहिये था उस तरह का वह नहीं खरीदते हैं घटिया किस्म का सामान उन्होंने ले लिया है और इसमें जबरदस्त घोटाला किया है । जब आपका उत्तर है कि सामान खरीदा ही नहीं है तब तो ठीक है अगर सामान खरीदा गया है तो इसमें जबरदस्त घोटाला हुआ है । खरीदा है या नहीं खरीदा है, यह आप बता दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी क्या राय है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी राय यह है मैं जिला प्रमुख रहा हूं आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो सामान आया है घटिया किस्म का सामान आया है मैंने उस सामान को देखा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं । यह सामान बीकानेर से खरीदा गया है तो मैं आपसे चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस पूरे मामले को निश्चित रूप से स्वयं देखें और इसमें जो भी दोषी हो उस पर तो आप सख्त कार्यवाही करें बहुत सब स्टेण्डर्ड माल आया है यह मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं निश्चित रूप से इस सारे प्रश्न को देखूंगा । यदि इसमें जिस प्रकार की अनियमिततायें आपने बताई हैं या और भी लोग जानकारी दे रहे हैं उस प्रकार की अनियमिततायें पाई गई तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । हरिशचन्द्र कुमावत ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, एक चीज क्लियर नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त होने के बाद आप प्रश्न मत करिये आपने जो मांगा है मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है अब बाकी क्या बचा है ? छोटा सा सवाल था....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका छोटा-सा जवाब दिया है पर दो जवाब दिये हैं एक मंत्री जी ने दिया है एक मुख्य मंत्री जी ने दिया है, कौन-सा सही है ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी का सही है । मुख्य मंत्री जी के कहने के बाद क्या बचता है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री जी ने कहा है कि सामान खरीदा नहीं गया है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं कहा, प्रक्रिया चल रही है कुछ खरीदा गया है कुछ नहीं खरीदा गया ।

श्री हेतराम बेनीवाल : सामान खरीदा ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : साफ लिखा हुआ है प्रक्रिया चल रही है, क्रय का काम चल रहा है, यह कहा है । नैक्स्ट ।

पलाडा सहकारी समिति में गबन

73. **श्री हरिशचन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर के मुकदमा नं. 818788 में की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 26-3-90 में श्री रामेश्वरलाल चौधरी के विरुद्ध पलाड़ा सहकारी समिति लि. जिला नागौर की परिसम्पत्ति रुपये 82,580 33 का गबन एवं दुरुपयोग कर समिति को हानि पहुंचाने का निष्कर्ष निकाला है ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जायेगी एवं सहकारी संस्था नियमों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

(श्री हरिशचन्द्र कुमावत)

(2) उक्त सहकारी समिति लि. पलाडा जिला नागौर के पास कुचामन सिटी नमक झील में कितनी भूमि आवंटित थी ? यह भूमि सहकारी समिति के नाम से हटाकर किस व्यक्ति को व्यक्तिगत नाम से किन नियमों के अन्तर्गत स्थानान्तरित की गई है ? नियम एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त समिति के नाम से कुचामन के खसरा नं. 19 डीडआना रोड पर कोई कृषि भूमि थी ? यदि हां, तो उसका रकबा क्या था ? यह भूमि सोसाइटी के नाम से हटाकर किन-किन व्यक्तियों के नाम स्थानान्तरित की गई व किन नियमों के अन्तर्गत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जी हाँ । यह सही है कि न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ जोधपुर खण्ड जोधपुर ने मुकदमे नम्बर 9/87-88 में दिये गये निर्णय दिनांक 16-4-90 में श्री रामेश्वर लाल चौधरी के विरूद्ध पलाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जिला नागौर की परिसम्पत्तियाँ रुपये 82,580·33 का गबन एवं दुरूपयोग करने का निष्कर्ष निकाला है । इनके विरूद्ध अग्रिम कानूनी कार्यवाही सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर द्वारा की जानी है । राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(2) उक्त सहकारी समिति लिमिटेड पलाड़ा जिला नागौर के पास कुचामनसिटी झील में खसरा नम्बर 49, 50, 51, 52 कुल 40 एकड़ भूमि द्वारा आवंटित की गई थी । यह भूमि सहकारी समिति के नाम से हटाकर राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आवंटन) नियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत श्री रामेश्वर लाल चौधरी के पक्ष में हस्तान्तरण कर दी गई । आदेशों की प्रति एवं सम्बन्धित नियम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । परिशिष्ट "क" व "ख"

(3) जी हाँ । इस भूमि का रकबा साढ़े पांच बीघा था । इस भूमि को सोसाइटी ने 24-7-73 को नीलामी के द्वारा श्री रतना लाल पुत्र जसाराम जाट को बेच दी । इस विक्रय के बारे में सहकारी विभाग से स्वीकृति नहीं ली गई । सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची के कृपया लिए परिशिष्ट 1 देखें।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में माननीय मंत्री महोदय ने माना है कि रामेश्वर लाल चौधरी ने 82,580 रुपये का गबन किया है । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चहता हूँ कि इसकी जो वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की है, उसका क्या अर्थ है ?

(श्री हरिशचन्द्र)

अब तक किस स्टेज पर कार्यवाही की गई है ?

दूसरा यह है कि जब गबन सिद्ध हो गया तो उसके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है या नहीं ? अगर नहीं कराई गई है तो क्यों नहीं कराई गई है ?

नम्बर 3, 40 एकड़ लवण भूमि जो सहकारी समिति की थी उसको रामेश्वर लाल चौधरी के नाम से आवंटित कर दी। तो रामेश्वर लाल चौधरी उस समिति का अध्यक्ष भी था, अध्यक्ष के व्यक्तिगत नाम से सहकारी समिति की भूमि क्या आवंटित की की गई, किसलिये की गई ? क्या सहकारी विभाग की स्वीकृति ली गई है ? क्या सहकारी विभाग इस भूमि को वापस लेने की कार्यवाही करेगा ?

नम्बर चार, खसरा नं. 19 डीडवाना रोड़ की जो जमीन है वह भी बिना सहकारी विभाग की स्वीकृति के नीलाम कर दी गई। अब जिसने जमीन ले ली है वह भी सहकारी समिति का सदस्य था। लाखों रुपया उस जमीन का बटोर रहा है। क्या इस प्रकरण की जांच करने तक उसमें स्थगन आदेश देकर जो कार्यवाही है वह रोक दी जायगी ? ताकि सहकारी समिति की जो जमीन हड़प ली गई है उसकी वैसी स्थिति बनी रह सके ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न बहुत लम्बे चौड़े हैं। सम्पूर्ण प्रश्नों की जांच करवाई जायगी। यह बात सही है कि इस सोसायटी के अन्दर घोटाला हुआ है, संदिग्ध अवस्था है। प्रक्रिया इसमें गलत हुई है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिस आदमी के बारे में आप कह रहे है, यह व्यवस्थापक भी रहा है, व्यवस्थापक के बाद अध्यक्ष रहा, अध्यक्ष के बाद प्रधान पंचायत समिति रहा है और एम. एल. ए. भी रहा है। यह आदमी इतना प्रभावशाली है जिसने अपने टाइम के अन्दर 40 एकड़ भूमि उद्योग विभाग से आवंटित करवा ली सहकारी समिति के माध्यम से और फिर उसको बेच भी दिया। इसके अलावा पांच बीघा और करवाई उसमें भी आधा बीघा जमीन खरीद ली गई। इसलिये यह संदेहपूर्ण मामला है सारा का सारा। मेरे पास मामला आ चुका है, इसकी सम्पूर्ण जांच करवाई जायगी।

श्री अध्यक्ष : वह स्टे की बात पूछ रहे हैं, स्टे की बात। (व्यवधान)

आप बैठिये। आप बैठिये पहले। वह स्टे का पूछ रहे हैं कि जब तक आप मुकम्मिल जाँच नहीं करें वह जो लाभ उठा रहा है जमीन से, उसमें स्टे कर रहे हैं क्या आप ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह नागौर कोआपरेटिव बैंक का मामला है। एक प्रक्रिया होती है। नागौर को-आपरेटिव बैंक को हमने लिख दिया, तत्काल इसकी कार्यवाही

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

प्रारम्भ कर दें, प्रक्रिया प्रारम्भ करें। वह अगर नहीं करता है, तो देरी करता है तो मैं आपको विश्वास देता हूँ कि अल्प समय में इन व्यक्तियों के खिलाफ गवर्नमेंट लेवल पर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मांगीलाल जी। (व्यवधान)मेरे पास नाम आये हैं उनको बोलने दीजिये, मांगीलाल जी पूछ रहे हैं। आप बैठिये ना। वह पूछ रहे हैं, मेरे पास और भी नाम हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के विषय में पूछना चाहता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर के खण्ड तीन में यह बताया गया है कि सहकारी विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है, अपने नाम से जमीन ट्रांसफर करवा ली गई है। तो स्वयं ही यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, तो क्या इस प्रजातान्त्रिक देश में नियमों और प्रक्रिया से भी बड़ा कोई है ? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्यवाही होकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरालालजी इन्दौरा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गबन किया है।

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये। हो गया, आपका सवाल हो गया।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की थी कि मैं मेरे विभाग में करप्शन को मिटा कर रहूँगा अन्यथा मैं 6 महीने के अन्दर-अन्दर वाक आउट कर जाऊँगा, पद छोड़ कर चला जाऊँगा। दो महीने बाकी रहे हैं और करप्शन के चार्जेज बहुत आ रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय यह बता दें दो महीने के अन्दर-अन्दर यह करप्शन मिटाने का काम पूरा कर लेंगे या चले जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आ गया ... आप बैठिये। आप पूछिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्नकर्ता ने पिन पाइन्टेड क्वश्चन पूछा है और माननीय मंत्री महोदय ने यह मान लिया कि 82580 रुपये का गबन किया है। गबन मान लिया। पिन पाइन्टेड क्वश्चन है कि उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई या नहीं ? यदि नहीं कराई गई तो मंत्री महोदय इस बात का स्पष्ट उत्तर दे कि कितने दिन के अन्दर उसके विरूद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी जायगी ?

नम्बर दो, जब आप मानते है कि इस

(श्री अनंगकुमार जैन)

सहकारी विभाग को पिछले कांग्रेस शासन के नेताओं ने + + + पूरे कांग्रेस के जो नेता और मिनिस्टर थे उन्होंने उसको + + + तो, माननीय मंत्री महोदय, जब इस तरह का उसमें भ्रष्टाचार पाया गया है तो जो आदमी लाभ उठा रहा है तत्काल उस पर स्टे तो आज ही जारी करने के लिये घोषणा करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी ।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है निश्चित तौर से यह टालने वाला जवाब है । जो असरदार आदमी है उसके खिलाफ आप किस तरह से कार्यवाही करेंगे ? जो बैंक के थ्रू करने की बात की है, अभी हमारा जो हाई कोर्ट है उसने प्रशासकों को रख दिया, वह लोग बैठे हुए हैं । जिन चौधरी जी की आप बात कर रहे हैं उनके ही भाई बन्धु हैं और उनकी रक्षा करेंगे । इसलिये यह निश्चित आज इस सदन में घोषणा करें । जिन्होंने 40 बीघा जमीन पर अभी भी कब्जा कर रखा है, जिसमें 34 हजार रुपये बकाया है, गबन कर लिया, जिसके पास 40 बीघा जमीन अभी भी बकाया है और आप यह घोषणा कर रहे हैं, हम जांच करवायेंगे । जांच कराने में मुझे लगता है आपके दो महीने खतम हो जायेंगे । इसलिये निश्चित रूप से आप यह घोषणा करें कि आप क्या करने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे सम्मानीय सदस्यों ने इस बारे में बड़ी जिज्ञासा प्रकट की है । यह मामला वास्तव में गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो बता दीजिये एफ. आई. आर. दर्ज हुई है कि नहीं ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई है । हमारा जो सहकारी अधिनियम है उसमें वसूली की एक प्रक्रिया होती है । एफ. आई. आर. वहां का सहायक रजिस्ट्रार दर्ज करवाता है । लेकिन जिस आदमी से सहायक रजिस्ट्रार स्वयं मिला हुआ है, यह मैंने पहले ही कहा था, प्रभावशाली आदमी है, इसमें तो बड़े-बड़े रिश्ते भी निकलेंगे मैं आपको बताऊँ ...

श्री हेतराम बेनीवाल : निकले रिश्ते, डर किस बात का है ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : डर कहां है । डर बिल्कुल नहीं रहा हूँ ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप डर क्यों रहे हैं कि निकलेंगे रिश्ते । मंत्री महोदय, आप रिश्ते छोड़ें । एक मुझे आपसे यह कहना है, यह क्या उत्तर है । (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, मंत्री जी, बोलिये। आप बिराजिये। आपका सवाल आ रहा है। बैठिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्माननीय सदस्यों ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, वास्तव में, मैंने पहले ही कहा है, गम्भीर आरोप है। इसकी एफ. आई. आर. तो अभी दर्ज नहीं करवाई है लेकिन 15 दिन में देखेंगे आप कि यह जो प्रधान है, जो प्रभावशाली आदमी है, यह कहां किस स्थान के ऊपर नजर आता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री महावीर प्रसादजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल पूछिये। मैं नैक्स्ट लेऊँ क्या? हाँ, तो पूछिये अपना।

टोंक जिले में सिंचाई योग्य पानी का उपयोग

74. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) टोंक जिले में विभाग द्वारा उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु क्या-क्या योजना तैयार की गई है? इन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है? वर्ष 1987 से अब तक किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? प्रत्येक योजना की रूपरेखा की प्रति एवं वर्षवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिले में उपलब्ध पानी का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री विजय सिंह भाला) : (1) टोंक जिले में उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु विभाग द्वारा अब तक दो आधुनिकीकरण की परियोजनाएँ, आठ लघु सिंचाई परियोजनाएँ तथा दो डी. पी. ए. पी. के तहत योजनाएँ तैयार की गई हैं। उक्त 12 योजनाओं पर कुल 1363 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इन योजनाओं में से तीन लघु सिंचाई योजनाएँ सुथड़ा कासीर तथा सिरोही एवं एक डी. पी. ए. पी. योजना ओकोडिया पूर्ण कर ली है। उक्त योजनाओं पर व्यय होने वाली राशि तथा वर्ष 1987 से अब तक किये गये वर्षवार व्यय का विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है। इसमें सृजित होने वाली सिंचाई क्षमता भी दर्शाई है।

(2) जी नहीं। उपलब्ध पानी का उपयोग किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।*

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर आपने सुना उससे ऐसा लगता है कि शायद विभाग का

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

काम माननीय मंत्री महोदय को, इस सदन को गुमराह करना है या कोई बात छिपाने की जो आदत पड़ी हुई है नई सरकार की भी, उसी का परिणाम है····

श्री अध्यक्ष : आप सवाल कीजिए, आप तो कन्फ्यूजन में चले गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं पूछना चाहता हूँ कि टोंक जिले में अभी कितना पानी उपलब्ध है और कितना उपयोग किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : टोंक जिले में सारा उपलब्ध पानी कितना है इसका प्रश्न नहीं है। आपने पूछा है कि टोंक जिले में विभाग द्वारा उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु क्या-क्या योजनाएं तैयार की गई है और जो योजनाएं तैयार की हैं उसमें उपलब्ध पानी है उसकी क्षमता मैंने बताई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कहा है टोंक जिले में उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु क्या-क्या योजना बनाई है और कितने पानी का उपयोग किया जा रहा है। उसमें कह दिया—"जी नहीं।" प्रश्न दो में मैंने पूछा कि क्या उपलब्ध पानी का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं ? आपने कहा—"नहीं।"

श्री विजयसिंह झाला : उपलब्ध पानी का मतलब है परियोजना में जो पानी एकत्रित होता है उससे। (व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : विभाग के अन्दर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं वह मतलब बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कहाँ भ्रष्ट अधिकारियों पर आ गये। बैठिये आप। वह अकेले ही बहुत हैं। विराजिए।

श्री अनंगकुमार जैन : विभाग के अन्दर भ्रष्ट अधिकारी जो मर्जी आये जवाब देकर मंत्री महोदय भेज देते हैं····

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने निवेदन किया। मुझे कोई मंत्री जी की क्षमता या बुद्धि पर शक नहीं लगता। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका मतलब यह है कि उन बांधों में जितना पानी है उसके उपयोग के लिए मैंने प्रश्न पूछा है ? प्रश्न का मतलब भी बतला दिया मंत्री जी ने और विभाग जान-बूझ कर अपनी अकर्मण्यता को छिपा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा मतलब है, क्या यह सही है कि जितना उपलब्ध पानी है उसके आधे का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं और इनकी बांधों की ऐसी योजना बनाने के लिए सारे विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं जो केवल तनखा लेते हैं और उनका कोई उपयोग वहाँ पर नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, यदि टोंक के सम्पूर्ण पानी के उपयोग के सर्वे करने का प्रश्न है, मैं इसको पुनः देख लूँगा और आपको सूचना दूँगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

मकराना में संगमरमर पत्थर पर दोहरी रायल्टी

75. **श्री बिरद राम चौधरी** (मकराना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) क्या यह सही है कि मकराना में चिराई हेतु उदयपुर (केशरयाजी), सिरोही, आंधी आदि स्थानों से आने वाले संगमरमर पत्थर पर उपरोक्त स्थानों पर रायल्टी ली जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चिराई के पश्चात् मकराना से वापिस बाहर जाने वाले उसी पत्थर पर पुनः रायल्टी ली जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोहरी रायल्टी के कारण उक्त उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार संगमरमर उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु एक बार रायल्टी लगे ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज, राज्य मंत्री) : (1) जी हां ।

(2) उक्त स्थानों से आने वाला संगमरमर मकराना में उत्पादित मार्बल से चिराई के दौरान मिल जाता है तथा ग्राहक द्वारा विभागीय नाके पर रायल्टी अदा की जाती है ।

(3) जी नहीं ।

श्री बिरदाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मकराना एक औद्योगिक नगर है और उसमें मकराना के अलावा बाहर से सिरोही, रेवदर से, एक तिहाई हिस्सा पत्थर चिराई के लिए आता है क्योंकि मकराना में चिराई की मशीनें हैं और जहां से पत्थर निकलता है वहां से निकलने पर कच्चे माल पर रायल्टी ली जाती है और वही पत्थर मकराना में आता है और चिराई होती है चिराई के बाद बाहर निकलता है तो उस पर पुनः रायल्टी ली जाती है । मेरा प्रश्न यह था कि जब एक बार रायल्टी ली जाती है और मकराना से बाहर निकलता है उस पर भी पुनः रायल्टी ली जाती है । इसका उत्तर दिया है यह मंत्री महोदय ने गोलमोल उत्तर कर दिया है और इसका उत्तर ही नहीं दिया है । मेरा प्रश्न यह था । क्या यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : आप सीधा सवाल करिये । मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ । मंत्री महोदय यह बतावें, क्या यह सही है कि मकराना का जो पत्थर है उसके अलावा जो बाहर से चिराई के लिए पत्थर आता है उस पर रायल्टी दो बार लेने का नियम है या एक ही बार ?

श्री कालूलाल गुर्जर : जो पत्थर सिरोही, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर उदयपुर, से चिराई के लिए आता है उसकी रायल्टी जहां से पत्थर निकलता है वहां पर ले ली जाती है उसके बाद चिराई होने के बाद फाइनल टाइल्स बन जाती हैं और मकराना का जो पत्थर वहीं से निकलता है उसकी भी टाइल्स बन जाती है इनको जो माल खरीदने वाले आते हैं, वहा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

से माल खरीद कर ले जाते हैं फिर उनकी चुंगी नाके पर जो रायल्टी ली जाती है दुबारा वह खरीददार देकर जाता है न कि खान का मालिक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए, मैं आपका ही काम कर रहा हूँ। सवाल इतना ही था कि उनकी दो बार रायल्टी नहीं ली जानी चाहिए इससे आप सहमत हैं, क्या?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दुबारा सिरोही, उदयपुर से जैसे माल आता है उसकी रायल्टी नहीं लगनी चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष : तो आप ऐसी व्यवस्था करिये कि जो पत्थर बाहर से आता है उसकी दुबारा रायल्टी देना नहीं चाहें तो मकराना में मिलायें नहीं। जो नहीं मिलेगा उसकी रायल्टी नहीं लगेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था पुरानी चली आ रही है यदि माननीय सदस्यों और अध्यक्ष जी का आग्रह है तो इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस पर विचार कर लीजिए, आप।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है....

श्री अध्यक्ष : पहले, प्रश्नकर्त्ता को मौका दें। एक सवाल का जवाब आ गया कि इस व्यवस्था में सुधार होगा, डबल रायल्टी नहीं लगेगी। इसका सरकार करेगी। अब आगे क्या पूछना है।

श्री बिरदाराम चौधरी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या उसी पत्थर पर दुबारा रायल्टी लगती है कि नहीं लगती है?

श्री अध्यक्ष : आपको उन्होंने जो जवाब दिया है कि पुराना जो चला आ रहा है उसमें मिक्स हो जाता है तो ले जाने वाला जो खरीददार है वह रायल्टी देकर ले जाता है। यह पता लगाना मुश्किल है कि उसमें कौनसा ओरिजनल मकराना का है।

श्री बिरदाराम चौधरी : इसकी व्यवस्था भी की जा सकती है। जैसे मकराना में बाहर से पत्थर आता है वह चुंगी नाके पर आता है उसकी कूपन दे दी जावे....

श्री अध्यक्ष : ठीक है। हो गया। आपका सुझाव ठीक है। वह देख लेंगे। अब आप पूछिये।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, क्या इस सवाल का केवल मात्र यह मतलब नहीं है कि मकराना से जाने वाले पत्थर के टैक्स की चोरी होती रही। आप कैसे पहचान करोगे कि यह बाहर से आया है और यह यहीं का है। यह सारा इस मकराना के अन्दर वाले पत्थर की भी रायल्टी चोरी का प्रश्न आ गया है।

श्री अध्यक्ष : इस पर भी मंत्री जी विचार कर लें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : क्या पुरानी सरकार ने इस पर कोई व्यवस्था की थी?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री निर्भय लाल, श्री चुन्नीलाल इन्दिलिया, श्री मांगीलाल मेघवाल।

अनुदानित शिक्षण संस्थायें एवं छात्रावास

76. **श्री निर्भय लाल (रूपवास) श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नौखा), एवं श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य मे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुदानित कितनी संस्थाओं द्वारा शिक्षण संस्थायें एवं छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं ? सूची नाम, संस्था, स्थान, छात्र संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी शिक्षण संस्थायें एवं छात्रावास अनुसूचित जाति एवं जनजाति सस्था द्वारा संचालित की जा रही है ? कृपया सूची स्थान नाम, संख्या सहित की मेज पर रखें।

समाज कल्याण राज्य **मंत्री** (श्री कुन्दनलाल मिगलानी) :

(1) राज्य में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 65 अनुदानित संस्थाओं द्वारा छात्रावास, एवं 4 अनुदानित संस्थाओं द्वारा शिक्षण संस्थायें संचलित की जा रही हैं। सूची नाम संख्या, स्थान, छात्र संख्या सहित परिशिष्ट एक एवं। (अ) पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति द्वारा 33 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, इनमें से 31 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जन जाति द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। अनसूचित जाति एवं जन जाति द्वारा कोई शिक्षण संस्था संचालित नहीं की जा रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न के उत्तर से ही साफ जाहिर हो रहा है। क्या कारण है कि समाज कल्याण का पैसा अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए लगना चाहिए, वहां यह 65 तो नाम है, जो सूची मुझे दी गई है, इसमें इससे भी ज्यादा 105 के आस-पास ऐसी सस्थाएं हैं जो जनरल लोग चला रहे हैं और इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है। दूसरे, क्या अधिकारियों ने ऐसी संस्थाओं का मौके पर जाकर अध्ययन किया है ? कई बार अखबारों में आया है....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है, आप सवाल पूछिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मैं बता रहा हूँ साहब, अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं और बिल्डिंग्स नहीं हैं, पैसा उठाया जा रहा है, कहीं छात्रों को सुविधायें नहीं है और कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि मंत्रीजी यह घोषणा करें कि इनकी एक अभियान द्वारा, मैंने निदेशक महोदय को भी निवेदन किया था, एक अभियान चलाने की घोषणा की

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

थी, क्या वह अभियान चल रहा है और उसकी प्रोग्रेस आपने ली है ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । मंत्री महोदय । हो गया आपका सवाल ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्सपेक्शन दल नियुक्त कर दिये गये हैं। उनके द्वारा 15–15 दिन की जांच रिपोर्ट ली जा रही है । माननीय सदस्य इस चीज की तरफ ध्यान रखें कि जो उन्होंने फरमाया था उसके अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की निजी शिक्षण संस्थाएं

84. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार को विदित है कि निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों के अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके हित में राज्य सरकार क्या प्रभावी उपाय कर रही है ?

(2) क्या इस संदर्भ में निजी शिक्षण संस्था अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो रहा है और इसके तहत नियम बन गये हैं ?

(3) यदि नहीं, तो अभिभावकों के हित संरक्षण हेतु उपरोक्त को सख्ती से लागू करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों के अभिभावकों का शोषण किये जाने के बारे में विवाद समय-समय पर उठे हैं । इन कठिनाइयों के निवारण हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 राजस्थान विधानसभा द्वारा दिनांक 30-12-89 को पारित किया जा चुका है । यह विधेयक महामहिम राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जा चुका है । विधेयक के लागू होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(2) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 के अभी लागू न होने से इसके अधीन नियम पारित नहीं हुए हैं ।

(3) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 के नियम बनने पर राज्य सरकार इनकी पालना हेतु सख्ती से कार्यवाही करेगी ।

राज्य के अनुसूचित जाति-जन-जाति बेरोजगार युवकों को भत्ता

85. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या समाज कल्याण राज्य-मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि यह बेरोजगारी भत्ता केवल द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को ही देय है ?

(3) क्या सरकार तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों के व्यक्तियों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में गत वर्ष तक अनुसूचित जाति के 11 स्नातकों एवं 44 स्नातकोत्तर बेरोजगारों को एवं अनुसूचित जन-जाति के 9 स्नातकों एवं 37 स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

(2) जी हाँ ।

(3) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राज्य में मान्यता प्राप्त स्कूल

86. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसे कितने और कौन-कौन से निजी/सार्वजनिक विद्यालय है जिनको प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता नहीं होने पर भी उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता दे दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य में ऐसे कितने और कौन-कौन से निजी एवं सार्वजनिक विद्यालय हैं जिनको उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता नहीं होने पर भी राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर की कक्षाएँ खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार ने विगत में ऐसे आदेश निकाले थे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक के अनुदानित विद्यालयों को अनुदान प्रार्थना पत्रों का अन्तिमीकरण शिक्षा उप निदेशक स्तर पर ही किया जाकर उनके द्वारा ही अनुदान की स्वीकृति राशि जारी की जावेगी ? यदि ऐसे आदेश निकाले थे तो उनकी क्रियान्विति में क्या बाधा है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) प्रशासनिक आदेश दिनांक

(शिक्षा राज्य मंत्री)

17-11-87 की क्रियान्विति हेतु अनुदान नियम 1963 में वांछित संशोधन के पूर्व ही उस पर पुनर्विचार किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

87. **श्री रतन लाल जार** (सहाड़ा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कितनों को व कहां-कहां?

(2) उक्त क्षेत्र व भीलवाड़ा जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) इस वर्ष नये विद्यालय खोलने या क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

(2) विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 11 अध्यापकों के पद तथा भीलवाड़ा जिले में 115 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

राज्य में राजकीय मुद्रणालय

88. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या मुद्रण एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने राजकीय मुद्रणालय हैं? सन् 1988-89 और 1989-90 में इन मुद्रणालयों के लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के मुद्रणालयों में जयपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर घाटा हो रहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल पाँच मुद्रणालय हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर बीकानेर एवं अलवर में स्थित है। राजकीय मुद्रणालय सेवा विभाग (Service Department) हैं। अतः इसमें लाभ-हानि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) जैसा कि बिन्दु संख्या-1 में उल्लेख किया जा चुका है कि यह विभाग सेवा विभाग (Service Department) है अतः इसे लाभ हानि के आधार पर नहीं आंका जा सकता।

राज्य में योजना मण्डल का गठन

89. **श्रीसालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य योजना मण्डल के गठन के प्रस्ताव विगत कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो इस बोर्ड का गठन कब तक कर दिया जायेगा तथा इसका स्वरूप व वैधानिक स्थिति क्या होगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जिला स्तर पर भी जिला योजना मण्डल का गठन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ ।

राज्य योजना मण्डल के गठन का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है । इस मंडल के शीघ्र गठन की कार्यवाही की जा रही है । इसका स्वरूप व्यापक होगा एवं आयोजना प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने व जनसाधारण के आकांक्षाओं के अनुरूप योजना तैयार करने की दृष्टि से पर्याप्त विषय विशेषज्ञ जन-प्रतिनिधि आदि को सम्मिलित किया जायेगा । योजना मंडल मुख्यतः एक परामर्शदात्री समिति होगी जो राज्य की दीर्घकालीन योजना, विकास हेतु नीति निर्धारण, रोजगार प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मार्ग दर्शन, प्रगति के मूल्यांकन इत्यादि के विषय में पूर्ण परामर्श देगा ।

(2) जिला स्तर पर योजना मंडल का गठन फिलहाल नहीं किया जा रहा है । इस बारे में आवश्यक निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला आयोजना के विषय में लिये जाने वाले निर्णय को ध्यान में रखकर लिया जाएगा ।

सवाईमाधोपुर के छात्रों को छात्रवृत्ति

90. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में 1987-88 व 1989-90 में अनुसूचित जाति व जनजाति के कुल कितने छात्र/छात्राओं को कुल कितनी छात्रवृत्ति का वर्षवार भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान नहीं होता है ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1987-88 व 1988-89 में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र/छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति एवं लाभान्वितों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

स्कीम	1987-88 लाभान्वित	व्यय राशि (रुपयों में)	1989-90 लाभान्वित	व्यय राशि (रुपयों में)
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति—				
1. अनु. जाति	13147	26,92,000	14,302	28,28,120
2. अनु. जनजाति	23713	42,77,290	21,037	43,54,430
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति—				
1. अनु. जाति	570	6,82,942	1,503	13,05,497
2. अनु. जनजाति	1,403	18,02,998	2,357	24,61,614

(2) जी नहीं, छात्रवृत्तियों का भुगतान यथा सम्भव समय पर ही होता है।

मांगरोल (कोटा) इन्द्रगढ़ (बूंदी) में छात्रावास

91. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के मांगरोल तथा बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ में समाज कल्याण छात्रावास खोलने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर जनहित में छात्रावास खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय संसाधनों एवं आवश्यकता के अनुसार छात्रावास खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा जिनके लिये निश्चित समयावधि निर्धारित किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

भूमि विकास बैंक, जालौर द्वारा स्वीकृत ऋण

92. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

(1) भूमि विकास बैंक, जालौर द्वारा कुआ गहरा करने के लिये, 1 जनवरी 1988 से अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई और उसमें कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन को देना शेष है ? सूची सदन को मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक में धानता के काश्तकारों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो उनके नामों की सूची व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) अब बकाया भुगतान कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जालौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जालौर द्वारा एक जनवरी, 1988 से 21-6-90 तक कुआ गहरा कराने के लिए ऋण स्वीकृति एवं भुगतान की गई राशि तथा स्वीकृत ऋण राशि में से भुगतान हेतु बकाया राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं । **(परिशिष्ट "अ")**

(2) जी नहीं ।

(3) बैंक द्वारा 1-1-1988 से 21-6-1990 तक कुआें गहरा कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से 7 आवेदन पत्रों को डी. आर. डी. ए. से अनुदान प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा । 20 आवेदन पत्रों में प्रार्थियों द्वारा रहन पत्रों के निष्पादन करने पर भुगतान किया जावेगा । 5 आवेदन पत्रों में राशि कम स्वीकृत होने से प्रार्थी ऋण लेने के इच्छुक नहीं हैं एवं एक प्रार्थी के कुआें गहरा नहीं कराने से भुगतान नहीं किया जा सकता हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

फूलो की घाटी पुष्कर को देख-रेख

93. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या गत वर्षों में अजमेर जिले में पुष्कर घाटी तथा अजमेर से नसीराबाद के बीच (माखुपुरा से वीर चौराहा तक) फूलों की घाटी का कार्य किया गया हैं ?

(2) यदि हां, तो इन दोनों कार्यों के रख-रखाव पर कितना व्यय गत 5 वर्षों में किया गया ।

(3) क्या रख-रखाव के अभाव में यह दोनों फूलों की घाटियां नष्ट होने को स्थिति में हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इनको बचाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इन दोनों कार्यों के रख-रखाव पर गत 5 वर्षों में निम्नानुसार व्यय किया गया—

पुष्कर घाटी : रु. 1,06,374/–

माखुपुरा पुष्प घाटीरु. 53,002/–

(2) जी, नहीं । संधारण हेतु अनुरक्षण मद में प्राप्त बजट से इस कार्य को संधारित करवाया जाता है । वर्षा की कमी एवं स्थानीय तौर पर पानी की अनुपलब्धता के कारण संधारण करने में कठिनाई अवश्य रहती है ।

(4) जी हां, दोनों पुष्प घाटियों को बदस्तूर संधारण किया जाता रहेगा । इस वर्ष माखुपुरा व पुष्कर पुष्प घाटी के संधारण हेतु प्रत्येक पर रुपये 20,000/– का प्रावधान है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 94

(स्थगित)

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

95. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अब तक कितनी पंचायत समितियों को ले लिया गया है ?

(2) शेष पंचायत समितियों में यह योजना कब तक लागू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अब तक 141 पंचायत समितियों को ले लिया गया है ।

(2) 71 पंचायत समितियों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं । अवशिष्ट 55 पंचायत समितियों के प्रस्ताव योजना व चालू रहने की स्थिति में आगामी फेज में भेजे जाएंगे ।

राज्य में वनों की कटाई से उत्पन्न पर्यावरण असन्तुलन

96. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वनों की अवैध कटाई व निरन्तर वन क्षेत्रों में कमी होने से पर्यावरण सन्तुलन व मानसून में सामयिक तथा अच्छी मात्रा में वर्षा न होने से समस्या उत्पन्न होती जा रही है ।

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही अथवा योजना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) वनों की अवैध कटाई की रोकथाम के लिए—

1. 11 विनिकी एवं 5 वन्य जीव उड़न दस्ते गठित किये गये हैं ।

2. विभिन्न स्थलों पर 31 चैक पोस्ट स्थापित किये गये हैं ।

3. दूरगामी संवेदनशील स्थलों पर वायरलैस सैट स्थापित किये गये हैं ।

4. वन कर्मियों को सहयोग करने के लिए विभिन्न स्थलों पर पुलिस पार्टियों को तैनात किया गया है ।

5. अवैध कटान में वन कर्मियों की मिली भगत की जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिए सतर्कता (वन) निदेशालय की स्थापना की गई है ।

6. वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाये जाने के लिए वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके तहत इस वर्ष 8·75 करोड़ पौधे लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

बनास क्षेत्र में बजरी का ठेका

97. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन), **श्री कन्हैयालाल** (कोटपूतली) : एवं **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) . क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दुब्बी बनास सवाईमाधोपुर पर हर वर्ष बजरी का ठेका दिया जाता है ? यदि हां, तो यह ठेका किस वर्ष से प्रारम्भ हुआ ? प्रारम्भ से वर्ष 1990 तक किस-किस व्यक्ति को कितनी राशि में में ठेका दिया गया ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 1990 में दिया गया ठेका राज्य सरकार के नियमानुसार है ? यदि हां, तो गत वर्ष की बजाय इस वर्ष मात्र 2 लाख 28 हजार में किन कारणों से ठेका मंजूर किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 के हुए ठेके में राज्य सरकार को भारी हानि हुई है ? इतनी कम राशि में ठेका मंजूर करने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या सरकार इस ठेके को अस्वीकृत कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त अनियमितता के संदर्भ में किसी व्यक्ति की शिकायत सरकार को करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री भरोसी लाल)

(5) क्या उक्त अनियमितता के संदर्भ में किसी व्यक्ति की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किसकी तथा कब-कब शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1988-89 से दो वर्ष के लिए रॉयल्टी व परमिट वसूली का ठेका दिया जा रहा है । सर्वप्रथम दिनांक 15-4-88 से ठेका प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 1988-90 तक श्री देवनदास-गोरधनदास के पक्ष में रु. 3 लाख प्रतिवर्ष एवं वर्ष 1990 तक रु. 2,28,101/– प्रतिवर्ष की दर से श्री नरेन्द्रसिंह के पक्ष में स्वीकृत किया गया है ।

(2) जी हां, उक्त ठेका खुली नीलामी द्वारा उच्चतम बोली पर दिया गया है । गतवर्ष की तुलना में इस बार बोली कम आने के निम्न प्रमुख कारण है—

(क) ट्रक मालिकों व मजदूरों की यूनियन द्वारा रॉयल्टी वसूली में झगड़ा फिसाद करना ।

(ख) सवाई माधोपुर में विचाराधीन खाद कारखाना नहीं लगने का निर्णय लिया जाना ।

(3) जी नहीं । गत वर्ष की तुलना में कम राशि प्राप्त होने के कारण प्रश्न के भाग–2 में अंकित हैं ।

(4) जी नहीं । ठेके के लिए खुली बोली सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा नियमानुसार लगवाई गई है । तत्पश्चात् निदेशक खान एवं भू विज्ञान द्वारा प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर गत वर्ष के मुकाबले कम बोली आने के कारणों को औचित्य पूर्ण मान कर राज्य सरकार को उच्चतम बोली (रु. 2,28,101/–) पर स्वीकृत करने की सिफारिश की गई । इसके पश्चात् राज्य सरकार स्तर पर परीक्षण कर स्वीकृति जारी की गई है ।

(5) इस सम्बन्ध में श्री मोती लाल मीणा व विधायक एवं श्री गणेशराम मीणा ने क्रमशः दिनांक 24-4-90 एवं 16-5-90 को राज्य मंत्री, खान को शिकायत पत्र प्रेषित किये जिनकी प्रतियां संलग्न है ।

(6) ठेका देने से पूर्व राजस्थान राजपत्र दिनांक 11-1-90 को विज्ञप्ति प्रसारित की गई तथा दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के पश्चात् दिनांक 2-3-90 को नीलाम किया गया । इस प्रकार पर्याप्त प्रचार के पश्चात् ही नीलाम किया गया जो नियमानुसार है । इस प्रकार शिकायत तथ्यात्मक नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4-देखें)

नीमकाथाना क्षेत्र में खनिज पट्टों का आवंटन

98. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र में खनिज दोहन हेतु लीज व पट्टे किस-किस को कितनी-कितनी भूमि के दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुछ आवंटियों को किस खनिज के दोहन हेतु खान आवंटित की गयी वे उस खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिजों का भी दोहन कर रहे हैं ? यदि हां तो सरकार द्वारा खनन कार्य की कब-कब जांच की गयी ? क्या सरकार ऐसे आवंटियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र में 223 खनन पट्टे अप्रधान खनिजों के तथा 86 खनन पट्टे प्रधान खनिजों के स्वीकृत हैं जिनकी सूची क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसे कोई मामले नहीं पाये गये हैं। इस उपखण्ड के स्वीकृत खनन पट्टों के क्षेत्रों को जांच विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है। यदि ऐसा कोई मामला पकड़ा तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगा जावेगी।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखीगई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 99
(स्थगित)

सिंचाई विभाग के मिस्त्रियों की वेतन श्रृंखला

100. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के मिस्त्रियों को वेतन श्रृंखला 6 व 7 में नियुक्ति दी जाती है ? यदि हां, तो वेतन श्रृंखला 6 किस योग्यता, अनुभव अथवा अन्य शर्तों की पूर्ति करने वाले मिस्त्रियों को दी जाती है और वेतन श्रृंखला 7 किस योग्यता, अनुभव अथवा अन्य शर्तों की पूर्ति करने वाले मिस्त्रियों को दी जाती है ? सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1973 में सभी अस्थायी वर्कचार्ज 5 मिस्त्रियों को स्थायी करने के आदेश निकाले गये थे और रिक्त पदों पर अस्थायी वर्कचार्ज 5 मिस्त्री न रखने के आदेश भी दिये थे ?

(3) उक्त आदेश के फलस्वरूप अलवर, जयपुर व सवाईमाधोपुर जिलों में स्थायी किये गये कितने मिस्त्रियों को वेतन श्रृंखला 6 दी गई और कितने

(श्री रामनारायण बैरवा)

मिस्त्रियों को वेतन श्रृंखला 7, इस अन्तर का क्या कारण है ?

(4) प्रश्न के भाग 3 में जिन मिस्त्रियों को वेतन श्रृंखला 6 दी गई उन्हें वेतन श्रृंखला 7 देने के कितने मामले कब से विचाराधीन हैं और कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? विचाराधीन मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सिचाई विभाग में राजस्थान सेवा नियमों के तहत नियुक्त मिस्त्रियों को वेतन श्रृंखला 7 दी जाती है । नियुक्ति के लिये योग्यता, अनुभव आदि व वेतनमान देने के नियम परि. (अ) में संलग्न है । वर्कचाज सेवा नियम, 1964 के अन्तर्गत नियुक्त कार्यप्रभारी मिस्त्रियों को वेतन श्रृंखला 6 दी जाती है, जिनके लिये नियुक्ति की योग्यता व अनुभव आदि और वेतनमान देने के प्रावधान परि. (ब) में संलग्न है ।

(2) जी नहीं । केवल 10 वर्ष की लगातार सेवा वाले मिस्त्रियों को नियमित करने के आदेश प्रसारित हुये थे ।

(3 नियमित किये हुये मिस्त्रियों को वेतन श्रृंखला 7 देय है व शेष कार्यप्रभारी मिस्त्रियों की वेतन श्रृंखला 6 ही है ।

(4) कार्यप्रभारी मिस्त्रियों के वेतन विसंगति का मामला राज्य सरकार के पास वर्ष 1986 से विचाराधीन है । यह मामला सारे विभाग के लिये है अतः कोई अलग से सूची तैयार नहीं की गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सिचाई विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतें

101. **श्री सालिगराम** (बयाना) : एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिचाई विभाग में किन-किन अधिशाषी अभियन्ताओं एवं उससे उच्च अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) ऐसे कितने प्रकरणों में जांच पूरी होने के पश्चात् दोषी अधिकारियों को दण्डित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्रश्न 1 में वर्णित अधिकारियों की जांच यदि की जा रही है तो किस स्तर पर ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न हैं ।

(2) उक्त प्रकरणों की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है इसलिए अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

(सिंचाई मन्त्री)

(3) संलग्न सूची में दर्शाया गया हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें ।)

राज्य में सिंचाई पोटेन्शल

102. श्री हजारीलाल (खेतडी) : एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 31-3-90 को कुल सिंचाई पोटेन्शल कितना था एवं इसके कितने प्रतिशत के अन्दर वास्तव में सिंचाई हो रही है ?

(2) पोटेन्शल क्रियेट होने के बाद भी उसके उपयोग नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में 31-3-90 को कुल सृजित सिंचाई क्षमता 22·32 लाख हैक्टेयर हैं तथा उसमें से 19·72 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग कर लिया गया है । जो 88 प्रतिशत बनता है ।

(2) सिंचाई क्षमता के सृजन के पूर्ण उपयोग न होने के मुख्यतया निम्न कारण है :—

(1) मुख्य कमी (लगभग 1·6 लाख हैक्टर) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना पर है जो बीकानेर व जैसलमेर जिलों के नये क्षेत्रों के आबाद व विकसित नहीं होने के कारण हैं ।

(2) पुराने निर्मित बांधों एवं तालाबों कच्ची नहरे हैं जिसके कारण जल की हानि होती है एवं पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है ।

(3) राज्य में पिछले वर्षों से मानसून की स्थिति ठीक नहीं रही है अतः तालाबों में पूर्ण क्षमता का जल संग्रहित नहीं हो रहा हैं ।

(4) किसानों के द्वारा खेती की नालियों को ठीक तरह से रख रखाव नहीं करने से जल की हानि होती हैं ।

जावरा सिंचाई बांध, बूंदी का निर्माण

103. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जावरा सिंचाई बाँध बून्दी का निर्माण कार्य कब एवं किस योजना के तहत प्रारम्भ किया गया था ?

(2) अब तक उक्त बांध के निर्माण में कितनी राशि खर्च हो चुकी है तथा निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

(3) उक्त बांध से कितने तथा कौन-कौनसे गाँव लाभान्वित होंगे ? क्या लाभान्वित होने वाले गाँव अधिकतर अकाल-

(श्री रामनारायण वर्मा)

ग्रस्त क्षेत्र हैं, और क्या उक्त बांध अकाल के स्थाई समाधान में सहायक सिद्ध होगा ?

(4) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इस लघु सिंचाई योजना को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जावरा सिंचाई परियोजना का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 21-5-87 से प्रारम्भ किया था ।

(2) उक्त सिंचाई परियोजना पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक राशि रुपये 2·32 लाख व्यय किया जा चुका है । कार्य का पूर्ण होना बजट आवंटन पर निर्भर करता है ।

(3) उक्त बांध से लाभान्वित होने वाले गाँव गुढा व जावरा अधिकतर अकाल क्षेत्र के है बांध के निर्माण से अकाल के स्थाई समाधान में सहायता होगी ।

(4) यह धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 104
(स्थगित)

मांगरोल (कोटा) में सहायक जिलाधीश कार्यालय

105. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि मुकदमों की बढ़ती संख्या, दूरी तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्तियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु मांगरोल, जिला कोटा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की मांग वहाँ की जनता समय-समय पर करती आ रही है ?

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में मांगरोल में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्मशान भूमि रूपान्तरण प्रकरण ।

106. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 507 दिनांक 30-3-1989 (75 रा. म./अता. द्वारा श्री घनश्याम तिवाड़ी) का उत्तर माह सितम्बर, 1989 को भेजा गया था ? क्या इससे पूर्व तहसीलदार, जोधपुर ने धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम में दर्ज मुकदमे में दिनांक 24-7-89 को

(श्री चम्पालाल जैन)

अपने फैसले द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (कृषि भूमि रूपान्तरण), जोधपुर को रिकार्ड भेजकर यह सिफारिश की कि इस गोदाम की श्मशान भूमि का रूपान्तरण कर दिया जाये ?

(2) क्या सरकार ने गोदाम के निर्माण को नाजायज माना है और श्री दीपक सिंह ने रामबाग श्मशान में गोदाम बनाने से पूर्व राज्य सरकार से कोई इजाजत नहीं ली थी एवं तहसीलदार, जोधपुर द्वारा नाजायज निर्माण हटाने हेतु धारा 91 में कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर को की गयी सिफारिश नियमान्तर्गत थी ? यदि नहीं, तो सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हाँ । अतारांकित प्रश्न संख्या 75/रा. मं./राजस्व द्वारा श्री घनश्याम तिवाड़ी का उत्तर माह सितम्बर, 89 में भेजा गया था । यह भी सही है कि तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान भू-राजस्व की धारा 91 के तहत दर्ज मुकदमें में अपने निर्णय दिनांक 24-7-89 के द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (कृषि भूमि रूपान्तरण) जोधपुर को गोदाम की भूमि को नियमित करने की सिफारिश की थी ।

(2) जी, हाँ । गोदाम बनाने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई है । अपीलेट न्यायालय का स्थगन होने से धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं हो रही है ।

(3) इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

अवैध भूमि रूपान्तरण जोधपुर प्रकरण

107. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) :–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माह दिसम्बर, 1989 में उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के अन्तर्गत जोधपुर नगरीय क्षेत्र में कितने पट्टे जारी किये गये ? उनके सम्बन्ध में निम्न सूचनायें अलग-अलग सदन की मेज पर रखें–

(क) पट्टे का क्रमांक व दिनांक

(ख) पट्टे की भूमि का ग्राम, खसरा संख्या व क्षेत्रफल

(ग) पट्टेधारी का नाम व पता

(घ) पट्टेधारी के वकील का नाम यदि हो तो

(ङ) उपरोक्त नियम 8 के अन्तर्गत नगर सुधार न्यास, जोधपुर को भेजे गये पत्र एवं उसके उत्तर का दिनांक

(च) उपरोक्त नियम 8 के अन्तर्गत वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को भेजे गये पत्र एवं उसके उत्तर का दिनांक

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(छ) समक्ष अधिकारी अरबन सीलिंग जोधपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु भेजे गये पत्र एवं उसके उत्तर का दिनांक

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त पट्टे जो अनुमानित 800 हैं की कार्यवाही विना नगर सुधार न्यास, जोधपुर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को पूछे और नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 की पूर्ण अवहेलना करते हुए इस अधिनियम से प्रभावित लाखों वर्गमीटर भूमि को उपरोक्त अधिकारी ने रूपान्तरण कर दिया ? यदि हां, तो इसका बाजार मूल्य क्या है ?

(3) यदि हां तो उपरोक्त अवैध पट्टे कब तक निरस्त किये जायेंगे एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) माह दिसम्बर, 89 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण (नियम, 1981 के अन्तर्गत जोधपुर नगरीय क्षेत्र में कुल 495 पट्टे विलेख जारी किये गये है।

सूचना संलग्न है।

(परिशिष्ठ "क")

1. श्री ओमप्रकाश बूब, एडवोकेट गांव सूतला के ख न. 109
2. श्री चम्पालाल परिहार, एडवोकेट, ख. न. 116 झालामंड
3. श्री चम्पालाल परिहार, एडवोकेट, जोधपुर ख. न. 116/2, 117/2, 117/7, सूतला
4. श्री एम. एस. मेहता, एडवोकेट, ख. न. 178/2, पूंजला
5. श्री एम. के शर्मा, एडवोकेट, ख.न. 21674,/ चौपासनी
6. श्री एम. एस. मेहता, एडवोकेट, ख. न. 1880, मण्डोर
7. श्री नन्दकिशोर सोनी, एडवोकेट, ख. न. 1880, मण्डोर

सूचना संलग्न परिशिष्ठ "ख"

(च) सूचना संलग्न परिशिष्ट "ख"

(छ) सक्षम अधिकारी अरबन सीलिग जोधपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कोई पत्र नहीं लिखा गया था।

(2) कीमत आकलन तकनिकी अधिकारी व पंजीयन अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आता है। भूमि के बाजार मूल्य का कोई विवरण कृषि भूमि रूपान्तरण अधिकारी द्वारा नहीं रखा जाता है।

(3) इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जायेगी व जांच रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालयर में रखी गई।)

राजस्व विभाग द्वारा लालसोट में भू–आवंटन

108. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील लालसोट में अस्थाई आवंटन के लिये कितनी भूमि उपलब्ध है ? कृपया ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अस्थाई आवंटन निश्चित अवधि के बाद प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाता है जिसके कारण आवंटियों के खिलाफ शास्ति लगा दी जाती है ? तथा उन्हें अतिक्रमी घोषित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो आवंटन समय पर नहीं करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) अब आवंटन योग्य भूमि के आवंटन की कार्यवाही कब तक कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में अस्थाई आवंटन योग्य कुल 831 बीघा 02 बिस्वा भूमि उपलब्ध है। ग्रामवार व खसरावाइज उपलब्ध भूमि की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी, हाँ। यह सही है कि विभिन्न प्रशासनिक कारणों, जैसे विधान सभा का सत्र चलना, ग्राम चुनावों का होना, अकाल राहत कार्यों में व्यस्त रहना, कानून व्यवस्था में व्यस्त रहना, परामर्शदात्री समिति का कोरम पूरा न होना इत्यादि की वजह से नदी व तालाबी पेटे की भूमि का आवंटन समय पर नहीं हो पाता है इसके फलस्वरूप बिना इजाजत काश्त करने के कारण तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर दी जाती है किन्तु आवंटन की अवधि के बाद आवंटन न होने पर भी उस पूर्व आवंटी के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की जाती। आवंटन समय पर नहीं करने के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी जिम्मेदार होता है।

(3) पेटा काश्त की भूमि वर्षा काल के पश्चात् ही माह अक्टूबर–नवम्बर में व उसके बाद खाली हो पायेगी। अतः जैसे जैसे पेटा काश्त की भूमि खाली होती जायेगी, उसका आवंटन रबी की फसल के लिए नियमानुसार समय पर किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 109
(स्थगित)

जोधपुर शहरी क्षेत्र में आवासीय पट्टे

110. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अलॉटमेंट कन्वर्सन एण्ड रेग्युलराइजेशन आफ एग्रीकल्चरल लैंड फोर रेजिडेंशियल एण्ड कामर्शियल परपजेज इन अरबन एरियाज रूल्स, 1987 के अन्तर्गत जोधपुर अरबन एरिया में अधिकृत अधिकारियों ने अनुमानित पचास लाख वर्ग गज कृषि भूमि का रूपांतरण कर लगभग बीस

(श्री मदन लाल सैनी)

हजार आवासीय पट्टे पिछले आठ वर्षों में प्रदान किये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारियों ने मात्र 6/–रुपये तक पेरिफिटल डवलपमेंट चार्जेज प्रति वर्ग गज लिए हैं परन्तु इन्टरनल डवलपमेंट चार्जेज के स्थान पर पट्टे के आवेदकों से भविष्य में नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा मांगने पर देने के लिये लिखित अण्डरटेकिंग लिये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त इन्टरनल डवलपमेंट चार्जेज अब 45/–रुपये प्रति वर्ग गज जोधपुर के लिए तय किये हैं जिसके अनुसार उपरोक्त पट्टाधारकों से न्याय द्वारा इन चार्जेज के रुपये साढ़े बाइस करोड़ वसूल करने बकाया हैं ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त धनराशि कब तक वसूल कर उपरोक्त भूमि का विकास कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान (भू-राजस्व) नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के अन्तर्गत आठ वर्षों में जिलों में अनुमानित 20 हजार मामलों में 50 लाख वर्गगज भूमि रूपान्तरित कर आवासीय पट्टे जारी किये गये।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त नियमों के तहत पेरीफेरीयल डवलपमेन्ट चार्जेज की राशि 6/– प्रति वर्गगज वसूल की गई जो राज्य सरकार के आदेश राजस्व/ग्रुप–4/विभाग के पत्रांक एफ–6 (87) राज/ग्रुप–4/81/7 दिनांक 3–3–8. के निर्देशानुसार वसूल किया गया। इन्टरनल डवलपमेन्ट की राशि हेतु पट्टा धारक से अण्डर टेकिंग लिया गया है ताकि भविष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशि वसूली की कार्यवाही की जा सके।

(3) जी हां। यह सही है कि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश संख्या एफ–5(21) नविग्रा/86 दिनांक 18–1–90 के अनुसार न्यास क्षेत्र में स्थित भूमि के लिये विकास शुल्क की संशोधित दर 45/– निर्धारित की गई।

(4) कृषि भूमि के रूपान्तरण एवं सरलीकरण के बाबत सुझाव देने हेतु श्री तेजकुमार अध्यक्ष, राजस्व मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिर्पोट पर राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विकास शुल्क की राशि वसूल की जावेगी।

खातौली (पीपल्दा) में नायब तहसील कार्यालय

111. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की जनता खातौली में नायब तहसील खोलने की मांग समय-समय पर करती रही है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में खातौली में सब तहसील खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निवाई कस्बे में रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना

112. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई):– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के राजस्व मुकदमों की सुनवाई कहां होती है ?

(2) रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना हेतु मुकदमों की संख्या व अन्य आवश्यकताओं बाबत क्या कोई मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त विधान सभा क्षेत्र में रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, निवाई के राजस्व मुकदमों की सुनवाई निवाई एवं टोंक जिला मुख्यालय पर होती है ।

(2) राजस्व वादों की संख्या, क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं भौगोलिक स्थिति तथा कानून एवं व्यवस्था इत्यादि पर विचार करके ही नये राजस्व न्यायालयों की स्थापना की जाती है ।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम गणेश्वर (नीम का थाना) में भूमि पर अतिक्रमण

113. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) – क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को कृषि, भूमि व आबादी भूमि के क्रय-विक्रय के क्या नियम हैं ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उप-खण्ड नीम का थाना के ग्राम गणेश्वर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर ? अतिक्रमि का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त अतिक्रमियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 42 (ख) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि–अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा अपनी भूमि को क्रमशः गैर अनुसूचित जाति या गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है । ऐसा हस्तान्तरण मूलतः अवैध है । उक्त प्राव-

(राजस्व मंत्री)

धान के उदाहरण संलग्न हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा भूमि क्रय पर कोई पाबन्दी नहीं है। राजस्व नियमों में आबादी भूमि के क्रय विक्रय पर रोक नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 114
(स्थगित)

चूरू जिले में लम्बित राजस्व मामले

115. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) :– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) चूरू जिले में 31 मार्च, 1990 तक कुल कितने राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारियों के समक्ष लम्बित थे? कृपया तहसीलवार प्रत्येक वाद का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लम्बित वादों में से 10 वर्ष से पुराने वाद कितने हैं एवं इनको निपटाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा भविष्य में लम्बित वाद निपटाने हेतु क्या कदम उठाने के विचार रखती हैं?

उत्तर

(1) जिला चूरू के विभिन्न उप-खण्डों में विचाराधीन राजस्व वादों की तहसील वाइज सूचना निम्नानुसार है–

1. उपखण्ड अधिकारी, चूरू

1. चूरू	155
2. सरदारशहर	145
	300

2. उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़

1. रतनगढ़	239
2. सुजानगढ़	37
3. डूंगरगढ़	157
	433

3. उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

1. राजगढ़	352

उपरोक्त विचाराधीन वादों की सूची संलग्न है।

(2) 10 वर्षों से पुराने विचाराधीन वादों की उपखण्डवाइज स्थिति निम्न प्रकार है–

(1) उपखण्ड अधिकारी, चूरू–3

(2) उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़–38

(3) उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़-16

इन वादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने हेतु जिला कलक्टर, चूरू को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

फतेहपुर (सीकर) का रेवेन्यू क्षेत्र

116. **श्री दिलसुखराम चौधरी** (फतेहपुर):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा तहसील फतेहपुर जिला सीकर के गोविन्दपुरा, हरदयालपुरा, पूनियाँ की ढाणी तन नेठवा और सुन्डा की ढाणी वगैरहा को अलग से रेवेन्यू क्षेत्र घोषित किया है ? यदि हां, तो क्षेत्र के रकबे का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में चारकाबास, भाखरा की ढाणी, चैनदास की ढाणी एवं लालाण को अलग से रेवेन्यू रिकार्ड में नये ग्राम घोषित किये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों तहसीलों के घोषित नये राजस्व ग्रामों को विद्युत मण्डल एवं जलदाय विभाग से पृथक् नहीं माना जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब नये रेवेन्यू ग्रामों को अलग से बिजली एवं पानी की सुविधा प्रदान करने के लिये दोनों विभागों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । तहसील फतेहपुर के ग्राम गोविन्दपुरा मय हरदयालपुरा का रकबा 1863 एकड़ पूनियाँ की ढाणी का रकबा 1967 बीघा 15 बिस्वा को नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं ।

(2) जी हां

(3) उक्त तहसीलों के उपरोक्त उल्लेखित घोषित गांवों के सम्बन्ध में जारी की अधिसूचनाओं की प्रति सम्बन्धित विभागों को पूर्व में ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है ।

बाड़मेर-जैसलमेर में भूमि अतिक्रमण के मामले

117. **श्री अमीन खां** (शिव):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्व अभियान वर्ष 1989 एवं 90 में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में भूमि पर कुल कितने मामले अतिक्रमण के पाये गए ? उनमें से कितनों को बेदखल किया गया ? तहसीलवार भूमिहीन एवं अन्य के बारे में विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अतिक्रमियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में सरकार का क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

(3) गोचर भूमि पर बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कितने अतिक्रमण किये गये हैं ? उनमें से कितनों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की सूचना क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है ।

(राजस्व मंत्री)

(2) अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही की जाती है तथा भविष्य में भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जिला बाड़मेर से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है तथा जिला जैसलमेर में गौचर भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

वांदीकुई औद्योगिक क्षेत्र

118. **श्री रामकिशोर सैनी** (वांदीकुई) :– क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1979-80 में विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बसवा व कोलाना को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया आरम्भ की थी ?

(2) यदि हां, तो उस योजना को राज्य सरकार कब तक लागू करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

जैतारण (पाली) में स्वरोजगार योजना

119. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण):– क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों पर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

(2) इस योजना से राज्य में कुल कितने लोग लाभन्वित हुये हैं ?

(3) जैतारण (पाली) में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक किन-किन व्यक्तियों को किस-किस प्रयोजन के लिए कितना-कितना ऋण उपलब्ध करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1). राज्य में 2941 युवाओं के मामले ऋण वितरण हेतु बैंकों मै लम्बित हैं जिनको योजना के प्रावधानुसार मार्च 91 तक ऋण वितरित किया जा सकता है।

(2) इस योजना के आरम्भ से मई 1990 तक राज्य में 49,478 युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(3) जैतारण (पाली) में स्वरोजगार योजनान्तर्गत 112 व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक क्षेत्र डूंगरगढ़ में प्लाट आवंटन

120. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री किशना राम)

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा प्लाट आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो आवंटनधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवंटित प्लाट्स पर उद्योग स्थापित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम ने ऋण स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं उनमें से कितने उद्योग कार्यशील हैं और कितने बन्द हो चुके हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संबंध में कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे के क्या कारण थे एवं सर्वे के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी हां, । सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां । 21 भूखण्डों पर स्थापित 17 इकाइयों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है । सूची "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अब तक 16 उद्योग स्थापित हो चुके हैं, इनमें से 12 उद्योग कार्यशील हैं एवं 4 उद्योग बन्द हैं। सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) इस औद्योगिक क्षेत्र में केवल मात्र 17 इकाईयां हैं जिनका विवरण सूची "स" में अंकित है। ऐसी स्थिति में सर्वे अपेक्षित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

मोकलसर (बाड़मेर) स्थित औद्योगिक क्षेत्र

121. **श्री हुकमाराम** (सिवाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिले में मोकलसर रेल्वे स्टेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई तथा इस क्षेत्र में कितने लोगों को प्लाट आवंटित किये गये व कितने लोगों को कितना-कितना ऋण दिया गया ?

(2) वर्तमान में कितने उद्योग क्रियाशील हैं ? यदि नहीं है तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति सिणधरी के औद्योगिक क्षेत्र हेतु कितनी जमीन आवंटित की गई है, कितनों को प्लाट दिये गये व कितने उद्योग क्रियाशील हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में मोकलसर रेल्वे स्टेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र हेतु 148 बीघा 19 बिस्वा आरक्षण की गई है। जिसमें से दो इकाइयों को 10 बीघा भूमि

(उद्योग मंत्री)

आवंटित की गई है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा उक्त दो इकाइयों में से मैसर्स संजय रोलर फ्लोर मील को रु. 4,51,000·00 का ऋण वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त वित्त निगम द्वारा ग्राम मोकलसर ने दो अन्य उद्यमियों को रु. 5,28,000·00 का ऋण वितरित किया गया है। सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में दो उद्योग क्रियाशील हैं। एक उद्योग निर्माणाधीन है तथा एक इकाई ने ऋण स्वीकृति के पश्चात् योजना में परिवर्तन की स्वीकृति चाही है।

(3) पंचायत समिति सिणधरी में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटित नहीं हुई है। भूमि आवंटन कराने के प्रयास जारी हैं। किसी उद्योग को प्लाट नहीं दिये गये हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा घोषित ग्राम सिणधरी में 5 उद्योग क्रियाशील हैं एवं एक उद्योग निर्माणाधीन है। सूची 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

बून्दी जिले की बुनकर सहकारी समितियां

122. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन), **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बून्दी जिले में उद्योग विभाग के अधीन कहां-कहां पर कितने बुनकर एवं गैर बुनकर सहकारी समितियां कब से पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में विभाग के माध्यम से इन सहकारी समितियों को कितनी राशि अनुदान एवं ऋण के रूप में दी जा चुकी है?

(3) क्या सभी बुनकर तथा गैर बुनकर सहकारी समितियां क्रियाशील हैं? यदि नहीं, तो कितनी संस्थाएं बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। बन्द संस्थाओं को चालू करने के क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में 13 बुनकर सहकारी समितियां हैं, तथा 6 गैर बुनकर समितियां हैं जिसकी सूचना मय विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

(2) गत 5 वर्षों से विभाग के माध्यम से इन समितियों को 98,224/ऋण एवं 1,31.956/अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया गया है।

(3) इन बुनकर सहकारी समितियों में 3 समिति क्रियाशील हैं तथा शेष 10 समितियां बन्द पड़ी हैं जिनमें से 8 समितियां अवसायन में है। विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। गैर बुनकर सहकारी समितियों में से दो समितियाँ कार्यरत हैं तथा 4 सहकारी समितियाँ बन्द हैं। बन्द सहकारी समितियों के सदस्यों से

(उद्योग मंत्री)

समितियों को पुनः चालू करने के लिए कई बार संपर्क किया गया है तथा बन्द समितियों का अभी भी चालू करने के लिए संपर्क किया जा रहा है एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही है जिससे कि सदस्य उनकी ओर आकर्षित होकर समितियों को पुनः चालू कर सके। जो समितियां अवसायन में हैं उन्हें चालू करवाने के लिए काफी प्रयत्न किये गये परन्तु पूर्ण प्रयासों के पश्चात भी समितियों के प्रारम्भ होने की संभावना नहीं रही। इसीलिये सहकारी विभाग द्वारा उनके अवसायन में लाने की कार्यवाही चालू कर दी गयी है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिण्डौन

123. **मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) हिण्डौन में नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कब से संचालित है तथा इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस महाविद्यालय की कई बार मान्यता रद्द की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब-कब एवं किन किन कारणों से ? पुनः इस महाविद्यालय को किन शर्तों पर मान्यता दी गई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस कालेज में प्रवेश के समय प्रशिक्षणार्थियों से अधिक फीस लिये जाने एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायतें होती रही हैं यदि हां, तो कब-कब एवं किसके द्वारा एवं इन शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र संघ के विरोध स्वरूप उक्त कालेज की अनुदान राशि समाप्त कर दी गई थी व यूनिट क्षमता 5 से घटाकर 3 कर दी गई थी ? यदि हां, तो पुनः 3 से 5 यूनिट क्षमता कब से व किन आदेशों से आवंटित की गई आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिण्डौन सिटी सन् 1968-69 से चल रहा है। इसका संचालन पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति शिक्षा प्रसार समिति, हिण्डौन-सिटी द्वारा किया जाता है।

(2) महाविद्यालयों को मान्यता देने का कार्य विश्वविद्यालयों का है न कि राज्य सरकार का, संस्था के विरुद्ध प्रवेश पर डोने-

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

शन लेने संबंधी शिकायतों के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस महाविद्यालय की मान्यता वृद्धि नहीं करने हेतु निम्न तिथियों को उनके आगे लिखे सत्र के लिये लिखा गया—

तिथि	सत्र
8-7-82	1982-82
13-4-83	1983-84
9-3-84	1984-85

पुनः मान्यता देने के कारण

(1) सत्र 1982-83 में विश्वविद्यालय द्वारा संस्था पर 5000 रु. जुर्माना कर दिनांक 30-7-82 को वसूल किया गया।

(2) एस. बी. सिविल रिट नं. 1447/82 द्वारा सत्र 1982-83 में प्रविष्ट छात्रों को निरन्तर अध्ययन करते रहने का निर्णय।

(3) सत्र 1982-83 से ही बी. एड. प्रवेश में केन्द्रीय प्रवेश चयन समिति की व्यवस्था की गई जिसमें उक्त संस्था को भी सम्मिलित किया गया।

(4) श्री ओम प्रकाश अध्यक्ष, पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मृति शिक्षा प्रसार समिति।

(3) हिण्डौन सिटी का पद से त्याग पत्र अधिक फीस वसूल किये जाने एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायतें मिम्न लोगों से उनके आगे लिखि तिथियों में प्राप्त हुई–

(1) श्री बी. एल. श्रीवास्तव, राजकीय कन्या उ. मा. विद्यालय, देवबन्द (सहारनपुर) दिनांक 30-5-79

(2) श्री मरोसीलाल, विधायक हिण्डौन क्षेत्र दिनांक 12-6-84

राज्य सरकार द्वारा शिकायतों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(1) उप निदेशक, शिक्षा कोटा से जांच कराई जिसका प्रतिवेदन दिनांक 29-4-80 को प्राप्त हुआ।

(2) गृह आयुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराने के लिए दिनांक 22-9-82 को लिखा गया।

(3) गुप्तचर विभाग (पुलिस) से रिपोर्ट दिनांक 26-4-85 को प्राप्त हुई। छात्रों के लिखित बयानों के अभाव में आगे कार्यवाही नहीं हुई।

(4) यह सही नहीं है। दिनांक 29-8-85 द्वारा नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी को 5 बैच 60 विद्यार्थी प्रति बैच चलाये जाने की अनुमति दी थी। बाद में आदेश दिनांक 10-1-86 द्वारा एक यूनिट जैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अलवर को स्थानान्तरित की गई।

(5) प्रवेश प्रक्रिया नियन्त्रित हो जाने के कारण अब कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

(50)

अनुसूचित जाति कल्याण हेतु केन्द्रीय सहायता

124. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु पिछले 5 वर्षों में राज्य तथा केन्द्र सरकार की ओर से कुल कितनी राशि किस-किन योजनाओं पर खर्च किया जाना प्रस्तावित था तथा कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि खर्च की जाने वाली राशि का सदुपयोग नहीं हुआ तथा बिचौलिये द्वारा राशि का लाभ उठाया गया।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु भारी विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय किये जाने के बावजूद भी इनकी हालात में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की समीक्षा कर उचित व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये पिछले 5 वर्षों में विशिष्ट संगठन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" में भारत सरकार की केन्द्रीय विशेष सहायता परिशिष्ट "ब" में तथा विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिये प्रस्तावित एवं किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "स" में उपलब्ध है।

(2) बिचौलियों द्वारा राशि का लाभ उठाने का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर का एक प्रकरण राज्य सरकार के सामने आया है जिसमें पुलिस जाँच चल रही है।

(3) उक्त राशि व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों को भी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालात में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिये राज्य सरकार सजग एवं प्रयत्नशील है।

(4) अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है और उसके आधार पर नई योजनायें बनाकर और चल रही योजनाओं में आवश्यक सुधार कर व्यय की जा रही राशि से अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गया।)

स्थगन प्रस्तावों अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है—

(श्री अध्यक्ष)

(1) **श्री हेतराम बेनीवाल**, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर कोतवाली में एक व्यक्ति की जेब कटने पर पुलिस द्वारा श्री लालु नाम के एक लडके की दिनांक 11 जून, 1990 को मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य में देने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्रश्न पत्र आउट होने व व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अटरू तहसील में ग्राम आटोन को सड़क से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य राजस्थान विधान-सभा की ओर से गंगानगर जिले के 47 राजस्व पटवारियों को राजस्व निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नत कर जिले से बाहर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरिशचन्द्र, सदस्य विधान सभा की ओर नागौर शहर में दिल्ली दरवाजे के बाहर हनुमान कॉलोनी के आसपास की राजस्व भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण करने व फर्जी नामान्तरण करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री परसादीलालमीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के लालसोट कस्बे में जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में पानी व बिजली के बिलों पर कॉमर्शियल दरें लागू करने से हुई परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सड़क की समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमीन खाँ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क गिराव से भिन्भीनीवाली का निर्माण न होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री कल्याण कॉलेज सीकर में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, संस्कृत एवं समाज

(श्री राजेन्द्र पारीक)

शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षाए आगामी सत्र से आरम्भ करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति दी जायेगी।

श्री हीरासिंह चौहान

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उठाया गया प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के लिए कल आपने कहा था कि जानकारी के लिए भेजा है। सेण्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंकस् और एल. डी. बीज के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट ने अपॉइन्ट किये और 26 जून, 27 जून, को मुख्य मंत्रीजी ने जब यहाँ पर बजट भाषण पढ़ा उसमें इस बात का हवाला दिया कि हमने इन बैंकों के अन्दर प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं और इनमें छह महीने के अन्दर चुनाव करवा लिये जायेंगे अध्यक्ष महोदय, 26 जून को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इनके आदेशों को....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात कहिये। जो वहाँ है उसको मत बोलिये आप। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां है वह, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : वह मैंने जानकारी के लिए भेजा है, आते ही आपको इसकी व्यवस्था दे दी जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, जानकारी किस बात की? इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय सदस्य काहे पर बोल रहे हैं, कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है? कौन-सी व्यवस्था पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था नहीं दी है, अब आप मेरे से मिल लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा आग्रह यह है कि इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : दूंगा, मैं जरूर दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसका महत्व समझने की कोशिश....

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह प्रश्न हम वहां बैठकर कर सकते हैं। आपने अपनी बात उठा दी, मैंने व्यवस्था दे दी। हां–हां चलिये। माननीय हीरासिंह जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने कलरेबल........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गई बात अब। आप बीच में इश्यू क्यों बना रहे हैं? मैंने व्यवस्था दी नहीं है, दे दूंगा। आप मेरे से बात कर लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस सदन के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : आज सदन में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता....

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमको एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष: सदन में व्यवस्थायें नहीं होती, व्यवस्था वहां होगी इसकी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में यहां पर निवेदन करने की परम्परा रही है....

श्री अध्यक्ष : अब आपने कर लिया निवेदन, मैंने आपको अलाऊ कर दिया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं किया। मेरा भी दिया हुआ है इसके ऊपर....

श्री अध्यक्ष : हां-हां, तो अलाऊ कर दिया कि मैंने वह जानकारी के लिए भेजा है, आप मेरे से मिल लें। जल्दी मंगा लेंगे और उस पर व्यवस्था दूंगा मैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट ने कलरेबल एक्सरसाइज इसमें की है....

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात कर रहे हैं हां, तो व्यवस्था दूंगा न। माननीय श्री हीरासिंह जी, आप शुरू क्यों नहीं करते हैं ? हां, बोलिये आप।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस विशेष उल्लेख के प्रश्न के जरिये राज्य सरकार का ध्यान जो वन क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग खण्ड बनाया गया, उसकी सारी प्रशासनिक व्यवस्था अलग बनाई गई है। पहले एक चीफ फोरेस्ट कंजरवेटर होता था उसकी जगह सात-सात चीफ फोरेस्ट कंजरवेटर यहां बैठाये गये हैं और एक मुख्य और बनाया गया और जहां हमारी सरकार मितव्ययता चाहती है उसकी जगह डबल खर्चा किया गया और दोहरी व्यवस्था के तहत यह जंगल, जहां पर कि विकास होना चाहिए, उसके स्थान पर विनाश हो रहा है। इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 88 के पूर्व वन मण्डल, पाली की रेंज सेन्दड़ा, बीजागुडा व जोजावर तीनों रेंजों के वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास कार्य का संचालन निदेशक, वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास, जोधपुर द्वारा होता था। लेकिन माह अक्टूबर, 88 में उक्त वन रेंजों के अधिकांश निम्न वन खण्डों को (रेंज सेन्दड़ा के कानुजा एवं कालव कला, नाका के क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य अरावली-टाटगढ़) डिवीजन-उदयपुर में दिये गये इसी प्रकार रेंज बीजागुडा के बगड़ी, खोडिया, सीरसा व बंडागुडा वन नाका इसी अभ्यारण्य को दिये गये और इसी प्रकार रेंज जोजावर रेंज का अधिकांश भाग भी जिला पाली से तोड़ कर जिला उदयपुर में सम्मिलित कर वन्य अभ्यारण्य बनाया गया जिसका संचालन उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर

(श्री हीरासिंह चौहान)

करते हैं जो कि उक्त अधिकारी इन क्षेत्रों से करीब 400 कि. मी. दूर रह कर इनकी सुरक्षा, रक्षा व विकास कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जिससे उपरोक्त वन नाकों के अधिकांश जंगल बर्बाद होते जा रहे हैं क्योंकि इससे पूर्व पाली जिले के अधीनस्थ जंगल होने से सभी जन प्रतिनिधित्व वन विभाग के अधिकारी इनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूर्ण निभाते थे। लेकिन पिछले दो वर्षों से जन प्रतिनिधियों को भी यह मालूम नहीं कि इनका नियन्त्रण कहां, किस के द्वारा होता है। चूंकि उदयपुर इन वन क्षेत्रों से 400 कि. मी. दूर होने से नियंत्रण रख-पाना सम्भव नहीं हैं। जब उक्त क्षेत्र वन मण्डल पाली के अधीनस्थ थे तो इन जंगलों में वृक्षारोपण, फैन्सिग....

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखें।

श्री हीरासिंह चौहान : व सुरक्षा खर्च जन प्रतिनिधियों के द्वारा करवाये जाते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जी ?

श्री हीरासिंह चौहान : रहे थे एवं इनके नजदीकी नियंत्रण होने से इन जंगलों की गरिमा बनी रहती थी जबकि आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यह जंगल अपने वैभवशाली रूप को खोकर कंगाल होते जा रहे हैं।

मैंने गत वर्ष भी विधान सभा में तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से उक्त वर्णित वन क्षेत्रों की बर्बादी की चिन्ता जाहिर करते हुए इन्हें पुनः जिला पाली निदेशक जोधपुर के अधीनस्थ देने बाबत विचार प्रकट किये। मैं सरकार से इन वन क्षेत्रों की सुरक्षा के महत्व के विचार के लिए निम्न प्रश्नों का समाधान चाहता हूं :–

1. पाली जिले के उक्त वन क्षेत्रों को वन्य जीव सुरक्षा के नाम पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर के अधीनस्थ क्यों दिये गये ? पाली जिले में अधीनस्थ ही रखने से राज्य सरकार को क्या कठिनाई पैदा होती है ? स्पष्ट करें।

2. उक्त वन क्षेत्रों को पाली वन मंडल से उदयपुर वृत्त में स्थानान्तरित करने के बाद कौन-कौन से अधिकारी इन जंगलों की देखरेख के लिए कौन-कौन से स्थान पर उपस्थित हुए ? उनका विवरण मय ड्यूटी डायरी की प्रतिलिपियों सहित उपलब्ध करायें।

3. उक्त वन क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य में क्यों दिये गये तथा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हुई ? क्यों नहीं इन जंगलों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार रखे जायें ताकि इनका विकास कार्य सुचारु रूप से होता रहे।

4. क्या वन विभाग में वन्य जीव की अलग शाखा खोलकर प्रशासनिक खर्चों को दुगुना बढ़ावा दिया गया है ? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था खत्म करें ? क्या जीव वन क्षेत्र के सिवाय सरिस्का, रणथम्भौर घाना के अलावा जिले से सम्बन्धित वन अधिकारियों को क्यों नहीं दिये जा सकते हैं ?

(श्री हीरासिंह चौहान)

5. चन्द्रपाल सिंह सहायक वन संरक्षक कुम्भलगढ़ ने इन वन क्षेत्रों का कब-कब दौरा किया। अक्टूबर, 88 से अब तक की ड्यूटी डायरी प्रस्तुत करें। इनके द्वारा इस क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में किन-किन योजनाओं में कितना विकास कार्य करवाया गया उनका विवरण देवें यदि एक अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियां उक्त वन क्षेत्रों की रक्षा एवं विकास के लिए नहीं निभाई है तो इनको सरकार पुरस्कार स्वरूप क्यों रख रही है, या ऐसे कर्त्तव्य से उदासीन अधिकारी को अन्य व्यवस्था से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। ताकि भविष्य में जिम्मेदारियां नहीं निभाने वाले अधिकारी सचेत हो सके।

अन्त में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार अविलम्ब वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रशासनिक अधिकारियों की अलग से देख-रेख की प्रणाली को समाप्त करने के लिए गम्भीर चिन्तन करें। प्रत्येक जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों को सम्बन्धित जिला वन अधिकारी को सुरक्षा एवं विकास के अधिकार दिये जावें ताकि जन प्रतिनिधियों को अपना सहयोग दे सकें। इस प्रकार मेरी मान्यता पिछले दो वर्षों के वन क्षेत्रों के अध्ययन एवं दुर्दशा को देखते हुए बनी है। अगर नई सरकार अब भी सचेत नहीं होती तो वन्य जीव सुरक्षा के अन्तर्गत यह जंगल बर्बादी से नहीं बचाये जा सकते जिसके लिए हम हमारी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं बच सकते।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः सरकार से निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका।

श्री हीरासिंह चौहान : लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं और हमारे पाली जिले के जंगल जो बहुत बड़े क्षेत्र में आये हुए हैं बर्बाद हो रहे हैं। उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि रेंज स्थापित की जाये या अलग से कोई व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान पिछले दिनों जो राजस्थान के शिक्षा जगत में गिरावट आयी उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं सदन का ध्यान राजस्थान विश्वविद्यालय और अजमेर विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह कितने अफसोस की बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक दर्जन से अधिक प्रश्न पत्र आउट हो चुके हैं। बाकी परीक्षाओं का भी हाल यह है कि उनके पेपर परीक्षा के दिनों से पहले ही जयपुर में बिकना शुरू हो जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार और परीक्षाओं के स्तर में गिरावट पहले कभी नहीं थी।

पिछली सरकार ने जब से प्रो. एस. एन. सिन्हा को इस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है, इसका भट्टा बैठ गया है। शिक्षकों की नियुक्तियां, पदोन्नतियां, छात्रों के प्रवेश, शिक्षकों के विदेशी दौरों का मामला, परीक्षा की कापियों की जांच सभी में इतनी धांधली हुई है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अजमेर विश्वविद्यालय की कहानी भी दिलचस्प है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. बी. उपाध्याय ने सीनेट और बोर्ड आफ स्टडीज गठित किये बिना पाठ्यक्रम तय कर लिये। कोई पूछने वाला नहीं कोई परचेज कमेटी नहीं और डा. उपाध्याय ने बिना टेण्डर आमन्त्रित किये पचास लाख रुपये की खरीद कर ली। इस खरीद फरोख्त की तह में जायें तो एक और बी. के. मीणा का पर्दाफाश हो सकता है। वैसे भी यह विश्वविद्यालय नाम का ही है। केवल राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े कई कॉलेजों को यहां से हटाकर नाम का विश्वविद्यालय बना दिया है। जो कालेज अजमेर विश्वविद्यालय से जोड़े गये उनमें भी यह ध्यान नहीं रखा गया कि वे किस विश्वविद्यालय के नजदीक पड़ते हैं। चूरू और गंगानगर के कॉलेजों को अजमेर विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया जबकि वे राजस्थान विश्वविद्यालय के नजदीक पड़ते हैं। अजमेर में यह हाल है कि अंक तालिका लेनी हो तो भी दो दिन लग जाते हैं पैसा फेंकों तो अंक तालिका तुरन्त मिल जाती है। यह विश्वविद्यालय तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है यहां क्लर्कों की नियुक्तियों तक में पैसे खाये गये हैं।

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर तो नाम का विश्वविद्यालय है वहां का प्रशासनिक कार्यालय जयपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है यह कितने अफसोस की बात है। भ्रष्टाचार का खुला अड्डा बन गया है कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन तीनों विश्वविद्यालयों की खस्ता हालत और वहां पनप रहे भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दे अन्यथा इन विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा कहीं की नहीं रहेगी। तथा हाल ही में प्रश्न पत्र आउट होने के सम्बन्ध में तत्काल उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच के आदेश जारी करें। और यह जांच सी. आई. डी. से नहीं कराके सी. बी. आई. से पूरी करवायें ताकि शिक्षा जगत की प्रतिष्ठा बचायी जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में जब से यह प्रो. एस. एन. सिन्हा उपकुलपति बने हैं तब से....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। आपका 295 नहीं है। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का विकास न होने से कस्बे गाँवों में और ढाणी में बदल गये हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अटरू तहसील में मात्र दो रोड़ हैं एक छोटा-सा तीन किलोमीटर का टुकड़ा है। हमारी तहसील में अटरू एक ऐसी जगह है जो अगर 10-12 साल पहले सड़क से जोड़ दिया जाता तो कोटा जिले का सबसे बड़ा कस्बा होता। परन्तु आज वह ढाणी बनकर रह गया है और वहाँ के लोग पलायन कर गये हैं क्योंकि वहाँ आय का कोई साधन नहीं रह गया है....

श्री अध्यक्ष : आप जो लिखा है उसको पढ़िए।

श्री मदन दिलावर : अटरू तहसील में मात्र दो रोड़ हैं जो एक बारां से छबड़ा दूसरी अटरू से खानपुर इसके अलावा 4 कि.मी. का एक टुकड़ा है। इसके अलावा अटरू तहसील में कोई सड़क नहीं है। पूर्व सरकार ने अटरू विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दृष्टि से घोर उपेक्षा की है। जिससे वहाँ के कस्बे टाइप गाँव उजड़कर मात्र ढाणियाँ बन कर रह गयी हैं। अटरू तहसील में एक आटोन गाँव ऐसा गाँव है। जहाँ यदि सरकार इसको रोड से जोड़ दे तो यह कोटा जिले का सबसे बड़ा कस्बा होता वह गाँव औद्योगिक दृष्टि से तथा व्यापारिक दृष्टि से काफी आगे होता।

आटोन गांव वर्षाकाल में चारों तरफ से नदी नालों से घिर जाता है और मात्र टापू बन कर रह जाता है। जिससे ग्रामवासी न बाहर आ सकते हैं न अन्दर जा सकते हैं। जिसके कारण कई लोग बीमारी के कारण वहीं मर जाते हैं।

यदि आटोन गाँव को डडवाडा से बराना रोड बनाकर जोड़ दिया जावे तो आटोन के ग्रामवासियों को तो लाभ मिलेगा ही इसके साथ-साथ 50 से भी अधिक गाँवों को लाभ मिलेगा। अतः मेरा निवेदन है कि शीघ्र सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इधर का दौरा करके देखें और सड़क बनायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में 47 राजस्व पटवारियों को पदोन्नत करके उनको राजस्व निरीक्षक बनाकर उदयपुर तथा बांसवाड़ा में लगा दिया है। इस सम्बन्ध में, यह मानवीय दृष्टिकोण का प्रश्न आपके माध्यम से सरकार के सामने रख रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान श्रीगंगानगर जिले के 47 राजस्व पटवारियों को डी. पी. सी. द्वारा राजस्व निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति करके उन्हें श्री गंगानगर जिले के बाहर उदयपुर तथा बाँसवाड़ा में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी समय के पश्चात् श्रीगंगानगर जिले के 47 राजस्व पटवारियों को राजस्व निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति देकर उन्हें श्रीगंगानगर गृह जिले से बाहर 900 किलोमीटर दूर उदयपुर तथा बाँसवाड़ा में स्थानान्तरण करके उनके साथ घोर अन्याय किया है। जबकि श्रीगंगानगर जिले में जिलाधीश द्वारा रेवेन्यु बोर्ड को दी गयी रिपोर्ट के अनुसार 43 पद राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पड़े हैं तो उन्हें गंगानगर जिले से बाहर भेजना न्याय संगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशचन्द्र कुमावत।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावाँ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिला हैडक्वार्टर के करीब 200 बीघा जमीन पर कई प्रभावी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया

(श्री हरिशचन्द्र कुमावत)

उस सम्बन्ध में इस प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नागौर शहर में दिल्ली दरवाजा के बाहर हनुमानबाग कालोनी के आस-पास की राजस्व भूमि खसरा नं. 568 569 570 578 579 580 581 582 594 व 564 की लगभग 200 बीघा जमीन पर कई प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण करके तथा राजस्व अधिकारियों की मिली-भगत से फर्जी नामान्तरण व अवैध बेचान करके भूमि हड़प कर ली है और अब इसे आवासीय भू-खण्डों में बेचा जा रहा है। इस कार्यवाही से राज्य सरकार के राजस्व में करोड़ों की हानि हो रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में कई शिकायतें हुई तथा सरकार ने माना कि यह सारी कार्यवाही फर्जी हुई लेकिन इसके बाद भी सरकार इन भूमि हड़पने वालों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है।

इस भूमि की खसरा नं. 594 को दिनांक 26-12-64 को अंगोर (समस्त तालाब) घोषित कर दी गयी थी जिसे बाद में सरकार ने 18 जनवरी, 1969 को सीमा सुरक्षा बल की 18 वीं बटालियन को आवंटित कर दी। इसी प्रकार खसरा नं. 564 दिनांक 29-9-70 को जिलाधीश, नागौर आवासीय प्रयोजन के लिये नगरपालिका मण्डल, नागौर को आवंटित कर चुके थे जिसकी पुष्टि राज्य सरकार 16-8-71 को कर चुकी थी तथा इस भूमि का नामान्तरण भी 3-4-74 को हो गया था। खसरा नं. 568 569 570 571 578 व 582 (पुराने नम्बर 558, 559 व 560) की भूमि पूर्ण रूप से काश्तकार वली मोहम्मद खानजादा की थी, जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया। जिसके कारण उक्त भूमि कस्टोडियन में दर्ज हो गयी है। इसके करीब 25 वर्ष बाद दिनांक 6-5-72 को कालूखाँ नामक व्यक्ति ने उसका शिकमी काश्तकार होने के नाम जमीन की खातेदारी प्राप्त करने के लिये तहसीलदार नागौर को आवेदन किया जबकि कालूखाँ ने कभी भी बिघोड़ी काश्त जमा नहीं करायी थी और न ही शिकमी काश्तकार था तहसीलदार ने कास्टोडियन विभाग, जयपुर को सनद के लिए सिफारिश करते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा। उनका उत्तर तो नहीं आया लेकिन एक दस्तीपत्र दिनांक 12 जून, 1972 आया जिसमें कालू खाँ को 2 लाख 524 रुपये 49 पैसे जमा कराकर पुराने खसरा नम्बर 558 559 व 560 की खातेदारी लेने की सलाह दी गयी। तहसीलदार ने इस पत्र के आधार पर राशि जमा करके 15-6-72 को सनद जारी कर दी। इतना ही नहीं नये व पुराने खसरों के नम्बरों का जाल रचकर 68 बीघा के स्थान पर 159 बीघा 10 बिस्वा भूमि सनद जारी कर दी गयी है। यह सनद पुराने खसरा नम्बरों से जारी की गयी जबकि नये खसरा नम्बर 1959 में आ गये थे। कालूखाँ ने उपरोक्त खसरा भूमि की रजिस्ट्री भी 12-6-72 को कुलछीराम नामक व्यक्ति के नाम करा दी।

इस सारी कार्यवाही की शिकायत होने

(श्री हरिशचन्द्र कुमावत)

पर तत्कालीन जिलाधीश ने 1974 में इस काण्ड की जाँच की। जाँच में पाया गया कि कास्टोडियन, जयपुर से प्राप्त दस्ती पत्र जाली था उन्होंने जाली पत्र के आधार पर सनद जारी करने के लिये तत्कालीन तहसीलदार भगवान सहाय सिंघल को नोटिस जारी किया तथा झूठी कार्यवाही करने के कारण उस पर मुकदमा चलाया गया। जिलाधीश ने जारी सनद भी निरस्त कर दी। इस भूमि हड़प काण्ड में सन् 1980 को नया मोड़ आया जब 1972 में जिलाधीश द्वारा की गयी सारी कार्यवाही को नजर अन्दाज करके पटवारी नागौर ने 25 सितम्बर, 1980 को कालूखाँ के नाम से नामान्तरण भर दिया जबकि 29 जनवरी, 73 को जो नामान्तरण भरा गया था उसमें 4 व्यक्तियों के नाम थे। यह नामान्तरण तहसीलदार, नागौर द्वारा स्वीकार कर लिया गया जबकि कालूखाँ की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस नामान्तरण में बी. एस. एफ. व नगरपालिका को आवंटित भूमि का भाग भी शामिल कर दिया गया। इस काण्ड में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पटवारी दुर्गालाल ने 10 बीघा भूमि बतौर मेहनताने के खसरा नम्बर 594/542 अपने साले सत्यनारायण के नाम नामान्तरण भर के रजिस्ट्री करा ली।

सन् 1977 से 1987 तक 10 वर्ष तक इस मामले की फाइल रहस्यमय परिस्थितियों में गायब रही। कुछ लोगों की शिकायत पर 21-10-86 को पुनः फाइल खोली गयी तथा सन् 87 में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा भूमि के बेचान पर स्थगनादेश दे दिया किन्तु इसके बावजूद भूमि की बिक्री इकरारनामा के आधार पर हो रही है। जिला कलक्टर के स्थगनादेश के बाद खसरा नम्बर 572 की साढ़े तीन बीघा भूमि का अवैध बेचान 1988 में किया गया तथा इस भूमि का फर्जी नामान्तरण भरकर इसे 32 लोगों को बेचान किया।

अतः मेरी राज्य सरकार से माँग है कि इस सरकारी भूमि को हड़पने के काण्ड की उच्चस्तरीय जाँच कराकर इसमें लिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करके भूमि हड़पने की हुई अवैध कार्यवाही को निरस्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले के लालसोट कस्बे में दिनांक 23 जून, 1990 को जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि जयपुर जिले के लालसोट कस्बे में 23 जून, 1990 को रात्रि के समय प्रसिद्ध जैन मन्दिर लालसोट से करीब 400-500 वर्ष पुरानी भगवान की मूर्तियों की चोरी हो गई जिसकी सूचना सुबह 6.00 बजे थाना लालसोट को दी गई एवं उच्च अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में अवगत करवा दिया गया था परन्तु स्थानीय पुलिस ने सायंकाल 7.00 बजे तक कोई ठोस कदम नहीं

(श्री परसादीलाल मीणा)

उठाये । जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में पुलिस एवं प्रशासन के प्रति भारी जन-आक्रोश है । लालसोट नगर के नागरिकों ने उसी दिन से थाना लालसोट के बाहर धरना दे रखा है परन्तु प्रशासन ने अब तक मूर्तियाँ बरामद करने के सम्बन्ध में कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं की है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की ढिलाई के कारण इस प्रकार की घटनाएँ थाना लालसोट में घटित होना बहुत ही निन्दनीय हैं । गत 23 मई को थाना लालसोट के ही ग्राम बगड़ी में जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण इस घटना की पुनरावृत्ति 23 जून, 1990 को लालसोट से जैन मन्दिर की मूर्तियों की चोरी की घटना होने के कारण स्थानीय नागरिकों में पुलिस एवं प्रशासन के प्रति भारी जन आक्रोश है ।

इन सभी घटनाओं से दुखी होकर स्थानीय नागरिकों के साथ आस-पास के सभी धर्मावलम्बियों ने सभी थानों के बाहर धरना एवं प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है । दिनांक 28 जून, 1990 को लालसोट बन्द का आह्वान किया गया ।

अतः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाये तथा चोरी गयी जैन मन्दिरों की मूर्तियों को बरामद करवाकर जन आक्रोश को शान्त किया जावे ।

स्थानीय लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक मूर्तियाँ बरामद नहीं की जायेगी तब तक धरना एवं प्रदर्शन जारी रहेगा ।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि सरकार इन चोरी की घटनाओं की जाँच किसी उच्च स्तरीय एजेन्सी से करवाकर हर हालात में मूर्तियों की बरामदगी की जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, यह निवेदन है कि यहां के प्रशासन पर लोगों का विश्वास नहीं है क्योंकि आप किसी उच्च एजेन्सी या किसी और एजेन्सी से इसकी जांच करवाकर मूर्तियां बरामदगी के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ज्यों ही जानकारी मिली मैंने एस. पी. को, डी. आई. जी. को, दोनों को कहा कि वो इसमें कोई सक्षम अधिकारी को लगवाकर इसकी जांच करें । मैं जानकारी करके आपको बता दूँगा कि उनकी जांच की प्रगति क्या हुई ।

श्री अध्यक्ष : श्रमती उजला अरोड़ा ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : ये ज्यादा हो रहा है । जैन मूर्तियां हमारे यहां से भी 32 चोरी गई हैं । क्या इनका कोई खास गिरोह है जो जैन मंदिर से मूर्तियां इन दिनों उठ रहे हैं पिछले 15–20 दिनों में ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूँ, गिरोह कौनसा है, इसका तो पता पुलिस लगा रही है। जो घटनाएं हुई हैं, उसको मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान, आपका ध्यान यहां पर जयपुर में ही की हुई अलग से व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूँ। यहां पर पानी की कार्मशियल दरें लागू की हुई हैं। मान्यवर, जयपुर नगर में, कांग्रेस की सरकार ने कई वर्षों से पानी व बिजली पर कार्मशियल दरें लगाकर एक अजीब परेशानी पैदा की, वह परेशानी यह है कि किसी भी संस्थान के नाम को दर्शाने वाला बोर्ड अगर किसी मकान या दुकान पर लगा हुआ हो, जैसे डाक्टर का बोर्ड, वकील का, स्कूल का, मूर्ति व्यवसाय का, टाइप कार्य का, या स्टेन्सिल जो लोहे के होते हैं, उनकी कटाई का कार्य या किसी अन्य सामाजिक सेवा कार्य की संस्था आदि का बोर्ड लगा हुआ हो तो उनको कार्मशियल दरें पानी और बिजली के बिलों पर भुगतान करना पड़ता है। न केवल संस्थानों को बल्कि सारे मकान, पूरे मकान में एक दुकान है मान लीजिये, तो पूरे मकान का जो बिजली, पानी का भुगतान होगा वो कार्मशियल देना पड़ेगा। इस प्रकार से वाणिज्यिक दरें लगकर आती हैं इसका पेमेन्ट करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में मूर्ति व्यवसाय में कहीं पानी काम में नहीं आता, वकील व डॉक्टर अपने-अपने दफ्तर भी भी टाइम से खोलते हैं उनमें कहीं पानी पेयजल के अतिरिक्त काम में नहीं आता। दर्जी की दुकान में या ऐसी अन्य दुकानों में पानी कहां काम में आता है। नशाबंदी परिषद, या भारतीय मजदूर संघ आदि के जो ऐसे दफ्तर हैं जिन पर बोर्ड लगे हुए हैं, उनमें भी कार्मशियल दरें लगकर आ रही है। उन्हें पानी और बिजली के बिलों का वाणिज्यिक दरों से भुगतान करना पड़ता है, जो कि एकदम अव्यवहारिक है। जैसा कि आपको विदित है कि पानी खर्च किए जाने की एक माप सीमित है जिसकी तीन या उससे अधिक श्रेणी जलदाय विभाग और बिजली विभाग ने की हुई है कि इतना पानी खर्च किया जायेगा तो इतना पानी का पैसा दिया जायेगा। इस-इस तरह से उनकी श्रेणियां ऊपर बढ़ती जाती है, पानी खर्च करने के अनुपात में। पानी की दरें बढ़कर लागू होती हैं जब इस प्रकार है और इसी प्रकार इण्डस्ट्री आदि में भी फिर इस टैक्स की क्या व्यवहारिकता है ये समझ में नहीं आता। वैसे ही ये इतना अव्यवहारिक है कि जैसे कि जहां सीवरेज लाइनें नहीं हैं, वहां पर सीवर टैक्स बिलों में लगाकर आता है। ये बात दूसरी है कि नाम आदि के जो बोर्ड दुकानों आदि पर लगते हैं, नगर परिषद उनका कोई तय कर ले, उनका कोई किराया ले ले, यह बात तो हो सकती है लेकिन इस प्रकार से कार्मशियल दरें लागू होना, ये गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में बिना लिखा बोलती हैं न, इसलिए प्रसंग नहीं बैठता है।

श्रीमती उजला अरोड़ : वह तो लिया नहीं आ रहा है बल्कि डेढ़ गुना पैसा वसूला जा रहा है, जिससे जयपुर की जनता बहुत दुखी है। यह बिजली-पानी की कामर्शियल दरें, जो केवल जयपुर के लिए ही हैं, इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, चुनाव में भी इस अव्यावहारिकता की बात, इस स्थिति को दूर करने के लिए हम सत्र ने बात कही थी। मैं आपके सामने यह बात इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तात्कालिक रूप से निर्णय लेकर इसे समाप्त करे। यह वैसे तो मल्टी टैक्स की तरह से है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जब लग जाते हैं तो इस टैक्स की वैसे कोई व्यावहारिकता नहीं है। मैं चाहूँगी कि इस विषय पर राज्य सरकार तात्कालिक रूप से ध्यान देकर इसे समाप्त करने की घोषणा करे, जिससे जयपुर के निवासी सुखपूर्वक रह सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की सड़कों के बारे में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हिन्दुस्तान के दो महान तीर्थ स्थान, जिनमें सबसे पहला मेहन्दीपुर के बालाजी....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसी पर आ रहा हूँ।

मेहंदीपुर के बालाजी की सड़कों के बारे में है जहां बाई पास बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ गुर्जरों का महान तीर्थ स्थान जगदीशजी का मन्दिर केमरी के अन्दर है, उसके बारे में आप से निवेदन करना चाहता हूँ।

महोदय, जिला सवाईमाधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सड़कों की हालत बहुत खराब है। पूर्ण सड़कें बहुत कम हैं। जो सड़कें बनायी गयी हैं उनमें रोड़े डालकर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। उदाहरण के तौर पर नादौती क्षेत्र का इलाका, जहां लगातार पिछले आठ वर्षों से सूखा पड़ रहा है वहां पर कोई भी सड़क कार्य नहीं चलाया गया है। नादौती से गडखेड़ा होती हुई गड़मोरा सड़क आज तक पूर्ण नहीं की गयी है। इसी प्रकार क्षेत्र के महान तीर्थ स्थान केमरी में जगदीशजी का मन्दिर से मेहस्वा तक लगने वाली सड़क को भी पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ उजेला, सोप, गुढाचन्द्रजी सड़कें, जो नादोती को जोड़ती हैं एवं गुढाचन्द्रजी से रायसेना होती हुई गड़मोरा को गयी हैं उनको पूरा नहीं किया गया है। अकाल से पीड़ित इस इलाके को राहत कार्य खोलकर एवं कृषि उपज मण्डी के द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य करवाकर गरीब जनता को रोजगार दिया जाय और गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय ताकि गांवों का विकास हो सके।

इसके साथ-साथ टोडाभीम तहसील में सारी सड़कों में से ज्यादातर अधूरी पड़ी हुई हैं, अधिकांश गांवों को लिंक रोड्स से नहीं जोड़ा गया है। उदाहरण के तौर पर ग्राम खिरकड़ी, ग्राम मातासूला, ग्राम खेड़ी, भनकपुरा, मंडेरलू, सांकरवाड़ा, दांतली

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बालाजीबाई पास को सड़कें अधूरी छोड़ दी गयी हैं। सरकार का पैसा इन पर लग चुका है लेकिन इनको अभी तक चलने लायक नहीं बनाया गया है। इसी क्षेत्र का बाल का इलाका, जिसमें ग्राम सेहराक, दादनपुर, मारनोज, टोरडी, खुररा, नांद आदि गांव लिंक रोड़ से जुड़ने हैं, उनको नहीं जोड़ा गया है। इस कारण गांव का विकास रूक गया है एवं लोगों को यातायात में बड़ी भारी असुविधा होती है और न लोगों को रोजगार मिला है। अतः माननीय प्रभारी मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारे क्षेत्र की इस महत्त्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दें एवं सड़कों का विकास, जिसके ऊपर सारे गांव का विकास निर्भर है, तुरन्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इनको तुरन्त पूरा किया जायेगा ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके और गांव का विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और जैसलमेर में पुलिस थाना गिराव और पुलिस थाना झिनिझिनिवाली, दो अलग-अलग पुलिस थाने हैं। इनके बीच में सीधा 28 किलोमीटर का फासला है। इसके लिए गत वर्ष भारत सरकार के फण्ड से सीमा विकास कार्यक्रम के तहत भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सुझाव पर यह सड़क स्वीकृत हुई थी। इस सड़क के टेण्डर भी काल किये गये, टेण्डर पास भी हो गये....

श्री अध्यक्ष : जो आपने दिया है उसको पढ़िये।

श्री अमीन खां : दो लाइनें हैं, यूं ही याद है।

श्री अध्यक्ष : पढ़िये आप इसे। आपके पास है न ?

श्री अमीन खां : नहीं, है, साहब।

श्री अध्यक्ष : मैं दे देता हूं।

श्री अमीन खां : दो लाइनें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, जितना भी है, इसमें लिखा हुआ है।

श्री अमीन खां : यह सड़क मेरे सुझाव पर स्वीकृत नहीं हुई थी। सरकार ने सीमा सुरक्षा के पाइण्ट से स्वीकृत की थी, लेकिन ज्योंही पिछले मार्च में सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ आदमियों ने यह शिकायत की कि यह सड़क अमीन खां की मंजूर करायी हुई है इसलिए इसको निरस्त करने में ही अपना हित होगा। अब यह सड़क राज्य सरकार के आदेश से कैंसल हो गयी है। जिला परिषद्, बाड़मेर की बैठक दिनांक 16-6-90 में यह प्रस्ताव लिया गया कि मुख्यमंत्री महोदय और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन किया जाय कि यह सड़क सुरक्षा पाइण्ट से स्वीकृत थी। 108 लाख रुपए का काम है, जिसमें कम से कम 23 लाख रुपया मजदूरों को मिलेगा। इस डैजर्ट एरिया के लाभ की सड़क है। इनको फौरन वापस स्वीकृत करके कार्य चालू कराया जाय। यह जनहित में बहुत महत्त्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याण कालेज, सीकर अंचल का सबसे बड़ा कालेज होते हुए भी कुछ विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा न होने के कारण इस अंचल के छात्र-छात्राओं को अपना अध्ययन स्नातक स्तर के अध्ययन के पश्चात बन्द करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सीकर जिला राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक जागरुक होते हुए भी यहाँ के शैक्षणिक मन्दिर की आवश्यकता की ओर कभी ध्यान नहीं गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से उपेक्षित ही चल रहा है। मैं आपका ध्यान इस कालेज की आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा वर्तमान में श्री कल्याण कालेज, सीकर तथा इसके आस-पास लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर शेखावाटी, रामगढ़ शेखावाटी, नवलगढ़, झुंझुनूं, चिड़ावा और नीमकाथाना के कालेजों से चार सौ से अधिक छात्र बी. एस. सी. की परीक्षा दे रहे हैं। इन छात्रों के लिए श्री कल्याण कालेज, सीकर में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए केवल मात्र रसायन शास्त्र विषय में 10 सीटें हैं, जिनमें से दो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा एक स्कूल के अध्यापक के लिए आरक्षित हैं। केवल मात्र सात सामान्य सीटें हैं। शेखावाटी अंचल के अधिकांश छात्र-छात्राओं को अपना अध्ययन बाध्य होकर बन्द कर देना पड़ता है। इस अंचल के कालेजों में आजकल विज्ञान विषय में काफी संख्या में छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार एक ओर तो छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहती है, जबकि दूसरी ओर कालेजों में उनके उच्च अध्ययन की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि श्री कल्याण कालेज, सीकर में उपरोक्त विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ कर दी जायें तो शेखावाटी अंचल की छात्राओं एवं छात्रों को भी स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्री कल्याण कालेज, सीकर में सर्वप्रथम 1956 में जब इण्टरमीडियेट विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ हुई थीं तब रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र की दो प्रयोगशालाएं बनी थीं, जिनमें भी एक साथ केवल मात्र 20 छात्र ही कार्य कर सकते हैं इसके पश्चात आज तक कोई नयी प्रयोगशाला नहीं बनी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों में प्रयोगशालाएं बनाने हेतु काफी अनुदान देता है, परन्तु ऐसा लगता है कि श्री कल्याण कालेज, सीकर उपेक्षित कालेज ही है। इस कालेज के छात्रों की कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं है।

श्री कल्याण कालेज, सीकर में डिग्री स्तर पर भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र के अलावा रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन की भी सुविधा है, परन्तु इन विषयों में प्रायोगिक कार्य करने के लिए अध्ययन कक्षों को ही अस्थायी तौर से प्रयोगशालाओं में बदलकर अभी तक काम चलाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप श्री कल्याण कालेज, सीकर में स्थाई प्रयोगशाला निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान देने के लिए अवश्य लिखेंगे। सीकर के बालिका कालेज और आस-पास के बालिका कालेजों में काफी संख्या में छात्राएं समाजशास्त्र व संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर तक अध्ययन करती हैं, परन्तु उनके लिए स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा, व्यवस्था सीकर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चूरू और झुंझुनूं जिलों के किसी भी कालेज में उपलब्ध नहीं है। समस्त लोग छात्राओं के उच्च अध्ययन की ओर आगे बढ़ने की बात तो करते हैं, परन्तु पढ़ाई की व्यवस्था करने की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाले नये सत्र से श्री कल्याण कालेज, सीकर में संस्कृत व समाजशास्त्र विषयों पर स्नातकोत्तर स्तर पर खोलने की अवश्य अनुमति देवें।

गत सत्र में कालेजों में प्री. डिग्री कक्षा अध्ययन बन्द करने के कारण वर्तमान में कालेजों में स्नातक स्तर पर केवल दो ही कक्षाएं द्वितीय वर्ष टी. डी. सी. व तृतीय वर्ष टी. डी. सी. चल रही हैं तथा कालेजों में दो कक्षाओं की स्थिति आगामी दो वर्षों तक और बनी रहेगी। प्री डिग्री/प्रथम वर्ष टी. डी. सी. कक्षा में कालेजों में छात्रों की संख्या सर्वाधिक होती थी। अब श्री कल्याण कालेज, सीकर में प्री डिग्री कक्षा (17 सेक्शन) के बन्द होने से रिक्त हुए कमरों को पूर्व की तरह अस्थाई रूप से प्रयोगशाला में बदलकर उपरोक्त विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रयोगशालाएं बनाई जा सकती हैं। मेरे विचार में राज्य सरकार पर कोई विशेष आर्थिक भार भी नहीं पड़ने वाला, तथा प्री डिग्री कक्षा बन्द होने से सरप्लस हुए कालेज प्राध्यापकों का भी छात्रों के हित में उपयोग हो सकेगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में राजकीय कालेजों में काफी संख्या में प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक हैं। आप मेरे इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखें।

श्री राजेन्द्र पारीक : बी. एस. सी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्र/छात्राएं वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्रवेश लेते हैं। इन सभी विषयों में राज्य सरकार द्वारा निश्चित संख्या में सीटें निर्धारित हैं। छात्र/छात्रा को कालेजों में ही नहीं, बल्कि साथ-साथ विषयों के लिए एक ही कालेज में पृथक-पृथक आवेदन करना पड़ता है। इसके पश्चात् समस्त कालेज छात्र/छात्राओं को साक्षात्कार के लिए भी बुलाते हैं। कई बार तो विभिन्न कालेजों में साक्षात्कार की एक ही तारीख पड़ जाती है जिससे कि छात्र/छात्रायें साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। राजस्थान के बीस से भी अधिक कालेजों में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना छात्रों के लिए तो अत्यन्त दुःखदायक है। उनके अभिभावकों पर अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए अनायास ही आर्थिक भार पड़ता है। मेरा इस सम्बन्ध में आपको एक सुझाव है कि इन विषयों में राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्नात्तकोत्तर कक्षा में प्रवेश एक समिति द्वारा किया जावे, जैसा कि पी. ई. टी. परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को साक्षात्कार के समय मेरिट के आधार पर अभियांत्रिकी शाखा व कालेज आवंटित किया जाता है।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि श्री कल्याण कालेज, सीकर में उपरोक्त विषयों में स्नात्तकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए एवं रसायन शास्त्र विषय से सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 करने के लिए

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सहानुभूतिपूर्वक विचार करवाने व नये सत्र से इन्हें खोलने की अनुमति अवश्य प्रदान करें और विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में मेरे सुझाव पर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।

विधायी कार्य

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990

विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह (प्रभारी मंत्री) : आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

बोलना है किसी को ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सदन के पक्ष और विपक्ष के नेता बैठकर विचार कर लें फिर इसको पारित किया जाय तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : इसके ऊपर विचार कर लिया था कार्य सलाहकार समिति में। आप थे नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इसमें कोई चर्चा की बात है नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये बोलना चाहें तो।

एक माननीय सदस्य : आपने खुद ने कहा था ले आओ, अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं थी कि यह आज विचारार्थ लिया जायेगा। हमें विधान सभा से भी इस सम्बन्ध में डाक वगैरह मिली नहीं। हमारे पास नहीं आया आप रेकार्ड उठा के दिखवा लें, हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । ऐसा है यह तो कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में आ गया था और आज हमने उसमें 'रिलैक्स भी किया था कि यदि इसमें कोई अमेंडमेंट आये तो एक बजे के बाद तब भी लेने के लिये मैंने रेज कर दिया था कोई अमेंडमेंट आया नहीं है । अब आने का सवाल नहीं है । विचारार्थ है, इसलिये आप बोलिये । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बजा ही नहीं है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दिया ही नहीं है अभी तक किसी ने । (व्यवधान)

अब कोई सवाल नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बजे से पहले दे सकते हैं हम ।

श्री अध्यक्ष : किसी ने नहीं दिया है अभी तक । और अब देने का सवाल नहीं है । आप बोलते उस वक्त जब विचारार्थ लिया गया था । (व्यवधान)

आप उस वक्त बोलते ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कई बार सदन के नेता जब विपक्ष में थे तो इस बात का सुझाव देते थे....

श्री अध्यक्ष : खैर, अब आपको बोलना है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : दोनों पक्ष मिलकर बात कर लें, उसके बाद । इसमें जल्दी क्या पड़ी है ?

श्री अध्यक्ष : आपको बोलना है क्या इसमें ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, चूंकि मेरे पास अभी तक सूचना नहीं थी....

श्री अध्यक्ष : चलिये, छोड़िये फिर इसमें । आपको बोलना हैं तो बोलिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो अमेंडमेंट के करने जा रहे हैं, उस पर बोलने की कोई मंशा नहीं हैं हमारी । लेकिन हम उसमें और अमेंडमेंट करना चाहते हैं, और क्लाज एड किये जाय क्योंकि अभी रूल्स नहीं है अलाटमेंट के । अभी इसको आप कर भी देंगे तो भी बाकी जो अलाटमेंट होते है वह भी आर्बिटरी होते हैं । तो इसलिये पूरे रूल्स बनने चाहिये । रूल्स के तहत अलाटमेंट होना चाहिये । इसलिये वह अमेंडमेंट हम रखना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको उसी टाइम देना चाहिए था । आपने दिया ही नहीं । आपने पढ़ा ही नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर दूं कि इस मामले में काफी विचार हो चुका है । सदन में चर्चा न करे तो ही ज्यादा अच्छा है ।

एक मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं आपकी जो इस प्रकार की समस्यायें है, वह बैठकर बात कर लेंगे । जो और कुछ संशो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

धन लाने की जरूरत पड़ी तो मुझे कोई संकोच नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1990 विचार एवं पारण

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लेने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 19,0 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1990 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया गया।

सामान्य वाद-विवाद। श्री हीरालाल आर्य।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर। मैं आपको शपथ पूर्वक यह कह सकता हूं कि आज की कार्यवाही, आज की सूची, कार्यसूची और इससे सम्बन्धित विधेयकों के बारे में हमको कोई इत्तला नहीं दी और बहुत गंभीरता से आप इसको लें। हमको पता ही नहीं कि आज सदन में जो कार्यसूची ली जा रही है उसके बारे में क्या....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यसूची नहीं मिली है, जिम्मेदारी नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिए आप इस व्यवस्था को दुरुस्त करवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल आर्य। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : वो साहब आपने लिफाफा यहां आकर खोला....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कैसा लिफाफा ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपने जब वेतन बढ़ाए तो हम लोग धरने पर बैठे थे और एकदम बिल लाये थे, बिना बोले ही एकदम पास करा ले गए थे जिसकी पास करने की सूचना भी किसी ने नहीं सुनी थी, आप तो ऐसे ही करके ले गए हैं सरकार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये, माननीय हीरालाल जी।

आय, व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का वर्ष 1990-91 का जो बजट विधानसभा में पेश किया गया, उस बजद का मैं स्वागत करता हूँ। वर्ष 1990-91 की योजनाओं का आकार जो 956 करोड़ रुपए रखा है, यह पिछले वर्ष की योजना से 161 करोड़ रुपया अधिक है और राज्य की जो प्रतिवर्ष की योजनाएं बनती हैं उसके इतिहास में यह वृद्धि मायने रखती है और इस वृद्धि के लिए जो नई सरकार है वह निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। इस वृद्धि से और इस बजट से राजस्थान में जो विकास होगा उसका इस बजट का विभिन्न वर्गों ने और सब लोगों ने स्वागत किया है, यह बजट के अध्ययन से साबित होता है। यह बजट मूल्यों में नियन्त्रण करेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध करायेगा, ग्रामों के विकास को महत्त्व देगा तथा गरीबों को राहत देने वाला बजट है। करों की दरों को बढ़ाने की बजाय घटाया है एवं उसे युक्तिसंगत बनाया गया है। इस कदम को निश्चित रूप से साहसिक कदम कहा जाना चाहिए।

(म. प. 12.51)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति पदासीन)

इससे कर चोरी में कमी आयेगी तथा पड़ौसी राज्य में जो उद्योग और व्यापार स्थानान्तरित हो रहा है उसमें कमी आयेगी। इस बजट के विस्तृत अध्ययन से यह भी साफ हाजिर होता है कि मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य की अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छुआ है तथा समस्याओं के निपटाने में व्यावहारिकता का ध्यान रखा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को अपने पाँव पर खड़े करना, गैर जरूरी खर्च में कटौती करना और विकास के आधारभूत मानदण्डों में उपलब्धि होने पर इस बजट में जोर दिया गया है उससे निश्चित रूप से राज्य के मुख्य मंत्री, श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत की कुशलता और गाँव के गरीब और किसानों के हित की जो उनकी नीति है, उनकी घोषणा है वह साफ जाहिर होती है।

सभापति महोदय, इस बजट से प्रान्त

(श्री हीरालाल आर्य)

का सर्वांगीण विकास होगा, उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय तथा सभी क्षेत्रों में विकास के आयाम दिन-प्रतिदिन प्रगति पर होंगे और निश्चित रूप से मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में यह प्रान्त चहुँमुखी विकास करेगा। वैसे प्रान्तों में हर वर्ष बजट पेश होते आये हैं, आजादी के 42 साल के बाद से कांग्रेस सरकार अधिकतर सत्ता में रही है लेकिन जो बजट कांग्रेस सरकार के आते थे उन बजटों से प्रान्त की जो प्रगति अवरुद्ध हुयी है और यदि विभिन्न पहलुओं पर प्रान्त की दूसरे प्रान्तों से तुलना करें तो साफ जाहिर होता है कि इस प्रान्त में प्रगति करने के बजाय प्रान्त को प्रगति अवरुद्ध हुयी है। गरीब जिनका आर्थिक दृष्टि से उत्थान होना चाहिये था वह और अधिक गरीब होते गये और बड़े-बड़े पूँजीपति, उद्योगपति, बिचौलिये और दलालों आदि को ही इनके बजट से राहत मिलती थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि यहाँ पर जो बजट का पैसा है वह वास्तव में गरीबों में खर्च होने के बजाय इसका बिचौलिये ही लाभ उठाते हैं। इस बजट भाषण के पैरा नम्बर 2 और 3 पर इस बात को साफ जाहिर किया है कि अब तक जो कांग्रेस सरकार के बजट होते रहे हैं उनसे प्रान्त की प्रगति पिछड़ी है और प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है। इस बजट भाषण की कुछ लाइनें पढ़ने की आपसे मैं अनुमति चाहूँगा।

"....देश के चौदह बड़े राज्यों की उपलब्धियों की नवीनतम तुलनात्मक जानकारी के आधार पर, गाँवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में हमारा तेरहवाँ स्थान है, प्रति वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा की दृष्टि से बारहवां स्थान है, ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में भी हम बारहवें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति विकास कार्यों पर खर्च की दृष्टि से हम आठवें हैं और प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्रम संख्या नौवीं है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में भी हम नौवें स्थान पर हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग में हमारा स्थान तेरहवां है और शिक्षा के क्षेत्र में हम चौदहवें स्थान पर हैं। चौदह प्रमुख राज्यों की शृंखला में आधारभूत सुविधाओं के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का तेरहवां स्थान है।"

यह लाइनें यह दिखाती हैं कि राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने की बजाय राजस्थान पिछड़ा हुआ है। इसके लिये सीधी-सीधी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की रही है लेकिन जो बजट इस वर्ष पेश हुआ है इसमें 60 प्रतिशत से अधिक राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दिये जाने का प्रावधान है। उससे प्रान्त के गरीब काश्तकार, गांव में रहने वाले किसान, अनुसूचित जाति और जन-जाति के गरीब और बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

किसी भी प्रान्त के विकास के लिये विद्युत का बहुत बड़ा महत्व है और इस बजट में आर्थिक विकास का मूल आधार विद्युत को मानते हैं। राज्य में विद्युत की कमी को देखते हुए वार्षिक योजना में विद्युत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। वर्ष 1990-91 को वार्षिक योजना में इस मद

(श्री हीरालाल आर्य)

में 238.04 करोड़ का प्रावधान रखा गया है उससे जो बहुत सी परियोजनायें चली आ रही हैं उनके पूर्ण होने में सुविधा होगी। साथ ही इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण पर 57 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा जिससे गाँवों में जो खेती के लिये बिजली की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होगी और गांवों का विकास होगा। साथ ही जो छोटी-छोटी परियोजनायें चल रही हैं, सूरतगढ़, मांगरोल, दो दांयी मुख्य नहर, माही, पूंगल तथा चारणवाली की लघु पन विद्युत परियोजना पूरी कर इस साल चालू करने की बजट में व्यवस्था की गयी है उससे प्रान्त की जनता को विद्युत की आवश्यकता की कमी को दूर करने में सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरी जो योजनायें सूरतगढ़ तापीय योजना, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और अन्ता आदि, इनको पूरा करने के लिये इस बजट में व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया गया है। वर्ष 1990-91 में ऊर्जा की उपलब्धि 11694 मिलियन यूनिट रहने की आवश्यकता है जो पिछले वर्ष से 16.40 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में इस वर्ष बजट में 25 हजार कुओं का ऊर्जीकरण एवं 1100 गावों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है, उससे निश्चित रूप से गांवों और किसानों का विकास होगा। गांवों में जहां पर बिजली पहुँच चुकी है, तार लाइन खींच चुकी है, कनेक्शन्स के लिये फाइलें हजारों की संख्या में जो पैण्डिंग्स पड़ी हुयी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिये बिजली कनेक्शन्स देने की जो घोषणा इस बजट में की है उससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा।

प्राणों में प्राण देने वाली कृषि के है और कृषि के उत्थान के लिये सिंचाई को आधार माना जाता है। सिंचाई को प्रान्त में इस बजट में दूसरा आधार मानकर सिंचाई के मद में 182.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे सिंचाई विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनायें जो क्रियान्वित हैं और जो आज राजस्थान में जहां पर सिंचाई के लिये, कृषि के लिये जमीन तो है लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वह इस पैसे के आधार पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करवायेंगे। गत वर्ष सिंचाई के लिये 50 हजार हैक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसे इस वर्ष 64 हजार हैक्टेयर रखी गयी है जो निश्चित रूप से सिंचाई और खास तौर से किसानों के लिये बहुत बड़ी बात है।

कोटा जिले की चम्बल सिंचाई परियोजना, जो हाड़ौती की सबसे महत्त्वपूर्ण विकास परियोजना है पिछले कई सालों से चम्बल नहर के टेल पर पानी नहीं पहुँचने से वहाँ के किसान त्राहि-त्राहि करते आये हैं, कांग्रेस सरकार किसानों के हित के लिये बिलकुल ध्यान नहीं देती थी, नहर की मरम्मत, उनके रख-रखाव और उनकी सफाई के लिये पैसा नहीं देती थी, इस साल राजस्थान के बजट में सिंचित क्षेत्रों में नहरों की मरम्मत व सफाई के लिये 40 लाख रुपये का जो प्रावधान किया गया है उससे निश्चित रूप से यह सरकार किसानों के

(श्री हीरालाल आर्य)

हित की बात सोचने वाली है। उस क्षेत्र में नहरों के आने से और सीपेज से ड्रेनें खोदी गयीं थीं, ड्रेनें खोदने के बाद कांग्रेस सरकार ने उनकी चिन्ता नहीं की। फलस्वरूप उनमें मिट्टी भर गयी और वह ड्रेनें जो बनी हुयी थीं वह बर्बाद हो गयीं। बार-बार हमारे कहने के बावजूद भी उस क्षेत्र में ड्रेनों की सफाई के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया लेकिन इस साल उस क्षेत्र में ड्रेनों की सफाई के लिये 15 लाख रुपये का प्रावधान रखा है।

वर्ष 1960 में ड्रेनों की खुदाई में किसानों की जमीन अवाप्त की थी, वर्षों बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिला था, करीब 1 करोड़ रुपये का किसानों का मुआवजा बाकी था, बार-बार कहने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा था लेकिन किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार ने किसानों की ड्रेनों के लिये अवाप्त की गयी जमीन का मुआवजा था, उसके चुकाने के लिये 37 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है, जो स्वागत योग्य है।

इसी प्रकार कनाडा सरकार के सहयोग से सीपेज को दूर करने के लिए 84 करोड़ रुपये की योजना सरकार के विचाराधीन इस इलाके में कैचमेंट का कार्य हुआ। कैचमेंट का नाम लेते ही हाडौती का किसान एकदम स्तब्ध हो जाता है। कैचमेंट के नाम पर उस इलाके में किसानों का शोषण किया गया। कैचमेंट होने से पहले चम्बल की नहरों से किसानों के खेतों में ठीक तरह से पानी पहुँचा था। लेकिन कैचमेंट में जो नहरें बनी, जो धोरे बनें, जो पुलियाएँ बनीं, जो सड़कें बनी वह इस प्रकार से बनी कि किसानों के खेतों में सिंचाई होने के बजाय सिंचाई नहीं होती। किसानों पर ऋण का भार है कि किसान जिन्दगी भर चुकाता रहे तब भी किसान कैचमेंट का पैसा नहीं दे सकता। कैचमेंट के पैसे को माफ करने के लिए उस इलाके के किसान ने बार-बार आन्दोलन किया था। पहले भी कांग्रेस सरकार ने उस इलाके में बैटरमेंट लेवी लगाई थी लेकिन बैटरमेंट लेवी के खिलाफ वहां के किसानों ने आन्दोलन किया और सरकार को घुटने टेक कर बैटरमेंट लेवी माफ करनी पड़ी थी। क्योंकि यह सरकार किसानों के हित की सरकार है और कैचमेंट का कर्जा माफ करने के लिए वहाँ पर आन्दोलन हुये हैं। बड़े विशाल आन्दोलन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी पधारे थे, आपने उस आन्दोलन का नेतृत्व किया था। मैं इस संवेदनशील सरकार के मुख्य मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों के हित में यह बहुत आवश्यक है कि कैचमेंट की जो राशि है किसानों के ऊपर अनावश्यक रूप से, किसानों को बरबाद करने के लिये उनसे वसूल किये जाने की धमकी दी जा रही है। उसको माफ करने की आप घोषणा करें ताकि किसान को कैचमेंट से राहत मिल सके।

शिक्षा के क्षेत्र में पिछली कांग्रेस सरकार ने स्कूल तो वाह-वाही लूटने के लिये खोल दिये लेकिन आज स्कूलों की हालत

(श्री हीरालाल आर्य)

यह है कि वहां पर न भवन है, न ही उनमें बैठने की कोई व्यवस्था है, न वहां कोई सामग्री है स्कूल छत के नीचे के चलते हैं। न वहां पर ब्लैक बोर्ड है, न वहां पर अध्यापक हैं। इस सरकार ने इस सारी बातों को देखते हुए संख्यात्मक के बजाय गुणात्मक उपलब्धि के क्षेत्र में आये इसके लिए शिक्षा को गुणात्मक दृष्टि से बल देने के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत 3,800 में जो 83 एकल स्कूल हैं उनमें 2 अध्यापक करने की घोषणा की है इससे निश्चित रूप से अपने राजस्थान में शिक्षा के पिछड़े क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार से 7,500 विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्धन छात्रों को अतिरिक्त कक्षा वर्ग खोलना और निर्धन छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करने के लिए जो व्यवस्था की है निश्चित रूप से वह सराहनीय है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से पिछली सरकार ने जगह-जगह पर उप केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये। लेकिन न तो वहां पर स्टाफ है, न बैठने की जगह है, न वहां पर दवाएं हैं। इस सरकार ने चिकित्सा की दृष्टि से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनको स्ट्रेन्थन करने के लिए वहां पर दवाएं, स्टाफ आदि रखने की जो व्यवस्था की घोषणा की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है।

कृषि की दृष्टि से जो बहुत सारी घोषणाएं किसानों के हित में सरकार ने की है, किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की है। कुओं से सिंचाई गांवों में होती है। आज किसान कुआं खोदता है लेकिन जब पानी नहीं निकलता है तो किसान अपनी मेहनत का सारा पैसा लगाकर जिन्दगी भर बरबाद हो जाता है। किसानों के प्रति संवेदनशील किसानों के हित वाली सरकार ने जो कुएं खोदने पर बीमा योजना चालू की है निश्चित रूप से उससे किसानों को राहत मिलेगी। कुओं पर पक्की नालियां बनाने, सामुदायिक ट्यूबवैल खोदने और जो स्प्रिंगलेस सैट और भागीरथ योजना प्रारम्भ की है, निश्चित रूप से किसानों को उससे लाभ मिलेगा। कृषि से सम्बन्धित कृषि विपणन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी जो पैसा ग्रामीण मण्ड़ियों का है वह केवल मण्डी गांवों में सड़कों के विकास के बजाय केवल आफिसेज में ही खर्च किया जाता है और जो गांव की मण्ड़ियों का पैसा है वह कोटा में और शहरों में आकर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि कोटा में जो हमारे गांवों की मण्ड़ियों का इटावा का, सुल्तानपुर का, अन्ता का, दीगोद का माल बिकने आता है उस पैसे को जिस क्षेत्र से माल बिकने आता है उस क्षेत्र के विकास के लिए ही उसको खर्च किया जाये। अभी केवल कोटा में लाडपुरा क्षेत्र में सारे काम होते हैं। उस पैसे की व्यवस्था करने की मुख्य मंत्री महोदय व्यवस्था करें मेरा ऐसा विनम्र निवेदन है।

समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति, गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये इस सरकार ने जो घोषणाएं की हैं निश्चित रूप से उससे अनुसूचित

(श्री हीरालाल आर्य)

जाति और जनजाति के लोगों की इस सरकार के प्रति आस्था बढ़ी है। साथ ही नये 27 छात्रावास खोलने की घोषणा की है लेकिन छात्रावासों में जहाँ तक मैं समझता हूँ भोजन, पुस्तकालय, आवास, बिस्तर, स्टेशनरी, बर्तन आदि के लिये भी मुख्य मंत्री महोदय व्यवस्था करें। ऐसा मेरा निवेदन है।

अत्याचार और छूआछूत विरोध के लिये जो केन्द्रीय कानून बना है उसको लागू करने की भी जो यहाँ पर घोषणा की है उससे भी गरीब लोगों के मन में एक श्रद्धा बनी है। अनुसूचित जाति संगठित योजना के तहत इस वर्ष जो राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है निश्चित रूप से अन्य वर्षों की बनिस्बत यह राशि बहुत अधिक है। अनुसूचित जाति का निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान होगा और इसके लिए यह सरकार कटिबद्ध है। वृद्धावस्था पेंशन में पिछले साल 7·72 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस साल उसे बढ़ाकर 11·04 करोड़ की व्यवस्था की है। वृद्धावस्था पेंशन करने की चुनाव के समय सरकार ने घोषणा की थी। मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो वृद्धावस्था पेंशन है निश्चित रूप से सारे राजस्थान में जितने भी वृद्ध हैं उनको तो पेंशन देने में सरकार को शायद कठिनाई हो सकती है क्योंकि उसके लिये टैक्स अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे और टैक्स लगायेंगे तो दिक्कत होगी और न ही ऊपर से यह राशि आने का कोई प्रावधान है लेकिन मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो वृद्ध हैं केवल उनके लिए तो निश्चित रूप से व्यवस्था करें ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो वृद्ध, बेसहारा व्यक्ति है जिसको वैसे ही नहीं छोड़ने के लिये आप कृत संकल्प हैं उनके लिये तो आप पेन्शन की व्यवस्था करें।

इस सरकार ने गरीब किसानों का जो दस हजार तक का कर्जा माफ किया है उससे राजस्थान का हर किसान, गाँव का किसान, गरीब व्यक्ति गद्‌गद् हो उठा है और इस सरकार के सामने नतमस्तक होकर, गद-गद होकर श्रद्धा से खुशियाँ मना रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो सहकारी क्षेत्र का यह पैसा है वह माफ करने की व्यवस्था है लेकिन जो अन्त्योदयी हैं, जो छोटे उद्योग धन्धे करने वाले व्यक्ति हैं, जो बुनकर हैं जिन्होंने व्यावसायिक बैंकों से ऋण लिया है उनका भी ऋण माफ करने की व्यवस्था करें। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि कार्मशियल बैंक जिससे अन्त्योदय के लिये ऋण लिया है उनका भी कर्जा माफ करने की घोषणा करें तो उनके मन में भी एक श्रद्धा जगेगी। मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रान्त में से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है उसमें कटौती करने के लिए जो एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने निर्णय देकर प्रशासनिक कटौतियाँ करके और तीस करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष लाभ करने की व्यवस्था की है निश्चित रूप से वह सराहनीय है।

भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय कृत संकल्प हैं और सहकारी समितियां जो भ्रष्टाचार के जाल में फँसी पड़ी थीं और सहकारी विभाग का दूसरा नाम भ्रष्टाचार हो गया था।

(श्री हीरालाल आर्य)

मकान बनाने की जो सहकारी समितियां थीं उसमें भ्रष्टाचार के मामले जिस प्रकार से उजागर हुये हैं उसमें कई लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे आज जेल में पड़े हैं कई लोगों पर मुकदमा चल रहा है । निश्चित रूप से यह काम सराहनीय है।

ग्रामीए क्षेत्र की जो पेय जल योजनायें थीं जिसमें विशेष योजना संगठन के तहत कई कार्यक्रम चलते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश देकर उनको पुनरीक्षण के लिए जो आदेश दिया है निश्चित रूप से उससे भी गांव के लोगों को लाभ मिलेगा एक निवेदन मेरा और है। बेरोजगारी के सम्बन्ध में यद्यपि इस बजट में बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था की गयी है। लेकिन नये रोजगार के साधन मुहैया करने की इसमें कोई विशेष घोषणा नहीं की गयी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछली नौकरियों में रिक्तियां है और केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग पूरा करने के लिए प्राथमिकता से उसको भरने के लिए घोषणा की है अनुसूचित जाति और जनजाति के हजारों लोग जिनके रिक्त पद खाली पड़े हैं उनको प्राथमिकता से भरने की व्यवस्था करें। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान का यह जो बजट है निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान का विकास करेगा जिसकी सब लोगों ने सर्वत्र प्रशंसा की है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में यह प्रदेश चहुंमुखी विकास करेगा इतना ही निवेदन करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

श्री सभापति : जय हिन्द

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को राजस्थान का पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूंगा लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रगतिशील बजट की राजस्थान की जनता को आशायें बंधी हुई थी उसके लिए निराश ही होना पड़ा है। मैं बजट का एक्सपर्ट तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं जिनसे आदमी रोज रूबरू होता है जिनसे रोज वास्ता पड़ता है। इन्सान बजट पर आंखें गढ़ाये रहता है कि बजट आयेगा तो हमें कुछ मिलेगा लेकिन इस बजट से आम आदमी की जो धारणायें बनी हैं वह स्पष्ट रूप से यह बनी है कि यह बजट निश्चित तौर से मध्यम वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोगों के हित में जो होना चाहिए था, उसकी हमें बड़ी उम्मीद थी नहीं हो पाया। बजट जब सरकार बनाती है तो किन्हीं उद्देश्यो पर चलती है और उद्देश्य मूल रूप से तो यदि हम देखें तो चुनाव के पूर्व जो घोषणायें थी उन्हें मद्दे-नजर रखते हुये ही बजट को बनाया जाना युक्ति संगत भी है और बनाना चाहिए भी था। जिस चुनाव को बी.जे.पी. और जनता दल दोनों ने मिल करके लड़ा और विजय हासिल की और आज वह राज्य सरकार में है सबसे बड़ा उसका मुद्दा था जिनमें कुछ मुद्दे वैसे तो सर्वविदित है राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जनता जानती है, कर्ज माफी, बेरोजगारी को दूर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

करने की बात, मंहगाई को दूर करने की बात, भ्रष्टाचार को खतम करने की बात यदि हम इन बातों पर जायें तो यह बातें आम आदमी के साथ इतनी जुड़ी हुई सी लगती है कि एक आदमी इनको अपने आप से दूर नहीं कर पायेगा। सर्वप्रथम यदि कर्ज की बात लें वैसे तो यह निश्चित एक प्रक्रिया है कि इन्सान जब किसी से कर्ज लेता है तो कर्ज लौटाता है लेकिन चूंकि बराबर पड़ते हुये अकाल, बराबर किसानों की परेशानियां, फसल का उचित मूल्य ना मिलना। वह कर्ज के इस तरह से चंगुल में जकड़ा हुआ था कि वह कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा था हमारी संवेदनशील सरकार का मानस बना हृदय द्रवित हुआ और उन्हें यह लगा कि हमें इन गरीब किसानों का गरीब बुनकर और मजदूर का कर्जा माफ कर देना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं मुझे और मेरी पार्टी को इसमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा है किसी मजदूर का, गरीब का मेरे भाई का यदि भला हो तो बहुत अच्छा है सर्वोत्तम बात होगी यह लेकिन सभापति महोदय, अपने एक कहावत है कि घोड़ी को बीस किलो घी पिला दिया मोटी नहीं हो रही है। तो माननीय सभापति महोदय, बीस किलो घी पिलाने कह देने मात्र से ही यदि मोटी होती तो आप मण भर कह दीजिए इसमें कोई एतराज नहीं है। हकीकत में आपने उसको दिया क्या सवाल इस बात को जाता है। कर्ज माफी की घोषणा की, सबने उसको बड़े हर्ष से स्वीकारा लेकिन जिस तरह से भूल भुलैया में इस कर्ज माफी की घोषणा को माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बड़ी शालीनता में और मखमली आवरण में लपेट कर रखा है मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि इस कर्ज माफी की घोषणा से मेरे उन गरीब किसान भाइयों का भला तो होगा या नहीं होगा यह तो दीगर बात है लेकिन निश्चित तौर से जिस भ्रष्टाचार के उन्मूलन की घोषणा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी कृत संकल्प हैं, भ्रष्टाचार उससे जरूर दो कदम आगे बढ़ करके हमारे सामने आयेगा। मेरे उन गरीब भाइयों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन उन अधिकारियों की गिरफ्त में उनकी गर्दन जरूरी होगी जो उनसे अपना कर्ज माफ कराने के लिए एक सार्टिफिकेट लेगें। क्योंकि जिस दिन कर्ज माफी की घोषणा की गयी थी उस दिन यह कहीं तय नहीं था कि आपका कर्ज फलां डेट से लिया हुआ होगा या आपका कर्ज आपके न देने की स्थिति से होगा आपका कर्ज आपके इस वजह से होगा या उस वजह से होगा अगर से नहीं होगा मगर से नहीं होगा। जिस दिन यह घोषणायें की गयी थी उस दिन कहीं किसी बात का अगर मगर नहीं था उसमें पूरी बात स्पष्ट थी कि प्रदेश का गरीब किसान जो कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा है उसका कर्ज मुक्त होगा। बड़ी उत्तम बात है होना भी चाहिए। जो गरीब देश में, हजारों करोड़ों रुपये इधर से उधर वेस्टेज हो रहे हैं खर्च हो रहे हैं तो मेरे गरीब भाइयों ने गरीब मजदूरों ने, गरीब किसानों ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उनके भले के लिए यदि सरकार कुछ कर्ज माफी के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान रखती है तो बड़ी उचित बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय

(श्री राजेन्द्र पारीक)

को मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रार्थना इसलिए कह रहा हूं कि प्रार्थना समझ कर स्वीकार करें आप कि कहीं इन गरीब किसानों का कर्ज इस अगर मगर के चंगुल में फंसाया है इस अगर मगर को बिल्कुल समाप्त करके स्पष्ट घोषित किया जाना चाहिए कि गरीब किसान का जो कर्जा है हम उसको माफ करते हैं वह चाहे किसी भी मद में हो किसी भी तारीख में हो और किसी भी वजह से वह न चुका पाये हो उसको इस तरह से आवरण में लपेट करके कि साहब यह आदमी तो आदतन अपराधी है कर्ज न चुकाने के लिए। मान लीजिए कि वह आदतन अपराधी है भी तो उसकी भी कुछ मजबूरियां होगी। इन्सान की कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि वह आदतन अपराधी के रूप में अपने आप सामने आ जाता है लेकिन उसकी मजबूरियों को समझे कौन? उसकी मजबूरी को जहां तक मैं समझता हूँ यह संवेदनशील अधिकारी वर्ग जिन्हें आप बार-बार भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कह कर के इंगित करते हैं यह इस गरीब की मजबूरी को समझने के लिए तैयार न पहले थे और न आज होंगे मेरी यह स्पष्ट मान्यता है सभापति महोदय। इस पर आप सरकार का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करें कि कहीं आपके इस अगर मगर के चक्कर में गरीब किसान इन तानाशाह बने बैठे अधिकारियों को गिरफ्त में न आ जाये। वह इनके चंगुल से अपने कर्ज के चंगुल से तो अपनी गर्दन छुड़ा पायेगा कि नहीं यह तो अलग बात है कि इनके चंगुल में फंस करके किसी नये हादसे का किसी नई बात का शिकार न बनजाये। जा रहा था कर्ज माफी के लिए और बन बैठेगा किसी फौजदारी के मामले में क्योंकि इनका जो रवैया है सभापति महोदय आप भी जिस क्षेत्र से आते हैं आप भी देखते होंगे इस तरह की आये दिन घटनायें कि जब गरीब किसान, गरीब मजदूर आदमी किसी बात के लिए किसी हक के लिए हमारे किसी अधिकारी के पास जाता है तो इनका व्यवहार कैसा होता है यह आये दिन की घटनायें हैं।

आप अखबारों में देखिये। रोज विधान सभा में यही चर्चा हो रही है कि साहब फलां जगह फलां मांग के लिए गरीब आदमी गया और उसके बदले में मिली उसे लाठी गोलियां। तो लाठी और गोली की बात करने वाले अधिकारी से आप यह उम्मीद करते हैं कि वह उस गरीब किसान का दर्द समझ पायेगा। मैं जहां तक जानता हूं यह स्पष्ट है कि वह बिल्कुल नहीं समझ पायेगा सभापति महोदय, उसके कर्ज की मुक्ति तो होगी कि नहीं होगी लेकिन वह फौजदारी मुकदमें में जरूर फंस जायेगा उन अधिकारी महोदय के व्यवहार से।

दूसरी बात जब आप मंहगाई की करते हैं। कल कुछ माननीय सदस्य महानुभावों ने कहा कि किसान को उसकी उचित कीमत मिल गई है। उसके बाद चाहे मंहगाई बढ़ें चाहे कहीं भी जाय मंहगाई, बड़ी अच्छी बात है। माननीय सदस्य ने यह नहीं सोचा कि किसान जो अनाज पैदा करता है उससे उसकी दैनिक आवश्यकतायें पूरी नहीं होती। उसके दैनिक जीवन में और भी आवश्यकतायें हैं जिनका स्पष्ट प्रभाव उनकी मंहगाई पर पड़ता है। क्या अनाज खाने

(२८)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मात्र से ही उसकी उदरपूर्ति हो जायगी ? क्या उसकी भौतिक और दैनिक आवश्यकतायें और कोई नहीं है ? महंगाई जहां कहीं भी बढ़ेगी, सभापति महोदय, उसका निश्चित तौर से गरीब किसान, गरीब मजदूर और हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा । गरीब किसान ने अनाज पैदा किया और अनाज पर आपने 15 रुपये फिर बढ़ा दिया, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसा लगता है कि इस जेब में डाला और उस जेब से निकाल लिया । गरीब को आपने दिया क्या ? गरीब को कुछ नहीं दिया । केवल एक भुलावा है । केवल एक आडम्बर है ।

श्री सम्पत सिंह : आपस में बातें नहीं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह उम्मीद करना चाहूंगा कि अगले पैनल में माननीय सदस्य का नाम रखें ताकि मैं उनको मुखातिब हो सकूं ।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अच्छा है इस तरह से व्यवधान तो जरूर होता है लेकिन सदस्य महानुभाव का मनोरंजन हो जाय तो बड़ा अच्छा है । (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने मेरे जज्बात का खयाल किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा । मैं बात कर रहा था मंहगाई की । मंहगाई का जहां तक ताल्लुक है, किसान अनाज पैदा किया उसकी कीमत मिल गई । लेकिन किसान को उसके बदले में जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, जिस खाद की खरीद करनी पड़ रही है, जिस बीज की खरीद करनी पड़ रही है, क्या किसान को इस संवेदनशील सरकार ने सस्ती कीमत में, कर्ज माफी की बात भी इसमें जुड़ जाती है, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने तीन महीनें का समय लगा दिया, जो कुछ करना है वह करेगी उसके बाद उनको नया ऋण दिया जायगा । क्या इनके लिए खाद या बीज की व्यवस्था सरकार ने की ? मंहगा बीज और खाद खरीदने के लिए तो मंहगाई की मार से फिर भी त्रसित होगा । इसके अलावा जो दैनिक आवश्यकतायें एक साधारण इन्सान की हो सकती हैं, गरीब होने से, हो सकता है कि उसकी आवश्यकतायें बहुत ज्यादा न हो लेकिन दैनिक आवश्यकतायें तो फिर भी रह जाती हैं और उन दैनिक आवश्यकताओं के चंगुल में जब इन्सान फंसता है तो मंहगाई की मार का कोड़ा जितना मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ता है उतना ही उस गरीब किसान की पीठ पर भी पड़ता है । फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसकी सहनशक्ति क्या है । मंहगाई की बात तो आज हर कोई कर रहा है कि मंहगाई बढ़ गई । लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा "प्योरिटी ऑफ दी फूड, प्योरिटी ऑफ दी गुड्स" पर किसी का ध्यान नहीं है । यह कहावत है कि जैसा खाये अन्न वैसा हो ये मन । इस तरह की बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, सदियों से चली आ रही है कि इन्सान जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही होता है । तो फिर क्या कारण है कि सदियों से चली आ रही बात पर न तो पिछली सरकार ने इस ओर ध्यान दिया,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं तो यह कहने में भी हिचक नहीं करूंगा। प्योरिटी ऑफ दी फूड और प्योरिटी ऑफ दी गुड्स के मामले में आज तक कोई स्पष्ट कानून क्यों नहीं बना ? ऐसा कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा ? जनता की तरफ से भी नहीं उठा। आम आदमी बड़े आराम से घटिया से घटिया चीज उनको मिल जाय और उसको खाकर सन्तोष कर लेता हैं। यह तो हो सकता है हमारे में वर्षों की गुलामी का असर रहा हो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने देश के नागरिकों को शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध खाद्य पदार्थ की सप्लाई जरूर करायें। उसके लिए कोई व्यवधान या रोड़ा हो तो उसको हटाये। यह केवल बातों से होने वाली बात नहीं है, माननीय सभापति महोदय, यह तभी संभव है जब इस बात के लिए सरकार कृत-संकल्प हो कि हम खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जल की शुद्धता को और अन्य चीजें जिनमें मिलावट होने की पूरी की पूरी गुंजाइश है उन्हें रोकने के लिए सरकार कृत-संकल्प होगी। उसके चंगुल में बड़े से बड़ा आदमी फंसता हैं, सरकार से उन्हें कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि एक हत्यारे को जितनी बड़ी सजा मिलती है वह पांच इन्सान की हत्या करता होगा, लेकिन इस तरह की मिलावट करने वाले इन्सान तो मानवता के हत्यारे हैं, वह सबसे बड़े हत्यारे है, इस देश पर कलंक हैं। इस कलंक को धोने के लिए सरकार यदि कृत-संकल्प होकर इस तरह की कार्यवाही करेगी तो मैं समझता हूं कि देश का नागरिक उनके प्रति बड़े कृतज्ञ भाव से निहारेगा, उनको शत-शत प्रणाम करेगा, शत-शत नमस्कार करेगा, हजारों हजार उनको आशीर्वाद देगा।

माननीय सभापति महोदय, आज देश के हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं, जिस तरह का बदलाव सा आप महसूस कर रहे हैं उसके पीछे एक हाथ इस देश के नौजवान तबके का है जो उद्वेलित है इस बात के लिए कि अध्ययन करने के बाद वह बेरोजगार है। बड़ा ही अच्छा होता कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय इस बजट के माध्यम से मेरे इन युवाओं को सन्देश देते इस बात का कि बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने रोजगार के साधन मुहैया करा दिये हैं। इतने साधन उपलब्ध करा दिये हैं और यह बड़ी-बड़ी योजनायें तुम लोगों के लिए है। कर्ज माफी से तो निश्चित रूप से आप मानिये कि व्यक्ति विशेष ही लाभान्वित होंगे लेकिन बेरोजगारी के उन्मूलन की घोषणा जिस दिन आप करेंगे। उस दिन देश का प्रत्येक परिवार, हर एक घर उस बात से लाभान्वित होगा। वह दो वक्त की रोटी-रोजी अपने लिये अर्जित कर सकेगा क्योंकि हालात आज ऐसे ही बन गये हैं। देश का युवा आज इस बात के लिए आन्दोलित है कि उसे रोजगार के साधन योग्यता के हिसाब से मिले। और जब तक रोजगार के साधन नहीं हो तब तक आपकी तो यह पूर्व घोषणा थी कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। जहाँ तक मैं समझता हूं बजट में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है।....

श्री रामकिशन : यह नहीं थी घोषणा यह थी कि काम का अधिकार होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह गलती उन लोगों की थी जिन्होंने अपने भाषणों में यह कहा कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता दिलवायेंगे ।

श्री रामकिशन : आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, घोषणा को पढ़ लीजिये । उसमें काम के अधिकार की बात कही है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो मांग करता हूं इस हाउस से कि इन बेरोजगारों को जिनको आपने भुलावे में रखा है उनको आप बेरोजगारी भत्ता दिलायें— (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चालीस साल तक आपने क्या किया ?

श्री राजेन्द्र पारीक : हमने, कांग्रेस की सरकार ने उनके लिए स्वरोजगार की बढ़िया योजना बनाकर उनके लिए रखी हुई थी । इस योजना से लाखों युवा लाभान्वित ही नहीं हुए बल्कि आज तक वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, करने के लिये सक्षम हैं और वह इस सरकार की तरफ मुंह ताक कर नहीं देख रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मध्यम वर्ग का प्राणी है उसकी एक दैनिक आवश्यकता है । इन्सान की रोजमर्रा की जिन्दगी में वह कहीं कोई ऐसा समय चाहता है कि उसके मनोरंजन के लिए भले ही दो मिनट का ही क्षण हो, परन्तु समय चाहता है । और मध्यम वर्ग के आदमी के लिए तो सबसे बड़ा जरिया जो है वह सिनेमा था और सिनेमा ही है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया है कि वीडियों और इस तरह के जो साधन हैं उनसे मनोरंजन कर की आय बहुत कम हो रही है, सिनेमा का प्रचलन कम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात की । लेकिन सरकार चन्द आदमियों के स्वार्थ के लिए इसको समाप्त भी नहीं होने देना चाहती । लेकिन जिस तरह से टैक्स बढ़ाने की अनुमति इन सिनेमा मालिकों को दी गई है, मैं समझता हूं पहले भी सिनेमा की कम कीमतें नहीं थी, टिकटों की, एक गरीब आदमी तीन घण्टे का समय गुजारने की क्षमता वहां रखता था, महंगाई की मार के साथ उसको और मनोरंजन करने के लिए जो एक मात्र साधन था उससे भी वंचित कर दिया । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात को इस रूप में न लें कि सिनेमा से कोई पीढ़ियां बिगड़ रही है । पीढ़ियां बिगड़ रही होतीं तो यह इण्डस्ट्रीज डवलप नहीं होती और यह कब की बन्द हो चुकी होती । मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों का मात्र यही एक मनोरंजन का जरिया है जिससे इन लोगों को 15% कीमत बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए । यह गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : किसने कहा ?

श्री सम्पत सिंह : सबने कहा ।

श्री राजेन्द्र पारीक : बढ़ाया क्या रवन्ना फीस । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट किया है कि 27 वर्षों में रवन्ना फीस और इस तरह की फीस नहीं लगाई गई इसके बावजूद फसलों का मूल्य खूब बढ़ा । तो 27 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया कि

(श्री राजेन्द्र पारीक)

गरीब की पॉकेट से पाँच रुपये अधिक निकाल लिये । क्योंकि हमें पता है, इस बात का कि किसान का बेटा उस गरीब मजदूर का बेटा अपनी जेब में अपने खर्चे से एक बाजरे की रोटी और गुड़ या कुछ ऐसा साधन रख के मेले से आता है । उसकी जेब में इतना धन नहीं होता कि वह आपको पाँच रुपये के बदले में 25 रुपये दे जायेगा वह रोटी अपने घर से लाता है । माननीय सभापति महोदय, यह कह कर कीमतें बढ़ा दी कि मेले में खर्च होता है । मैं पूछना हूं सरकार से कि मेले में क्या व्यवस्था है और क्या खर्चे हैं । इतना खर्चा तो माननीय सभापति महोदय, किसी भी जिले में माननीय मंत्री महोदय का तो छोड़िये, आप हमारे यहां के माननीय सचिव महोदय यदि किसी जिले में दौरे पर चले जायें तो उन पर उस मेले से ज्यादा खर्च होता है । एक साधारण सी इस बात के लिए कि मेले की व्यवस्था में खर्च होता है हम लोग गरीब की जेब से पैसा निकालने का एक षड़यन्त्र और रचते हैं । माननीय सभापति महोदय में इस सदन से आपके मार्फत यह मांग करूंगा कि गरीब की जेब से इस तरह से पैसा निकाला जाना उस गरीब के प्रति एक बहुत भारी घोर अन्याय है जिसका मैं विरोध करता हूं ।

गरीब को कुछ नहीं दिया यह बात तो समझ में आ रही है कि आपके पास कुछ नहीं तो आप देते क्या ? उसकी जेब काट ली । नहीं देने वाली बात तो फिर भी समझ में आ रही है कि आपके पास नहीं है तो आपने नहीं दिया । लेकिन कम से कम आप उसकी जेब में हाथ तो नहीं डालते । आपने जिस गरीब की जेब पहले से ही फटी हुई थी । उस फटी हुई में आपने तो हाथ डाल के और चिथड़े कर दिये । आपने उसमें और इजाफा कर दिया । मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम इन गरीब लोगों की, जिनकी जेब में पहले से ही कुछ नहीं था हाथ डाल के कुछ और तो न टटोलें ।

बीस रुपये तक की कीमत तो एक ऐसी कीमत है किसी बड़े आदमी के सामने यदि हम बीस रुपये का नाम लें तो वह दुतकार देगा । आंखें दिखायेगा । लेकिन बीस रुपये जिस पर हमने टैक्स कम किया था साधारण सी चम्पल खरीदने के लिए । उसको पता नहीं इस बात का कि बीस रुपये में गरीब आदमी अपने बेटे के लिए बुशर्ट खरीद के ले आता है । लेकिन इन्होने तो कर्जा माफ कर दिया साहब दस हजार रुपये का । गरीब रहा ही नहीं वह + + + जब गरीब नहीं रहा, जब दस हजार का कर्जा माफ कर दिया उनका, तो हमारी सरकार को यह नजर आया कि जब ये गरीब नहीं रहे तो इनको बीस रुपये की शर्ट खरीदने की जरूरत ही नहीं, इस पर टैक्स लगा दिया जाये क्योंकि वह पैसे वाला हो गया । बीस रुपये की शर्ट खरीदकर पहनेगा ही नहीं । क्योंकि उसका तो दस हजार रुपये का कर्जा माफ हो गया लेकिन सरकार को इस बात का पता नहीं है कि जो दस हजार रुपये का कर्ज माफ करने की मात्र थोथी घोषणा कर रहे हैं वह तो + + + उसकी देने की हैसियत होती तो आपका दे चुका होता आज तक । भारत के किसान का और इस राजस्थान के किसान

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित लिया गया ।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

का स्वाभिमान इतना नहीं गिरा है कि उसकी जेब में पैसा होता तो सरकार को जमा नहीं कराता । उस गरीब की तो मजबूरी है कि वह नहीं दे पा रहा है । लेकिन उस गरीब की मजबूरी से संवेदनशील हो कर सोचने के बजाय सरकार एक उपहास की नजर से देख रही है । उसको इस नजर से देख रही है कि यह + + +है ।सरकार को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि राजस्थान के किसान और मजदूर और गरीब उस तबके को वह + + +समझने की भूल नहीं करें । केवल समझना है तो उसकी मजबूरी समझे कि यह गरीब किसान, यह गरीब मजदूरी केवल अपनी मजदूरी के चलते सरकार को पैसा देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन किसी भी स्थिति में + + +नहीं है । जब टैक्स बढ़ाना ही था तो बढ़ाते, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते, आप सिल्क पर बढ़ाते और उन रहीशजादों के जो पहनने के वस्त्र हैं उन पर बढ़ाते, बाटा और लिबर्टी के जो जूते पहनते हैं उन पर बढ़ाते ।

मैं, सभापति महोदय, आपसे अर्ज करूँ पहली बात तो वह गरीब अपने पाँव में चप्पल पहनने की हैसियत रखता ही नहीं और यदि किसी मेले में या किसी सगे सम्बन्धी के घर मिलने जाने की स्थिति में उसने बीस रुपये की चप्पल खरीदने की अपनी पूर्व योजना बना रखी होगी तो आपके यह टैक्स बढ़ाये जाने के बाद, मैं समझता हूँ इसे भी अपने दिमाग से निकालना होगा । चप्पल पहनने का अधिकारी वह नहीं हैं । क्योंकि संवेदनशील सरकार है यह, गरीबों की सरकार है । चप्पल पहनने की जरूरत है ही नहीं तुम नंगे पांव ही फिरो । साहब जरूर फिरेंगे । जब सरकार ने आदेश दे दिया । टैक्स बढ़ा दिया वह गरीब नहीं रहे । चप्पल नहीं पहनेंगे ।

फिर आइये लीजिंग, बड़ा बढ़िया शब्द है । मैने तो सभापति महोदय पहली बार यह समझा कि यह जो कूलर और टैन्ट वगैरह जो शादी विवाह में लगाते हैं यह भी लीज है । लीज के मायने में हम तो यह समझते थे किसी बड़ी दुकान को नाइन्टी नाइन वर्ष की लीज पर ले ली । किसी बड़े मारी प्लॉट को नाइन्टी नाइन वर्ष की लीज पर ले लिया । लेकिन हमारी सरकार यह घोषणा कर चुकी है कि जिस गरीब की शादी में रात में लगने वाला टैन्ट जो सिर्फ 4 घण्टे के लिए लगता हैं वह भी लीज है और इस लीज पर टैक्स देना पड़ेगा । माननीय सभापति महोदय आपको आपकी जानकारी में दिलवाऊं यह बात कि आज का यह जो व्यापारी वर्ग है यह किसी तम्बू और टैन्ट में अपने बेटे और बेटियों की शादी विवाह नहीं करता है वह सिसोदिया गार्डन है जहाँ दूब का बड़ा मखमली गद्दा है जहाँ टैन्ट लगाने की जरूरत नहीं है । टैन्ट लगाने की जरूरत तो उस + + +गरीब को है जो अपनी झोंपड़ी के बाहर दो कनात लगाता है लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार ने कह दिया कि बेटा यदि शादी करनी है तो टेक्स भी देना । यह मेरिज टैक्स होना चाहिए था । गरीब तुझे शादी करनी है अपने बेटे की, बेटी की तो तुझे मेरिज टैक्स

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

देना पड़ेगा। गरीब आदमी यह सोचता है और वह भी सोचता तब है जब बेटा अपने बाप से पूछता है कि पिताजी आपको ओवर-टाइम मिल गया क्या? बोले मिल गया तो सो रुपये में रात के लिए किराये का वीडियो ला के दीजिए। कई दिन हो गये पड़ौसी लोग फिल्म देख रहे हैं। अब नहीं पूछेगा वह। क्योंकि पैसे वाला वीडियो किराये पर लायेगा। सभापति महोदय, यह तो कल्पना ही बेकार की है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन से इस बात के लिए जानकारी चाहूँगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं और वे वीडियो किराये पर लाते हैं वे पंखे किराये पर लाते हैं वे कूलर किराये परलाते हैं। किराये पर लाने की बात अगरसोचते हैं तो इस देश का गरीब, मध्यम वर्ग का वह प्राणी जिसके खर्चे बढ़ गये हैं और आमदनी कम हो गई। प्राइस इन्डेक्स बढ़ता चला जा रहा है। वह गरीब किराये पर लेने की सोचता है। पैसे वाले को सोचने की जरूरत नहीं। आप बढ़ाते किराया टैक्स जो बढ़ाना था, कार पर बढाते, वीडीयो पर बढाते, वी. सी. आर. पर बढाते किसी को क्या लेना देना था। गरीब तो कभी सोचता भी नहीं। गरीब को तो सोचना पड़ा अब की हम जो दो कनात लगाने की सोचते हैं घर के बाहर उन पर लीजिंग टैक्स देना पड़ेगा तो बढिया यह रहेगा कि हम धोतियां लगा लें। लेकिन कहीं सरकार की नजर उस पर पड़ गई और कनात मानकर उस पर भी टैक्स नहीं लगा दे, इस बात का भी डर है। तो इस बात के लिए तो कम से कम स्पष्ट कर दें कि अपने घर के बाहर अपनी चादर लगाने को तो कम से कम सरकार कनात नहीं माने। अतः उसे भी कनात नहीं माने अगर उसे भी कनात मान बैठे तो वह भी नहीं लगेगी। क्योंकि गांवों में जायेंगे तो लोग पूछेंगे की भाइयों लीजिंग टैक्स क्या है यह कनात, यह पर्दे क्या हैं उन्हें कम से कम यह स्पष्ट करें कि भाइयों कनात और पर्दे नहीं लगाइये।

माननीय सभापति महोदय सर्किट हाऊस में रहने की सुविधा तो मुझे अब मिली है इससे पहले जहां कहीं भी एक व्यापारी की हैसियत से मैं एक बहुत साधारण-सा व्यापारी हूँ और जैसी मेरी सोच और मेरा विचार है वैसी ही मैं समझता हूँ कि मेरी तरह से जो साधारण और मध्यम वर्ग के व्यापारी है उनकी भी सोच होगी। लेकिन हमारी इस सरकार ने सौ रुपये के होटल को भी विलासितापूर्ण होटलों में समझ लिया। एक कमेटी बनाई जाए और इस बात की जानकारी ली जाये कि सौ रुपये रोज के जो किराये के जिस होटल में लिये जाते हैं उन होटलों की श्रेणी क्या बड़े होटलों में की जा रही है। एक आदमी अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ जयपुर भ्रमण के लिए आयेगा तो उसको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि कल तक हम जिस होटल में रूकते थे उसमें सौ रुपये दिन के लगते थे। सरकार ने हमारे उस हक को भी छीन लिया और आज हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि तुम विलासी हो गए। सरकार का ध्यान जाना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चाहिए था फाईव स्टार होटलों की तरफ, थ्री स्टार होटलों की तरफ, बड़े-बड़े उन होटलों की तरफ जाना चाहिए था जिनमे ए. सी. और पता नहीं क्या से क्या लगे हुए हैं। सौ रुपये भी आजकल कोई कीमत है ?

लेकिन सरकार ने जब इसे मान लिया है तो मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ इस बात का निवेदन कर सकता हूँ सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कि 100 रुपये में जो एक कमरा मिलता है उसे कम से कम इतना बड़ा तो न समझे कि आपने उसको विलासिता में ले लिया। लग्जरी में तो न लें कम से कम।

सभापति महोदय, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं भी इस बात से व्यथित हूँ कि इस सरकार के खजाने से पैसे की लीकेज न हो। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वाहनों के बारे में स्पष्ट किया है। आज वाहनों की स्थिति ऐसी हो गई कि बड़े आजाद हो गये। सड़कों पर बेतरतीब घूम रहे हैं। जिनसे सरकार को लाखों लाख रुपया कर के रूप में मिलने का घाटा हो रहा है यह बात स्पष्ट है और मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है सरकार को मैं इस बात के लिये बधाई भी देना चाहूँगा लेकिन साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आपने इस प्रच्छन्न प्रचलन को रोकने के लिये टैक्सेज बढ़ाने की जो बात की है यह तो बिल्कुल वाजिब है सरकार कम से कम इस बात की तो जानकारी ले कम से कम जनता को तो कान्फीडेन्स में लेगी कि जितनी सुविधा आज सरकारी वाहनों से नहीं मिल पा रही है जनता को उससे कहीं ज्यादा इन प्रच्छन्न चलने वाले वाहनों से मिल पा रही हैं। क्योंकि सरकार को स्वयं की तो यह स्थिति नहीं है कि आज जितनी जरूरत वाहनों की हमें है उतनी जरूरत की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके इस टैक्स बढ़ाने से निश्चित रूप से यह सारा का सारा भार मध्यम वर्ग और गरीब जनता पर सीधा जाकर पड़ेगा। वह तो स्पष्ट कहेगा कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, डीजल पर और पैट्रोल पर पहले । पैसे बढ़ गये। आज एक आदमी अपनी जरूरत के लिये यदि सीकर से जयपुर आने की यात्रा कल जो 300 रुपये में करता था आज अचानक उस पर सौ रुपये बढ़ गये। मजबूरन उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे, यदि जरूरत है तो जाओ वरना न जाओ। तो सरकार कम से कम यह साधन तो उपलब्ध कराये। आपके इस तरह से टैक्स बढ़ाने के चक्कर में जो प्राइवेट बसेज के आपरेटर और बस मालिक है यदि 15 दिन भी यह तय कर लें कि हमे सड़क पर नहीं चलना है तो मेरा दावा है कि सरकार के पास में इस यातायात को सचारु रूप से चलाने के लिए कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है। तो कम से कम सरकार इस तरह के एक्स्ट्रा साधन और रिसोर्सेज तो डवलप करे जिससे यात्रा सुगम हो सके।

एक माननीय सदस्य : आपने 40 साल में क्या किया ?

श्री सभापति : व्यवधान नहीं। आप जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यह बच्चे थे 40 साल पहले।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार ने राजस्थान की इस राजधानी जयपुर को एक शानदार शहर में परिवर्तित करने के लिए सोने-चांदी के व्यापारियों को हीरे-पन्ने और जवाहरात के व्यापारियों को खुली कुछ छूट देने की घोषणा की। इस देश में व्यापार बढ़े, इस देश का धनिक वर्ग और ज्यादा से ज्यादा धनी हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मेरे को खुशी भी है इस बात से मेरे पास धन नहीं है, मेरे पड़ौसी के पास तो धन है लेकिन सरकार का यह कहकर इस उद्योग पर टैक्स माफ करना कि इससे गरीब मजदूर का भला होने वाला है! माननीय सभापति महोदय, उस गरीब को तो केवल वह मजदूरी ही मिलनी है जो पहले मिलती थी क्योंकि जो गरीब इस धंधे में लगा हुआ है वह तो जाब पर वर्क करता है....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

हीरे की कटिंग करने वाला मजदूर वह तो जाब पर वर्क करता है उस पर टैक्स का तो असर ही नहीं पड़ने वाला। सरकार ने एक बात यदि स्पष्ट कर दी होती किसी भी इशारे से कि विद्युत पर आने वाले भविष्य में विद्ध विद्युत रेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो किसान आज जितना पैसा देता है उस पर कोई एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ेगा। इस बात के लिए यह सरकार जनता को यह आश्वस्त कर देती कि भविष्य में आने वाले एक महीने बाद जिस रोडवेज की बस पर आप यात्रा करते हैं उसकी टिकट की कीमत नहीं बढ़ेगी। कम से कम सरकार से इतना तो निवेदन करना चाहूंगा। सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि शिक्षा के प्रति बड़ी संवेदनशील है, ज्योमैट्री बाक्स पर टैक्स कम कर दिया, स्याही पर भी कम कर दिया। लेकिन किताब पर बढ़ा दिया। चौथी क्लास की किताब खरीदने के लिये आज एक आदमी को कम से कम 350-400 रुपये चाहिए। अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना सरकार को अपनी कान्फीडेन्स में लिये, मैं तो यह कहूँगा कि राजस्थान पुस्तक मण्डल ने अपना एक आदेश जारी कर दिया किताबों की कीमत 35 से 40 बढ़ा दी गई है और उस पर भी माननीय सभापति महोदय, किताबों की उपलब्धता नहीं है। एक आदमी को अपने बेटे की पढ़ाई कराने के लिए कहीं से कर्ज लेकर किताब की दुकान पर जाये भी तो इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि उस दुकान पर उसको अपने बच्चे के लिये किताब मिल ही जायेगी। वह उपलब्धता भी संदिग्ध है....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मेरा ध्यान श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जाता है। अभिभाषण में प्रवासी राजस्थानियों के प्रति हमारी सरकार ने जितना श्रेय दिखाया था, मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आसाम की ओर आसाम में प्रवासी राजस्थानियों के साथ कौन से जुलूम हो रहे हैं। 1968 में जब माननीय श्री सुखाडिया जी मुख्य मंत्री थे और आसाम की जनता पर जब जुलम हुए तो वह स्वयं वहां पर गये और केन्द्र से उन्होंने इस बात की मांग की कि मेरे प्रान्त के लोगों पर यदि यहां पर अत्याचार होंगे तो मैं बरदाश्त नहीं करूँगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करूँगा कि आसाम में बसे हुए राजस्थान के उन लोगों की रक्षा के लिये केन्द्र सरकार से उच्च स्तर पर मन्त्रणा करे और बात करे और पुरजोर शब्दों में करे और उनकी रक्षा की कोई व्यवस्था बैठाये। साथ ही साथ यह भी पूछना चाहूँगा कि कम से कम इस अपने बजट में उनको प्रभावित करने के लिये कोई ऐसी योजना का स्वरूप आप देते कि दूसरे प्रान्त में बसे हुए राजस्थानी भाइयो, आप लोग राजस्थान में आओ राजस्थान आपका स्वागत करता है और आपको पूरी से पूरी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। आप आओ और इसे पिछड़े हुए राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा भला करो। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में सडकों के मामले में हम किस स्थान पर है, शिक्षा के के मामले में हम किस स्थान पर हैं अस्पताल के मामले में हम किस स्थान पर हैं इस बात को बड़ी वखूबी वर्णन किया है स्टेटिस्टीकली तो क्या यह दायित्व नहीं बन जाता है....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि हम पिछड़े हुए स्थान पर है तो कम से कम दो कदम तो आगे बढ़ते और दो कदम आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए थी। सभापति महोदय, आज मैं आपसे यह कहूं कि मैं बहुत पिछड़ा हुआ हू इतना कहने मात्र से मैने मेरी दरिद्रता जाहिर की है। मैं आपको आज यह कहूं कि मैं आज यहां खड़ा हूं लेकिन अगले दो कदम वहां रखूंगा और मेरे पास अगले कदम बढ़ाने के लिये निश्चित योजना है, इस योजना के मार्फत मैं दो कदम आगे बढ़ाऊंगा। सभापति महोदय, सरकार को यह चाहिये था कि प्रवासी राजस्थानी भाइयों के लिये सुनिश्चित योजनायें, कुछ ऐसी बड़ी योजनायें, आज राजस्थान के प्रवासी भाई जो बाहर बैठे हुए हैं बड़े सक्षम और समर्थ हैं और वह चाहें तो राजस्थान की उन्नति में चार चांद लगा सकते हैं, उन्हें आमन्त्रित किया जाना चाहिये था, हर दृष्टि से आमन्त्रित किया जाना चाहिये था। सरकार ने अपने पिछड़ेपन का तो इजहार कर दिया कि हम यहां खड़े हैं लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए न तो कालेज है, कालेज है दो कालेज है मेरा तो उसमें कोई हिस्सा है नहीं....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सड़क नगण्य है । स्कूल अस्पताल, इससे यह स्पष्ट लगता है कि राजस्थान का विकास कहीं अवरुद्ध न हो जाये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काफी बोल चुके हैं, जल्दी करें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपसे केवल दो मिनट और लेना चाहूंगा । दो मिनट आपसे इसलिये लेना चाहूंगा कि यह मसला बड़ा गम्भीर और बहुत अहम मसला है । हम आये दिन पुलिस के अधिकारियों पर और पुलिस प्रशासन पर छींटा-कशी करते हैं । जरूर करनी भी चाहिए थी साहब क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं । यह बात जुड़ जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी कि उस स्टेटमेंट से जो इन्होंने पूर्व में भी दिया है तस्करी को रोकने के लिए लेकिन इस बजट में इस बात का कहीं प्रावधान नहीं है कि हम अपने यहां की इस पुलिस को सुदृढ़ और सक्षम करने के लिए नए-नए साधन किस तरह से क्या उपलब्ध करायेंगे । सरकार को चाहिये था कि हम अपनी पुलिस को जिससे हम उम्मीद तो यह करते हैं कि वह पूर्ण रूप से एक देश-भक्त के रूप में हमारे सामने आये और साधन के नाम पर जीरो हैं । मेरी सरकार से यह माँग है कि यहां की पुलिस को ज्यादा से ज्यादा साधन भी उपलब्ध करवाये ताकि उनके दिल में कम से कम इस बात का एहसास हो कि जितनी सेवा....सभापति महोदय, यह ताज्जुब होगा यह सुन करके कि आपके प्राइमरी स्कूल का मास्टर एक सिपाही से कांस्टेबल से ज्यादा तनख्वाह पाता है । इसकी ड्यूटी क्या हैं बड़ी लिमिटेड और यहां का कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी 24 घण्टे की है, उसके मन में क्या उपजता होगा यह सोच करके ? उनके लिए भी कुछ ऐसे साधन उपजने चाहिये थे जिनसे वह आपके प्रति समर्पण भाव से लगता । बात जब भ्रष्टाचार की आती है तो कम से कम जिस चीज को आप समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है उसके लिए आपके पास में योजना तो निश्चित रूप में होनी चाहिए थी । यह टेबलेट है इस बीमारी के लिए जिसको देंगे तो यह भ्रष्टाचार नाम का जो घड़ा भारी होगा या है, ब्लड कैंसर जो है वह समाप्त हो जाएगा । क्या योजना है सरकार के पास इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ? मेरी तरफ से मैं एक छोटी सी बात जो सरकार को कहना चाहूंगा वो यह है कि ग्राम जगहों पर भी ना हो तो सरकार को चाहिये कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे इन्दिरा गाँधी कैनाल का जो प्रोजेक्ट है बड़ा भारी प्रोजेक्ट है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कम से कम अधिकारी जो बड़े इंजीनियर और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो मंत्री महोदय है वो स्वयं उन पर दायित्व बोध होना चाहिए उनकी लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिये उन पर । उन पर जिम्मेदारी डालनी चाहिये माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने बजट का प्रावधान इस एक वर्ष में आपने इस इन्दिरा गांधी कैनाल के लिए किया है, जो भी आपके मुख्य इंजीनियर वहां पर आज है, वो कम्पीटेटिव होना चाहिये । उसका समय निर्धारण होना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चाहियें कि इतने समय में इतने रुपये में तुम्हे इतना काम करना है। यदि तुम करने की योग्यता नहीं रखते हो तो आपकी सीनियरटी कभी इस बात के लिए हमें पाबन्द नहीं करती कि आप इस पद पर बने रहो। तुम्हें हटना होगा जो भी कम्पीटेटिव जो भी इसमें योग्य व्यक्ति आ गया, आकर के इस काम को पूरा करने की क्षमता रखता होगा, आगे वो व्यक्ति आयेगा तब जाकर के इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक हल्की सी राह आपको दिखाई देगी।

श्री सभापति : जल्दी-जल्दी समाप्त करें दो मिनट पूरे हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तक तो जो बात मैंने की वो तो बजट संबंधी थी....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब कम से कम मैं दो मिनट सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपने नुमाइन्दे के रूप में आपसे वार्ता करने के लिए यहां भेजा है उनका दुःख-दर्द भी तो मैं आपके सामने रख दूं....

श्री सभापति : काफी समय हो गया है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट के लिए। माननीय सभापति महोदय, अधिक नहीं कहूंगा। पानी के बारे में जरूर कहूंगा।

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून।"

श्री हरि सिंह (महुआ) : मोती का टैक्स माफ कर दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : पानी की कम से कम शुद्ध जल की व्यवस्था यह सरकार करवाये और इस बात के लिए आश्वस्त करे कि इस गरीब जनता को सरकार इस बात के लिए आश्वस्त करे कि भविष्य में अगर तुम पानी के लिए मुख्य अभियन्ता महोदय के पास या किसी भी सक्षम अधिकारी के पास में पानी के लिए अपना टोकरा लेकर तुम जाओगे तो पानी के बदले तुम्हें खून और गोली तो नहीं मिलेगी। सरकार कम से कम इस बात के लिए तो आश्वस्त कर दें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आप लोगों ने मुझे शान्ति से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद....

श्री सभापति : श्री रामकिशन जी, माननीय रामकिशन जी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय सभापति जी, राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं आशा करता था कि कांग्रेस दल के लोग कुछ सुझाव देंगे। हमारी कमियां हैं और हमारे वायदे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि यह सरकार हमें विरासत में छोड़ गई है। हमसे वह आशा करती है कि हम सब इन कामों को पूरा करें, पूरा करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन

(श्री रामकिशन)

मुख्य सवाल यह है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आय का 20 से 25 प्रतिशत रकम सरकार वसूल करती है और 75 प्रतिशत पूंजी प्राइवेट हाथों में है लेकिन हर नागरिक यह चाहता है सरकार से कि इस पूंजी में सम्पूर्ण सरकार अपने काम को पूरा कर दें तो इस सम्बन्ध में मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग तो विवेक से बात करें। आपने चलाया है 40 साल राज और राज चलाने के बाद आज जो हिन्दुस्तान की हालत है आप खुद देख लीजिये। चाहे विश्व बैंक के आंकड़े देख लें चाहे एशियाई बैंक के आंकड़े देख लें, हम दुनियां में सबसे नीचे कम आमदनी वाले देशों में हैं। अब यह सारी हालत आपके साथ हमें मिली है विरासत में। आप छोड़ कर गये हैं हम पर एक लाख करोड़ का विदेशी कर्ज, आप छोड़ कर गये हैं हम पर डेढ़ लाख करोड़ का देशी कर्ज, आप छोड़ कर गये हैं हमारे ऊपर 11000 करोड़ रुपये का व्यापार का घाटा, आप छोड़कर गये हैं 70 अरब का विदेशी व्यापार का घाटा। अब यह सारी हालत तो छोड़ कर गये हैं, उधर राजस्थान की तस्वीर देखिये, वित्त मंत्री जी रहे हैं, तीन-तीन मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, आपकी लाइबिलिटी और असेट्स, जो आपकी पूंजी है, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटीज हैं। इस सारे सन्दर्भ में सरकार बनाई हैं बीजेपी ने और समर्थन कर रहा है जनता दल। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में.... (व्यवधान)

आप लोग सुनिये। आप लोग सुनेंगे न। थोड़ा धीरज रखिये। मैं उम्मीद करता हूं 70 वर्ष की उम्र में धीरज तो आपमें आ ही गया होगा। तो स्थिति यह है (व्यवधान)

आपका कहना बिल्कुल सही है। यह सरकार बी. जे. पी. की है और जनता दल इसका समर्थन कर रहा है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि संयुक्त सरकार है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने दल के नेता से यह साफ कहना चाहता हूं कि संयुक्त सरकार बनाने के लिए जो काम करना चाहिये था वह सरकार नहीं कर पाई। संयुक्त सरकारों के होते हैं न्यूनतम कार्यक्रम, संयुक्त सरकारों के काम है इम्प्लीमेन्ट करने के लिए होती है कमेटियां। ये दोनों चीजें नहीं हुई इसलिए विरोधाभास तो बना रहेगा। लेकिन इसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि हम सारी दुनिया के देशों की बात जानते हैं, हम केरल के सम्बन्ध में जानते हैं, हम पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में जानते है और यूरोप की संयुक्त सरकारों के बारे में जानते हैं इसलिए मेहरबानी करके हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आलोचना करें इस सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ जिहाद बोलें लेकिन मेहरबानी करके कुछ सुझाव तो दें, कुछ बतायें तो सही। यह बिल्कुल सच बात है कि हमने कर्जा माफी का वायदा किया, यह बिल्कुल सच बात है कि हमने वृद्धों की पेंशन का वादा किया और इसमें हमने कही इधर-उधर की बात नहीं कहीं। दोनों बातें साफ थी। हम आशा करेंगे कि सरकार इन दोनों बातों को पूरा करे। लेकिन एक

(श्री राम किशन)

बात आप समझिये मेहरबानी करके कि वायदे हमारे 5 साल के हैं ये एक दिन के नहीं हैं हम एक दिन में आये और सुबह ही वायदे को पूरा कर देंगे तो आप''''तो फिर मुझे अफसोस यह है कि....माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, एक मिनट सुनिये, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी आप तो कुछ कह सकते हैं लेकिन आप तो रहिये चुप, मैं इन तीन बुजुर्गों से पूछता हूं जो मेरे साथ भी रहे हैं कि कोई घोषणा पत्र होता है महिने भर का होता है, कोई 15 दिन का होता है, यह घोषणा-पत्र हमारा 5 साल का है। और 5 साल के घोषणा पत्र में जब हम काम नहीं करें तो निन्दा के पात्र होंगे। और आप जनता में जाकर इस बात के लिए कह सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम 5 साल के घोषणा पत्र को अक्षरशः पूरा करेंगे और अगर पूरा नहीं किया तो फिर मतदाताओं के पास आप भी जायेंगे और मतदाताओं के पास हम भी जायेंगे। एक बात तो आप रखिये ध्यान।

अब दूसरा सवाल यह उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वित्त मंत्री भी हैं, आपको राजस्थान की तस्वीर पेश की है, आप हमें छोड़ कहां गये हैं, हम बिजली के पीछे हैं, हम खाद की खपत में पीछे हैं हम शिक्षा में पीछे हैं, हम सिंचाई में पीछे हैं, आप जरा बताओ तो सही हम आगे किस बात में है? हम किसी बात में आगे नहीं हैं और यही हालत हमारे देश की बनी हुई है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सुझाव दें, आप बतावें कि हम किस तरह से काम को पूरा करें। मैं कल भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी का बयान सुन रहा था। केवल वित्त मंत्री ही नहीं, अच्छे मित्र भी हैं और मैं समझता हूं मित्र के अलावा अच्छे समझदार व्यक्ति भी हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल सच है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने में निश्चित रूप से केन्द्र सरकार के कुछ प्रस्तावों का हाथ है। इसके अलावा राज्य सरकार की वितरण व्यवस्था भी दोषपूर्ण है इसलिये कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन मैंने एक बात बड़े जोर से कही, इसमें व्यापारी दोषी कहां हैं? आप श्रीमन् देखिये, जब इनफ्लेशन 12 पर्सेन्ट है, कीमतें 27 पर्सेन्ट बढ़ी हैं तो बिचौलिये इसमें दोषी हैं। निश्चित रूप से मैं राज्य सरकार को आगाह करूंगा और राज्य सरकार को कहूंगा कसने की कि व्यापारियों को कसें और कीमतों को नियंत्रण में लायें और वह नहीं लाते हैं तो अपने कर्त्तव्य से विमुख होते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिये। जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई अकेला पक्ष नहीं है। हमारे देश की जो बनावट है, इन चालीस सालों की योजनाओं से हमारे देश में चार तरह के वर्ग पैदा हुए हैं, सम्पन्न वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और गरीबी की रेखा वाला वर्ग। तो निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बजट से इन तीन वर्गों को तो कोई न कोई फायदा हो रहा है। जैसे कर्जा माफी हुई तो कुछ लोगों को फायदा हो जायगा, बूढ़ों को जो सबसे नीचा वर्ग है, जिसने कर्जा लिया पेंशन मिली तो कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा लेकिन ही नहीं, उसके? मैं तो केवल महंगाई आ रही है इसलिये, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार और आप सबसे पहले यह देखें कि जिस समाज के पास कुछ लेने को है ही नहीं, ना

(श्री रामकिशन)

जिसने कर्जा लिया है, ना जो कर्जा लेने की स्थिति में है, सबसे ज्यादा कष्ट में वह समाज है। मेहरबानी करके उसके लिये कोई न कोई रिलीफ दीजिये। अगर आप रिलीफ नहीं दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर वह मानकर चलेंगे कि हमारी सरकार की दिशा सही नहीं है।

एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने कल कहा कि आपने टैक्स किन पर लगाये और किन पर छोड़े। मैं समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह तो आपने कारीगरी की है। न किसी पर कुछ लगाया, न किसी पर कुछ छोड़ा। लेना देना कुछ है नहीं। 10 करोड़ के लगाये और 8 करोड़ के छोड़ दिये। आज इस खाते में तो केवल दो करोड़ हमें वसूल हो रहा है। कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। लेकिन आपने तस्वीर बना दी कि यह तो व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों की सरकार है? अगर व्यापारियों की सरकार है भी और व्यापारियों के लिये काम भी किया है तो मेहरबानी करके आप यह बतायें कि किस दृष्टि से इसे व्यापारियों की सरकार कह रहे हैं। यह सरकार जिनकी भी है, जैसी भी है, उसने समाज के वर्गों को छूने की कोशिश की है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, मंहगाई के लिये हमें एक सम्पूर्ण नीति बनानी चाहिये। देश में उत्पादक भी हैं और देश में उपभोक्ता भी हैं, हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि उत्पादक के पक्ष में बात की जाती है लेकिन उपभोक्ता के मामले में कुछ नहीं सोचा जाता। आज जरूरत इस बात की है कि खेती और कारखानों के दामों में जब तक संतुलन कायम नहीं किया जायेगा तब तक हिन्दुस्तान का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। हम कभी करते हैं पूंजीपति की बात, कभी करते हैं संगठित किसानों की बात, कभी करते हैं मजदूरों की बात, लेकिन उपभोक्ता रहे जाता है अलग थलग। हम उपभोक्ता के लिये जब तक कोई कार्यक्रम नहीं बनायेंगे तब तक मैं समझता हूँ, इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति सुधर नहीं पायेगी। तो मैं आपसे आखिर में इन सब बातों के साथ अब यह कहना चाहूँगा कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिये। बजट पैसों का लेनदेन नहीं है, इसका वित्तीय प्रबन्ध भी है, इसका राजनैतिक पक्ष भी है और उसके अलावा इसकी राजनैतिक विचारधारा भी है। यह तीनों चीजें जब हम मिला कर देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारी दिशा क्या है। मैं मुख्यमंत्रीजी, इस बात के लिये तो आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने बजट का घाटा कम करने की कोशिश की है। और वित्तीय प्रबन्ध को भी ठीक किया है? लेकिन राजनैतिक दिशा का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ, हमारी कोई राजनैतिक दिशा तय नहीं हुई। इसलिये आप उस दिशा में बढ़ नहीं पा रहे हो। आज जरूरत इस बात की है कि हमें टैक्स लेना है, हमें गरीबों के कर्जे माफ करने हैं, हमें बूढ़ों को पेंशन देनी है, इसके लिये पैसा कहां से आयेगा? असल में सवाल तो पैसा आने का है और हमारे पास होता और आपके पास भी पैसा होता तो इस यश को लेने की आप जरूर कोशिश करते, लेकिन पैसा लेने में चाहिये थोड़ी हिम्मत और चाहिये हमारी विचारधारा। आज इन चालीस साल के आयोजन के बाद मैं यह नहीं समझता कि गांवों में कुछ लोग सम्पन्न नहीं हुए हैं। गांवों में कुछ लोग धनी हुए

(श्री रामकिशन)

हैं। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि जब हम गांवों की बात करते हैं तो हिन्दुस्तान में केवल गांवों के उन लोगों की तरफ नजर जाती है जो सम्पन्न हो गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन योजनाओं से जो लाभ मिला है, हमें कुछ राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिये, राजनैतिक दिशा सही करने के लिये सम्पन्न किसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनके लिये भी हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी जब वह योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो वह भी समाज के विकास के लिये कुछ दें। अब इनके लिये हमें....

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या चाहते हैं, आपको किसान ही नजर आये ?

श्री रामकिशन : मैं कहना चाहता हूँ कि आज स्थिति यह है कि जो लोग खेती नहीं करते हैं, जिनका धंधा खेती नहीं है, वह खेती के नाम पर इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं। बड़े व्यापारियों ने जमीन ले रखी है, धनाढ्य लोगों ने जमीन ले रखी है, अफसरों ने जमीन ले रखी है, आप क्या उन पर इन्कम टैक्स नहीं लगायेंगे ? बिल्कुल लगाना चाहिये इन्कम टैक्स। खेती के नाम पर जो लोग काला धन कमा रहे हैं उसको निकालने के लिये हमें कोशिश करनी चाहिये और जो ऐसे लोग हैं (व्यवधान) हमें कोशिश करनी चाहिये कि उनके खिलाफ हम कार्यवाही करें। इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज आपने महंगाई की बात कह दी और कह दिया कीमतें बढ़ गई। भाई, कीमतें किन चीजों की बढ़ी हैं। कारखानों की चीजों के बारे में आपकी नजर नहीं गई। गेहूं के बारे में आपकी नजर चली गई, सरसों के बारे में आपकी नजर चली गई, लेकिन कारखानों की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। इन चालीस सालों में किसान और उपभोक्ता की जो लूट हुई है इसको दुरूस्त करने की हमने कोशिश की है। इसलिये इस पक्ष का कुछ नुकसान हो सकता है उपभोक्ता का नुकसान हो सकता है लेकिन इस दिशा में हमें जाना पड़ेगा।

मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले यह परिभाषा तय करें कि देश में लग्जरी क्या है। लग्जरी की परिभाषा तय होनी चाहिये। वह केवल राजस्थान का सवाल नहीं है, वह केवल उत्तरप्रदेश का सवाल नहीं है, लग्जरी क्या है, जैसे-जैसे विकास की गति बढ़ती जाती है, कई चीजें जिनको जरूरी समझते हैं वह एक दिन लग्जरी में आ जायेंगी और जिनको हम लग्जरी समझते हैं वह हमारे जीवन की जरूरी चीजें हो जायेंगी। जैसे आज से 25-30 साल पहले साइकिल भी लग्जरी थी, घड़ी भी लग्जरी थी, लेकिन आज साइकिल और घड़ी लग्जरी नहीं रह गई। आज मोटर कार लग्जरी है, एयर कंडीशनर लग्जरी है, विडियो लग्जरी है, रंगीन टेलीविजन लग्जरी है, अच्छा कपड़ा लग्जरी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब हमारी दिशा यह होनी चाहिये कि हमें धन चाहिये। हमें गरीबों को देनी है पेंशन, हमें कर्जे करने हैं माफ। इसलिये जो कार वाले हैं, जो कोठी वाले हैं, उन पर डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिये। केन्द्र की सरकार ने

(श्री रामकिशन)

अबकी गलती की, न मृत्यु कर लगाया, न स्टेट ड्यूटी बढ़ायी और असल में पैट्रोल वगैरह की कीमतें बढ़ाने की बजाय हमें, हमारे पास दिखती हुई चीजें थीं, उन पर टैक्स बढ़ाना चाहिये था। प्रत्यक्ष कर से ज्यादा आमदनी हो जाती और उससे हम गरीबों की ज्यादा मदद कर पाते। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लानिंग कमीशन और राज्य सरकार के सारे लोग मिल कर तय करें कि हमारे देश में लग्जरी क्या-क्या है। लग्जरी जब है तो उस पर टैक्स लगाना भी चाहिये, उसके अलावा हमारे देश का विकास नहीं हो सकता।

अभी माननीय सदस्य जो सीकर से आये थे, वह होटल के टैक्स का विरोध कर रहे हैं। वह कहते हैं गरीब आदमी सौ रुपये में आकर ठहर जाता है। आप समझते हैं सीकर से गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर आयेगा? निश्चित तौर पर ऐसा टैक्स लगना चाहिये। क्योंकि इन टैक्स के बगैर हमारे पास कोई चारा है नहीं, आपके पास भी कोई चारा नहीं है। तो मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के विकास के लिये इन सारे सवालों पर हम नये ढंग से सोचें, नये तरीके से सोचें।

एक निवेदन मुझे और करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमारी योजना का आकार बढ़ा है। और योजना का आकार बढ़ने से हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबों को काम मिलेगा। अन्त्योदय का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने कुछ खामियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सिंचाई योजनाओं पर बड़ा पैसा लगाया है। आपने अपने बजट भाषण में कहा भी है कि हमने क्षमता तो पैदा कर ली लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग नहीं हो रहा है इससे निश्चित तौर पर गांवों में नुकसान हो रहा है। हमारी बिजली की क्षमता बढ़ती है लेकिन बिजली की चोरी हो रही है। इन सब बातों को जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक हम अपने समाज के लिये कुछ ज्यादा दे नहीं सकेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। मैं इस बात के लिये आपको बधाई देता हूं। आपने कुछ आई. ए. एस. आफिसर्स को भी बंद करवा दिया। शायद यह देश में पहली घटना है। लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में आम तौर पर आप यह कहते रहते हैं "मुझे कुछ बताओ।" मेरी मुलाकात तो आपसे ज्यादा होती नहीं, पर कभी-कभी कहते हैं "मुझे बताओ।" तो मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि न चंदनमल जी को बताने की जरूरत है, न शिवचरणजी को बताने की जरूरत है, न बी. जे. पी. के लोगों को बताने की जरूरत है, इन तीस सालों में जो आप बोले हैं विधान सभा में और जिन-जिन के खिलाफ आरोप लगाये हैं और जिन जिनके खिलाफ आपने चिट्ठी लिखी है, उन्हें मंगा लो,

(९४)

(श्री रामकिशन)

उनकी आप जांच करा लीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने जांच नहीं की, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो या तो आपकी वह बात गलत थी या यह बात गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह काम आपको ही सौंपता हूँ कि पिछले वर्षों में मैंने किसी विषय पर आलोचना की है या भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, स्मरण शक्ति तो आपकी भी तेज है, आप सब चीजों को याद करके मुझे देते जायं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन सब पर कार्यवाही होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, नेता महोदय के पास बढ़िया लाइब्रेरी और रेकार्ड है, आपके पास स्टाफ भी है, मंगा कर देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे पास जो लाइब्रेरी है, जो रेकार्ड है वह मैं पण्डितजी को सुपुर्द करता हूं और आपको उनका सहयोगी नियुक्त करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पास अपना स्टाफ है।

श्री रामकिशन : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप ऐसा कह कर बच नहीं सकते। विधान सभा में आपके भाषण हैं। आपकी सैंकड़ों चिट्ठियां तो मैंने देखी हैं। हर एक के बारे में आपने लिखा है कि उसने यह कर दिया, उसने वह कर दिया। मेहरबानी करके अगर उनकी जांच नहीं कराते हैं तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार की आपकी लड़ाई अधूरी और बे-मन से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री रामकिशन : आपने विश्वास दिलाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब सवाल उठता है, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बताओ तो सही कि भ्रष्टाचार कैसे मिटाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिन समाजों में व्यक्तिगत पूंजी होती हैं वहां सम्पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि लोगों की आकांक्षा होती है कि एक के बजाय दो दो मकान बने या कार आ जाय लेकिन जब सम्पत्ति की सीमा बन्धेगी और एक आदमी का पैसा तय करेंगे, यह भ्रष्टाचार सम्पूर्ण रूप से तभी समाप्त हो सकता है। वर्तमान में जो कानून हैं उनके तहत केवल कार्यवाही करने से ही भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

एक सवाल आपने उठाया कि हमारे विकास की बाधक बढ़ती हुई आबादी है और इसके लिए आपने कोई प्रोत्साहन देने की बात भी कही है। मुख्य मंत्री जी, यह बढ़ती हुई आबादी की समस्या निश्चित तौर पर चिन्तनीय है। आपने प्रोत्साहन देने की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एशियाई देशों और हिन्दुस्तान की आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है, उसमें केवल प्रोत्साहन देकर ही आबादी को नहीं

(श्री रामकिशन)

रोका जा सकता । हमें दण्डनीय कार्यवाही भी करनी चाहिए । एक या दो या ज्यादा जितने बच्चे हैं, इसकी एक राष्ट्रीय नीति तय हो जाय कि उनके खिलाफ, क्या-क्या कदम उठाने चाहिएं, कौन-कौनसी सुविधाओं को वापिस लेना चाहिए । इस पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी । एक बात और कहना चाहता हूं । यह भ्रष्टाचार और कम सन्तान इसका एक-दूसरे से सम्बन्ध है । जितनी कम सन्तान होगी उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा क्योंकि ज्यादा संतति होगी तो सम्पत्ति का लोभ होगा । यूरोप में आबादी कम है क्योंकि सन्तानें कम हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : आपके कितनी हैं ?

श्री रामकिशन : आपसे ज्यादा नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरे से तिगुनी ज्यादा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मालूम हो जाय कि दोनों के कितनी-कितनी हैं ।

श्री रामकिशन : 6-7 हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरे से तीन गुना ज्यादा है पंडित जी के....(व्यवधान)

श्री रामकिशन : मेहरबानी करके इस मामले को फिलहाल न छेड़ें । इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां कम सन्तान होगी, निश्चित रूप से वहां भ्रष्टाचार कम होगा । क्या जरूरत पड़ेगी आदमी को आर्थिक सम्पत्ति अर्जित करने की । तो मैं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को सख्ती से अमल में लाने की कोशिश करें, प्रोत्साहन भी दें तो दण्डित भी करें । अगर यह दोनों काम साथ-साथ नहीं चले तो आबादी का विस्तार नहीं रुक पायेगा ।

एक बात यह भी है कि इस सवाल को कुछ कट्टर हिन्दुवादी धर्म के साथ जोड़ देते हैं और प्रचार करते हैं कि मुसलमान तो आबादी घटा नहीं रहे हैं । अगर हमने आबादी घटा ली तो एक दिन सारे मुसलमान हिन्दुस्तान पर राज करेंगे । इस भावना को कैसे निकालेंगे । तो मैं विशेष तौर पर हिन्दुओं, हिन्दुवादी दृष्टिकोण के लोगों से कहना चाहूँगा कि राम के कितनी सन्तानें थी । शिव और कृष्ण के कितने बच्चे थे । हालांकि कृष्ण के तो रानियां भी ज्यादा, 16 हजार थी, लेकिन पुत्रों की संख्या क्या थी ? तो मेहरबानी करके हिन्दू दृष्टिकोण के हामी हैं वे राम, कृष्ण और शिव के बारे में जानकारी करके यह कोशिश करें कि राम के केवल दो बच्चे हुए, भरत और शत्रुघ्न के भी दो-दो । एक दिन इस बात को लखनऊ में कह रहा था तो मेरे दोस्त कहने लगे कि सीता के तो इसलिए कम हुए कि वह वनवास में चली गई । तो भाई, भरत और शत्रुघ्न तो घर पर ही रहे थे । उनके भी कम थे ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे ?

श्री रामकिशन : मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र और रावण दूसरी संस्कृति के लोग थे, उनका दूसरा दृष्टिकोण था । मैं कांग्रेसियों को तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि धार्मिक भावना के सवाल पर हमें, लोगों को समझाना चाहिए । दूसरी बात जो इसमें धर्म वाली बात करते हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आबादी जीवन की रक्षा का कारण नहीं बन सकती । यह अरब देशों की तादाद और इजराइल, हालांकि मैं तो इजराइल का समर्थक नहीं, लेकिन अरबों की कितनी तादाद है और इजराइल की हालत क्या है । इन दोनों बातों को जोड़ कर दण्ड देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए, आबादी को कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और अगर कोशिश करते हैं तो विकास की गति को तेज ले जायेंगे ।

श्री शिवचरण माथुर : राज चला जायेगा ?

श्री रामकिशन : चला जाय राज, लेकिन यह तो राष्ट्रीय नीति तय होनी चाहिए । राज जाये या नहीं जाये । हम इसके पक्ष में हैं कि चाहे हमारा राज चला जाय....

श्री शिवचरण माथुर : आबादी को कम करने के लिए दण्ड देने वाली बात कर रहे हैं पंडितजी । यह मत कहना कि राज चला जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी यदि विचार करके कहे कि इसको रोकने के लिए क्या कानून बनाने की आवश्यकता है । आप अपना विचार रखिये ।

श्री सम्पतसिंह : सबसे बढ़िया बात तो यह है कि वानप्रस्थाश्रम जाने की जो उम्र हमारी तय थी वह लागू कर दी जाय ।

श्री रामकिशन : एक निवेदन, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के विकास के बारे में करना है । हम राजस्थान के विकास की बात करते हैं उस समय शायद भूल जाते हैं कि राजस्थान का कौनसा हिस्सा ऐसा है जो इन 40 सालों में निरन्तर विकास के मामले में महरूम रहा है । मैं कोई क्षेत्रीय भावना से नहीं कह रहा हूँ लेकिन हमारी योजना का एक लक्ष्य यह भी है कि हम क्षेत्रीय असन्तुलन नहीं होने देंगे । आपके बजट और पिछले बजटों को आप देखेंगे तो जो नियोजन होता है पूँजी का, चाहे राजस्थान नहर हो चाहे चम्बल का विकास हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, हमारे राज्य की पूँजी का एक बड़ा हिस्सा उनमें लगता है । लेकिन जो हमारे लिए कर देने वाले इलाके हैं धौलपुर, भरतपुर, अलवर और कोटा भी हैं लेकिन कोटा को चम्बल का लाभ मिल रहा है, हमारी स्थिति यह है, सभापती जी, मैं किसी विरोध के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन क्षेत्रीय असन्तुलन दूर होना चाहिए इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा ।

एक हमारे लिए दिक्कत और खड़ी हो गई है । एक तो बन गया ताजमहल । शाहजहाँ ने किस दृष्टि से बनाया था यह

(श्री रामकिशन)

तो वह जाने, बीबी से प्यार था या इतिहास में नाम करना था यह तो वह जाने, लेकिन हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो गई है कि जब हम किसी कारखाने की बात कहते हैं तो कह देते हैं कि ताजमहल पर असर पड़ जायेगा। दूसरा, भरतपुर में लग गई चिड़िया। अब हमारे समस्या खड़ी हो जाती है कि चिड़िया भाग जायेगी। चाहे आदमी मर जाय लेकिन चिड़िया रहनी चाहिए और शाहजहाँ का प्यार जिन्दा रहना चाहिए।

श्री सम्पतसिंह : वह भरतपुर की नहीं है, बाहर से आती है चिड़िया।

श्री रामकिशन : तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए हमें उद्योगों की तलाश करनी चाहिए। धौलपुर, भरतपुर, अलवर को यह लाभ मिल गया है कि पिछड़ा जिला घोषित कर दिया इसलिए हमारे मुकाबले में वहाँ काम ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हमारा यह सम्पूर्ण इलाका बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और अब आपको धौलपुर ने शरण नहीं दी है, आप विजेता नहीं पहुँचे हैं, धौलपुर में तो भगोड़ा, जैसे कृष्ण द्वारका पहुँचा था तो मथुरा से ज्यादा द्वारका का प्यार रहा। मैं यह तो नहीं कहता कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धौलपुर का विकास निश्चित रूप से होगा।

श्री रामकिशन : धौलपुर नहीं, भरतपुर। धौलपुर का कौन कहता है श्रीमान् जी ? अन्यथा आपको भगोड़ा निश्चित रूप से दूसरी तरह का कहूँगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वी राजस्थान में यह समस्या है इसके बारे में सोचे। मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूँ आज हमारे इलाके में कुछ है ही नहीं। जब रियासतें थीं, हमारे पास सिंचाई का प्रबन्ध था वह प्रबन्ध नष्ट हो गया हमारे यहां कुछ बना नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान के अहित की दृष्टि से नहीं, लेकिन नेतृत्व कितना कमजोर रहा है कांग्रेस का कि आसाम के विकास के लिए विशेष फण्ड दे सकते हैं, पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष फण्ड दे सकते हैं, लेकिन आप लोग इन 40 सालों के राज्य में रेगिस्तान के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग-अलग व्यवस्था कर लेते तो राजस्थान के विकास की गति बहुत ज्यादा तेज होती। आपने एक बात कह कर सारे कष्ट को निवारण करने की कोशिश की कि हमारा भूगोल और हमारा इतिहास हमारे विकास में बाधक रहा है। यह सही बात है कि हमारे विकास में बाधक रहा है लेकिन हमारे भूगोल ने हमारी कुछ मदद भी की है। इस वक्त राजस्थान में 10% जमीन सारे देश की हमारे पास है और आबादी है 5% यांने प्रति व्यक्ति होल्डिंग हमारी ज्यादा है। तो अगर भूगोल ने नुकसान किया है तो फायदा भी किया है। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि भूगोल के फायदे को हम सही ढंग से नहीं रख सके और आज अपने वित्तीय साधनों से हम रेगिस्तान के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान का विकास कर सकें यह असंभव

(श्री रामकिशन)

है। इस सवाल को हम नये ढंग से लें। आपने लिया भी है, इन चीजों को रखा भी है लेकिन जिस प्रकार से हमें और जोरदारी से रखना चाहिए वैसे नहीं रखा तो राजस्थान दिवालिया हो जायेगा। रेगिस्तान का विकास होगा नहीं और पूर्वान्चल हो जायेगा बरबाद। इसके बारे में आप गम्भीरता से चिन्तन करें, गम्भीरता से सोचें।

मैं आपसे इन बातों के साथ और एक बात कहना चाहूँगा। आपके योजनाओं के आकार में तो बढ़ोत्तरी हुई है, और आपने कहा कि बढ़ोत्तरी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह सच बात है कि बढ़ोत्तरी हुई है, रकम भी हमें ज्यादा मिली हैं, लेकिन हमारी समस्यायें जिस तरह की है, जिस तरह की समस्यायें खड़ी हो रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए हमें योजना के स्वरूप को दुबारा निर्धारित करना चाहिए।

आज राजस्थान के कुछ हिस्सों में पशु पालन का महत्व है। आप एक बात कहते हैं कि सरसों का उत्पादन बढ़ रहा है, बिलकुल बढ़ा है सरसों का उत्पादन, और कहीं पर चने का भी बढ़ा होगा। लेकिन आपने उसका दूसरा संकट नहीं देखा कि सरसों का उत्पादन तो बढ़ गया पर भरतपुर में चारे का अकाल पड़ गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इलाकें सरसों पैदा करते हैं, उन इलाकों में चारे के प्रबन्ध के लिये कुछ चारा बैंक बनाना चाहिए। पहले फसल के टाइम पर यू. पी. से, हरियाणा से सस्ता चारा लेना चाहिए। अन्यथा हुआ क्या है ? हमारे यहाँ के किसान हैं, बरसात तो हो नहीं रही है, केवल वे सरसों पैदा करते हैं, पशु उनके पास हैं। नतीजा यह होता है कि सरसों से जो दो पैसे ज्यादा मिलते हैं वे चारे में चार पैसे ज्यादा निकल जाते हैं।

हमें जरूरत इस बात की है कि हम नये ढंग से इन सारे मामलों की समीक्षा करें। वैसे आपने जिक्र भी किया है कि हम हर तरह से समीक्षा करेंगे। नया ढग देखेंगे। हमारी योजनाओं का आकार, हमारी योजनाओं की दिशा आज से 40 साल पहले तय हुई थी। उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। हमारी भौगोलिक स्थिति भी बदली है, हमारी पृष्ठभूमि भी बदली है। इसलिए हमें नये ढंग से सोचना चाहिए।

एक हमारा मेवात विकास बोर्ड बनाया हुआ है, उसका उपयोग क्या है ? केवल उसका नाम रख दिया, बजट में कुछ नहीं। आज जो गोली चली थी, आज जो लोग मरे थे, आप जाकर देखें कि मेवात राज्य की क्या हालत है। कई इलाकें बिलकुल पिछड़े हुये हैं, आवागमन का साधन नहीं हैं, पानी का प्रबन्ध नहीं हैं। इसलिए मेहरबानी करके आपने जो बोर्ड बनाया है उसको जरा सक्षम बनायें और उसके लिए किसी तरह का प्रावधान करें। किसी न किसी प्रकार से सारा इलाका भरतपुर की तहसील के मुकाबले में कम में कम आ जायें। हमें राज्य में सन्तुलन लाना हैं।

(श्री रामकिशन)

हमें केन्द्र से संतुलन कायम करना है और जिले के भीतर भी संतुलन पैदा हो जाये इस प्रकार की निगरानी रखनी चाहिए विकास योजनाओं के मार्फत ।

मैं आपसे इन शब्दों के साथ यह निवेदन कर दूँ कि अब दो बातों पर मेहरबानी कर के सोचें। हमारी दिक्कत यह है कि हम जनता दल के हैं और हमारी पहचान बनी हुई है बूढ़ों की पेंशन के नाम पर। हमारी पहचान बनी हुई है कर्ज माफी के नाम पर। मैं मानता हूँ कि आपकी मजबूरी हैं, कई तरह की मजबूरी हैं, और आप जब जवाब देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप क्या जवाब देंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में आप भी हिस्सेदार हैं। आप यह कह देंगे कि माननीय श्री मधुदण्डवते जी ने वहां यह लिखा है, आप यहां पर यह कह रहे है।

मैं यहां यह मानने वाला नहीं हूँ। अगर माननीय मधुदण्डवते जी ने गलती की हो, तो माननीय श्री भैरोंसिंह जी भी गलती करें जरूरी नहीं है। अब यह समस्या आपके सामने है, यह समस्या सदन के सामने है, हम सब लोग हैं, अगर ये वायदे पूरे नहीं होते हैं तो कल यह बात नहीं होगी कि हम चुनाव हार जायेंगे। चुनाव तो जीतते रहते हैं और हारते रहते हैं लेकिन राजनीति में वाणी की कीमत समाप्त हो जायेगी। हमारी बात की कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए मेहरबानी करके बूढ़ों को पेंशन दें और बूढ़ों के पेंशन के साथ ही साथ कर्ज माफी के मामले में जब तक आप कोई सक्षम कदम नहीं उठायेंगे तब तक यह भ्रम बना रहेगा, और एक गलती आप क्यों करते हैं? इनके बोलने की हिम्मत नहीं हैं। माननीय चन्दनमलजी का तो मुंह नहीं खुलता। यह क्या पच्चास-साठ लाख रुपये का घाटा कर दिया है कि आपने कह दिया कि मवेशियों पर टैक्स लगा रहे हैं, क्या हुआ, राजस्थान में इतने बड़े कर से? मेहरबानी करके कृपया आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और निश्चित तौर पर हमें...

एक माननीय सदस्य : इस पर पुनः विचार करने के लिए आदेश आ गये हैं।

श्री रामकिशन : आपको पहले पता लग गया। तो बहुत बढ़िया है, आ गया तो पालन हो जायेगा। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर आप पुर्नविचार करें। बूढ़ों को पेंशन और कर्ज माफी के लिए अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वित्तीय स्थिति है, उसमें इन सभी बातों के लिए अगर कहीं पर कोई कठिनाई भी है, तो उसके लिए आपको केन्द्र के पास दुबारा जाना चाहिए। और असल में ये वायदे तो केन्द्र के हैं। हमने दिक्कत यह खड़ी की है कि हमने हरियाणा की नकल कर ली। हमारे उद्योग तो हरियाणा से पीछे हैं, हरियाणा छोटा-सा

(श्री रामकिशन)

राज्य था और उसके किये वायदों से सारा देश व्यवस्था से एक तरह से जिम्मेवार बन गया। अब वायदे तो हो गये। अब वायदों से पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं है। कल जो माननीय सदस्य तिजारा से आये हैं और जो नौखा से आये हैं, उनकी जो भावना है, ठीक वैसी ही भावना जनता दल की है। यह मामला बहुत गम्भीर है, इसलिए किसी भी तरह की व्यवस्था करें। और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जो बी. जे. पी. के हैं, उनकी भी यह भावना है कि इस मामले की कदर होनी चाहिए। जो बात कही गई है उसका पालन होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे इस पर विचार करें। बजट के नाम पर ना कोई कटौती होती है और ना कोई ख्याति होती है। यथा स्थितिवादी जैसी हैं, और यथास्थितिवादी से निकलने के लिए हमें कार्यों की जरूरत है। लेकिन जब हम योजना नहीं बनायेंगे तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ेगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, जो कि वित्त मंत्री भी हैं और बजट पेश किया है, उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज उन जैसा व्यक्ति ही इस प्रकार का बजट बना सकता है, जिनको हर गांव की समस्या का पता है, जिनको हर क्षेत्र की समस्या पता है, जिनको हर वर्ग की समस्या का पता है, जो गरीब का दर्द जानते हैं, जो किसान का दर्द जानते हैं जो मजदूर का दर्द जानते हैं - जो राजस्थान की सारी की सारी आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से परिचित हैं - इस प्रकार का बजट बनाने का कार्य उन जैसा आदमी ही कर सकता है बजट बनाते समय इन्होंने कुटीर उद्योगों का भी ध्यान रखा है बजट बनाते समय इन्होंने मजदूरों का भी ध्यान रखा। बजट बनाते समय इन्होंने छोटे उद्योगों का भी ध्यान रखा। बजट बनाते समय यह भी ध्यान रखा कि किस प्रकार से रोजगार के अन्दर वृद्धि होगी। बजट एक प्रकार से आर्थिक प्रगति की नीति का द्योतक है। यह बात गलत है कि बजट राजनीतिक दिशा नहीं देता है। यह बजट राजनीतिक दिशा भी देता है।

इस बजट से पता चलता है कि सरकार गरीबों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, कितना भाव रखती हैं और यह भी पता चलता हैं कि इससे विलासिता की जो वस्तुएं हैं, एक माना हुआ सिद्धान्त हैं कि किसी देश को प्रगति करनी है, तो उसे अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने कैपिटल अकाउन्ट के अन्दर खर्च करना चाहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे गरीबों के असेट्स बढ़ाने के लिए खर्च करने चाहिए।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

(2.28 म. प.)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर जो व्यय होता है, वह कम से कम करना चाहिए। इस प्रकार से सारी जो बातें हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मैं दूसरी बधाई माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात पर देना चाहता हूँ कि बीसों वर्षों से यह बात चल रही है कि प्रशासनिक व्यय बढ़ रहे हैं। सरकार के अन्दर प्रशासनिक खर्चे बढ़ रहे हैं। सच बात तो यह है कि आजादी के बाद से प्रत्येक सरकार ने कभी भी इन बातों पर ख्याल किया नहीं कि प्रत्येक कार्यक्रम के अन्दर प्रशासनिक खर्च बढ़ता जा रहा है। और जो भौतिक कार्यक्रम का हिस्सा है, उस पर खर्चा इन कारणों से घटता जा रहा है और इन कारणों से जो भौतिक कार्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए वे उपलब्ध हो नहीं रहे हैं। बातचीत में चर्चा बहुत करते रहे हैं और पिछले दस वर्षों से यह चर्चा आगे चलती रही हैं, परन्तु कभी कभी एक प्रकार से ठोस कार्यक्रम या ठोस स्टेप नहीं उठाये गये हैं। कभी चाहा तो सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की एक कमेठी बना दी कि प्रशासन के अन्दर व्यय कैसे कम हो सकता है। इस बारे में ध्यान दिया जायें। उन लोगों ने गलत सोचकर बहुत सारी पोस्टें क्रिएट कर दीं। वर्कचार्ज पर आदमी लगा दिये। मस्टररोल पर आदमी लगा दिये, जिन लोगों की मनमानी चली उन्होंने खर्चा बढ़ाया। सभी तरह की और सारे उपयोग की वस्तुओं पर उन अधिकारियों के लिए आपने काम दे दिया तो, वह मितव्ययिता नहीं।

यह पहला कदम है राजस्थान के अन्दर, मैं तो कहता हूँ, हिन्दुस्तान के अन्दर, एक नोन ऑफिसियल्स की समिति, जिसके अन्दर विशेषज्ञ भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं उन लोगों की कमेटी बनाई है और बड़ी खुशी की बात है–इस कमेटी के द्वारा तीस करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष मिव्ययता होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले सालों के अन्दर इससे ज्यादा मितव्ययता होगी। माननीय मुख्यमंत्रीजी मेरी यह सलाह माने कि इस प्रकार की एक कमेटी परपीच्युअली काम करनी चाहिए। इस प्रकार की कमेटी का नाम चाहे मितव्ययता समिति रख दीजियेगा, मितव्ययता कमीशन रख दीजियेगा, चाहे प्रशासनिक सुधार आयोग बना दीजियेगा इसका, क्योंकि लोग-बाग निरन्तर इस तरह की कमेटी को अपनी बात कहेंगे और वह कमेटी सरकार को कह सकेगी, मितव्ययता का बराबर परपीच्युअली एक माध्यम होगा। मैंने भी इस मितव्ययता समिति को करीबन एक दर्जन सुझाव दिये हैं। यदि यह मितव्ययता समिति कायम रहती है तो बाद में और ध्यान में आयेंगे लोगों को, जनता के लोगों को ध्यान में आयेंगे, जन प्रतिनिधियों के ध्यान में आयेंगे और सरकार बराबर किसी न किसी कार्यक्रम की घोषणा करेगी, उस कार्यक्रम पर भी ध्यान आयेगा कि इस कार्य-

(109)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

क्रम के अन्दर प्रशासनिक व्यय ज्यादा हो रहा है तो बताया जा सकेगा। इस प्रकार से जो बढ़ते हुए प्रशासनिक व्यय की एक भावना होती है उस पर बराबर कन्ट्रोल रहेगा। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को योजना के आकार के मामले में भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आठवीं योजना का सारा का सारा कार्यक्रम, सारी की सारी प्रक्रिया बनाना पिछली सरकार ने शुरू कर दिया था परन्तु पिछली सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आठ सौ करोड़ से ऊपर चली जाय। क्योंकि न तो उनके अन्दर विश्वसनीयता थी प्लानिंग कमीशन की, न वह अपनी आय के स्रोतों को अच्छी तरह समझ पा रहे थे, न वह रिसोर्सेज की पोजीशन को ढंग से समझ पा रहे थे, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत खराब थी। उस बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। परन्तु आते ही इन्होंने 956 करोड़ रुपये की योजना का जो आकार बनाया है इसके लिए जितनी सराहना की जाय वह कम है। खास तौर से इस बात के अन्दर कि इतनी जल्दी कौन से रिसोर्सेज हमें उपलब्ध हो सकेंगे, इस पहले वर्ष के अन्दर ही अन्दर और रिसोर्सेज के अन्दर प्लानिंग कमीशन के द्वारा अपने अन्दर विश्वसनीयता प्राप्त करा लेना और उसको उनसे स्वीकार करा लेना, 956 करोड़ रुपये का जो बजट है यह बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाय वह कम है।

मैं बजट की दूसरी बातों के बारे में चर्चा करूँ कल माननीय बैदजी ने डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर और नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर के बारे में यहां पर चर्चा की थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उस बात को सदन के समक्ष रखने के लिए। उन्होंने कहा कि डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर के अन्दर तो वृद्धि होनी चाहिए और नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यह बड़े सिद्धान्त की बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बात की तो सराहना करनी चाहिए, कोई भी कह देगा। परन्तु जरा ध्यान दीजियेगा इस पुस्तक पर 1988–89 के अन्दर डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर 1985 करोड़ रुपये का था और 1989–90 के अन्दर 1759 करोड़ रुपये का, 25 करोड़ रुपये का डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर कम हुआ, यह पिछले शासन की उपलब्धि है। जबकि पिछले वर्ष से इस वर्ष अनुपात के अन्दर पिछले वर्ष 1959 करोड़ का है और बजट एस्टीमेट 2296 करोड़ का, इस प्रकार 538 करोड़ रुपये की डवलमेंट एक्सपेन्डीचर में वृद्धि हुई है। पिछले साल से पिछले साल की तुलना के अन्दर, जो पिछली सरकार थी उसके अन्दर डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर में 25 करोड़ रुपये की कमी।

नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर की भी जरा स्थिति देख लीजियेगा। अव्वल तो नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर की इस प्रकार की स्थिति पिछली सरकार छोड़ कर गई है जिसके तहत जो ग्रेड्स, जो पे-स्केल और जो अन्य सारी चीजें उन्होंने मंजूर कर दी हैं उनका कमिटेड एक्सपेन्डीचर है। हम

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चाहे कितनी ही मितव्ययता कर लें–कितनी ही पोस्ट कम कर दें, और सब चीजों में कर दें, परन्तु जिन लोगों से यह कमिटमेंट हो गया वह कमिटमेंट तो पूरा करना पड़ेगा। वह कमिटमेंट प्रोग्रेसिवली इन्क्रीज होता है। परन्तु जरा स्थिति देखियेगा–1988-89 और 1989–90 के बीच के अन्दर जो नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर के अन्दर इन्क्रीज हुआ है वह 148 करोड़ रुपये का है जबकि पिछले वर्ष और इस साल के अन्दर नॉन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर के अन्दर सिर्फ 74 करोड़ रुपये का है। यह सारा का सारा 74 करोड़ केवल मात्र कमिटेड एक्सपेन्डीचर है। मैं समझता हूँ, थोड़ा सा होम वर्क नहीं किया तो यहीं पर पढ़ लिया होता, इस ब्रीफ को ही देख लिया होता तो इस प्रकार के आब्जर्वेशन्स नहीं आते।

यहां पर दूसरी बात कल भी कही गई और आज भी कही गई, महंगाई के बारे में। यह सच है कि महंगाई सब चीजों के अन्दर बढ़ रही है परन्तु थोड़ा देखना होगा कि महंगाई क्यों बढ़ी है। अभी-अभी माननीय रामकिशनजी ने भी बात कही थी, मैं उसी के आधार पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जून, 1989 के अन्दर रिजर्व बैंक की तरफ से 7778 करोड़ रुपये की लिमिट थी कि उससे ऊपर डेफिसिट फाइनेन्सिंग नहीं हो सकती। उस समय भारत सरकार दस हजार करोड़ का डेफिसिट कर चुकी थी और दिसम्बर के अन्दर, जिस समय वह घट नहीं रहा था, घटने का वायदा किया गया था, वह बढ़ रही थी, कि उस बजट के अन्दर खेल-तमाशों पर एक बहुत सारी सीरिज चालू कर दी। फ्रांस का नाचना-गाना होगा, अमेरिका का नाचना-गाना होगा और इस प्रकार की जमूरी होगी, इस प्रकार की सेन्ट्रीनरी होगी। हमारी डेफिसिट फाइनेन्सिंग चल रही है, बढ़ रही है सुरसा के मुंह की तरह से, और उस वक्त के अन्दर ही वह दस हजार से ग्यारह हजार हो गई और वह कमिटेड लाइबलिटीज की वजह से आज की तारीख के अन्दर चौदह हजार बन गई। यदि 14 हजार करोड़ रुपये का एक डेफिसिट है जिसके रिजर्व बैंक नोट छाप देता है तो उसके आधार पर इन्फलेशन होता है और उसके आधार पर महंगाई कौन रोक सकता है? जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी हालत यह है कि वह इस समय इतनी न्यूनतम है कि करन्ट जो हम आयात कर रहे हैं, जिस आयात को लिबरलाइज कर रखा है उसका पेमेन्ट हम नहीं कर सकते और यदि उसका पेमेन्ट नहीं कर सकते तो बाहर से डीजल और पैट्रोल कहां से मंगा सकते हैं? और बाहर से डीजल, पैट्रोल नहीं आयेगा तो कोई भी सरकार होगी तो उसको डीजल और पैट्रोल के या तो भाव बढ़ाने पड़ेंगे या सप्लाई कम करनी पड़ेगी। अन्यथा कौन सा तरीका है? हां, तरीका है जो पिछली सरकारें काम में लेती रही हैं। आई. एम. एफ. से, वर्ल्ड बैंक से और लोन ले लीजियेगा। एक लाख बीस हजार रुपये का हमारा सारा का सारा विदेशी कर्जा हो गया और आई. एम. एफ. से किस प्रकार का लोन ले लीजिये, अपने आप को बन्धक रख दीजिये उनके पास! वह कहेंगे कि हमको सरकार के अन्दर यह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बदलना होगा, हमारी नीतियों के अन्दर यह बदलाव लाना होगा, हमको इससे लड़ना होगा, हमको इससे झगड़ना होगा, सारे के सारे आई. एम. एफ. के जितने प्रतिबन्ध हैं उन प्रतिबन्धों को मानते चले जाइये, अपने देश को बाहर के लोगों के पास बन्धक रख दीजिये और उनसे पैसा ले लीजिये और फिर आयात कर लीजियेगा। यदि हम आज खाने का तेल बाहर से आयात नहीं कर सकते, खाने के तेल का भाव बढ़ेगा। यदि हम पैट्रोल और डीजल आयात नहीं कर सकते, फिर यदि उसकी कीमत बढ़ा दी गई तो निश्चित है कि सारी की सारी दूसरी जो उपभोक्ता वस्तुएँ हैं, उन सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुओं के भाव ऊपर जायेंगे। पिछले दस वर्ष की अकर्मण्यता और नासमझी से इस देश को कर्जे के अन्दर डुबो दिया गया है, देश की फॉरेन एक्सचेंज को बरबाद कर दिया गया है। सारे, इन फ्लो और आउट फ्लो की गति को बदल दिया गया है। और इतना सारा डेफिसिट फाइनेन्सिंग कर दिया गया है। आज हमारे सामने स्थिति यह है कि दो ही तरीके हैं। हम फिर पुराने तरीके से और कर्जा लेने लग जाय या फिर दूसरा तरीका है–कुछ सालों तक हमको थोड़ी सी कठिनाई से गुजरना होगा, हमको थोड़ा सा सेक्रिफाइस करना होगा इन चीजों को, जो थोड़ी सी परेशानी है इन परेशानियों के दौर से गुजरना होगा। उसके बाद में निश्चित है जिस प्रकार से भारत सरकार या राजस्थान सरकार दोनों की दोनों अपनी आर्थिक नीतियों पर सुदृढ़ता के तरीके से, बहुत संयम के साथ, बहुत अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह जो कठिनाई है यह कठिनाई थोड़े दिन की है।

मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का और आभार प्रकट करना चाहूँगा और उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के पहले हम लोगों ने बराबर गांव के लोगों को यह बात कही थी कि जो भी खर्चा आज हो रहा है, सारे का सारा शहरों में हो रहा है। इस दिशा को हमें गांव के अन्दर मोड़ देना है और उन्होंने अपने बजट के अन्दर जैसा वायदा किया था, 60 प्रतिशत गांवों की ओर देने के लिए, वह उन्होंने दिया है। परन्तु....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आई. ए. एस. अफसरों के साथ क्या हुआ यह तो बताओ।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्या हुआ साहब ? सुन लीजिए जरा, फिर समझ में आ जायेगा। यह जरा मुश्किल बात है, आपकी समझ में नहीं आयेगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं स्वयं गांव से आया हूँ, मेरी जिन्दगी के पहले बीस वर्ष गांव में गुजरे हैं सारे पढ़ाई-लिखाई के, उसके बाद से मैं शहर में हूँ। परन्तु जब मैं शहर में हूँ, मेरे मन की भावना के अन्दर बड़ा क्रोध पैदा होता है, शहर के अन्दर 24 घण्टे में एक घण्टे पानी नहीं आये तो परेशानी है, शहर के अन्दर हर छठे महीने के अन्दर डामर रोड चाहिए, हर छठे महीने के अन्दर बिजली के अन्दर कोई न कोई प्रकार की तब्दीली चाहिए, छोटी-छोटी शादियों के अन्दर, बहुत छपा छप बिजली चमकती

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रहती है और गांव के आदमी को एक छोटे से 12 हजार के हैण्ड पम्प के लिए तरसाते रहते हैं। गांव के आदमी ने 14-14 साल पहले बिजली की फाइल लगायी हुई है लेकिन उसको बिजली नहीं मिल पा रही है। मेरे थानागाजी में 12 पंचायत हैड क्वार्टर पर सड़क नहीं है। यद्यपि वहां एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी है। ऐसे पचासों गांव हैं जिनमें बरसात के दिनों में न गाड़ी पहुंच सकती है, न ऊंट गाड़ी पहुंच सकती है, न घोड़ा पहुंच सकता है, सारा इस प्रकार का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अन्दर सारी परेशानियां हैं। हमें एक आशा की किरण लगी है कि अब 60 प्रतिशत खर्च गांवों पर होगा।

पं. रामकिशनजी ने एक बात यहां पर कही मैं· उनके शब्दों को यहां पर दोहरना चाहता हूँ। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा कि पूरे राजस्थान के अन्दर अकाल हो, न यह सोचता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में कभी अकाल पड़े, परन्तु तथ्य सामने हैं कि वहां अकाल पड़ने के कारण बहुत सारे काम हुए हैं। यह भी तथ्य है कि पूर्वी राजस्थान का राजनैतिक वर्चस्व नहीं रहा, पूर्वी राजस्थान की घोर उपेक्षा रही है, राजनैतिक कारण से रही है। यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि भिन्न-भिन्न प्रकार की प्लानिंग पर रकम खर्च हुयी, उनमें पूर्वी राजस्थान को छोड़-कर दूसरे क्षेत्रों को लाभ हुआ है। उन तथ्यों के आधार पर निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम ने बजट समीक्षा के अन्दर यह मालूम किया कि सारे देश के अन्दर राजस्थान शिक्षा के अन्दर 14 वें नम्बर पर है और पीने के पानी में 10 वें नम्बर पर है और फलां क्षेत्र में 20 वें नम्बर पर है। कृपा करके हरेक पंचायत समिति के बारे में यह भी बता दें, यह सब मौजूद है हमारे आर्थिक साख्यिकी निदेशा-लय में दिखवा लें कि आज से तीस साल पहले थानागाजी का आर्थिक सूचकांक क्या था और आज क्या है। दूसरी पंचायत समिति, तहसील का नाम नहीं लेना चाहता, 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, उनकी आर्थिक सूचकांक क्या था और आज क्या हो गया। मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है।

मैं यह तो नहीं चाहता कि जिनकी प्रगति हो रही है, उनकी रुके या धीमी की जाय, उनकी प्रगति जिस गति से चल रही है उस गति से चलनी चाहिए पर हमें भी उसके साथ ले चलिए। इसलिए जब हम 60 प्रतिशत खर्च की बात करते हैं, गांवों के लिए, बात करते हैं कि इरिगेशन के अन्दर जैसी बात कही गयी है कि पुराने काम चल रहे थे उन्हीं कामों को देखा जायेगा, तो हम तो फिर रह जायेंगे। मेरे क्षेत्र में 25-30 वर्षों से देख रहा हूँ, वहां पर किसी भी चीज के अन्दर विकास की किरण ही नहीं पहुँची है, कभी-कभी मन में आता है कि इतने लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं भी सवाल उठाना चाहता हूँ लेकिन सवाल उठाऊं तो किस चीज का उठाऊं। न सड़क बनी है, न

(श्री रमाकान्त शर्मा)

नहर बनी है, न बांध बना है न एनीकट बना है। ऐसी-ऐसी जगह है जहाँ पर 60–70 विद्यार्थी तीन किलोमीटर दूरी पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। प्राइमरी स्कूल भी नहीं है ऐसी पंचायत समितियों की स्थिति है। जो भी नेता किसी भी कारण से वहां पर जाता रहा है उनका यह आब्जरवेशन रहा है कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। हां भाई पिछड़ा क्षेत्र तो है, अब आप कुछ करिये। तो इस प्रकार के जो उपेक्षा के क्षेत्र रह गये हैं उसमें यदि पी. डब्ल्यू. डी. ने निर्णय लिया, जैसा मैंने सुना है, कि जो सड़क अधूरी है वही पूरी करेंगे, यदि इरिगेशन ने यह निर्णय लिया कि जो बाँध चल रहे हैं उन्हीं का काम चालू करायेंगे, तो फिर यह 60 प्रतिशत की बात है वह निरर्थक हो जायेगी। यह केवल मात्र कागजों में रह जायेगी, यह केवल मात्र बजट का आभूषण बनकर रह जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अन्दर असमानता को दूर करते हुए 60 प्रतिशत का उपयोग किया जाय तो सारी की सारी जनता माननीय वित्त मंत्री-जी की, माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत बहुत आभारी होगी।

मैं आपके समक्ष बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। बिजली के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है, 238 करोड़ रुपये, जो कि बजट का 24·9 प्रतिशत है, जो सर्वाधिक प्रतिशत है, यह उसके लिए एलोकेशन है। होना भी चाहिए, जो बिजली, सड़क, पानी और सिंचाई यह चार ही हैं, ग्रामीण विकास के साधन, यह चारों ही हैं आर्थिक विकास की चीज, यदि इन चारों चीजों पर ध्यान दिया जाय, प्रत्येक क्षेत्र में यह चार चीजें मिल जायें तो चमन कर सकते हैं सारे देश को, चमन कर सकते हैं हमारे राजस्थान को भी। परन्तु हम 238 करोड़ इस प्रकार के संस्थान को देते रहे जो संस्थान किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जो यह कहता है कि हमारी तो स्वायत्तशासी संस्था है और सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार हम को कोई हुक्म नहीं दे सकती है। स्वयं का अनुशासन यह है कि जूनीयर इंजीनियर क्या कर रहा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए एक्स. ई. एन. या चेयरमेन कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका रख रखाव इतना खराब है कि जरा सी दो बूंद पानी आ जाता है तो सारे गांव की, शहर की, बिजली बंद हो जाती है। मुझे सारे संसार के देशों को देखने का मौका मिला है, इस प्रकार की हालत कहीं भी नहीं है। न पूर्व में देखी न पश्चिम में देखी, साल में 9 महीने जहाँ बारिश बरसती रहती है, जहां 9 महीने बर्फ पड़ती है वहाँ बिजली नहीं बंद होती है, यहां थोड़ी सी आँधी आ जाये, थोड़ी सी बारिश आ जाये, बिजली बंद हो जायेगी अच्छे अच्छे संस्थानों में, हास्पिटल में आपरेशन हो रहा है तो उनकी बला से आदमी मर जाये, इसका कारण उनका खराब रख रखाव है, इसका कारण उनकी कुप्रबन्ध व्यवस्था है। हम 238 करोड़ रुपया या इससे भी ज्यादा करोड़ रुपया उनको देते रहे और हम कुप्रबन्ध को नहीं रोक सके और खास तौर पर उनके यहां पर कोई मैनेजमेण्ट इन्फोर्मेशन ही नहीं है। एक आदमी आया था मेरे पास कि मेरी तो बिजली कट गयी डेढ़ वर्ष हो गया फिर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

भी मेरे रोज बिल आ जाते हैं। आज बिजली का बिल आ गया जबकि डेढ़ साल पहले बिजली कट गई है। इसलिए जो कुछ करना है वह करिए ना। हर महीने अपने कम्प्यूटर कागज को क्यों खराब करते हो ? कुछ प्राप्ति करने की कोशिश करो।

मै एक बात और बताना चाहूंगा। इंडियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट का बड़ा डर दिखाया जाता हैं जनता को कि इस एक्ट के अन्दर तुम्हारे घर पर खम्बा डाल देंगे, तुम दूसरी मंजिल नहीं चढ़ा सकते हो हमारी लाइन जा रही है, हमारा अधिकार है। उस एक्ट के अन्दर यह भी लिखा हुआ है कि वोल्टेज 6 प्रतिशत से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता है। नीचे गिर जायेगा तो उपभोक्ता को अधिकार है, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड वालों को डाक में खड़ा करके उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। 6 प्रतिशत का अर्थ यह है कि यहां पर 230 वोल्ट होना चाहिए वहां पर 216 तक आ सकता है, परन्तु आ जाता है गांव के अन्दर 140 से 130 या 170 तक का वोल्टेज उसकी वजह मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आज तक राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के द्वारा संचालित बिजली है उनमें लाइन लोसेज 26 प्रतिशत हैं। इण्टर नेशनल स्टेण्डर्ड है 6-7 प्रतिशत का इंडियन स्टेण्डर्ड, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, वह है 20–21 प्रतिशत, पर राजस्थान के अन्दर है 26 प्रतिशत। अगर एक प्रतिशत की कमी भी कर दी जाय तो 50 करोड़ का फायदा होता है और इंडियन स्टेण्डर्ड पर आ जायें और 6 प्रतिशत घण्टा दें तो 300 करोड़ की बचत होगी, लाभ होगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारी 132, 220, 66, 33, के. वी. की लाइन्स हैं इन लाइन्स के जो लोसेज हैं तो वह हैं जो स्वीडन के हैं या अमेरिका या जर्मनी के हैं जो लाइन लोसेज हैं असली वह तो वह है जो कि हम 11 के. वी. से लेकर 440 के अन्दर ट्रान्सफर करते हैं और 440 से घरों और कुओं को देते हैं। वह ऐसे हैं जिसको चेयरमैन से लेकर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ध्यान देता होता तो दो चार जगह मीटर लगाकर देखता, 11 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन है, वहां से लेकर 400 के ट्रांसफार्मर पर ट्रान्सफर हो रहा है उसके बीच में मीटर लगाकर देख लें कि कितना नुकसान हो रहा है। उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह यह है कि ट्रान्सफार्मर जो लगाया जाता है वह 25 के. वी. का है और उस पर लोड 44 के. वी. का हो जाता है। करण्ट बढ़ जाता है और वोल्टेज घट जाता है।

श्री सभापति : इन सारी बातों को आप विभागीय बहस होगी, तो कह दें।

श्री रमाकांत शर्मा : समाप्त हो गया। करंट बढ़ जाता है और, वोल्टेज घट जाता है, उस समय लाइन लोसेज बढ़ जाते हैं। लोगों की मोटरें, हजारों रुपये की मोटरें जल जाती हैं।

यहां पर माननीय रामकिशोर जी और माननीय जगमाल सिंह दोनों ने मेवात बोर्ड की बात उठायी। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आयें, पधारें मेरे थानागाजी क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में, और उसकी गरीबी

108.

(श्री रमाकान्त शर्मा)

को देखें। मैं चाहता हूं कि मेवात बोर्ड बना रहे, परन्तु मेला बोर्ड भी बन जाना चाहिये और इस प्रकार के कई बोर्ड बन जाने चाहिए राजस्थान के अन्दर, जहां-जहां पिछड़े इलाके हैं। यदि सारे के सारे ऐसे बोर्ड बनते हैं तो मैं बहुत ही इस बात की तारीफ करूंगा, परन्तु एक जगह पर किन्हीं लोगों की सन्तुष्टि और उनके तुष्टिकरण के लिये बोर्ड बन जाय और दूसरे उसी प्रकार के लोग भूखे बैठे रहें, तो वहां की जनता यह मंजूर नहीं करेगी।

बातें तो मेरे पास बहुत हैं, परन्तु मैं तो अनुशासनप्रिय हूं। आप जो मुझे फर्मा रहे हैं, दो बातें एक ही सैण्टेंस के अन्दर निवेदन कर देना चाहता हूं। शामियाने पर लीज की जो बात है, गरीब आदमी कोई शामियाने नहीं लगाता है। गांव के अन्दर लगाते भी हैं तो सारा का सारा दो हजार या तीन हजार में लगता है। जयपुर में मैंने शादियां अटैण्ड की हैं जहां 10-10 लाख रुपये के शामियाने लगते हैं। यदि उन पर इस प्रकार का कर लगता है, जो एक आर्थिक नीति का सिद्धान्त हैं, जहां जहां भी इस प्रकार के उपभोग खर्च हो रहे हैं उनको रोकिये। तभी जाकर हम आर्थिक प्रगति कर सकेंगे।

लास्ट में बात यह है कि परिवार नियोजन अत्यन्त आवश्यक है। हमारा सारा दिमाग, हमारी सारी मुस्तैदी के हाथ हमको इस बात में लग जाना चाहिए, मैं राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि पांच बच्चों की मां को इसेण्टिव देकर बर्बाद मत कीजिएगा। आज तक हम सारा का सारा जितना खर्चा करते आ रहे हैं उसके अन्दर 90 पर्सेन्ट जो खर्चा होता है वह पांच बच्चों की, छः बच्चों की मां को पैसा देकर हम बर्बाद कर देते हैं। इस बारे में विचार कीजिए कि किस प्रकार चलाना है, 7-8 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होते हैं, जिससे हम वास्तव में आबादी के ऊपर कण्ट्रोल कर सकें। पिछले दस वर्षों के अन्दर हमारी आबादी में वृद्धि जो 2·31 पर्सेण्ट चल रही है, उसमें हम जरा-सी भी कमी नहीं ला पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बजट भाषण को सुनकर मेरे को यह महसूस हुआ कि किसान वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है और विशेषकर गंगानगर जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वर्तमान में सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं—गंगानगर जिले के पण्डितजी हैं, केबिनेट मंत्री हैं, इन लोगों के आदेशों से हमने गांव-गांव में जाकर ढाणियों-ढाणियों में जाकर पिछले 15 सालों में एक ही काम किया है, वह है आन्दोलन। किसानों की समस्याओं को लेकर हम आन्दोलन करते रहे। जन सम-

(श्री रामप्रताप कासनिया)

स्याओं के लिए हमने 15 सालों से कभी तो माथुरजी की कब्र खोदी, कभी शिवचरणजी की खोदी, कभी जोशीजी की खोदी और कभी पहाड़ियाजी की कब्र खोदी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, हालात ऐसे दिखाई दे रहे है, हालांकि मैं सत्ता पक्ष में अपने आप को भागीदार समझता हूं क्योंकि मैं समर्थन करता हूं इस सरकार का पर मेरे को लगता ऐसा है कि कहां मुख्य मंत्री जी की कब्र हमें दुबारा नहीं खोदनी पड़े।

श्री रामनारायण वर्मा : अन्तरात्मा की आवाज पर आइये।

श्री रामप्रताप कासनिया : अन्तरात्मा की आवाज तो है, पर जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं, आपने तीन-चार महीने में क्या किया। अभी पण्डित रामकिशन जी कह रहे थे, पांच साल के लिए हमने वायदे किये हैं, पांच साल में पूरा करेंगे। पांच साल में चार महीने बीत गये, कुछ तो हिस्से में आता, कुछ तो घोषणा करते आप। हमारे गंगानगर जिले के अन्दर जमीन बेचने पर पाबन्दी लगी हुई है। यह सवाल पिछले 15 सालों से उठाया जा रहा है, परन्तु कांग्रेस सरकार के तो कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अभी आज ही माननीय श्री डूंगरराम जी ने एक प्रश्न दिया था, उसका जवाब आ गया, "नहीं, हो नहीं सकता।"

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गंगानगर जिले की तरफ आकर्षित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। कुछ समस्याएं थोड़े में ही बताना चाहता हूँ, बाकी तो हम सिर से पैर तक समस्याओं में ही जकड़े हुए हैं, इतनी समस्याएं हैं। हमारे तीन प्रोजैक्ट हैं— इन्दिरा गांधी नहर, भाखड़ा और गंग कैनाल। तीनों के अलग-अलग नियम बने हुए हैं। एक ही जिले में तीन तरह के कानून बना रखे हैं। समस्याओं के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमने आन्दोलन लड़ा था, मांग पत्र बनाया था उसमें यह मांग की थी कि मोती राम कमेटी की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाये।

दूसरा, खुशहाली टैक्स, जमीन की बिक्री की मंजूरी, पक्के खालों की कीमत ऐगमैण्टेशन, स्टाम्प ड्यूटी सर चार्ज टैक्स, भूमि बेचान पर लगी रोक और पैनल्टी आदि किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया जाय। यह भाषण वर्तमान में सत्ता पक्ष में जो नेतागण बैठे हैं उन्होंने चुनाव के वक्त में दिये थे और आन्दोलन लड़ते वक्त भी दिये थे। इसके अलावा विशेष आवंटन के नाम पर जो आवंटन हो रहा है, उस तमाम अलाटमैण्ट को रद्द करके भूमिहीन किसानों को मुफ्त में जमीन दी जायेगी। शायद वह अलाटमैण्ट तो अभी नहीं हुआ, पर भूमिहीनों को जमीन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई इस सम्बन्ध में। भावों के उतार-चढ़ाव की मार से किसान को बचाया जायेगा तथा किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य गारण्टी से दिया जायेगा, यह भी वायदे हम लोगों ने किये थे। ट्यूबवेल सिंचित व लिफ्ट से सिंचित भूमि में जो सिंचाई कर लगता है, भारी रकम लगती

(श्री रामप्रताप कासनिया)

है, उसको भी माफ करने के लिए हमने वायदा किया था। बिजली के जो बढ़े हुए टैक्स थे, उसको रद्द करने के वायदे भी हमने किये थे। तमाम बकाया पड़े ट्यूबवैल्स को शीघ्र ही कनेक्शन दिया जायेगा, यह भी वायदा हम लोगों ने किया था। डीजल, कीटनाशक दवाइयाँ, खाद तथा कृषि उपकरणों, यंत्रों को पंजाब और हरियाणा की तरह टैक्स से मुक्त किया जायेगा, यह बात भी हमने बड़े जोरदार शब्दों में उठाई थी, चुनाव के वक्त में भी और आन्दोलन के टाइम भी। किसानों तथा मजदूरों के 10 हजार तक के तमाम कर्जे माफ किये जायेंगे। पाकिस्तान की सीमा पर बसने वाले लोगों को पंजाब की तरह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

आज बार्डर एरिया में बसने वाले लोगों ने लाइसेंस मांगे तो कलक्टर और एस. पी. लाइसेंस से मना कर रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए खुद के पैसे से लाइसेंस नहीं बना सकते, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? यह कानून कांग्रेस के टाइम से ही लागू है, किन्तु आप यह मत समझें कि हम दोषी नहीं हैं। सब दोषी हैं।

इसके अलावा बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन बेरोजगार पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता हरियाणा की तरह दिया जायेगा। यह भाषण कर-करके हम लोगों ने वोट लिये थे। परन्तु कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, न कोई पेंशन लागू हुई विधवाओं की, न बूढ़ों की और न जवानों की। जब हम गांवों में जाते और भाषण करते तो बूढ़े यह सोचते थे कि भई, महीने में 100 रुपए मिलेंगे और 100 का नोट जेब में रखूंगा तो पोता कहेगा, "दादा चाय पियेगा?" इस तरह के सपने लोगों के मन में थे। 200 रुपये महीने औरत और पुरुष को मिल जाये तो 200 रुपये में उसका काम चल जाय। खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कपड़ा, कुछ तो जरूरत की चीजें उसको 200 रुपये में मिल सकती है। परन्तु वह सपना मेरे को पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। अभी पण्डित रामकिशन जी जैसे कह रहे थे, पांच साल बाकी पड़े हैं, शायद हो जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में रिक्त पदों पर अविलम्ब भर्ती की जायेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था की जायेगी। देहात के अन्दर यह हालत है कि आप एक भी स्कूल देख लीजिए, किसी स्कूल के अन्दर आपको पूरे मास्टर नहीं मिलेंगे। 10 पदों की जहां जगह है वहाँ पर आपको दो टीचर या तीन टीचर से ज्यादा देहात में नहीं मिलेंगे बताओ कैसे पढ़कर नौकरी लगेंगे? कोई भी टीचर जो है, वह अपना स्थानान्तरण शहर में चाहता है देहात के अन्दर क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि देहात के अन्दर उसको सुविधा मिले तो टीचर देहात में भी जाने के लिये तैयार हो जाये। गंग लिंक कैनाल तथा फीडर, सिद्धमुख नहर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जायेगा। गंग लिंक कैनाल का काम तो हो रहा है और नोहर फीडर का काम धीमी गति से ही चल रहा है। इसके अलावा सन् 1955 के पूर्व के काश्तकारों को। मुरब्बा

(श्री रामप्रताप कासनिया)

भूमि निःशुल्क व एक मुरब्बा 16 हजार 800 रुपये में व बाकी बचे रकबे को उसके बालिग पुत्रों को अलग इकाई मानकर सीलिंग सीमा तक भूमि 16,800 प्रति मुरब्बे के हिसाब से दी जायेगी। यह भाषण भी हमने पूरे जोर-शोर से किया था। यह लड़ाई पिछले 15 साल से लड़ते आ रहे हैं परन्तु इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। कृषि उपज मण्डी के धन को केवल देहातों में आवागमन के रास्तों के विकास पर खर्च किया जायेगा परन्तु 50 परसेंट ही कृषि उपज मण्डी की आय का अभी तक देहातों में खर्च नहीं होता है, पता नहीं वह पैसा कहां चला जाता है।

गंगानगर जिले के महाविद्यालयों को राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किया जायेगा। यह भी वायदा हम लोगों ने किया था। गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज खोले जायेंगे यह भी वायदा किया था चुनाव के वक्त में। इसके अलावा पिछले किसान आन्दोलन में जितने भी किसानों पर झूठे मुकदमें बने थे वह वापिस लेने के लिए वायदा किया गया था। पिछले सत्र के अन्दर मैंने यह सवाल उठाया था तो जवाब यह आया कि ज्यादातर मुकदमें जो हैं अदालतों के विचाराधीन हैं। सिमरनजीतसिंह मान जैसे व्यक्तियों पर से मुकदमें वापस लिये जा सकते हैं और किसानों के झूठे मुकदमें भी हम वापस नहीं कर सकते हैं बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 15 सालों के अन्दर चाहे भारत बन्द के दौरान मुकदमें बने हों चाहे रास्ता रोको आन्दोलन के अन्दर बने हों जितने भी मुकदमें किसानों पर बने जो 5-5, 6-6 और 10-10 साल से तारीखें भुगत रहे हैं। यह सरकार के लिये कोई खर्चे वाली बात नहीं है अगर यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य चाहें तो बिल्कुल यह हो सकता है। यह जो आन्दोलन हम लोगों ने लड़े वह कोई अकेले जनता पार्टी ने नहीं लड़े इसमें भारतीय जनता पार्टी भी सहभागी है, सी. पी. एम. और सी. पी. आई भी है, सब पार्टियों ने मिलकर प्रोग्राम बनाकर यह पिछले 15 सालों में एक ही रटन रटते रहे और किसानों के मन में यह सपना संजोया कि कब कांग्रेस का राज जाये और कब विपक्ष का राज आये और हमारी समस्याओं का समाधान हो। किसानों का एक सपना तो पूरा हो गया, कांग्रेस का राज तो विदा कर दिया पर पिछले 3 माह से इस सरकार की तरफ आस लगाये हुए बैठे हैं कि कोई हमारी समस्या का समाधान हो, परन्तु एक भी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। जैसे बेचान होने पर पाबन्दी लगी हुई है। इसके बारे में जिक्र कर रहा था, सरकार के बजट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है सिवाय कलक्टर के जेब में पैसे जाने के सिवाय कोई सरकार को न लोस है और ना प्रोफिट है। जो जमीन अपनी बेचता है, पुरानी खातेदारी जमीन है, उसको कलक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जिसको मोरेसी जमीन है वह पुलिस स्टेशन में जाये प्रमाण-पत्र लेने के लिये, कलक्टर के पास जाओ, जगह-जगह चक्कर काटो, "9 रु. का नारा 100 रु. का खा गया चारा।" किसी व्यक्ति ने 9 रुपये में बैल खरीदा था, चारे का भाव तेज था, 100 रुपये का उसको चारा डालना पड़ा।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

आखिर में उसकी गर्दन में से सांकल निकाल कर उसको छोड़ दिया । मेरे कहने का मतलब यह है कि 9 रुपये का नारा और 100 रुपये का खा गया चारा, तो उस जमीन को मन्जूरी लेने के अन्दर किसान की बहुत ज्यादा लूट होती है अतः इस लूट को समाप्त किया जाये ।

इसके अलावा जितने भी कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और जन-प्रतिनिधियों को जब वह कोई गांवों में जाते हैं तो किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के और सारे अन्य लोग कहते हैं कि भाई लोगों आपने जो वायदे किये थे वह वायदे कब तक पूरे करेंगे ? जनता अब समझ रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कार्यकर्त्ताओं और जन प्रतिनिधियों ने धोखा किया है । ऐसा गाँवों में लोग महसूस कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उपरोक्त तथ्यों का बजट भाषण में जिक्र तक नहीं किया गया है, गंगानगर जिले का किसान कांग्रेस के शासनकाल में जितना दुखी था उससे ज्यादा वर्तमान सरकार से है । अगर उपरोक्त पूरी नहीं की गयी तो किसान आन्दोलित होने पर मजबूर हो जायेंगे ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : राहत देंगे ।

श्री रामप्रताप कासनिया : राहत दोगे तो बिल्कुल हम डटकर आपका समर्थन करेंगे, मर जायेंगे तो नहीं जायेंगे । छोटी-छोटी और बातें है, पिछले 15 सालों से हमारे यहां घग्घर नहर डाइवर्शन चैनल है। जिससे घग्घर नहर के डिप्रेशन में पानी भर करके हमारे सूरतगढ़ और पीलीबंगा के सैंकड़ों गांव तबाह हो गये हैं इसके लिए भी हमने बहुत बार आन्दोलन किये हैं । भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्र जी, श्री शिवचरण माथुर भी मौका देखकर आये थे । श्री जोशीजी भी आये थे और जनता पार्टी के टाइम में प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा ने भी एक दफा हमारे किसानों को घरों का मुआवजा दिया था, 400 कुछ घरों का । उसके बाद में आज तक कोई भी काम वहां पर नहीं हुआ । हमारे गांव की हालत इतनी दयनीय है कि जिस किसान के हजारों मन अनाज पैदा होता था आज वह दर-दर की ठोकर खाता है, इस सरकार की गलत नीतियों से घूमता फिर रहा है न खाने के लिये अनाज है, न पशुओं के लिए चारा है और न रहने के लिए घर है । इंजीनियर लोग स्कीम्स बना लेते हैं और हर साल करोड़ों रुपये वैसे ही खर्च कर देते हैं ।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आइन्दा घग्घर प्रोजेक्ट के अन्दर पैसा खर्च किया जाय, कोई स्कीम लागू की जाय तो हमारे जिले के जन प्रतिनिधियों की उसमें राय अवश्य ली जानी चाहिये । इंजीनियर 3–4 करोड़ रुपये डिप्रेशन नम्बर 16 से आगे 3–4 करोड़ रु. लगा रहे हैं । उससे हमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है अगर वह पैसा पीछे की तरफ खर्च किया जाय तो हम लोगों को

(श्री रामप्रताप कासनिया)

राहत मिल सकती है। यह समस्या गम्भीर है। मैं पूरे सदन के आगे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि हम वहां सेम से बिलकुल दुखी हैं, हाथ जोड़ कर कहता हूं, कोई नाटकवाली बात नहीं है। पिछले 15 सालों से हम दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे है, आप वहां जाकर मौका देख लीजिये मैं बिलकुल सही बता रहा हूं। यह इंजीनियर्स यहां बैठे हुये गलत रिपोर्ट देते हैं, यह कहते हैं कि नहरों से सेम है, मगर हम सरकार की स्कीम से तबाह हुये हैं, प्राकृतिक प्रकोप से नहीं हुये हैं। सरकार ने हमारे सिर पर मौत का साया खड़ा कर रखा है। पिछले 20 सालों से दूसरी तरफ लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और हमारे यहां 50-50 फीट डिप्रेशन में भरकर हमारे सिर पर मौत का साया खड़ा कर रखा है। वह पानी दूसरी जगह पीने के काम में ले सकते हैं, सिंचाई के काम में आ सकता है, कोई लम्बी चौड़ी स्कीम नहीं हैं, 10-12 करोड़ रुपये में हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, सरकार को हजारों लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, सरकार को सिंचाई पर कर मिलता था करोड़ों रुपये का सरकार का नुकसान हुआ। उस पैसे से हमारी समस्या का आज तक समाधान हो सकता था, हमारे ही पैसे से। अगर पैसा बिल्कुल ही नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी वहां पर जमीन है उसकी माली रकम आप मत लीजिए। हमारे नाम से लोन लेकर के हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक पैसे पूरे नहीं हो हमारे से न माली रकम ली जाये और न सिंचाई कर लिया जाये। सरकार बिल्कुल ही भूखी है। 15-20 सालों से यह कांग्रेस वाले लोग लूट-लूटकर खा गये हमें। मच्छियों के पैसे ले लिये। डिप्रेशनों के अन्दर कम से कम करोड़ों रुपये की मच्छियां होती हैं। हर साल जो सम्बन्धित मंत्री था और वहां के जन प्रतिनिधि जो थे वह सब पैसे लेते थे। पिछले दिनों अभी मच्छियों के लिये पानी डिप्रेशनों में छोड़ा गया है। मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री चीफ इंजीनियर को यह चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि कम से कम पचास हजार रुपये लेकर के पानी छोड़ा है डिप्रेशनों में। वह मच्छियां जो नीचे बैठ जाती हैं। बिना पानी के मच्छी ऊपर नहीं आती तो शिकारी उसको पकड़ नहीं सकते। यह बार-बार पैसा देकर उन डिप्रेशनों में पानी छोड़कर मच्छियों को पकड़ते हैं और सिंचाई इंजीनियर अपनी जेब में पैसे रखते हैं।

अब काफी समय हो गया है। मैं आखिर में एक बार इस सदन से फिर निवेदन करता हूं कि हमारी समस्या जो है बहुत गम्भीर समस्या है। इस समस्या पर पूर्णतया आप ध्यान देकर हमें बचा लीजिए। मैं सारे सदन के आगे हाथ जोड़कर के यही निवेदन करता हूं। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री महावीर प्रसाद जी जैन (अनुपस्थित)

माननीय प्रोफेसर सांवर लाल जी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का पहला बजट जो पेश हुआ है माननीय भैरों

(श्री सांवर लाल)

सिंह-जी शेखावत जो वित्त मंत्री भी है उनके द्वारा जिन परिस्थितियों में, जो हालात हमें मिले उन हालात को मद्दे नजर रखते हुए जो बजट रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं बजट में सरकार का दृष्टिकोण झलकता है। दो चीजें प्रमुख होती हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेण्डीचर। शासन। की रीति-नीति क्या है, किससे पैसा लेना है साधन जुटाने हैं और कहां पर उस साधन का विनियोजन देना है। माननीय वित्त मंत्री ने जो रिसोर्सेज जुटाये हैं और जो रियायतें दी हैं, मेरे ख्याल से हर तबके को राहत देने का उन्होंने प्रयास किया है। छोटी-छोटी जो वस्तुएं हैं, कपड़े, साड़ियां, सिव-इयां, पढ़ाई की सामग्री, जिनके ऊपर पूर्व हुकूमत ने कभी विचार नहीं किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें राहत देकर अपनी हमदर्दी का परिचय दिया है। योजना आयोग ने पहली बार 161 करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजना स्वीकार करके केन्द्रीय सरकार का हमारे प्रति जो दृष्टिकोण है, राजस्थान के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है यह मैं कह सकता हूं।

हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा था, किसानों के कर्जे माफी का। कर्जा माफी के लिए हमने यह नहीं कहा था कि उसमें कोई शर्त होगी। शर्त डाल दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान इन शर्तों के होते हुए कर्ज माफी का लाभ नहीं उठा सकते। यह शर्त खतम की जानी चाहिए। चूंकि ओवर ड्यू जो शब्द है यह बड़ा पेचीदा शब्द है। कोआपरेटिव के जो लोन्स हैं वह कन्वर्ट होते रहते हैं इसके कारण वास्तविक जो लाभ मिलना चाहिए इससे उन्हें नहीं मिल पायेगा इसलिए यह शर्त वापस लेकर सभी प्रकार के जो कर्ज हैं दस हजार रुपये तक के माफ किये जाने चाहिए।

इसी प्रकार बुजुर्गों को पेन्शन। इसके साथ ही पढ़े लिखे नौजवानों के साथ-साथ मैं एक अहम सवाल और जोड़ना चाहता हूं कि हम केवल पढ़े लिखे लोगों के बारे में ही क्यों चिन्तित होते हैं? हमारे देश की जो हालत है, कृषि की जो स्थिति है। करोड़ों नौजवान गांवों के अन्दर बेरोजगार हैं जो पढ़ नहीं पाये हैं, शासन ने जिसने हुकूमत की है उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं तो उनके बारे में भी सोचा जाये। जो स्वरोजगार योजना है, राजस्थान सरकार भी अपने स्तर पर इस प्रकार की योजना शुरू करे जिससे पढ़े-लिखे नौजवानों को भी कुछ नियोजन अपना शुरू करने का सहारा मिले। अनपढ़ जो नौजवान हैं वह भी हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, उनके साथ भी इन्साफ होना चाहिए। उनका भी अधिकार है। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि एक साथ कुछ नहीं हो सकता है परन्तु पांच साल का हमारा समय है। इस समय में नियोजित ढंग से अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जिस मतदाता ने हमारे ऊपर विश्वास करके, हमारे बड़-बड़े नेताओं के ऊपर विश्वास करके जो समर्थन दिया है, जिसके बल-बूते पर हम यहां बैठे

(श्री सांवर लाल)

हैं तो निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप जो हमने वायदे किये हैं उन वायदों को पूरा करने का हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही विक्रय कर को इन्होंने सरल किया है माननीय मुख्यमंत्रीजी ने तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही जो विवेक निर्धारण के आधार पर असेसमेंट का सवाल था उसके बारे में वह संशोधन करने के इच्छुक हैं। यह स्वागत योग्य कदम है। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान एक बहुत बड़ा तबका है। धारा 91 के अन्तर्गत प्रावधान है पचास गुना पैनल्टी कर दी जाये। बहुत बड़ा विवेक दिया हुआ है। इसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाये। तीन महिने की सजा कर सकते हैं। यह तहसीलदार और सम्बन्धित अधिकारियों के ऊपर है कि अपने विवेक को किस स्तर पर, कहां उपयोग करें इसमें कोई भी कण्डीशन नहीं है। निश्चित रूप से इसको किसी न किसी प्रकार से इस तरह से समायोजित किया जाये जिससे उसका निरंकुश निर्णय उस गरीब किसान के ऊपर हावी नहीं हो।

इसी प्रकार बीसलपुर जो योजना है जो अजमेर ब्यावर, किशनगढ़ शहरों को पानी देने की बनाई गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां से यह पाइप लाइन गुजरती है उस पाइप लाइन के आस-पास जो गांव हैं, बहुत दूषित पानी है, लोग पानी पी-पीकर कुबड़े हो गये। पूर्व हुकूमत ने कभी भी जांच नहीं करवाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के पीरियड के अन्दर उस पानी की जांच हुई और डाक्टरी रिपोर्ट हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जहां से पाइप लाइन गुजरती है उन आस-पास के गांव वालों को यह पानी दिया जाये। बांध बनाते हैं गांव बनाते हैं गांव वालों की कीमत के ऊपर। गांव उजड़ जाते हैं उनको मुआवजा देकर भेज दिया जाता है। बेघरबार कर दिया जाता है। सिंचाई नहीं होती है उस पानी से। पानी पीने के लिए शहर में उपलब्ध करवाया जाता है। इसको हमारे क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आस-पास के गांव वालों को पानी दिया जाये, यह मेरी मांग है।

राजस्थान सरकार ने सिंचाई के ऊपर काफी पैसा खर्च करने का प्रावधान रखा है, परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुपात है 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग गांवों के अन्दर रहते हैं। परन्तु रेश्यो जो प्रपोशनेटली डिवाइड किया गया है 40 करोड़ के लगभग और 39 करोड़ जो शहरों के लिए किया है, यह अनुपात मैं उचित नहीं मानता हूं। चूंकि गांवों के अन्दर पानी का संकट बहुत गम्भीर है। इसलिए निश्चित रूप से यह जो पैसा है इस पैसे का कम से कम 60 प्रतिशत जो है गांवों के अन्दर खर्च किया जाये। चूंकि जब हम यह कहते हैं कि गांवों के विकास के लिये 60 प्रतिशत रूपीज हम खर्च करेंगे तो 60 प्रतिशत पानी की सुविधा के लिये भी गांवों में खर्च किया जाये।

बिजली की यह हालत है कि पच्चीस हजार कनेक्शन दिये जायेंगे यह क्यों दिये जायेंगे 25 हजार, 33 हजार गांव हैं राजस्थान के अन्दर 1100 नये गांवों को

(श्री सांवर लाल)

विद्युतीकरण किया जा रहा है। क्या आप यह महसूस करते हैं कि यह कनेक्शन पर्याप्त है। आज तक रूलाती रही है कांग्रेस हुकूमत। अब जब किसानों के हमदर्द बनने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान के कुएँ पर जनरेटर नहीं लगा सकते हैं, वहां पर वह अपनी व्यवस्था नहीं कर सकता है। इसलिए कुओं के कनेक्शन बढ़ाये जायें। बिजली के जो रिर्सोसेज हैं, ज्यादा से ज्यादा गांवों के अन्दर गांव वालों को कुओं के ऊपर कनेक्शन दिलवाने के लिये किया जाये तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करेंगे जिससे हमारे गांवों के अन्दर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि उस सुविधा का लाभ राष्ट्र को मिलेगा किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सबकी इसमें भागीदारी होगी चुँगी इन्होंने माफ की है। नये उद्योग कोई लगाते हैं अच्छा माल कोई ले जाते हैं स्वागत योग्य कदम है परन्तु हमारे उन किसानों का क्या दोष जो माल मंडी में ले गये उनको चुँगी माफ कर दें तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। चुँगी उनके ऊपर माफ करने से कोई विशेष फर्क व्यापारियों के नहीं पड़ता किसानों के फर्क पड़ेगा। मेले के अन्दर जो इन्होंने फीस बढ़ाई है दो रुपये जो प्रवेश शुल्क लगाया है माननीय शेखावत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक छोटी सी रकम राजस्व पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हम किसानों के हिमायती बनते फिरते हैं। गांवों के अन्दर, मेलों के अन्दर जवाब देना भारी पड़ जायेगा। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी रवन्ना फीस बढ़ाई गयी है उसको वापस ले लिया जाये और जो प्रवेश शुल्क है उसको भी वापस ले लिया जाये। अजमेर जिले की कुछ समस्याओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब अजमेर का विलीनिकरण किया गया था तो बहुत बड़ा यह आश्वासन अजमेर की जनता को दिया गया था कि आपका यह शहर और जिला हम सर माथे पर रखेंगे। परन्तु हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से विलीनिकरण हुआ है किसी प्रकार की सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश या प्रयास इस हुकुमत ने उस शहर के लिए नहीं किया। अजमेर के जो आफिसेज हैं रेवेन्यू बोर्ड ले लीजिए शिक्षा बोर्ड ले लीजिए, सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग ले लीजिए, पी. एस. सी. का ले लीजिए कई बार आवाज उठती है कि इनको यहां से हटा दिया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर राजधानी बनने वाली थी उस समय क्या परिस्थितियां रही परन्तु इसको रोक दिया गया। आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार डी.पी.ए.पी. की स्कीम हमारे यहां ब्यावर खंड के अन्दर लागू होती है। अजमेर जिले की हालत पूरे की, जो मानदण्ड है उसके लिए हमारी डी.पी.ए.पी. स्कीम से पूरे जिले के लिए लाभ के लिए आप सर्वे करवा लीजिए मेरा निवेदन है इस डी.पी.ए.पी में लाभ पूरे जिले को दिया जाये। अजमेर की तरफ रेगिस्तान बढ़ रहा है। शासन की स्पष्ट नीति होनी चाहिए हम चाहते हैं कि मरूस्थल रूके इसके लिए अजमेर के पड़ौस में पुष्कर शहर है। पुष्कर पर भी रेगिस्तान की छाया रही है अगर इसको नहीं रोका गया तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से यह बढ़ता जायेगा। अगर रेगिस्तान बढ़ा तो

(श्री सांवर लाल)

हमारी होने वाली स्थिति है उसके लिए हम कल्पना कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कुल मिला कर जो प्रयास हमारे वित्त मंत्री जी ने किये हैं, मुख्यमंत्री जी ने किये हैं अपने दृष्टिकोण से जो परिस्थितियां है उसके अनुरूप किये हैं परन्तु हमने जनता से बहुत बड़े-बड़े वायदे किये हैं। जनता की आकांक्षा के अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्रीजी को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जो वायदे हमने किये हैं उसके अनुरूप हमें कर्ज माफ करने चाहिए। बुजुर्गों को पेन्शन देनी चाहिए। इसके साथ ही गांवों के अन्दर जो स्कूल खोली हैं पिछले वर्ष इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और पहले जो स्कूलें खुली हैं चुनाव के टाइम में भाइयों ने खोली इन्होंने वह स्कूलें वहां खोल दी जहां बच्चे नहीं हैं ऐसी स्थिति में जो गांव वास्तव में पीड़ित है, जहां पर आवश्यकता है स्कूल होनी चाहिए सैकेण्डरी होनी चाहिए हायर सैकेण्डरी होनी चाहिए यह प्रावधान होना नितान्त आवश्यक है इसका भी प्रयास होना चाहिए। महा विद्यालय का जो प्रोवीजन रखा गया है सिर्फ दो महा विद्यालय राजस्थान में खोलने का प्रावधान है तो यह भी उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कम है। मैं तो यही कहूंगा कि एक महाविद्यालय हमारे क्षेत्र में खोल दिया जाये क्योंकि वहां पर कोई महाविद्यालय नहीं है। यह पहली शुरूआत है। किसानों के कुओं का बीमा किया जाये यह एक स्वागत योग्य कदम है परन्तु जो किसानों से आधा बीमा प्रीमियम लिया जाता है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों से किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं लिया जाये। सरकार अपने स्तर पर कुओं का बीमा करवाये, खुदवाये और पानी हो जाये तो उसके ऊपर वह चाहे तो सिंचाई टैक्स के रूप में ले ले परन्तु इस प्रकार से किसानों से प्रीमियम की वसूली नहीं की जाये।

माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सभी पक्षों को छूने की कोशिश की है। हर तबके को उसमें राहत दी है। जयपुर शहर का मुख्य जो व्यवसाय है वह हीरा जवाहरात का है उसके ऊपर जो उन्होंने कर माफी की जो घोषणा की है यह स्वागत योग्य कदम हो सकता है परन्तु पूर्णतया जो माफ किया है इसमें दर नहीं दी हुई है कि पहले कितनी थी इसमें कमी की जा सकती थी।। पूर्णतया माफ करना न्यायोचित मैं नहीं समझता हूँ। चूंकि एक ओर जो हालत हमारे प्रदेश की जनता की गांव वालों का जैसा कि हमने लगान माफ नहीं किया। लगान एक सामान्य रेवेन्यू है कोई विशेष इन्कम सरकार को नहीं होती है तो किसानों को इस तरह से सुविधायें इस बजट में प्रदान कर दी जाती तो निश्चित रूप से किसानों के अन्दर एक भावना जाग्रत होती कि वास्तव में इन लोगों ने हमारे लिए जो-जो यह कर सकते हैं करने का प्रयास किया है। मैं यही कह सकता हूँ कि जो किसानों के लिए आवश्यक बातें है उनके ऊपर पुर्नविचार किया जाये। रवन्ना की जो बढ़ाई गयी दरें हैं उनको वापस लिया जाये। लगान माफी भी हो सकती है। एक गम्भीर समस्या है

(118)

(श्री सांवर लाल)

गांवों के अन्दर कोई भी व्यक्ति या डॉक्टर ले लीजिए, अच्छा शिक्षक ले लीजिए जाना नहीं चाहता है यह हमारी कमजोरी रही है कि हमने कभी भी गांवों में जाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन किसी कर्मचारी या अधिकारी को नहीं दिया है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों में सेवा करे और गांवों की ओर लोग जाये इसके लिए ग्रामीण भत्ता उन लोगों को चालू किया जाये। विशेष ग्रामीण भत्ता दे दिया जाये तो निश्चित रूप से लोग गावों की तरफ अट्रेक्ट होंगे।

बजट हर साल बनाते आये हैं। बजट यहां हम बैठ कर बनाते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बनाते हैं परन्तु बजट का इम्पलीमेन्टेशन तो होता है वह अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों, को गांवों में लगाया जाये जिससे वह गांव वालों का भला सोचे, उस पैसे का मैक्जिमम प्रयोग करें यह नहीं कि जिस प्रकार से पहले कहा जाता था कि 100 में से 15 रुपये पहुँचते हैं अगर हालत हमारी यही रही तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीण रुझान वाले, गांव की सोचने वाले, गरीबों की सोचने वाले, गरीबों की सोचने वाले जो-जो अधिकारी है उन अधिकारियों को गांवों की सेवा के लिए लगाया जाये तो निश्चित रूप से हमने जो बजट के अन्दर प्रपोजल रखे हैं, जो हमारा पैसा है, सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है वह गाँवों में जायेगा उसका उचित फायदा गांव वालों को मिलेगा। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि तकनीकी शिक्षा के लिए कोई न कोई संस्था चाहे आई.टी.आई. हो, पोलीटैक्निक हो इस प्रकार की संस्थायें राजस्थान में नयी खोली जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, ट्रेण्ड होकर नौकरी नहीं लगेगी तो निश्चित रूप से अपना व्यवसाय शुरू करके जीवन यापन कर सकते हैं। मैं यही ध्यान आकर्षित करते हुए कि कम से कम किसानों के कर्जों में किसी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए और जो स्वीकारित कर्जे हैं वह कर्जे पहले ब्याज में समायोजित नहीं किये जाये पहले मूल रकम उसकी जमा की जाये उसके बाद में अगर पैसा 10 हजार से कम है तो ब्याज के अन्दर समायोजित किया जाये। बुजुर्गों की पेन्शन के लिए सोचा जाये। क्योंकि बुजुर्ग बड़ी ऐसी दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं कि अब के माननीय को एम. एल. ए. बनाया है इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किये हैं इसलिए हमारे लिए पेन्शन लेकर आयेंगे। हमने यह कहा था कि बजट आने दो अब की बार जरूर पेन्शन दिलवायेंगे। चूँकि यह समय बजट का आ गया है, बजट पेश हो गया है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बुजुर्गों को पेन्शन देने के बारे में सोचा जाये। अगर सबको नहीं दी जा सके तो कुछ उम्र की सीमा निर्धारित कर ली जाये कि अब के 65 वर्ष वालों को, सबको नहीं दे सकते उससे ज्यादा वालों को दें। अगले वर्ष इनको बढ़ाया जा सकता है। यह जो

(श्री सांवरलाल)

अधिक है उसके ऊपर विचार किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

इसी प्रकार जो बेरोजगार नोजवान हैं उन बेरोजगारों के बारे में स्पष्टतः हमें सोचना होगा । रोजगार दिलवाया जाना सम्भव नहीं है, बेरोजगारी भत्ता देने का हमने वायदा किया है अगर यह मुमकिन नहीं है । जितना हो सके हमें गांवों के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खुलवाने चाहिएं इसके लिए कर्जा दें इस प्रकार की व्यवस्था करें यही मैं निवेदन करना चाहूंगा और यह बजट जिस परिस्थिति में पेश हुआ है स्वागत करता हूं । इन बिन्दुओं के ऊपर विचारणीय बातें जो मैंने रखी हैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी इस पर गोर करेंगे ।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल परमार ।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिह जी ने जो बजट पेश किया है, वह वास्तव में स्वागत योग्य है । यह बजट बी. जे. पी. और जनता दल की सरकार ने मिलकर बनाया है । पिछली सरकार ने जिस प्रकार से सत्ता सौंपी है और आज वह जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो क्या उन्हें सांप सूंघ गया है ? आज के हालात के अन्दर भैरोंसिह जी की सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह स्वागत योग्य है । दस हजार के जो कर्ज माफ करने की घोषणा की है, वह भी स्वागत योग्य है । इस बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने काफी बताया है । मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए जिस प्रकार से घोषणा की है और उनके लिए जो 'किन्तु' शब्द लगाया है । मैं इसके लिए कहूंगा कि यह 'किन्तु' शब्द हटाया जाये और जिनके दस हजार के कर्ज हैं, उनको पूर्णतया मुक्त किया जाये ।

बिजली की समस्या के अन्दर माननीय भैरोंसिह जी ने जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है । इस बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम निश्चित किये हैं और जो पैसा लगाने वाले हैं अगर इस प्रकार किया गया तो आने वाला इतिहास भैरोंसिह जी की सरकार को और भैरोंसिह जी को याद करेगा । हमेशा हम बिजली के लिये रोये हैं । पिछली सरकार जो थी, वह आंख मिचौली वाला खेल खेलती रही है बिजली के लिए । अभी जो सरकार बनी है उसने इसमें काफी सुधार किया है और भैरोंसिह जी की सरकार ने जो अभी सुविधा दी बिजली के अन्दर, अगर वास्तव में वह योजना कारगर सिद्ध हो जाये तो जिस प्रकार बोम्बे के अन्दर, गुजरात के अन्दर और भी राज्यों के अन्दर बिजली की समस्या नहीं है इसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर भी बिजली की समस्या हमेशा के लिए हट जाती, किसानों को इससे राहत मिलती और किसानों को बड़ी सुविधा मिलती । मैं भैरोंसिह जी को कहना चाहूंगा यह वास्तव में उनका स्वागत योग्य कदम है । इस बजट से 60 प्रतिशत लोगों को गांव के अन्दर राहत मिलेगी । गांव के लोगों ने अभी कल भी हमें फोन किया था गांव के अन्दर सुविधा दिलायें । इस प्रकार की योजना पिछली सरकार ने कभी नहीं

(श्री अमृतलाल परमार)

बनाई। भैरोंसिंह जी की सरकार ने जिस प्रकार की घोषणा की है, बजट के अन्दर, उससे गांवों के अन्दर काफी राहत मिलेगी। छोटे-छोटे कुटीर उद्योग बढ़ेंगे। हमारे बाली क्षेत्र के अन्दर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके भी कल मेरे पास आदमी आये थे, उनको भी राहत मिली है। जहां वह छोटे उद्योग लगाते हैं उनका उद्योग भी बढ़ेगा।

खनिज का काम जो पहाड़ों में चल रहा है। खोद-खोद करके वहाँ जो काम चल रहा है पत्थर का, वहां पर भी काम बढ़ेगा। इस प्रकार गांव के अन्दर कुटीर उद्योग बढ़ेंगे। रजाई है, रजाई बनाना, माचिस बनाना इस प्रकार के जो उद्योग लगाते हैं उनके अन्दर राहत मिलेगी और वास्तव में यह स्वागत योग्य ही है।

अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। गांवों के अन्दर जो छोटे काम करते हैं। जूते बनाते हैं और भी काम करते हैं, और भी लोग जो छोटे काम करते हैं, अनुसूचित जाति इससे प्रभावित होगी और हर गांव के अन्दर उद्योग, खोलने की कोशिश करेंगे, उद्योग बढ़ेंगे। पिछली सरकार ने खाली ढकोसले वायदे किये हैं, काम कुछ नहीं किया है। जैसे गांव के अन्दर स्कूल खोल दिये। मास्टर गायब, अध्यापक गायब, एक भी अध्यापक नहीं मिलता वहां जाने पर हमको। अभी भैरोंसिंह जी की सरकार ने जो घोषणा की है उससे स्कूलों के अन्दर राहत मिलेगी और एक मास्टर की जगह दो-दो मास्टर लगाने की घोषणा कर दी है, जो स्कूल बन्द पड़े हैं उनके अन्दर भी अध्यापक लगाने की घोषणा की है, जिन स्कूलों का काम अधूरा पड़ा है उनको भी बनवाने की घोषणा की है जिससे उन गांवों के अन्दर इन स्कूलों के माध्यम से बहुत बड़ी राहत बच्चों को मिलेगी और बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे और उनको सिर ढकने के लिए भी जगह मिलेगी। इसलिए वास्तव में यह बजट गाँवों के लिए भी वरदान सिद्ध होगा। हालत यह है कि कुछ साल पहले एशियाई खेलो के समय जिस सरकार को चुना गया था, उस सरकार ने केवल यह बिल्डिंग बनें, होटल बनें इस पर ध्यान दिया और एशियाई खेल के अन्दर सरकार को दिवालिया घोषित कर दिया और हमको और कर्जों में डुबो दिया। आज एक बच्चा पैदा होता है, उस पर कर्जा लागू होता है यह कौनसी सरकार ने किया ? यह पिछली सरकार ने किया है। इसी प्रकार बजट के अन्दर जो कर्जे माफ किये हैं और कर दान किया है इससे राजस्थान के अन्दर राहत मिलेगी। बाली, बालोतरा, जोधपुर, भीनमाल के अन्दर जो उद्योग चल रहे हैं, पिछले 3-4 साल के अन्दर, 5 साल के अन्दर जो प्राइमरी उद्योग नष्ट हो रहे हैं मैं समझता हूं इस प्रकार की घोषणा के बाद यह उद्योग नष्ट हो रहे हैं मैं समझता हूँ इस प्रकार की घोषणा के बाद यह उद्योग बाली में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में चरम सीमा पर पहुँचेगे और हिन्दुस्तान का नाम रोशन होगा। यह जो कर मुक्त किया है छोटे उद्योगों को, वास्तव में भैरोंसिंह जी की सरकार ने यह कदम उठाकर अपने राजस्थान का नाम रोशन किया।

(श्री अमृतलाल परमार)

इसी प्रकार सिंचाई विभाग। सिंचाई के अन्दर भी भैरोंसिंह जी की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की है उसके अन्दर एनीकट, बाँध, नाले, नदी, सड़क बनाना, पुलिया बनाना, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मेरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है। अभी भी हालांकि इतने गांव हैं लेकिन वहां पर लोग पहुंच नहीं सकते हैं अगर बारिश हो जावे तो रास्ते टूट जाते हैं, इससे आने-जाने के काम, कचहरी की पेशियां रूक जाती हैं और अब सिंचाई की योजना अन्तर्गत जो कुएँ खोदे जायेंगे उससे राहत मिलेगी। उनके अन्दर जो कर्ज माफ किये जायेंगे, उसमें भी राहत मिलेगी। उससे जो फायदा होगा वह यह कि वहाँ पहाड़ी जाति के लोगों को राहत मिलेगी। आज हमारे क्षेत्र के अन्दर जो पिछली सरकार ने भू-संरक्षण किया था उसके तहत जो गाँव हैं, पिछली सरकार ने जिन कुंओं में पानी है, जिस जमीन में पानी है उसको बन्द कर दिया है मैं सरकार से भी माँग करना चाहता हूँ कि पुनः उसका सर्वेक्षण करवा-कर वहां पर कुएँ खुदाने की व्यवस्था की जाये। मुझे विश्वास है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत यह सरकार उसके अन्दर रियायत देकर उस पर काम करेगी।

बेरोजगार योजना पर मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में चुनाव के दिनों में हमने घोषणा की थी कि बेरोजगार जो युवक हैं उनको भत्ता मिलना चाहिये। हमारी पूर्व सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। हमको हमारी भैरोंसिह जी की सरकार पर गर्व है और मुझे विश्वास है जिस प्रकार यह जो काम किये हैं, ऐसी जो घोषणा की है, उसके तहत सबको राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, गरीब तबके को राहत मिलेगी और मुझे आशा है छोटे कुटीर उद्योगों को, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे किसान की समस्या हो, चाहे अपने रोजगार की समस्या हो उनको दृष्टिगत रखते हुए मैं इतना कहूँगा कि भैरोंसिह जी की सरकार जो बेरोजगार योजना है उस पर विचार करेगी और उनके लिए भी कुछ काम करे तो आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार युवक हैं उनको कुछ राहत मिलेगी। मैं तो साफ कहूँगा कि अन्यथा आने वाला समय हमको माफ नहीं करेगा।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : सभापति महोदय, यह सिर्फ एक दर्जन सरकार में बैठे हुए हैं उनको क्या पढ़ायें, हमें बताइये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : 12 तो बहुत हैं।

श्री सम्पतसिंह : कैसी बढ़िया बात हो रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक दर्जन ही बहुत हैं आपके लिए तो। आप तो कहे जाओ अपनी बात जो कुछ कहना है। भरो चिलम।

श्री अमृतलाल परमार : भेड़, बकरी, ऊँट आदि की जो समस्या हैं, उसको ठीक करने पर विचार कम किया है। भैरोंसिह

(श्री अमृतलाल परमार)

जी की सरकार से कहना चाहूँगा कि जो गेम सैंक्चुरी एरिया, जो आज तारबन्दी हो रही है, इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, रोजी-रोटी पर प्रभाव पड़ेगा। मैं भैरोंसिंह जी की सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनकी तरफ भी कुछ विचार किया जाये। पूरे क्षेत्र में तारबन्दी कर देंगे, गेम सैंक्चुरी कर देंगे तो लाखों मवेशी, बकरियाँ, भेड़ और ऊँट हैं उनकी क्या दशा बनेगी। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि इस गेम सैंक्चुरी को पूरे क्षेत्र में न करें। भगवान मालिक है इसलिए पुनः कहना चाहूँगा कि इस गेम सैंक्चुरी का कुछ एरिया उनके लिए रखा जाये ताकि उनको भी राहत मिल सके।

पानी के लिए हमारी भैरोंसिंह जी की सरकार ने जो नहर की योजना बनाई है मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे बाली क्षेत्र के अन्दर जिस प्रकार इन्दिरा गाँधी नहर की योजना बनाई है पिछली सरकार ने उस नहर के अन्दर न मालूम कितना घपला किया था जिसका कोई हिसाब नहीं, आगे बन रही है पीछे टूट रही है और पानी कहीं जा रहा है वहां के लोग बरबाद हो गये जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं। तो मैं भैरोंसिंह जी से कहना चाहूँगा कि पानी के लिए, आपके माध्यम से, कि हमारे बाली क्षेत्र के अन्दर भी साण्डेराव और बाली तक योजना बनाकर पानी की समस्या को हल किया जाय।

एक माननीय सदस्य : दूसरों का भी रखा जाय।

श्री अमृतलाल परमार : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो भैरोंसिंह जी सरकार ने जो बजट रखा है उससे यह साबित होता है कि वास्तव में यह स्वागत करने योग्य है और आने वाला इतिहास याद करेगा। कांग्रेस सरकार अभी भी कुछ नहीं कर सकती है। वह इसलिए रो रहे हैं कि कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं। भैरोंसिंह जी की सरकार अब कुछ कर रही है। देखते रहो, आगे क्या होता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप देखते ही रहेंगे और यह सरकार अगर पांच साल का समय पूरा कर लिया तो लोग कहेंगे उनको, हमको समय देंगे और पांच साल में हम इतना काम करके बता देंगे कि आपकी कभी बारी नहीं आयेगी। आप कभी सत्ता में आ नहीं सकते। मैं पुनः जो भैरोंसिंह जी की सरकार ने बजट रखा है उसका स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, जो 1990-91 का बजट पेश किया गया है इस बजट के ऊपर दोनों पक्ष बोल रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सच्चाई को छिपाया नहीं। सच्चाई तो सामने आयेगी ही।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं आ रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, पड़ जायगा समय आ रहा है।

(श्री. रामस्वरूप मीणा)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चाई को आप चाहे कितना ही मरोड़ें लेकिन जिस जनता के सामने आपने जो वायदे किये थे और वायदों की सरकार आज यहां बैठी हुई है इस बजट ने बता दिया है कि आपने जनता के साथ धोखा कर दिया। आपने किसानों से कहा कि हम तुम्हारे कर्जे माफ करेंगे, क्या हो गये कर्जे माफ। यही है आपका बजट जिसके अन्दर कर्जे माफ करने में आपने कितनी शर्तें लगा दी। हमारा किसान जो आज तक पीड़ित था उसके साथ आपने एक तीसरी बात आपने और पैदा कर दी। आज पटवारी उनके पीछे फिरता रहेगा। तब कोई कर्जा माफ करा सकेगा। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो वायदे किये थे उसमें कर्जे वाले वायदे आपके फेल हुए। इसलिए यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस किसान विरोधी सरकार का जो बजट पेश किया गया उससे साबित होता है। इसके साथ-साथ दूसरी बात मैं आपको बताऊं वह है गरीबों वाली बात। आपने गरीबों की हिमायत की।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपकी सरकार ने तो किसानों की कुर्कियां की थी और मुर्गे बनाये थे। हमारी सरकार ने माफ तो किया है। (व्यवधान)

कुर्कियां की थी किसानों की।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, गरीबों की बात जो आपने की थी उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वह + + + धोबी, क्या वह + + + कुम्हार जो कि अपने गदहे से पेट पालन करता है, आज आपने गदहे को नहीं बख्शा तो क्या भला करोगे किसानों का। यह सरकार जो गदहों से कमाई करना चाहती है। कितने लोगों के काम में आता है यह गदहा। क्या यह अमीरों के काम में आता है। कहते हैं गरीबों का बजट है यह, क्या फायदा किया है आपने गरीबों का।

एक माननीय सदस्य : आपको गदहे बहुत याद आते हैं। + + +

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी गृहणी, या गरीब लोगों की जो मां-बहिनें हैं जो कि चप्पल पहनकर पैदल चलती हैं अपना जीवन चलाती हैं, जो पन्द्रह बीस रुपये की कीमत वाली होती है उनको भी आपने नहीं बख्शा। यह आपने क्या गरीब के साथ अन्याय नहीं किया। (व्यवधान)

आप सुनने की हिम्मत रखें, मैं बोलूंगा। आपको सुनकर दुख क्यों होता है। सही बात तो हम कहेंगे। एक को ही सुन लीजिये, बारह को क्या सुनोगे। माननीय सभापति महोदय, चप्पल की बात चली। किसी ने कहा कि यह गरीबों के

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

काम नहीं आती है। अगर पन्द्रह बीस रुपये की चप्पल गरीब नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा इस चप्पल को। इसलिए यह बात भी आपने बजट में रखकर गरीबों के साथ अन्याय किया है। एक माननीय सदस्य जो यहाँ पर बिराजमान हैं, आई. ए. एस. आफिसर भी रहे हैं, आपने कहा कि यह टैन्ट जिस पर टैक्स बढ़ाया गया है यह गरीबों के काम नहीं आता है। क्या गरीब को शादी करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या वह टैन्ट नहीं लगाता है। क्या उसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप चाहते हैं गरीब-गरीब ही बना रहे, वह पैसा खर्च नहीं कर सके। इसलिए आपने यह विचार किया है कि टैक्स बढ़ा दिया जाय। आपने यह भी गलत सोचा है। शामियाना सबके काम आता है। इसलिए ऐसी चीज पर टैक्स बढ़ाकर आपने बहुत गलत काम किया है। इसके साथ-साथ तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह मेरे युवा साथियों और माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, आप चाहे मखौल उड़ावें चाहे हंस लें लेकिन युवा पीढ़ी के साथ भी अन्याय किया गया है। क्या देखा है आप लोगों ने। हमारी बुराई आप करते हो, हमने तो हमारा फल भोग लिया इधर आ बैठे हम लोग। लेकिन आप ही सोचो अब तो इन युवाओं ने राज बदला है। यह युवा क्रान्ति करेंगे जिस दिन राज बदल जायगा। आपने इस बजट में युवाओं के लिए क्या किया। क्या आपने युवाओं के कोई भत्ते की बात की। आखिर कुछ थोड़ा बहुत भत्ते की बात तो आप लोग करते। इसलिए युवाओं के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसलिए मैं आपको धिक्कार देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ-साथ वृद्धावस्था पेन्शन का मामला जो आपने किया है उसके साथ आपका कोई एहसान नहीं है। आपने वायदा किया था कि वृद्धों को पेन्शन देंगे। लेकिन जो लोग गांव में बैठे हुए हैं उनके लिए कांग्रेस आई की सरकार ने सौ रुपया महीना बाँधा था आपने कौन-सी नई बात कर दी। यह तो वही लोग करके गये थे, क्या नई बात कही इसके लिए। इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जितनी भी योजनायें बनाई हैं उसके अन्दर किसानों के हित की जो बात आई थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिये। सरकार ने डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। डीजल के भाव बढ़े हैं केन्द्रीय सरकार के आधार पर। साठ और सत्तर पैसे डीजल के भाव बढ़े हैं और यह हालत हो गई है सण्डे के दिन डीजल मिलना भी नहीं है। सात बजे बाद डीजल के पैट्रोल पम्प बन्द हो जाते हैं। क्या यह डीजल किसानों के काम नहीं आता है। किसान को आवश्यकता पड़ती है ट्रैक्टर चलाने की। किसान को आवश्यकता पड़ती है इंजन चलाने की किसान को अपने औजारों का उपयोग करते समय डीजल काम आता है क्या आपने डीजल के बारे में कुछ सोचा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार को भी डीजल ले गई और आपने नहीं सोचा तो वही ले जायगी। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। किसानों के बारे में विचार करना पड़ेगा। मखौल मत बनाइये बजट को। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय सभापतिजी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डीजल की कीमतें

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आसमान को छू रही है। डीजल मिलना बन्द हो गया है डीजल को इतवार को इतवार को मिलना बन्द कर दिया, सात बजे बाद मिलना बन्द कर दिया। आखिर में डीजल कहां से लायगा किसान। इसका परिणाम क्या निकला। पैसा बढ़ा। जो गरीब भाई बस में बैठता हैं, बस का किराया बढ़ा। और जहां-जहां भी डीजल की आवश्यकता पड़ती है वहां पर पैसा बढ़ गया। यह किसके ऊपर असर पड़ा, गरीबों के ऊपर असर पड़ा है। इसलिए आप बात करते हैं कि किसानों को इसमें फायदा किया है; कौनसा फायदा किसानों के लिए किया है यह बतला दीजिये। एक और बात मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आपने न तो स्कूल खोले, न आपने औषधालय खोले। किसी प्रकार की आपने आवश्यकता ही नहीं समझी। एक ही बात कहकर आपने पूर्ति कर दी कि पिछली सरकार गलत खोल गई। पिछली सरकार क्या कर गई इस बात को कोई नहीं देखेगा। क्या देश की जनसंख्या लगातार नहीं बढ़ रही है। क्या लोग गांव और ढाणियों में नहीं बस रहे हैं। क्या गांव का विकास नहीं हो रहा है। कितने गांव बढ़ गये। यह देखा जाय। गांव बढ़ेंगे तो स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी। स्कूलों और औषधालयों की आवश्यकता पड़ेगी। एक गांव में कहते हैं कि औषधालय की आवश्यकता है जिनको कितनी परेशानियां आ रही है। यह बहुत ही खेद की बात है। माननीय सभापति महोदय, बढ़ती हुई जनसंख्या, गांवों का विस्तार व किसानों की आवश्यकता को देखते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें कब हमारे स्कूलों और कॉलेजों के बारे में विचार किया जाएगा, औषधालयों के बारे में विचार किया जायेगा। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में बात की है। मैं तो कथा कहूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर पाचना बांध है जिसके अन्दर हमारे क्षेत्र की पूरी भूमि को मान करके उस पाचना बांध को बनाया गया था। मेरा नादोती इलाके का क्षेत्र जिसमें हजारों बीघा जमीन बगैर पानी के पड़ी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश होने के बाद पांचना बांध बना था क्या उस पाचना बांध का पानी दिया गया हमको, नहीं दिया गया, क्या उस योजना के बारे में विचार किया गया नहीं किया गया, तो क्यों नहीं विचार हुआ? इन योजनाओं के बारे में? जब आपका पैसा खर्च हो गया, सब कुछ हो गया, बांध बन गया और जिस जमीन के लिए बांध बना है उस जमीन के लिए नहर बनाने में क्यों नहीं रखा इस प्रकार का बजट?

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो बड़ी-बड़ी बातें बजट में की गई हैं, इन छोटी बातों को भी सोचना ताकि ये बांध जो बने पड़े हैं इनसे नहरें बनें और लिफ्ट लगाकर हमारे नादोती और टोडाभीम एरिया को पानी दिया जाय। इसके साथ-साथ किसानों के बारे में आपने कनेक्शनों की बात की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, देखा जाय पिछली बार कितने कनेक्शन बाकी पड़े हैं। आप नये कनेक्शन कहां दोगे पिछले बकाया कनेक्शनों की ही पूर्ति नहीं कर सकते, देख लो रिकार्ड उठा करके। क्या इससे पूर्ति हो जायेगी किसान के कनेक्शनों की?

(126)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को कनेक्शन और बढ़ायें इससे सरकार को लाभ मिलेगा, सुझाव दे रहा हूं बहुत बड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय यहां पर बिराजमान नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर किसानों के लिए आप कनेक्शन बढ़ाओगे तो बहुत बड़ा लाभ जो मिलेगा सरकार को वह है राजस्व का। आपके बिजली की चोरी होती है बिजली की चोरी क्यों होती है कनेक्शन नहीं दिया जाता है इसलिए होती है। आप दीजिए कनेक्शन पैसा भी मिलेगा और बिजली का सदुपयोग होगा। आज किसान को आवश्यकता है तो वह चोरी करके काम चला रहा है लेकिन आप कनेक्शन नहीं दोगे तो भी उसकी चोरी चलेगी इसलिए आप इस पर विचार करिये क्योंकि इससे आपको पैसा भी मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा और चोरी की आदत भी खत्म होगी इसलिए जो कम कनेक्शन लगे हैं इन कनेक्शनों की तादाद बढ़ाई जाय मेरा यह निवेदन है आपसे। इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। दूसरी बात जो रखी गयी है किसान के मेलों के बारे में। किसान मेलों में अपने पशुओं को ले जाता है बहुत से गरीब धन्धा करते हैं जो पशुओं को ले जा बेचते हैं अपने पशुओं को ले जा करके। लेकिन गरीब किसान के जानवरों को बेचने के लिए जो मेले लगते हैं उन मेलों के अन्दर आपने जो रवन्ना की फीस बढ़ाई है, आपने इस रवन्ना फीस बढ़ाकर किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, उस किसान व्यापारी के साथ अन्याय किया है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, इस रवन्ना की फीस को वापस लिया जाय। अगर हमने रवन्ना की फीस को वापस नहीं लिया तो हमने तो किसान का रवन्ना काटा है, लेकिन किसान हमारा रवन्ना काट देगा।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, जो बजट दिया गया किसान विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी है। इसमें केवलमात्र रियायत दी गई है तो बड़े-बड़े सेठों को दी गई है, हीरे-जवाहरात पर विचार किया गया है, मोती के ऊपर विचार किया गया है, इसमें कहीं भी किसानों के ऊपर विचार नहीं किया गया है। मेरे माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, कल क्यों नहीं बोले, हमारे माननीय सदस्य ने जो हमारे साथ बोले थे, कितनी बातें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को कही थीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसान विरोधी, गरीब विरोधी और युवा विरोधी तथा इसके साथ ही यह महिला विरोधी भी है।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, अब बजट पर पूर्ण विचार किया जायेगा और जो किसान के बारे में जो समस्याएं हैं, उसके उपकरणों का जो पैसा बढ़ाया गया है, खाद, बीज वगैरह जो उसके काम आते हैं उनके ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई, उसके ऊपर भी विचार किया जायेगा। दूसरी बात जो युवा हैं, जो बेरोजगार बैठें हुए हैं उन बेरोजगार युवकों को आप भत्ता

(श्री रामस्वरूप मीणा)

देंगे अगर आप देने की बात नहीं करते हैं तो इसका जवाब आपको जनता के सामने देना पड़ेगा।

तीसरी बात मैं आपको निवेदन करूँ वह है डीजल के भाव वाली बात। आपको डीजल के भाव के बारे में विचार करवाना चाहिए और इसकी कीमतों को कम करवाना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आपको पैसा बढ़ाना ही था आपको आय लेनी थी तो बहुत से साधन है, बढ़ा तो शराब के ऊपर आप कितना बढ़ाते हो। क्यों नहीं बढ़ाया आपने शराब के ऊपर....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : यह तो जीजाजी के घर पर ही जाकर ठहरे थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसी ही बात है तो आप क्यों नहीं बढ़ाते हो, माननीय सदस्य, आपको सुनना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा मैं अपने किसान की बात कहकर रहूंगा। सेठ के बेटे हो, आप किसानों की बात को नहीं सुनना चाहते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं सुझाव दे रहा हूं, अपनी बहन से मिलने जाओ भई। अपनी बहन से मिलने जाओ तो अपने जीजाजी से कह करके.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्य विराजमान हो जाए; मैं किसान के हित की बात कर रहा हूं यह किसान आपको नहीं बख्शेगा और आपको वोट तो किसान से ही मिलते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय न लेता हुआ इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि इस सरकार का जो यहां किसान विरोधी युवा विरोधी और महिला विरोधी जो बजट पेश किया है उस पर सरकार पुनर्विचार करेगी और राहत देगी यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह आपके बीच में जीजा-साले की क्या वार्ता है? माननीय सदस्य महोदय, यह जीजा-साले की क्या वार्ता है?

श्री सभापति : माननीय श्री फूलचन्द जी गुर्जर।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य महोदय, श्री महावीर प्रसाद जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह सदन में जीजा और साले की क्या वार्ता है, उसको जरा स्पष्ट तो करें, इसको बख्शो यहां पर यह सदन है, सदन। सदन में मर्यादाएं रखो कुछ सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री महावीर प्रसाद जी, जो सदस्य महानुभाव हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वे स्पष्ट करें कि जीजा-साले की क्या वार्ता है सदन में.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह हमारी वार्ता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं सदन में बोला गया शब्द आपकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, सदन को अवगत करायें इस बारे में।

श्री सभापति : माननीय श्री फूलचन्द जी। माननीय पारीक साहब, आप बैठ जाइये। श्री फूलचन्द जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बड़ी सूझ-बूझ का द्योतक है और मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं। आज सारे राजस्थान की जनता जो गरीब और मध्यम वर्ग की जनता है और जैसे ही बजट पेश हुआ है उनको बहुत राहत महसूस हुई है और यह बजट गरीबी उन्मूलन और राहत देने वाला बजट है।

सभापति महोदय, उस तरफ बैठे हुए मान नीय सदस्यों ने एक बात बहुत जोर से कही है इस बजट में नये स्कूलों की, नये औषधालयों की, नये चिकित्सालयों की कोई घोषणा नहीं की गई है लेकिन अगर उनको सच्चे मायने में इस बात का मालूम हो कि यह बात सही है कि संख्यात्मक दृष्टि से पूर्व में चुनाव की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में शालाएँ, चिकित्सालय, औषधालयों के खोलने की घोषणा की गई लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की आज भी काफी शालाएँ चाहे वे मिडिल स्कूल हैं, चाहे वे हाईस्कूल हो जिनमें 2-2, 1-1 अध्यापक हैं सारे बच्चे इतने बेकार हो चुके हैं कि इतने इतनी संख्या में स्कूल खोल दीं, न बच्चों को बैठने के लिए जगह है, न उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं, न उनको पढ़ाने के काई उपकरण हैं, दूसरे सभी प्रकार की सुविधाएँ उन शालाओं में नहीं हैं और यही कारण है कि जो ग्रामीण शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हम शहरों की तुलना में गांव का जो शिक्षा का स्तर है वह गिर गया है। अगर यही आंकड़ा दे करके स्कूलें खोली जायें और चाहे बच्चे वहां बर्बाद हों, चाहे अध्यापक हो या नहीं हो तो फिर इस बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साफ तौर से जो घोषणा की गई है कि जो स्कूलें खोली गई हैं उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपने देखा होगा पूर्व में भी कि आज भी ग्रामीण स्कूलों में 20 25-30 हजार अध्यापकों की कमी है। सबसे पहला जो हमारा काम है कि इन शालाओं में जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति की जाय। अगर उनकी पूर्ति नहीं की गयी तो स्कूलें खोलने से कोई तात्पर्य नहीं है, गांवों के बच्चे और खराब होंगे।

इसलिये इस बजट में जो घोषणायें की गई हैं उनको भरपूर किया जायेगा यह बहुत ही स्वागत योग्य है। और इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। गांव की शाला में जो गरीब घरों से बच्चे आते है, जिनके पास पब्लिक-स्कूलों में पढ़ने के लिये कोई सुविधा नहीं है, उन बच्चों का स्तर बढ़ेगा। इस बजट में जो प्रस्ताव रखा है वह स्वागत योग्य है। इसी तरह से चिकित्सालयों और औषधालयों की हालत है। आज भी गायों के औषधालय, सब सेन्टर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में इन्होंने खोल दिये। ए.एन.एन. केवल मात्र ड्यूटी देकर तनख्वाह उठा रही है उनके पास पट्टी दवा दारू का कोई साधन नहीं है और केवल मात्र गांव का नाम जोड़ दिया कि इस गांव में चिकित्सा सुविधा मुहैय्या करा दी गई है।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

इसलिये इस ओर भी जो इस बजट में चिकित्सालय के लिये ध्यान दिया गया है उनकी सुविधायें पूरी की जायेंगी और उनमें मुख्यमंत्री कोष से चिकित्सा सुविधा का खाता खोला है उसमें जो पैसा जायेगा उससे गांव की चिकित्सा के ऊपर ध्यान दिया जायेगा । यह भी बहुत स्वागत योग्य है ।

इसकी साथ-साथ पेयजल की समस्या है । आज हमारे गांव में भयकर रूप से पेयजल की समस्या है । पूर्व सरकार ने बड़े जोरों से घोषणा की थी कि हमने 32 हजार से ज्यादा गांवों में पेयजल की सुविधा मुहैय्या करवाई है लेकिन आज एक्चुअली देखा जाय, आज जैसे ही अपनी सरकार आई है उसके सामने एक भयंकर समस्या आई थी कि गांव जो पेयजल की सुविधा से मुहैय्या हो रहे थे उन गांवों की हालत देखी गई तो उन गांवों में, किसी गांव में चार हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, किसी गांव में टंकी लगी हुई थी वह सब बेकार पड़ी हुई थीं और आज उनके सामने पेयजल की भयंकर समस्या है । इस ओर भी इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है । इसके लिए लगभग 40 प्रतिशत राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है । पिछले वर्ष जो 30 करोड़ रुपये पेयजल पर रखा गया था उसको बढ़ाकर इस बजट में 42 करोड़ रुपये किया गया है यह बहुत ही स्वागत योग्य है । इसी तरह से नगर में भी 29.8 करोड़ रुपये का बजट को बढ़ाकर 39.8 करोड़ रुपये किया गया है यह भी स्वागत योग्य है । इससे गांव की जो भयंकर जल की समस्या थी उस समस्या का हल होगा । इसलिये यह बजट इस ओर भी स्वागत योग्य है ।

इसी के साथ हमारे कृषि कार्यक्रमों के लिये बड़ा ही ढिंढोरा पीटा गया है कि यह बजट तो किसान विरोधी है, लेकिन इस बजट में जैसा प्रावधान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत ही अहम मुद्दे को छुआ है जो आज तक हमारे किसानों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था । किसान तो किरायेदार है इस जमीन का मालिक सरकार होती है और सरकार का सबसे पहला काम होता है कि वह किसान को वह सब चीजें मुहैय्या करवाये, जैसे मकान मालिक का काम सारा रख रखाव का होता है, किरायेदार का नहीं होता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस ओर बहुत ही गहरी दृष्टि से ध्यान गया है । कुआं बीमा योजना लागू की है वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि सरकार अपना दायित्व समझ रही है कि किसान के लिये कुआं बनवाया जाये । उसमें पानी नहीं आता है तो उसका पैसा बीमा योजना के तहत मुहैय्या करवाया जाये । यह स्वागत योग्य है । इसी तरह से खेतों को समतल कराने की योजना है । इसी के साथ-साथ कुओं पर पक्की नालियां बनाने की योजना है । यह सब किसान के हित की योजनायें हैं इनसे किसान को राहत मिलेगी । और अगर यही राहत मिली तो किसान अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिये आगे बढ़ेगा । इसलिये किसानों के लिये मैं तो यही मानता हूं कि यह बजट

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

किसानों के लिये हितकर है और इस योजना से किसान को लाभ होगा। इसी के साथ-साथ बजट में विद्युत के बारे में जो प्रावधान रखा गया है यह बात सही है कि काफी संख्या में संख्यात्मक दृष्टि से कनेक्शन देने की घोषणा की गई लेकिन आज हालत क्या है आज गांवों में लोगों को तीन-तीन, चार-चार घंटे बिजली नहीं मिलती है बिजली के और साधन नहीं हैं। इतना उन पर चार्ज लगा दिया गया है पहले माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिहजी जब 1977 में थे तो उनकी यह घोषणा थी कि किसान को पोल फ्री दिया जाये उनकी ट्रांस फार्मर का चार्ज नहीं लगे लेकिन इस सरकार ने उस सारी चीज को पलट करके....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप नये आये है लेकिन आपको मालूम है कि 1977 में किसानों को जो इतने प्रचुर मात्रा में बिजली के कनेक्शन दिये थे आपकी सरकार ने 40 साल में उसकी पूर्ति नहीं की और जो दिये गये हैं उनमें आज की हालत देखी जाये तो किसान की इस तरह से हालत हो गई है कि आज किसान परा भार नहीं चुका पाता और कनेक्शन लेने उसके लिये दुर्भर हो रहा है। इसलिये इस सुविधा में जो बढ़ोतरी की जा रही है बिजली के सोर्सेज करके और बढ़ोतरी की गई है यह भी स्वागत योग्य है।

इसके साथ-साथ माननीय भैरोंसिह जी ने 1977 में अन्त्योदय योजना शुरू की थी यह ग्रामीणों के लिये सबसे बड़ी हितकर योजना थी और उसी योजना का इतना बड़ा विस्तार हुआ था कि सारे हिन्दुस्तान में इसकी प्रशंसा की गई थी कि गरीब से गरीब आदमी की पूछ की जाये, गांव में गरीब लोगों का चयन किया जाये उनको साधन मुहैय्या करवाये जायें जिससे रोजगार के लिये वे रास्ते स्वयं वह ढूंढ़ सकें। लेकिन दुर्भाग्य थे गाँव वालों के कि जब सरकार चैन्ज हुई तो उस योजना में इस तरह से धीरे-धीरे विकार पैदा कर दिया और वह धीरे-धीरे मृत्यु पिरान्त पहुँच गई। अब बजट में अन्त्योदय योजना का प्रावधान किया गया है। छोटे-छोटे उद्योग पुनः चालू किये जा रहे हैं वह भी एक स्वागत योग्य है। इससे भी गांव वालों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो, मैं तो यही मानूंगा कि यह बजट गांव वालों के लिये हितकर है गाँवों वालों के लिये बहुत उपयोगी है और इससे आप गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, रोजगार के साधन मुहैय्या होगें और आगे भी इसके रिसोर्सेज होंगे।

अन्त में मैं अपनी बात कुछ सुझाव के साथ समाप्त कर रहा हूँ। यह बात सही है कि इस बजट में गरीब आदमी को काफी राहत देने की कोशिश की गई है लेकिन कुछ मुद्दे हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब बजट का जवाब दें उन पर विचार करें।

एक तो 20 रुपये तक के रैडिमेड कपड़े और चप्पल बगैर पर जो टैक्स लगाया है इससे आम आदमी पर जरूर भार पड़ेगा क्योंकि रेडिमेड कपड़े और चप्पल बगैरा का उपयोग गरीब आदमी ही करते है। पूँजीपति लोग रेडिमेड कपड़े नहीं पहिनते है

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

वह तो बहुत ऊँची क्वालिटी के पहिनते हैं। इसलिये इन पर जो टैक्स लगेगा इससे गरीब आदमी पर मार पड़ेगा। एक मेरा सुझाव और है कर्जा माफी की जो घोषणा की गई है बहुत ही स्वागत योग्य है और हमारी पार्टी ने चुनाव घोषणा में जो वायदा किया था उसको निभाने की सबसे बड़ी पहल है। लेकिन इसमें जो किन्तु परन्तु जोड़ा गया है इसको सुधार किया जाये। किसान इससे बहुत दुखी है। अगर किन्तु परन्तु वाली बात रह गई तो किसान के साथ भ्रष्टाचार होगा, किसान के साथ भेद-भाव होगा और उनको पूरा लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिये स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि किसान का दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ होगा यही मेरे सुझाव हैं। पुनः मैं मुख्यमंत्रीजी के इस बजट की पूर्ण रूप से प्रशंसा करता हूं और यह बजट ग्रामीण जनता के लिये हितकर है यही मेरी भावना है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब सिंह जी राजपुरोहित।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय,....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक जनता दल, एक बी.जे.पी.। नहीं तो यह हाऊस खाली हो जायेगा किसी को मजा नहीं आयेगा.... (व्यवधान)

लोग चले जायेंगे फिर....

श्री सभापति : सब को समय मिल जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : दलों के समय के अनुसार ही मिलेगा। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : समय का बंटवारा हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : सभापतिमहोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया देखा जाये तो वास्तव में आजादी के बाद लोकतन्त्र की व्यवस्था में राज्य का यह पहला ऐसा बजट है जिसमें ग्रामीण जनता काश्तकार, गरीब मजदूर कारीगरों का हित देखा गया है। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखा गया हैं, मैं इस बात के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में यह बजट गरीबों के हितैषी हैं, काश्तकारों के हितैषी हैं। मेरे जो सरकार के विरोधी बन्धु हैं वह इसकी आलोचना करते हैं। हालांकि आलोचना करने का कोई आधार नहीं है। कर्जा माफी की घोषणा, वृद्धावस्था पेंशन की जो बात हुई है उनको भी वह आलोचना के कटघरे में खड़ा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, चालीस साल में आप किसी का एक पैसा तो माफ कर देते? हमारी सरकार ने गरीब काश्तकार, कारीगर, दस्तकारों के जो दस हजार तक का कर्जा माफ किया है उसमें किन्तु परन्तु लगाया है और लगाने का कारण है। क्योंकि जो बड़े साहूकार सेठ होते हैं वह लाखों का कर्जा लेते हैं, चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती लेकिन जो वास्तव में काश्तकार है, जो अकाल से पीड़ित हो चुका है, जिसकी नीयत तो है

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

लेकिन उसकी पाकिट में पैसा नहीं है इसलिये वह चुका नहीं पाया । माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इसी बात को मद्दे नजर रख कर उस गरीब को राहत दी है जिसके पास चुकाने को पैसा नहीं हैं ।

इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन वृद्ध लोग असहाय है, जिनके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, जो सरकार की तरफ टकटकी लगा कर देखते हैं, आप देखेंगे, पिछले साल 7 करोड़ 42 लाख की योजना के बदले इस चालू वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ 4 लाख का प्रावधान रखा है, जो कि 3.32 करोड़ ज्यादा है । यह 3.32 करोड़ का लाभ निस्संदेह उन वृद्धों को मिलेगा । इसकी अगर आलोचना करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं पिछले वर्षों में जो वृद्धावस्था पेंशन दी जाती रही है, मेरे क्षेत्र में आज कम से कम सैंकड़ों केसेज ऐसे हैं जिन वृद्धों को आज भी पेंशन नहीं मिल पाती और वह दर-दर की ठोकरें खाते हैं । ऐसी शिकायतें भी मिली हैं । हमारी सरकार यह प्रयास करेगी और विश्वास करता हूँ कि हर उस बेसहारा वृद्ध को, असहाय वृद्ध को पेंशन का लाभ मिलेगा ।

विद्युत के मामले में जो गांवों का विद्युतीकरण और काश्तकारों के कनेक्शन की बात बताई है इस बजट में वह भी प्रशंसनीय है । चालू वर्ष में 25 हजार कुओं के नये कनेक्शन की बात कही गई है । इसकी भी आलोचना करते हैं कि 25 हजार से क्या होगा । मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सभापति महोदय, और कहना चाहता हूँ मेरे विपक्षी बंधुओं से कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वह दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते । इनके अगर आंकड़े देखें तो 1986-87 में 10819 कनेक्शन दिये गये, 1987-88 में 12399 कनेक्शन दिये गये । इनके आंकड़ों के अनुसार दो वर्ष में 23218 कुओं का विद्युतिकरण हुआ जिसमें हमारी सरकार के इस बजट में इनके दो वर्षों से भी ज्यादा 25 हजार कुओं के कनेक्शन की बात कही है । तो आलोचना का कोई आधार नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, 1100 गांवों के विद्युतिकरण का प्रावधान इस बजट में किया गया है । ईमानदारी से 1100 गांवों का विद्युतिकरण होगा । पिछली सरकार ने जो रिकार्ड के आधार पर उपलब्धियां बताई हैं, मैं दावे से वह कह सकता हूं, वह मात्र कागजी रिकार्ड है, बह थोथी घोषणाएँ हैं, आज तक जो बताया गया है वह कार्यवाही नहीं हुई हैं मैं मेरे पाली जिले की बात करता हूँ, इन्होंने पाली जिले के रायपुर क्षेत्र को छोड़ कर बाकी सातों विधान सभा क्षेत्र को हण्ड्रेड पर्सेण्ट इलेक्ट्रिफाई कहा है । जब कि स्थिति यह है कि मेरे पास विगतवार रिपोर्ट है, सोजत में चन्दासनी, आपकाई की ढाणी, विश्नोई की ढाणी, पोटालिया, नापावास, खारची में गुडा हिन्दू, घैलपुरा, हलावट गांव का अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है । रायपुर में

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

खिरमा, रामवास, बड़ीपोल, कालख खुर्द, जगमालपुरा, सराधना, अमरपुरा, लालपुरा, बरकीरेल, बलुपुरा, जीतड़ा, मालनी, गजनाई, खरनीखेड़ा, सुमेरपुर के पेगावा, पोईणा, फतापुरा, सलोदरिया, अणगौर, गिरवर गुडा प्रतापसिंह में कोई इलेक्ट्रिक का साधन नहीं है। और अगर कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो एक भी कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया है। यह ढिंढ़ोरा पीटते हुए इसकी आलोचना करते हैं वह इसकी आलोचना महज इस बात के लिये करते हैं कि वह विपक्ष में बैठे हुए हैं बाकी कोई आधार इस बजट की आलोचना करने का इनके पास नहीं रह जाता, माननीय सभापति महोदय सिंचाई के मामले में भी देखें तो इस बजट में जो लघु परियोजनाएं हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। वास्तव में यह बात मायने रखती है कि बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जो लागू की जाती हैं जो दस-दस, बारह-बारह, पन्द्रह-पन्द्रह वर्षों तक पूरी नहीं हो पाती उनका सही लाभ काश्तकारों को नहीं मिल पाता। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने यह घोषणा की है कि चालू वर्ष में हम नई छोटी परियोजनाओं को लागू करेंगे। बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात मैं करूं इलेक्ट्रिफाइड गांवों की तो, उनकी परियोजनाएं भी अधूरी पड़ी हैं जिनको मैं बता देना चाहता हूं। सोजत की है धोलीदाता बांध, पोटलिया बांध, चिरपटिया बांध, मण्डला बांध जिनका कार्य आज तक शुरू नहीं किया गया है। तो पिछली सरकार अगर कहे हमने बजट में वह वायदे किये तो आपने खाली वायदे किये और रिकार्ड में बता दिया गया जिनका काम आज तक पूरा नहीं हुआ। मेरे सुमेरपुर में सिंचाई विभाग की कंडीशन भी आपको बता दूं। जिनकी कम्पलेण्ट लिखित में मैंने सिंचाई मंत्रीजी को की है जाखोड़ा माइनर, बिठीया माइनर, उम्मेदपुर माइनर, पावटा माइनर, दुजाना माइनर, तखतगढ़ माइनर, सांडेराव नहर की लाइनिंग का कार्य, तखतगढ़ बांध, दूजाना बांध, गलधरा बांध, भारून्दा बांध इन सब का काम कागजी कार्यवाही में पूर्ण बता दिया है, सारे काम पूरे हैं लेकिन हकीकत में वहां जाकर देखें तो यह सारे कार्य या तो शुरू नहीं हुए या हुए तो आज तक अधूरे हैं, उनका पेमेन्ट उठा लिया है। इस मायने में इस बजट की इसलिये हम लोग आलोचना करते हैं कि यह योजनाएं ग्रामीणों और काश्तकारों की सिंचाई के लिये लाभकारी सिद्ध हो जायेंगी और सरकार की वाहवाही हो जायेगी इसलिये इनका विरोध करना है ताकी कोई सिंचाई व्यवस्था का आधार इनके पास नहीं है।

सहकारी विभाग में जो भागीरथी योजना का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और अगर यह योजना ईमानदारी से लागू हुई, तो राजस्थान के विकास में वास्तव में एक भागीरथी योजना होगी, भागीरथ की गंगा बहेगी इसमें कोई दो राय नहीं है।

सहभागी कृषि विकास योजना के तहत

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रस्ताव रखा है कि स्थानीय किसानों, पंचायत राज और अन्य संस्थाओं के माध्यम से काश्तकारों के लिये नई-नई योजनाएं लागू की जायेंगी। वास्तव में जब वहाँ बैठकर इस तरह की स्थानीय योजना लागू करेंगे तो उसका लाभ भी काश्तकारों को मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है।

शिक्षा के हिसाब से देखें तो अब तक हमारे माननीय सदस्य जितने भी वक्ता के रूप में बोले हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं कि आज तक जितने भी स्कूल खोले गये हैं चाहे वह मिडिल स्कूल हों, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हायर सैकण्डरी हो, सैकण्डरी हो, इनका स्तर किस स्तर तक घट चुका है, इसे राजस्थान का छोटा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है। आज वहां अध्यापकों की कमी है। अध्यापक हैं तो वहां फर्नीचर की कमी है। स्कूलों का स्तर गिर रहा है। पढ़ाई होती नहीं है। सिर्फ बच्चे को इसलिये भेजते हैं माननीय सभापति महोदय, कि बच्चा घर में परेशान नहीं करे और पांच घंटे स्कूल में जाकर बैठ जाय। यही नीति होती है क्या सरकार की? इसलिये नये स्कूल नहीं खोले जाकर पहले उन कमियों को पूरा किया जाय यह इस सरकार की मंशा है ताकि हर जगह शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार हो और लोगों को ज्ञान मिल सके। उसके बाद आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत 3883 एकल अध्यापकीय स्कूल हैं उनको 2 अध्यापकीय स्कूल में परिवर्तित किये जाने का जो प्रस्ताव रखा है इस बात का मैं समर्थन करता हूं। जहां तीन-तीन सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां पर एक अध्यापक है। न भवन की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है। नीम के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठ कर वह बच्चे पढ़ते हैं। उनमें अगर दो अध्यापक होंगे, भवन की व्यवस्था हो जायगी तो स्कूल और शिक्षा का स्तर सुधर जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा एक स्कूल का नाम बतायें जहां पर तीन सौ विद्यार्थी हैं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मेरे क्षेत्र में आइये आपको एक नहीं सैंकड़ों स्कूल बता दूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बता दीजिये। एक स्कूल का नाम बता दो जहां तीन सौ विद्यार्थी है और एक अध्यापक है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : 300 विद्यार्थी है, आपको लिखित में शिकायत हुई है। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बता दीजिये। आप सैंकड़ों नहीं एक स्कूल का नाम बता दें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : हाँ, है। बता देंगे। मेरे क्षेत्र में आप कभी आये नहीं हो, आते तो बता देते आपको।

इसी तरह निर्धन छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें, उनको ड्रेसेज, ज्योमैट्री

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

बाक्स दिये जायेंगे। निस्संदेह गरीब छात्र और छात्राओं को लाभ मिल सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिये इस बात का बजट में उल्लेख किया है और अगर मेरे विरोधी बंधु इस बात का विरोध करते हैं कि छात्र-छात्राओं को निशुल्क पुस्तकें नहीं मिलें तो वह जनता के हितैषी नहीं है, जनता के विरूद्ध बात करते हैं।

चिकित्सा के विषय में भी सही बात कही गई है कि नये औषधालय खोलने से पहले हम पुराने औषधालयों को दुरूस्त करें। उनमें अगर स्टाफ नहीं है तो पहले कम्पाउण्डर, नर्सेज आदि की नियुक्ति की जाय। मैं इस बात का भी हामी हूं कि पहले उन चिकित्सालयों में सुविधा दी जाय जहाँ अव्यवस्था भरी पड़ी है और रोगियों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं कि फिजूलखर्ची नहीं बढ़ा कर पहले जो चिकित्सालय चल रहें हैं उनमें व्यवस्था सुधारने की बात कही गई है।

(4.22 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति पदासीन)

समाज कल्याण में भी 27 नये छात्रावास खोलने का प्रस्ताव रखा है इससे निस्सन्देह उन गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को फायदा मिलेगा जो आज पिछड़े हुए है। जिनका गत सरकार में शोषण होता रहा है।

पेयजल के मामले में सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक राशि का समायोजन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में 12 करोड़ और नगरों में 10 करोड़ अधिक का प्रावधान रखा गया है। एक सातवीं पंचवर्षीय योजना में जल प्रदाय योजना में एक हजार करोड़ से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी लेकिन इस एक हजार करोड़ के बावजूद भी आज भी हर गाँव में पानी उपलब्ध नहीं है। पेयजल की समस्या हमारे सामने इस गर्मी के मौसम में आई है जिसका जोर-शोर से यहाँ पर मामला उठा है। माननीय सदस्यगण इस बात पर भी गौर करें कि एक हजार करोड़ रुपया मिल जाने के बाद भी सरकार पानी का पूरा प्रबन्ध नहीं कर सकी वह जनता के या इस राज्य के विकास के क्या आयाम दे पाएगी। इसलिए ईमानदारी से सरकार हर गाँव को पेयजल उपलब्ध कराएगी। एक साल में नहीं तो दो साल में, और पांच साल का जो मौका दिया है, पांच साल में हर गाँव को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

पेयजल के बारे में सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि पश्चिमी राजस्थान आज सबसे ज्यादा पेयजल के संकट से गुजर रहा है। जवाई बांध का पानी जोधपुर नगर को जा रहा है। जोधपुर नगर के लिए इन्दिरा गांधी नगर से जो लिफ्ट कैनाल योजना शुरू हुई उसको यदि राजनैतिक तौर पर नहीं लटकाया जाता तो जवाई बान्ध का पानी पाली जिले के काश्त-

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

कारों को पीने के लिए मिल जाता और जोधपुर शहर को पानी इन्दिरा गांधी नहर से मिल जाता लेकिन वोटों की रोटियां सेकने के लिए मैं दावे के साथ, निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस योजना को आज तक लटकाया जाता रहा। मुझे खुशी है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि दो साल में इस योजना को पूरा करेंगे और इस बजट में जो प्रावधान रखा है उससे लगता है कि दो साल में योजना निश्चित रूप से पूरी होगी। जोधपुर को पानी इन्दिरा गांधी नहर से मिल जाएगा और जवाई बांध का पानी पाली जिले के काश्तकारों को और लोगों को पीने के लिए मुहैया हो सकेगा। इस बात की भी मैं तारीफ करता हूं।

पंचायती राज संस्थाओं में भी इस बजट में प्रोत्साहन दिया गया है। एक-एक पंचायत समिति को चुना है, जो उत्कृष्ट पंचायत समिति होगी उनको 5 लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों को भी चुना गया है। जो ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगी उसको अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। तो निस्सन्देह एक होड़ लगायेंगे ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियों में जो भी सरपंच और प्रधान अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा काम कराएंगे उनको यह लाभ मिलेगा और यह होड़ लगने के बाद एक से एक ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगी। इसलिए भी इस बजट की तारीफ की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अच्छा काम क्या ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : अच्छे-बुरे की पहचान तो आपको भी है इतना मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, कोई कहते हैं कि ग्राम विकास की बात इस बजट में नहीं कही गई है। मैंने पूर्व में भी बताया, और बता देना चाहता हूँ मेरे बन्धु को, पेज-28 पर जो अन्त्योदय योजना का जिक्र हुआ है यह योजना 1977 में माननीय शेखावत साहब ने लागू की थी जिसकी प्रशंसा पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी हुई और यहां आकर इसको देखा, परखा और इसकी योजना बनाई कि वास्तव में यह ग्राम विकास के, पिछड़े वर्ग के लिए अच्छी साबित हुई है और इस बार भी इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव इस बजट में है और इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि समाज के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को हम ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए अलग-अलग विभाग अलग-अलग दृष्टि से इसको प्राथमिकता देंगे। जैसे, चिकित्सा विभाग चिकित्सा की दृष्टि से प्राथमिकता देगा, शिक्षा विभाग शिक्षा की दृष्टि से देगा, कृषि विभाग उसकी कृषि योजना बना कर उसका लाभ देगा, इसी तरह से जलदाय विभाग पानी के मामले में देखेगा, इसी तरह से विद्युत विभाग उनको कनेक्शन देगा। तो अगर कोई कहता है कि ग्रामीण विकास की योजना बजट में नहीं बनाई गई है तो अन्त्योदय जैसी योजना से

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

ग्रामों का विकास काफी सम्भव हो सकेगा। इसलिए इस बजट की तारीफ की जानी चाहिए।

अब मैं अन्त में टैक्स पर आता हूं। टैक्स के बारे में जितना हौवा खड़ा किया जाता है। आज तक का पिछला कोई भी बजट उठा कर देखिये कोई भी बजट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें टैक्स नहीं बढ़ाया गया है यह राजस्थान का पहला बजट है और अधिकतर टैक्स या तो खत्म कर दिया गया या कमी की गई है। मैं मानता हूं कि गरीबों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ा है। आपने इसका गहराई से अध्ययन नहीं किया। आप हंसते हैं कि मदिरा पर और तुम्बा पर टैक्स कम किया है, हंसते हैं कि अंबारी और मूंज पर टैक्स कम किया है तो यह हंसना नहीं चाहिए। यह राजस्थान के गौरव की बात है जिसका टैक्स सरकार को बिल्कुल कम मिलता है लेकिन जटिलताएं कितनी बढ़ती हैं उन लोगों के सामने दुविधा कितनी आती है। इसलिए भले ही सरकार की आमदनी कम हो जाएगी लेकिन गरीबों को फायदा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को फायदा मिलेगा। छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों और अपने घरेलू धन्धे के माध्यम से जो अपना पालन-पोषण करते हैं इसलिए माननीय शेखावत साहब का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस बात को मद्दे नजर रखा जिसका आज तक किसी भी बजट में जिक्र नहीं हुआ।

विलास की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया और निस्सन्देह बढ़ना चाहिए। इसका विरोध करते हैं कि 100 रुपये तक की होटलों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। कोई भी गरीब काश्तकार या कोई भी गरीब मजदूर या राजस्थान का गरीब व्यक्ति 100 रुपये पे करने का बूता नहीं रखता और अगर 100 रुपये से ऊपर देता है तो निस्सन्देह वह धनाढ्य व्यक्ति, अभिजात्य वर्ग का हो सकता है। इस बात के लिए भी हम सहमत हैं। इसलिए यह जो टैक्स बढ़ाया है यह बिल्कुल सही बढ़ाया है।

जहां एक और चुंगी कम करके उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। कच्चे माल पर भी चुंगी खत्म की गई है। नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको पांच साल तक चुंगी दर से मुक्त रखा गया है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, काश्तकारों, गरीबों, मजदूरों और आम नागरिक के भले के लिए जो प्रस्ताव इस बजट में रखे गये हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। राजस्थान की जनता सहमत है। रेवदर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा था कि बजट आते ही पटाखे छोड़े गये। उस समय काफी लोग हंसे थे। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरे पास टेलीफोन आया है। आज 6 कार्यकर्त्ता मेरे पास आये जो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई देने आए कि ऐसा बजट राजस्थान में आज तक न तो प्रस्तुत हुआ है और न कभी होगा इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि गांवों में दीपावली मनाई गई, पटाखे छोड़े गए और ग्रामवासियों में खुशी की लहर फैली

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

है । इसका मैं समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण वर्मा ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : सभापति महोदय, मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जो इस आशा में बैठे हैं कि हमें समय दिया जाय....

श्री सम्पत्तसिंह : इन्होंने बूथ केप्चर किया था ।

श्री रामनारायण वर्मा : यह बात कहने का साहस पैदा हुआ है आज की तारीख में कि पिछले दो चुनावों में एक तो बी. जे. पी. वालों ने और एक जनता दल वालों ने बूथ केप्चरिंग किया । लेकिन मसला वह नहीं मुझे पता है, मैं नोखा में मौजूद था । बी. जे. पी. की संसद सदस्या, क्या नाम है, उनका, उनका हेलीकॉप्टर चार दिन से उड़ा....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बजट पर शुरू करें ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने पक्ष और विपक्ष के काफी माननीय सदस्यों को बड़े चाव से सुना और यदि निष्पक्षता से बात करूं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो ऐसा बजट रखा है जो आज की तारीख तक इस विधान सभा के हाउस में पहले कभी पेश नहीं किया गया होगा । इतना घटिया किस्म का बजट न तो पहले अखबारों में पढ़ा और सुना है । सभापति महोदय, इस बजट में ऐसी बातें भी आयी हैं जो इस सरकार के अधिकारियों ने पहले ही जनता में प्रचलित कर दी । मैं राजस्थान पत्रिका के 20 जून, के एडीशन को ध्यान में लाऊं । श्री टी. आर. वर्मा, प्रशासक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास लिमिटेड ने सारी बातें ऋण के मामले में अखबारों में प्रकाशित कर दी थी । माननीय गोयल साहब कोटा से प्रकाशित होने वाला जो राजस्थान अखबार है जो किसकी बड़ाई करता है किसकी बुराई करता है वह किस का अखबार है आप पूरी बात जानते हैं ? उन्होंने यह बताया है उनकी चार लाइन आखिरी में मैं पढ़कर सुना दूं । ज्यादा समय नहीं दूंगा । क्योंकि बजट का मामला है । यह हाउस के विशेषाधिकार का मामला है कि या नहीं है यह बात हाऊस जाने । माननीय सभापति महोदय, इस बारे के कुछ कहें । "अतः किसान भाईयों से अनुरोध है कि दीर्घकालीन ऋण की जो किश्ते 31 जनवरी, 1990 अथवा 31 मई, 1990 को देय हुई हैं व किश्तें 2 अक्टूबर, 1986 से पहले ली गई थी । 2-10-1989 को अवधि पार हो गई थी "यह अखबार में एडवरटाइजमेंट है ।" देय हो गई हैं इसका भुगतान तुरन्त कर देवें । क्योंकि इन ऋणों की किश्तों में उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी । क्योंकि ऋण की किश्तें ऐसी किश्ते हैं 2 अक्टूबर, 1989 को अवधि पार नहीं थी । अतः दीर्घकालीन ऋण की चालू अमाऊंट

(श्री रामनारायण वर्मा)

जमा कराना कृषकों के हित में है। इस तरह की बातें जो सामने आई हैं। खैर, माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके अपने सिद्धान्त होते हैं। जनता दल वाले इस सरकार को अपनी नहीं मानते। पण्डित साहब हमारे बुजुर्ग नेता, बुजुर्ग काफी पुराने विधायक इस बात को कह चुके हैं कि यह सरकार हमारी नहीं है। खैर, यह मसला इनका अपना आन्तरिक मसला है बाकी इतना जरूर है कि दोनों पार्टीज के घोषणा पत्र का यदि मिलान, किया जाए तो उसमें कुछ बातें कोमन निश्चित तौर पर निकलेंगी। पालियामेंट में भी इस बारे में घोषणा की गई थी कि किसी कास्तकार ने, किसी बुनकर ने, कितना भी ऋण लिया हो भले ही उसने पचास हजार लिये हों, चालीस हजार लिये हों दस हजार तक की सीमा का ऋण माफ करने की बात कही गई थी। दस हजार तक की सीमा का ऋण माफ इन्होंने किनका किया मैं इस बारे में स्पष्ट तौर पर कहूं कि जिस ढंग से सरकार ने यह बजट पेश किया है, जिस ढंग से कर्जा माफ करने की बात कही है तो 2 अक्टूबर, 1986 के पहले जिन्होंने ऋण लिया था और जो अवधि पार है अकाल की वजह से चुका नहीं पाये। 1986 के बाद में जिन लोगों ने चुका दिया वे लोग ईमानदार थे और जिन लोगों ने नहीं चुकाया उनकी नीयत क्या थी? गलत नीयत रखने वाले लोगों के प्रति सद्भावना और सही नीयत रखने वालों के प्रति जिन्होंने ऋण चुकाकर के बाद में ऋण ले लिया उनका माफ नहीं करना। यह सरकार की दोगली नीति या दोहरी नीति है। और हो सकता है इन लोगों ने जिस दिन से बात की उस दिन से इनके अपने कार्यकर्त्ता ज्यादा आ जाते हों। हो सकता है किसी वर्ग विशेष के लोग ज्यादा आ जाते हों। बाकी इससे आठ सौ करोड़ के ऊपर जो ऋण हैं उसमें से सौ करोड़ रुपया माफ करना है या दो सौ करोड़ रुपया माफ करना है किसी भी तरह आम जनता को राहत देने वाला साबित नहीं होगा। ये सारी बातें बाद में मालूम हो जायेंगी। मैं निवेदन करू इनके घोषणा पत्र में फसल बीमा के बारे में कहा गया पर काश्तकार सदस्यों से ऐसी आशा करूंगा कि व कमेण्ट्स नहीं करें। बाकी इस बात को समझें। फसल बीमा की बात इन्होंने कहीं थी दोनों पार्टीयों ने कही थी। फसल बीमा इन्होंने लागू किया क्या? जितना हो सकता था, सीमान्त कृषकों को, जोत वाले किसानों का फसल बीमा लागू करने की बात करते हैं मेरा जहां तक ख्याल है इस तरह का इनका न तो कोई विचार है न कोई इस तरह का बजट में प्रोविजन है। दूसरी बात, मैं निवेदन करूं, बारानी जमीन की लगान के बारे में इन्होंने कहा था। मुझे दुःख है माननीय भैरोंसिंह जी ने बजट कृषकों के पक्ष में बनाया या पूंजीपतियों के पक्ष में बनाया या अमीर लोगों के पक्ष में बनाया। क्योंकि राजा महाराजा आज की तारीख में है नहीं किन के पक्ष में बजट बनाया है ये वो जानें बाकी जमीन का बारानी बोने वाला काश्तकार, जो चार बीघा में शादी विवाह करता है बच्चों की क्या उसको दो रुपये का लगान की छूट भी देना नहीं चाहते। क्या यह

(140)

(श्री रामनारायण वर्मा)

सरकार अपने आपको लोकप्रिय सरकार कहती है। जनता की निगाह में तीन महीने में इसकी छवि क्या है ये जनता और आप लोग भी जानते हो। बाकी........(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था कि बेरोजगारों के बारे में इसमें कोई बात नहीं हैं। मैं छबड़ा चुनाव में गया था। मुझे दुःख है हमारी पार्टी हार गई। आप सही कह रहे हैं। बाकी छबड़ा चुनाव में मैंने पोस्टर देखा हैं। मेरा जहां तक ख्याल है, मेरे साथी असत्य नहीं बोलें तो ऐसे पोस्टर जयपुर में भी चिपके हैं हर हाथ को देंगे काम, "नहीं देंगे काम तो देंगे दाम" यह बी. जे. पी. का पोस्टर था यह चुनाव घोषणा पत्र में यह बात कही गई थी। आप दाम नहीं देंगे, उसको बेरोजगार भत्ता नहीं देंगे, हर हाथ को देंगे काम नहीं देंगे काम तो देंगे, दाम। आपने बेरोजगार भत्ते की बात कही थी माननीय पुष्पा जी। आपकी पार्टी का घोषणा पत्र है आप उस जगह बैठें जहां माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे थे इसलिए मैं आपसे उम्मीद करके कह सकता हूं इस बात को भी चुनाव घोषणा पत्र में ऐसा कुछ कहा गया था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। बेरोजगार भत्ते की कोई बात नहीं है बेरोजगारों को भत्ता नहीं दें लेकिन यह जरूर हो सकता था कि जो गरीब हैं, जो सीमांत जोत की सीमा में कृषक आते हैं, छोटे तबके के लोग हैं उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाये। लेकिन आपके बजट में इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं कही गई है।

वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में मेरे साथी काफी कुछ कह चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा सौ रुपये पेन्शन वृद्धों को नहीं दे सके, उन निजी व्यक्ति को नहीं दे सके क्योंकि वह सरकार गरीबोन्मुखी है या पूंजीपतियों के पक्ष में बात करने वाली सरकार है। सोने चांदी के उस वर्ग पर टैक्स माफ करने वाली सरकार क्या एक गरीब को सौ रुपये नहीं दे सकती? बड़ी शर्म की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। राजस्थान की जनता क्या सोच रही है यह तो आप लोग जानें किन्तु यह किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता कि सोने चांदी के वर्ग के टैक्स माफ करने वाली सरकार एक गरीब को जिसके पास जीवन-यापन का पैसा नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है सोने चांदी के वर्ग को मिठाई में लगते हैं और किसमें लगाते हैं इसका मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं गरीब परिवार का आदमी हूं माननीय भैरोंसिह जी जरूर बड़े परिवारों में जाते होंगे। मैं तो एक बात निवेदन करूं माननीय सभापति महोदय, यह बजट जयपुर में रहने वाले किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जिसने गांव में जाना तो छोड़ दिया है या जिसका गांव से वास्ता नहीं है पर हो सकता है जयपुर में जौहरियों के पास बैठता हो, बड़े-बड़े करोड़पतियों के पास, टैक्स माफ कर दिया नगीनों का। हो सकता है कलात्मक छपाई, खाली मोतियों को माफ कर दिया है। माननीय गोयल साहब उद्योगों का कुछ कर दिया, हो सकता है कुछ कह दिया हो। मतलब जो लोग नज-

(श्री रामनारायण वर्मा) :

दीक हो जिनकी राय से बजट बनाया गया हो उनमें....

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : माननीय सदस्य आप नहीं चाहते थे सांगानेर, बगरू में काम करने वाले रंगाई छपाई वालों का (व्यवधान)

आप नहीं चाहते थे बालोतरा में रंगाई छपाई करने वालों का जो टैक्स माफ हो, आप नहीं चाहते थे, जोधपुर में रंगाई छपाई करने वालों पर जोब टैक्स हो, आप नहीं चाहते थे पाली में रंगाई छपाई करने वालों पर जोब टैक्स माफ हो। आप सबके दुश्मन थे। यदि आपको बगरू, सांगानेर, बालोतरा जोधपुर कुछ दिखाई नहीं दिया खाली पाली दिखाई दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : मैं माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, मैं....

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान में आदरणीय कल्ला साहब, आप तो वाकिफ हैं मुझे इनका तो मालूम नहीं है आदरणीय देवपुरा साहब वाकिफ हैं कि राजस्थान में छोटे-छोटे लोग जो रंगाई छपाई का काम करते हैं उन पर यह अनावश्यक टैक्स था। जिससे काफी लम्बे समय से परेशान थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अच्छा किया, लेकिन दूसरे जोब टैक्स भी माफ करने चाहिए थे यह कह रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन :- वो आगे आने वाले साल में देखेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, रंगाई छपाई का टैक्स माफ किया छपाई के बाद कपड़ा किसके पास जाता है। उसको कौन बेचता है क्या डाइरेक्टली स्टेटों को फायदा नहीं हुआ जिनके पास स्टॉक है। यह सारी की सारी बातें जो कहने की नहीं है इसका निष्कर्ष निकालने की बात है उसका फायदा किसको हुआ, आज की तारीख में। खैर, जो भी है, जिसको फायदा हुआ। बहुत कम लोगों को फायदा हुआ। मेरा निवेदन करना तो यह है माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जिन चीजों से टैक्स माफ किया दो प्रतिशत उन चीजों का बड़े लोगों से वास्ता है, दो प्रतिशत तो गरीबों से वास्ता वाली को और छः प्रतिशत बड़े लोगों से वास्ता है। मैं निवेदन करूं माननीय सभापति महोदय, माचिस पर दो प्रतिशत कम किया है।

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा जहां तक ख्याल है अभी तो दो मिनट नहीं हुए।

श्री सभापति : दस मिनट हो गये।

श्री रामनारायण वर्मा : वह ठीक है पर अभी तो मैं खड़ा ही हुआ हूं। आप थोड़ा घड़ी का ध्यान रखिये, माननीय सभापति महोदय। आतिशबाजी में पांच पर्सेन्ट,

(श्री रामनारायण वर्मा)

आतिशबाजी किसके काम आती है ? शादी-ब्याह में बड़े लोगों के काम आती है। बाल्टी लोहे की, बड़े आदमियों के प्लास्टिक की बाल्टी काम में आती है, लोहे की बाल्टी गरीब लोगों के काम में आती है। उसमें पांच पर्सेन्ट कम, दो पर्सेन्ट गरीब के काम आने वाली में। जो बजट भाषण है उसका यदि विश्लेषण किया जाय, एक बात जरूर इसमें है, थोड़ी दिमाग लगा कर कही गई है ग्रामीण विद्युतिकरण के बारे में। जहां लाइन निकल रही है, मेरा जहां तक ख्याल है यह 77 की लाइन नहीं है, यह बाद की लाइन है। 77 से 80 के बीच की लाइन नहीं है। वहां कनेक्शन दिया जायेगा, यह मानी हुई बात है। इसके अलावा इस पूरे बजट स्पीच में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको सही कहा जा सके। आप आगे चलें पैरा नं. 26, यह बात हमेशा उठती रही है कि किसानों को कहीं एक पानी मिलता है, फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों का पिलाई कर माफ कर दिया जाय ऐसी फसलों का, जो फसलें नहीं हो लेकिन यह कह कर के इस बात को यहीं समाप्त कर दिया गया है कि हम कम पानी की फसलों को देंगे। हजारों बीघा जमीन आज चम्बल कमाण्ड एरिया में बिना पानी के सूख गई है किसानों को मुआवजा दिया जाय। शहर में कोई झोंपड़ी टूट जाती है, मुआवजा दिया जाता है। काश्तकारों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाय, कोई इस तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान रखा जाना चाहिए था। यदि किसानों के पक्ष में सरकार होती तो। इसके आगे सिंचित क्षेत्र विकास, माननीय सभापति महोदय, कर्ज माफी की बात करते हैं, मैं माननीय श्री भैरोंसिंह जी और हमारे माननीय उद्योग मत्रीजी अभी बैठें हैं, मैंने भैरों सिंह जी का भाषण खुबांसा में सुना है। आप कर्जा मत दीजिए, कर्जा देने आये, भगा दीजिये। कौन-सा कर्जा माननीय सभापति महोदय ? कैचमेन्ट का कर्जा। कैचमेन्ट के कर्जे के बारे में सत्ता दल ने, बी. जे. पी. ने बार-बार इस बात को कहा है कि हम कर्जा माफ करेंगे सरकार में आये तो। लेकिन इसमें कर्जे की माफी के बारे में कोई बात नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : खालों वाली है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : खालों-कैचमेंट वाली है।

श्री रामनारायण वर्मा : कैचमेंट के कर्जे के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है ड्रेनों की सफाई के मामले में बजट का प्रोवीजन रखा गया है, यह कोई विशेष बात नहीं है। ड्रेनों की सफाई हर साल होती है। ड्रेन्स पक्की की जाय बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ड्रेनों के बाद में ही तेल एरिया में पानी की प्रोबलम क्रियेट हुई है क्योंकि सारा का सारा पानी ड्रा करके ड्रेनों में चला जाता है और कैचमेंट जब से हुआ है तब से पानी की प्रोब्लम हुई है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे खेतों का कैचमेंट किया गया है वह जिसने भी किया हो, जिस सरकार के समय में भी हुआ हो, यह मामला इन्क्वायरी का मामला है। वैसे सरकार कुछ कमीशन

(श्री रामनारायण वर्मा)

तो बैठाने की सोच रही है, इसी तरह का एक यहां बैठा दीजिये, सारी की सारी बात सामने आ जायेगी, किन क्षेत्रों का कैचमेन्ट किया गया है। आप मेज रेवाइन्स का कैचमेंट कीजिये, आप कुरल रेवाइन्स का कैचमेन्ट कीजिये, निश्चित तौर से इसमें गड़बड़ मिलेगी और समतल खेतों का कैचमेन्ट जो किया गया है, नेशनल प्रोपर्टी का लोस है। किसानों के हित में जो कर्जे लिखे गये हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों को कर्जाइल बना दिया गया है, वह कभी उससे उबर नहीं सकते, ऐसी स्थिति इस कैचमेन्ट ने कर दी है। सहकारिता के बारे में काफी कुछ कहा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं.....

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, मैं तो इतनी सी जानकारी चाहूंगा कि इसके बारे में आपके सुझाव क्या हैं ? यह कैचमेन्ट के अन्दर जो घोटाला हुआ है—आप बता रहे हो....

श्री रामनारायण वर्मा : इसके बारे में मेरा निवेदन करना है आप इन्क्वायरी करा लीजिये, ज्यादातर कैचमेन्ट समतल जमीन का हुआ है....

श्री दिग्विजय सिंह : आप यही चाहते हो न कि इन्क्वायरी हो ?

श्री रामनारायण वर्मा : बिल्कुल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : ठीक है।

श्री रामनारायण वर्मा : रेवाइन्स क्यों होते है, रेवाइन्स का कैचमेन्ट हो। यह किस अफसर की रिपोर्ट है, क्या है, वह सारी बात सामने आ जायेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : अब वह सब स्टेज वाली बात भी कह दो, उसके लिए क्या है।

श्री रामनारायण वर्मा : कौन-सी ?

श्री दिग्विजय सिंह : वह जो सब स्टेज बंद कर दिया, वहां जो काम बंद हो गया सब स्टेज का....

श्री रामनारायण वर्मा : सैकण्ड।

श्री दिग्विजय सिंह : हाँ।

श्री रामनारायण वर्मा : सैकण्ड स्टेज का ईमानदारी से सही काम हो। रेवाइन्स का हो, कुरल रेवाइन्स है, मेज रेवाइन्स है, जो कि कमाण्ड एरिया में है। उसकी जमीन समतल हो वहां खालें-नालें बनें। जो जमीन आलरेडी समतल है, यदि वहां ड्रेन की सीपेज जैसी कोई प्रोब्लम है तो काम हो। बाकी यह नहीं है कि काश्तकारों के जबरदस्ती अंगूठे लगा कर आप बैंक का कर्जा लिख दो ऐसा कुछ हुआ है। इस बात को माननीय उद्योग मंत्री जी भी जानते हैं। आज भी ऐसा होने की सम्भावना है। आगे ऐसी बात पैदा नहीं हो, यह मैं अर्ज कर रहा हूं।

सहकारिता के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार किसने फैलाया है ? किस

(श्री रामनारायण वर्मा)

अफसर ने फैलाया है सहकारिता में ? यह कोआपरेटिव सोसायटीज रजिस्टर्ड हुई थी उस समय कोआपरेटिव का कौन सैक्रेटरी था ? किसने दस लाख की जमीन पचास लाख में खरीदी और योजना मंजूर की ? आपकी मैं योजनाएं बता दूं, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं साइला रोड़ आवासीय योजना, जालौर, उसके पास की जमीन का आप मूल्यांकन कर लीजिए। उतनी जमीन आपको दस लाख से कम कीमत में मिलेगी, सोसायटी ने इक्कावन लाख में ली है। कौन अफसर दोषी है ? मैं नहीं कहता, आपकी भागीरथ योजना बनाने वाले एम. एल. मेहता उसमें दोषी है या कोई दूसरा अफसर दोषी है ? सरकार क्यों चुप बैठी है। उन अफसरों के बारे में, जिन अफसरों को पाइप घोटाला काण्ड के लिए, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी विपक्ष के नेता थे, उठाते आ रहे थे, कौन अफसर है, मुझे ध्यान नहीं, कोई शर्मा जी या कोई हैं, बाकी ऐसे अफसरों के बारे में ईमानदारी से छांट कर के उन भाषणों को छांटने की जरूरत नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी सब कुछ जानते हैं, ऐसे अफसरों को पकड़िये। आपने पकड़ लिया है इस बी. के. मीणा को। बी. के. मीणा ने प्रोसीजरली गलती की है, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूं, उससे प्रोसीजरल गलती हुई है और आप उस प्रोसीजरल गलती के लिए उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको मार-पीट किया जा रहा है....

श्री मदन दिलावर : आपको भी दिया है क्या थोड़ा पैसा ?

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय दिलावर जी, मैं आपके लिए नहीं कहना चाहता, आपने तो इंजीनियरों को पीटा होगा, हम पीटने के खिलाफ हैं। आपने एक इंजीनियर को इसलिए पीटा कि आपके और उसके सम्बन्ध जिस दिन के थे वह बात पूरी नहीं हो पाई होगी, मैं इस बात को नहीं कह रहा लेकिन अफसरों को उनको गिरफ्तार किया जाय....

श्री मदन दिलावर : नहीं-नहीं, बी. के. मीणा ने आपको भी दिया है क्या, यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा ऐसा वास्ता किसी से नहीं है। मैं जो बात जानता हूं, आपसे। इस तरह से टॉर्चर करना क्या प्रजातांत्रिक तरीके में ठीक है ? क्या सी. आर. पी. सी. आपको इस बात के लिए अधिकार देती है।

श्री बृजराज मीणा : बी. के. मीणा के नाम से सब मीणाओं को क्यों बदनाम करते हो, बी. के. मीणा की कोई बात चल नहीं रही है सदन में। इसलिए बी. के मीणा के नाम की क्या आवश्यकता है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मुझे ध्यान नहीं कि आपके रिश्तेदार हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री बृजराज मीणा : मेरे रिश्तेदार हों या किसी के रिश्तेदार हों, यहां रिश्तेदारी का कोई काम नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे कोई हो। किसी से रिलेशन मत जोड़ो उसका।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करेंगे। संक्षेप में करिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेनन कर रहा था समाज कल्याण के बारे में समाज कल्याण के पैसें, फण्ड किस कम्यूनिटीज में होना चाहिए, अपंग-अपाहिज हो उसके बारे में खर्च हो, आदिवासियों के पक्ष में खर्च हो लेकिन समाज कल्याण का पैसा फिफ्टी पर्सेन्ट से ज्यादा दूसरे लोगों पर खर्च हो रहा है। इस बात की आप इन्क्वायरी करें मांगीलाल जी मेघवाल ने स्पष्टतः इस बारे में कहा कहा है आज ही सदन में। समाज कल्याण का पैसा दूसरी कोसों पर खर्च हो, टू पुअर्स के नाम से कोई दूसरा फण्ड हो, समाज कल्याण के नाम से आदिवासी जनों को इतना पैसा दिया, इतना पैसा खर्च किया यह बात नहीं होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस भाषण के पैरा 68 में बीसलपुर के बारे में कहा गया है। मैं इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बीसलपुर बांध जहां बनास नदी पर बन रहा है, बनास नदी दो माही नदी है। उसमें दो महीने पानी नहीं रहता है। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ जैसे बड़े-बड़े शहर उसमें जोड़े जा रहे हैं, जयपुर को यदि उससे जोड़ दिया गया तो जयपुर की जनता प्यासी रहेगी, ब्यावर, अजमेर और किशनगढ़ भी प्यासा रहेगा। चम्बल नदी सवाई माधोपुर के सामने बारह माही नदी है, उसमें बारह महीने पानी बहता है। यदि सवाई माधोपुर के सामने चम्बल नदी में एनीकट लगाकर वहां से यदि जयपुर को पानी दिया जाता है पेयजल योजना को तो निश्चित तौर से जयपुर के हित में होगा। राजस्थान सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, यह इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में सोचें।

टैक्सेज़ के बारे में काफी कुछ कहा गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। बीस मिनट हो गये हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति जी, अकाल के कामों के बारे में मैं निवेदन करूं अकाल राहत के काम ही नहीं पीने के पानी के बारे में मैं मेरे एरिया के बारे में निवेदन करूं बहुत गम्भीर मसला है। शिड्यूल कास्ट की बस्ती में कोई हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये। जब से यह सरकार आई है, मेरे एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। वह चाहे देव की बैरवा बस्ती हो, हरियाली बैरवा बस्ती हो।

एक माननीय सदस्य यह काहे पर चर्चा हो रही है ? यह बजट पर चर्चा हो रही है माननीय सदस्य, बजट की बात कीजिए। हैण्ड पम्पों को कहां से ले आये बीच में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपस में बात न करें।

श्री रामनारायण वर्मा : शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया

(श्री रामनारायण वर्मा)

जा रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन हो, इस बारे में भी देखा जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं माननीय सभापति महोदय, दो मिनट मैं निवेदन करूंगा, मेरी दृष्टि में भी बजट न तो विकासोन्मुखी है और न गरीबोन्मुखी है। यह बजट पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ चन्द व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, मेरे साथी माननीय सदस्य यहां बोल रहे हैं चप्पलों जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया। हो सकता है अभी परिवार सहित यहां नहीं रह रहे हो। वो आ जायेंगे तो चप्पलों के पैंदे उन्हें जरूर देखने को मिलेंगे, मेरी ऐसी मान्यता है। मैं आशा करूंगा कि यह सदन इस बजट को आउट-राइट रिजेक्ट करें और इस तरह का अमेन्डमेन्ट बजट में करें और माननीय मुख्यमंत्रीजी नई बात करने के लिए कुछ सोचें। कहने में नहीं करने में कोई चीज है उतना करे। देश की, राजस्थान की जनता का उसमें भला हो, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय मदन लाल जी सैनी।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्यक सचेत) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जावे।

श्री सभापति : सदन की क्या अनुमति है। (स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

परिवर्तित आय व्यय पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो यह बजट माननीय मुख्यमंत्रीजी ने रखा है, यह बजट ऐतिहासिक बजट है, अविस्मरणीय है। राजस्थान की जनता के लिए उसमें किसानों, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग को किसी न किसी प्रकार की और रिलीफ न मिली हो। महोदय, इस बजट में प्राथमिकता दी गई है 60 प्रतिशत जो बजट का हिस्सा है, वह गांवों पर खर्च किया जा रहा, ग्रामीणों पर खर्च किया जा रहा, और उसके अन्तर्गत किसानों को जो प्राथमिकता दी जा रही है, उस योजना में गांवों में किसानों के लिए कुओं की विशिष्ट योजना तैयार की गई है, उस योजना के अन्तर्गत कुओं का बीमा किया जा रहा है, उस कुओं के बीमा के अन्तर्गत और किसानों के सामने बड़ी समस्या थी कुआं खोदते थे और उसके बाद में पानी नहीं आता था, किसान पैसा उधार लेते थे और पानी नहीं आने के कारण से जिन्दगी भर उस कर्जे को चुका नहीं पाते थे, उस समस्या से राहत

(श्री मदन लाल सैनी)

मिलेगी किसान को और सरकार की ओर से यह जो कुआं खोदने का पैसा दिया जा रहा, इससे किसानों को राहत मिलेगी। इस प्रकार से किसानों के लिए जो एक पानी की समस्या है। इस प्रकार के अनाज जो अधिक पानी लेते हैं, उस प्रकार के अनाजों की तुलना में कम पानी लेकर तैयार होने वाले अनाजों को प्राथमिकता दी जा रही है। पानी का पूरा उपयोग हो, किसानों को इसके लिए फव्वारा नाम की योजना, 1200 फव्वारों का सैट लगाने की जो योजना है। यह किसानो के लिए एक इस प्रकार की योजना है जिसमें किसानों का समय बचेगा और फसल पूरी ठीक तरह से तैयार होगी। इस प्रकार से किसानों का पैसा भी बचेगा। फव्वारा लगाकर किसानों का समय जो बचेगा उसमें दूसरा काम देख सकेंगे। इस प्रकार से किसानों को फव्वारा योजना के अन्तर्गत जो सहायता दी जा रही है, यह भी अनूठी योजना इस बजट में रखी गई है। सामूहिक ट्यूब वैल्स की योजना, कुछ इस प्रकार के स्थान है जहां कुओं पर काफी पैसा खर्च होता है। एक व्यक्ति इस प्रकार के कुओं को बनाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामूहिक रूप से कुआं खोदकर किसानों की एक यूनिट बनाकर एक कोपरेटिव बनाकर जो कुआं खोदकर उनके लिए जो राहत दी गई है, वह भी एक अच्छा प्रयास है। इसके कारण से किसानों में भाई-चारा बढ़ेगा और इसके कारण से गरीब किसान भी सब लोग मिलकर एक साथ मिलने से और कमाकर खा सकेंगे, भूमि की सिंचाई कर सकेंगे, यह भी एक जो अच्छी अनूठी योजना है, इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है।

महोदय, किसानों के साथ-साथ शिक्षा में एक नया जो प्रयास किया जा रहा है बेकारी को समाप्त करने के लिए, विद्यार्थी पढ़ें पढ़कर और अच्छे विद्यार्थी बन सके, सब लोग साक्षर बने इसके लिए एक वर्ष की योजना बनी है। उसमें 3.67 लाख विद्यार्थियों को एक वर्ष में जो विद्यालयों में प्रवेश कराने की जो योजना है, यह साक्षरता को बढ़ायेगी और जो विद्यार्थी गांवो के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जो विद्यालयों में जा नहीं सकते उन पर और इस प्रकार का एक प्रयास बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है।

महोदय, हम देख रहे हैं कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, जंगल काट रहे है। उस योजना को ठीक ढंग से चालू करने के लिए पर्यावरण ठीक हो, वर्षा ठीक हो, ईंधन की लकड़ी ईंधन मिल सके, इसके लिए जंगलों को लगाने की योजना है, वह भी एक बहुत अच्छी योजना है जिसका लम्बे समय बाद जाकर और देश को समाज को बड़ा उसका उपयोग मिलने वाला है।

यह बजट गरीबों के लिए कितना उपयोगी है, किस प्रकार से गरीब परिवारों को राहत दी जा सकती। इस प्रकार का इस बजट में उल्लेख किया गया है। मैं आपका ध्यान अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बजट में इस प्रकार की व्यवस्था की है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर

(148)

(श्री मदन लाल सैनी)

रहे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से जो योजना क्रियान्वित की जा रही है, उसे चालू वर्ष में तेजी से लागू किया जाना प्रस्तावित है। आटो-रिक्शा के अन्तर्गत 3000 परिवार, शहरी व ग्रामीण दुकान योजना के अन्तर्गत 400, 1000 प्रशिक्षण पुनस्थापन के अन्तर्गत, 300 सामूहिक पम्प सेट योजना के अन्तर्गत, 5000 बलास्टिंग बोरिंग योजना के अन्तर्गत, 2000 आर्टीजन बुनकर सैट योजना के अन्तर्गत, 200 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित कराने का अब निर्णय इस बजट में लिया गया है। इस प्रकार से यह गरीबोन्मुखी बजट जनता को एक बड़ी राहत दे सकेगा।

अन्त्योदय योजना के बारे में एक विश्व में और एक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उस योजना को पिछले काल-खण्डों में जो रोक दिया था, जो उसमें विकार आये हैं उसे ठीक ढंग से पुनः चालू कराने की बात कही गई है।

विद्युत के बारे में जो हमारा कृषि प्रधान देश है, यहां बिजली के कनेक्शन पिछले समय में बड़ी कम मात्रा में हुए, उनको बढ़ाकर 25000 कुओं पर और कनेक्शन की बात है। 1100 और गांवों में बिजली लाने की बात भी कही गई है, इस प्रकार की जो स्थिति है, उससे गांवों में जहां उत्पादन बढ़ेगा, किसान काम पर लगेगा, किसान का बेकार लड़का खेती पर लगेगा, इससे बेकारी भी समाप्त होगी और किसानों का उत्पादन बढ़ने से उसकी खुशहाली भी आएगी। इस प्रकार से और विद्युत की जो योजना बनाई गई है यह बड़ी अनूठी और यह अपने आप में अद्वितीय है। महोदय, कुछ इस प्रकार की बात भी बजट में आई है, जिनके बारे में हमारे विपक्ष के बंधुओं ने काफी बात उठायी है। मैं यह मानता हूं कि टैक्स लगते भी हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पर टैक्स माफ भी होता है। वास्तव में चन्द्रमा की सुन्दरता कुछ जो थोड़े से निशान है व चन्द्रमा में नहीं हो तो पूर्णमासी के चन्द्रमा की और शोभा कम हो जाती है। वास्तव में यह बड़े लोगों पर जो टैक्स बढ़ाये गये हैं, यह इस बजट में कुछ इस प्रकार के थोड़े निशान से ही है लेकिन यह टैक्स बढ़ाने से ही इस बजट की शोभा बढ़ी है, यह मेरा मानना है। और यह कहा गया है कि हम लोगों ने जो वायदे किए थे, जनता दल ने जो वायदे किये थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किये थे, उन वायदों के मुताबिक इस बजट में और उसके क्रियान्वयन की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में यह पहले वर्ष का बजट है। इस बजट में हमने जो वायदे किए है, वह दो महीने के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं किये हैं। हमको पूरा विश्वास है 5 वर्ष तक हम इस जो वायदे जनता के साथ किए हैं वह पूरा करेंगे। जनता ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। यह पहला बजट है। चावल का एक दाना देखा जाता है कि चावल पक गये या नहीं पके। सूर्योदय होता है उस समय सूर्य को देखकर अन्दाज लगा लिया जाता है कि आने वाला दिन किस प्रकार का दिन निकलेगा। इसमें

(श्री मदन लाल सैनी)

कोई संदेह की बात नहीं हो सकती है । इस प्रकार का जो बजट रखा गया है इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्य-देना चाहूंगा । माननीय सभापति महोदय, लोग कह रहे थे कि इस प्रकार की खुशियां जो जाहिर की गई हैं, कहीं फटाके छोड़ने की बातें हुई है, कहीं और कुछ छोड़ने की बातें हुई । मेरे क्षेत्र से कल रात को लोग आये उन्होंने कहा आप तो आये नहीं हम ने तो शहर में मशाल जुलूस निकाल दिया । दूसरे पड़ौसी लोग अपने-अपने हिसाब से किसान सभायें ले रहे है । मेरे एक क्षेत्र से आज एक सरपंच मिल कह रहे थे कि हम ने तो सवा मनी बोल दी है कि बजट पेश होते ही हमारे एरिया में बरसात चालू हो गई । जब इसकी क्रियान्विति का समय आयेगा तो स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी हम ने सवा मनी बोली है तो इस प्रकार की स्थिति है और जो लोग प्रतिक्रियायें व्यक्त कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बजट में वास्तव में जिस प्रकार की बातें आयी हैं जिसको किसान कुछ अच्छा अनुभव करते हैं ।

यह बात भी ठीक है कि मंहगाई बढ़ रही है, यह रुकनी चाहिए । मंहगाई इतनी नहीं बढ़ी है जितनी कहा गया है । उन चीजों के बारे में नहीं कहा गया है जिन पर महंगाई कम हुई है लेकिन वह चीजें बतायी गई हैं जिन गह महंगाई बढ़ी है । हमारे विपक्षी बंधुओं ने नकारात्मक बातें रखी हैं जो पोजिटिव बात है उसको सामने नहीं लाये हैं । मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के रूप में और विपक्ष के रूप में एक रिज्योलूशन पास कर दें तो मैं मुख्यमंत्रीजी से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि जिन चीजों पर इस बजट में टैक्स माफ किया गया है उनका टैक्स वापस ले चाहिए, उनका टैक्स खत्म नहीं करना चाहिए तो हम उनकी बात मानने पर विचार करेंगे, लेकिन प्रस्ताव तो लायें । इस प्रकार की जो बात है उसको स्वीकर करना चाहिए । बजट में अच्छा कुछ है ही नहीं इस प्रकार की जो दोष देखने की दृष्टि पैदा हो गई हैं, हमारे विपक्ष के बंधुओं की, उनको अपने दृष्टि-कोण को ठीक करना चाहिए । यह भी मेरा इस अवसर पर कहना है ।

माननीय सभापति महोदय, बजट में कुछ बातें हैं जिन पर मैं अपने सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहूंगा । बजट यद्यपि पूर्ण है पर इससे जनता को और अधिक राहत कैसे मिल सकती है ? बजट का क्रियान्वयन होगा, जो मदें बनाई हैं, उन मदों पर जो खर्चा डिवाइड किया है वह इम्प्लीमेण्ट होने वाला है । उसके इम्प्लीमेटेशन के समय में सरकार और मुख्यमंत्रीजी इस बात का ध्यान रखें । माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से उन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ इस प्रकार के जो सुझाव हैं जैसे–वृद्धावस्था पेंशन की बात उठायी गई है उस पर हम को विचार करना चाहिए । यह बात ठीक है कि हम ने वायदा किया है तो उसको इस बजट में पूरा करें या अगले साल पूरा कर लें लेकिन उस पर विचार करना चाहिए । एक दूसरी बात जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है । हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर,

(150)

(श्री मदन लाल सैनी)

बीकानेर, गंगानगर के क्षेत्र सीमा के साथ लग रहे हैं। इस बजट में एक बात जो मुझे अखर रही है वह बात यह है कि सीमा की सुरक्षा के बारे में किसी प्रकार की व्यवस्था यह राजस्थान करेगी, अतिरिक्त क्या व्यवस्था करेगी। वहां पर आज तस्करी हो रही है, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ हो रही है। इस बारे में व्यवस्था किस प्रकार से होगी, यह नहीं कहा गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर के एरिया में, उन क्षेत्रों में जहां हमारी लगी हुई सीमा हैं वहां काफी जमीन आज सरकारी जमीन है वहां नहर भी बन सकती है, नहर जाने वाली है। उसमें इस प्रकार के लोगों को एक्स मिलिट्री मैन हैं जो इस देश के प्रति और राजस्थान के प्रति समर्पित हैं, इस प्रकार के लोगों को वहां भूमि आवंटित करनी चाहिए। उन लोगों को हथियार दिये जाने चाहिए और इस प्रकार से उस भूमि की सुरक्षा भी होगी देश का उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रकार की बात बजट मे आनी चाहिए थी। ऐसा मेरा मानना है और आपके माध्यम से यह बात मैं मुख्यमंत्रीजी तक पहुँचाना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मान्यवर इस बजट में ऐसा मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी रही हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। झुंझुनू जिले में जो सैनिक स्कूल प्रस्तावित था। राजस्थान में यदि सबसे अधिक सैनिक, सेना में लोग हैं तो झुंझुनू जिले, सीकर जिले के लोग जाते हैं। उस सेना में जाने वाले लोगों के बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता तो और अधिक लोग उत्साहित होकर सेना में भर्ती होते। इसका प्रस्ताव भी आ गया था और इस प्रकार का सैनिक स्कूल झुंझुनू जिले में खोला जाना चाहिए, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक पोलोटेक्निक स्कूल झुंझुनू जिले में होना चाहिए, चाहिए, चारों तरफ दूर-दूर तक कोई इस प्रकार का पोलोटेक्निक स्कूल नहीं है, जहां पर वहां के लोग शिक्षा लेकर आगे बढ़ सकें। महोदय, बजट में इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। आज हजारों मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णित पड़े है उन मुकदमों का निपटारा करने के बारे में किसी प्रकार का विचार बजट में आना चाहिए था आज 8 जजों के पद हाई कोर्ट में रिक्त हैं। इसके बारे में बजट डिवाइड करते समय, खर्चा बांटते समय विचार करना चाहिए ताकि मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो सके।

महोदय, आज जो राजस्थान में विभिन्न साहित्य अकादमियां बनी हैं उनके पुर्नगठन के बारे में भी कोई चर्चा करते, किस प्रकार से उनका पुर्नगठन किया जाना चाहिए, उन की किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इस पर भी विचार करना चाहिए।

परिवार कल्याण के बारे में हम को एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए और परिवार कल्याण में जो हिन्दुस्तान में रहते हैं, जो यहां के नागरिक हैं जो किसी भी धर्म के हों, पंथ या सम्प्रदाय के हों उन

(श्री मदन लाल सैनी)

सब के लिए अनिवार्य रूप से लागू करनी चाहिए। यह भी मैं सोचता हूं। चीन और रूस में भी किया था, इसी प्रकार टर्की ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया था, वहां जो कमियां थीं, उनको पूरा करने के लिए, वहां भाषा की बात रही होगी, वहां नाम की बात रही होगी, वहां दूसरी बात होगी उन्होंने वहां निर्णय लेकर समयबद्ध कार्यक्रम लिया था। इसी प्रकार हम यदि समयबद्ध कार्यक्रम लेंगे तो हमारा विकास और जल्दी होगा, ऐसा मेरा मानना है।

मान्यवर, झुंझुनू जिले के बारे में, सीकर जिले के बारे में, अजमेर की प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा गया, सीकर के हर्ष के पहाड़ों पर जंगल लगाये की बात कही गई, चित्तौड़ की बात, पावर स्टेशन की, कहीं लिग्नाइट की बात आई, बाड़मेर के लिए, धौलपुर तापीय बिजलीघर की बात आयी और भी इस प्रकार के स्थान हैं जहां अलग-अलग क्षेत्रों में बजट की इस प्रकार की चर्चा आयी है। कहीं कोई उद्योग चालू किया जायेगा, कहीं संस्थान चालू किया जायेगा लेकिन झुंझुनू जिले में इस प्रकार का कोई संस्थान चालू नहीं किया जायेगा और मेरा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं जो इस प्रकार का उपेक्षित पहाड़ी क्षेत्र है। जहां पर विरोधी होने के कारण पूरा काम ठीक से नहीं हो सका है।

लोगों को दो दिन की यात्रा करने के बाद न्यायालय में जाना पड़ता है, वहां मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए। सीकर से लेकर कोटपूतली तक के रास्ते को नेशनल हाइवे के रूप में विकसित करना चाहिए।

दो कॉलेज खोलने की बात कही गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कि श्रीमाधोपुर जहां से एक माननीय मंत्री हैं वहां पर कोई कॉलेज नहीं हैं, खण्डेला से हमारे मंत्री महोदय हैं, उनके क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है और मेरे क्षेत्र में भी कोई कॉलेज नहीं है। दो कॉलेज खोलने की बात है। तीन-चार विधान सभा क्षेत्र से घिरे हुए एरिया हैं, इस प्रकार के क्षेत्र में कॉलेज खोलना चाहिए, यह मेरा मानना है। आज मेरे क्षेत्र में एक किसानों के सामने भयंकर समस्या है, वह है मंदिर माथे की जमीन और हमारी सरकारी सिवाय चक की जो जमीन है, उस जमीन पर किसान काबिज हैं लेकिन जमीन किसान के नाम पर नहीं है। उसके कारण मंदिर माथे की जमीन पर बिजली का कनेक्शन लेने में उसको कठिनाई आ रही है। मेरा यह भी कहना है कि इस प्रकार के डिसप्यूट राजस्थान में और भी कहीं जगह हैं, वहां किसान को बिजली के कनेक्शन देने की व्यवस्था करनी चाहिए और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह पहाड़ी क्षेत्र जो है, वहां पर पानी की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जमीन के नीचे पानी नहीं मिलता है। कॉपर में नौकरी करने वाले लोग हैं, वहां पर कॉपर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।

उस कारण मेरे क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन के अन्दर से पाइप लाइन जाती है।

(श्री मदन लाल सैनी)

उस पाइप लाइन के कारण से छोटे-छोटे टुकड़े हो गये। आज जमीन में सिंचाई नहीं हो सकती, उसकी बुवाई नहीं हो सकती। इस कारण कॉपर प्रोजैक्ट ने एक नियम बनाया था कि जिस जमीन के अन्दर से कॉपर प्रोजैक्ट की लाइन जायेगी उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी। अब यह व्यवस्था टूटी है। राजस्थान सरकार की भी उसमें व्यवस्था है। सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यह ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कापर प्रोजैक्ट के अधिकारियो पर यह दबाव डाला चाहिए कि जिन लोगों की जमीनें गयी हैं उन लोगों को इसमें शरीक करना चाहिए, उनके बच्चों को नौकरी में लिया जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बहुत बड़ी बात भूल गया था। वह यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के साहस की मैं दाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बजट बनाने में आज तक के रिकार्ड को तोड़ा है। यह रिकार्ड तोड़ा है मजदूरों के मामले में। मुझे ध्यान है कि पिछली सरकार के टाइम सात रुपए के बाद नौ रुपए मजदूरों की दैनिक वेतन वृद्धि हुई थी, नौ रुपए के बाद ग्यारह रुपए हुई थी, ग्यारह रुपए के बाद 14 रुपए हुई थी। यह पहला बजट है, बजट से पहले की राजस्थान सरकार है जिसने एक रुपए, दो रुपए की बार्गेनिंग मजदूरों के साथ नहीं की। उन्होंने मजदूरों के 14 रुपए से सीधे 22 रुपए किये हैं। इस बात के लिए मैं राजस्थान के मुख्यमत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उनसे यह आग्रह भी करूँगा कि जो निर्णय हुआ है, जो निर्णय प्रेस में दिया है, मजदूरों के रिप्रजेण्टेटिव्ज को दिया है उस निर्णय के अनुरूप गजट नोटिफिकेशन शीघ्र होना चाहिए। बन्द कारखानों की सुरक्षा के बारे में हमीं लोगों ने आन्दोलन चलाये थे, फिर वह कारखाना टौंक का टेनरीज का कारखाना हो, सवाईमोधोपुर की सीमेण्ट फैक्ट्री हो या ब्यावर के उद्योग हो। इन उद्योगों को दुबारा हम किस प्रकार चालू कर सकते हैं, इस बारे में बजट में चर्चा नहीं की गयी है। मैं चाहूँगा कि आने वाली व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इस बातों पर चर्चा होनी चाहिए, इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। राज्य सरकार का श्रम विभाग जिस प्रकार सो रहा है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसके बारे में कहना चाहूँगा कि उनको जरा कसना चाहिए। आज भी वहां पर हजारों मजदूरों के मुकदमे पैण्डिग पड़े हैं। उन पैण्डिग मुकदमों कोसुलटाने के लिए सभी जिला कार्यालयों में, जिला हैड-क्वार्डर्स पर एक अतिरिक्त श्रम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए ताकि मजदूरों के मुकदमों का निपटारा हो सके। मान्यवर, आपके माध्यम से यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने, जब मजदूरों के संगठन उनसे मिल थे, कहा था कि मजदूरों की छंटनी नहीं होगी, लेकिन आज अकेले सिंचाई विभाग में तीन हजार मजदूरों की छंटनी के नोटिस निकले हैं। इस प्रकार की छंटनी पर रोक लगायी जानी चाहिए। इसी प्रकार केवल ठेकेदारों द्वारा जो काम हो रहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदनलाल सैनी : इस काम को खत्म करना चाहिए। सरकार ठेकेदारी प्रथा को बन्द करे। सरकार के डिपार्टमैण्ट के कर्मचारी आइडल बैठे रहते हैं, फालतू का पैसा लेते रहते हैं। किन्हीं निहित स्वार्थों के कारण ठेकेदारों को जो काम दिया जा रहा है, यह बन्द किया जाना चाहिए। आपके माध्यम से इसको....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने काफी समय दिया; इसके लिए मैं आपका....

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारी तरफ से बहुत रह गये।

श्री मदनलाल सैनी : आपने जो समय दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी विश्नोई।

(अनुपस्थित)

माननीय मांगीलाल जी मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्मानीय सभापति महोदय, 27 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 1990-91 का वार्षिक बजट सदन में पेश किया। उस पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, देश का, प्रदेश का शासन चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था में वर्ष भर का आय-व्यय का ब्यौरा पूर्व में प्रस्तुत करना, उनके लक्ष्यों को मद्दे नजर रखते हुए राज कार्य के काम करने के तरीकों को प्रदर्शित करता है। इससे पूर्व भी कई बजट पेश किये गये, बजट के बाद में जनता की सुख-सुविधाओं का जो ध्यान रखा गया, प्रशासन के माध्यम से बजट को जिस तरह से लागू किया गया, उसके अनुरूप ही काम होते हैं। बजट के साथ-साथ सरकार की रीति-नीति, नेक-नियति पर निर्भर है कि वह किस तरह से जनता की सेवा करे। सम्माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसे बजट के माध्यम से यह दर्शाया है कि चुनाव में जो वायदे इन्होंने किये हैं, हमारे दल ने जो वायदे किये हैं जनता से, उसके अनुरूप यह बजट गांव का बजट है, किसान का बजट है, मजदूर का बजट है, गरीब का बजट है, असहाय का बजट है। यह इसी से साबित हो रहा है कि जैसे शरीर के लिए हवा और पानी की आवश्यकता है उसी रूप में इस भौतिक युग में समाज में जिन्दा रहने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है बिजली। आज इस प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज भी गांवों में अन्धेरा है। विशेषकर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा जहां बहुत ही विषमकारी स्थिति है कि आज 40 वर्ष के बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के आधे पंचायत मुख्यालय, जो आठ-आठ हजार की आबादी के गांव हैं, आज भी अंधेरे में डूबे हैं।

(154)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने इस बजट के माध्यल से ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनायी है, जिसमें अपने बजट का 24·9 प्रतिशत पैसा विद्युत के लिए लिया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटी-छोटी 33 और 11 के. बी. की लाइनों का जो प्रस्ताव किया है उससे ऐसा लग रहा है कि जो ग्रामीण बिजली के इस उपभोग से वंचित हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वह भी इस भौतिक युग में जीना सीख पायेंगे। इसी तरह बिजली के इस माध्यम से सिंचाई सुविधायें जब चलेंगी तो किसानों को, मजदूरों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग करने वालों को, जैसे कोई व्यक्ति आज भी जब गांव में बिजली नहीं है तो साइकिल चलाकर कशीदे की दुकान के लिए भी कस्बे में जाता है, वह अपने गांव में बैठकर अपनी मजदूरी करेगा, इस तरह के छोटे-छोटे लोगों को इससे राहत मिलने की सम्भावनाएं हैं। माननीय सभापतिजी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। भारतवर्ष अधिकांश गांवों का देश है और गांवों में किसान और मजदूर निवास करते हैं। किसानों को जो सिंचाई सुविधाएं दी गयी हैं उनमें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान करके 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र नया लेने का जो प्रयास है, जिससे विशेष रूप से वार्डर एरिया का विकास होगा, तो यह देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। यह प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। राजस्थान में मेरे क्षेत्र के लिए, जिसमें चम्बल कमाण्ड एरिया है, 40 लाख रुपए नहरों की मरम्मत के लिए इस बजट में रखे गये हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि छः तहसीलों के इस विशाल क्षेत्र में, जहां 300 से 350 के आस-पास माइनर वितरिकाएं हैं, यह सम्भव नहीं है कि 40 लाख रुपये में उन नहरों की मेण्टिनेंस कर पायेंगे। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि इस पैसे को बढ़ाया जाय। दुर्भाग्य से नहरों की गलत मेण्टिनेंस के कारण वह वाटर लाग्ड एरिया हुआ है। पूर्व में ड्रेंस खुदी हैं, उन ड्रेंस की सफाई के लिए 15 लाख रुपए रखे गये हैं। वह भी मेरी दृष्टि में अपर्याप्त हैं, बढ़ाये जायं। माननीय सभापतिजी, एक महत्त्वपूर्ण बात है कि आज से ठीक कुछ महीने पहले हम विरोधी दल के लोग थे। चम्बल कमाण्ड एरिया में सरकार के अधिकारियों की गलती से पानी का दुरूपयोग हुआ और उसके कारण वहां का सीपेज और वाटर लोग्ड एरिया बढ़ा और सरकार ने उसके सुधार के लिए कैचमेण्ट का काम शुरू करवाया। कैचमेण्ट में कई मनमानी हुई। आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किसान को वहां से 14 करोड़ रुपये का कर्जदार बनाया गया। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो जब सन् 1960 में वहां पर नहरें खुदीं, तीस वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद भी किसानों की सोना उगलने वाली धरती राज्य सरकार ली और उसके करोड़ों रुपये

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जो मुआवजे का सरकार में बाकी है, वह सरकार आज दिन तक नहीं दे पायी है और जो चन्द वर्षों पहले भूमि सुधार के नाम से जो-जो अव्यवस्थाएं, जो सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण खराब हुई थी, उस चौदह करोड़ रुपये को राज्य सरकार डण्डे के बल पर वसूल करना चाहती है। किसानों को अदालतों से नोटिस दिये गये हैं उसका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं और मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो स्वयं ने बीस-तीस हजार किसानों के आन्दोलन का नेतृत्व किया करते थे, वे अगर इन बातों को नकार देगें तो वह उस क्षेत्र के लिए, उस देश के लिए और उस प्रदेश के लिए, उस क्षेत्र के लिए जो सोना उगलती है, खाद्यान्न का अथाह भण्डार है, जो चम्बल कमाण्ड ऐरिया है, उन किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि 37 लाख रुपये जो मुआवजे का दिया गया है वह सन् 1960 की दरों से है। इसका ब्याज देखें कितना बनता है। मैं गणित का विद्यार्थी नहीं हूं। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो वर्षों से मुआवजा का पैसा बढ़ा है, उसकी सूचना देने की बात आती है जो कैचमेण्ट का पैसा है, जिनको आज अदालत के माध्यम से वसूल किया जा रहा है इस विसंगति को दूर किया जावे। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है कि उस क्षेत्र के लिए, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी और उस क्षेत्र के साथ न्याय होगा कि इसको सुधारा जाये।

माननीय सभापति महोदय, यह जो कनाड़ा सरकार के माध्यम से 84 करोड़ रुपये की सहायतार्थ जो लघु सिंचाई योजना है, यह जो अण्डर ग्राउन्ड पाइपलाइन के के माध्यम से जो ड्रेनेज की स्कीम है, यह पिछले दो वर्षों से अखबारों में आता है मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सरकार को कुछ भी करना पड़े इसके लिए यह 84 करोड़ रुपये आ जायें। तो उस क्षेत्र के लिए वो योजनायें बनेगी, जिस से वहां के किसान बच पायेंगे। उस क्षेत्र की जमीन बच पायेगी, इसमें केवल प्रसार किया जायेगा। इस तरह से टालम-टोल करने वाली बात से काम चलने वाला नहीं है। अगर उस क्षेत्र को बचाना है तो उसके लिए केन्द्र सरकार को पूर्ण प्रयास करने होंगे, इसके लिए केन्द्र सरकार को लिखा जाये और केन्द्र सरकार के माध्यम से जिस किसी तरह से भी यह पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया जाये। उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाये।

माननीय सभापति महोदय, जहां लघु सिंचाई की बात की जाती है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वास्तव में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जहां ज्यादा से ज्यादा पानी जो बरसात का पानी है राजस्थान में छोटे-छोटे तालाबों, जगह-जगह ऐनीकट्स बनाकर इनका उपयोग किये जाने वाली बात है, लघु सिंचाई की बात हैं, उसी रूप में यह बड़ा सराहनीय कार्य है। मैं सुझाव के रूप में निवेदन

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

करना चाहूंगा कि राजस्थान के कमाण्ड ऐरिया के अलावा आस-पास जो बारह महीने बहने वाली नदियाँ है उस क्षेत्र से अथाह जल भण्डार व्यर्थ में बह कर जाता है और चम्बल नदी है और कई ऐसी नदियां हैं जो बारह महीने बहती हैं, उनके सहारे-सहारे लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जायें, जिससे किसान को बहुत सारा अन्न पैदा करने का सहारा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, यह जो सराहनीय कार्य किया गया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। पर भविष्य में भी जो लघु सिंचाई योजनाओं में इस लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को अगर लिया जायेगा तो इस क्षेत्र के प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ी बात होगी।

माननीय सभापति महोदय, इस सहकारिता के माध्यम से कर्जे माफी की, जो 170 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये गये हैं जिनमें 13 से 14 लाख छोटे किसानों को, मजदूरों को, बुनकरों को लाभ होगा, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। पर माननीय सभापति महोदय, यहाँ सहकारिता के माध्यम से यह जो बात कही गई है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विशेष कर के इसके निमित्त जो गृह सहकारी निर्माण समितियों का जिक्र किया है अभी हाल ही में सहकारी विभाग द्वारा खुले शिविरों में की गई जांच से इस प्रकार की अनियमिततायें व्यापक पैमाने पर पाई गई हैं। जयपुर की गृह सरकारी समितियों की जांच सहकारी समितियों के शुद्धिकरण की शुरूआत है। गृह निर्माण सहकारी समितियों की इस प्रकार खुले शिविरों में जांच अन्य बड़े शहरों में भी करवाई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरह से जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियाँ किन्हीं भी नगरों की सहकारी समितियाँ होगी 400-500, बाकी राजस्थान के 7351 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम सहकारी समिति होती है। आप ही नहीं सम्पूर्ण सदन में विराजमान माननीय सदस्य सभी जानते हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में लाखों और करोड़ों के घोटाले हैं। उनके लिए भी मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस तरह से खुले शिविर लगा कर के उनकी जांच करवाई जावे। व्यवस्थापकों के नाम से दुःख का विषय है एक-एक व्यवस्थापक के नाम एक-एक व दो-दो लाख रुपये के गबन हैं और आज भी माननीय सहकारिता मंत्रीजी कह रहे थे हम बाध्य है, क्यों बाध्य है? सरकार किस तरह से बाध्य है? आप इस तरह के कानून बनाइये। कोई पहुँचा हुआ आदमी है, कोई ऊंचा आदमी है। कोई ओहदे पर बैठा है, ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार करेंगे और आप अरन्तु, परन्तु लगा कर के नियमों की आड़ लेकर के अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि उन गरीबों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, उन गरीबों के साथ कुठाराघात होगा।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन गृह निर्माण सहकारी समितियों की खुली जाँच होकर के उन भ्रष्टाचारियों को नंगा किया जा रहा है इसलिए राजस्थान के इन चार करोड़ लोगों के जिनमें से अधिकांश गाँवों में ग्रामीण सहकारी समितियों में किसान हैं, मजदूर हैं जो वहाँ से कर्जा लेकर के, खाद लेकर के, बीज लेकर के अपना रोजगार चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी का साधन चलाते हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और आज सहकारिता तो भ्रष्टाचार के नाम से जानी जाती है। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में पुनः निवेदन करके आग्रह करूंगा कि ऐसी ग्रामीण सहकारी समितियों की पुनः जाँच करवा कर के ऐसे लोगों को + + + उनसे पैसा वसूल किया जाये। उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमें दर्ज किये जावें।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर के छात्राओं के लिए जो निःशुल्क शिक्षा दी गई है वह बहुत सराहनीय कार्य है, इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा के नाम से मेरा अभी परसो विधान सभा में प्रश्न था। उसमें बताया गया है कि राजस्थान के पिछले वित्त वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा के नाम से छः करोड़ तेईस लाख रुपये, खर्च किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा के नाम से तीन करोड़ चौवन लाख रुपया खर्च किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हम सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले माननीय सदस्य जो हाऊस में विराजमान है। जो स्वयं जानते हैं कि यह अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जिस तरह से सरकार के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है एक खुली जाँच हो और आप सब जानते हैं इसलिए इस तरह से इस पैसे पर अगर अंकुश लगाया जाये तो इस तरह से स्कूल की बिल्डिगें बनेगी। नये अध्यापकों को वेतन मिलेगा और यह जो सरकार के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है कहीं नहीं है। नाम माण्ड देते हैं, पढ़ने वाला कोई आता नहीं है और सारे पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। माननीय सभापति जी, राजस्थान में बीस हजार और दस हजार इस तरह के केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के चलाये जा रहे हैं. यह पैसा बरबाद करने के अलावा और कोई साधन दिखता नहीं है। रोज पढ़ने आते नहीं हैं। राजस्थान की जो परिस्थितियाँ हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इस पैसे को भी रोका जाये तो कुछ जनता का भला होगा। मैं ज्यादा नहीं कह करके माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण के माध्यम से जो 17 प्रतिशत पैसा इस बजट का खर्च किया जा रहा है वह माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत ही सराहनीय कार्य है इसमें गरीब

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

तबके के फायदे की बात की जा रही है इसमें 27 छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं ऐसे कार्य की प्रशंसा करता हूं और इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति व जनजाति के नाम से सम्पूर्ण राजस्थान में जो छात्रावास हर गांवों, कस्बों और नगरों में चलाये जा रहे हैं उनकी अत्यन्त ही दयनीय स्थिति है। वहां 15-15 वर्षों से जो सामान दिये गये हैं, ओढ़ने के बिस्तर दिये गये हैं उसके चिथड़े हो रहे हैं। कहीं-कहीं तो उनकी ऐसी स्थिति है जिससे अच्छी स्थिति तो जेलों की हो रही होगी। अगर इसमें उसके लिए कोई परचेंजिंग का होता तो यह बहुत सराहनीय कार्य होता। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि वह गरीब छात्र जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं वहां काल कोठरियों में रहते हैं, बिजली की व्यवस्थायें नहीं है, नल नहीं है वहां, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां, वह पैसा नये छात्रावास खोलने की बजाय, अगर उनकी सामान परचेंजिंग हो जाती तो उनको सहारा मिलता।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

आप घण्टी बजा रहे हैं इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं कह करके केवल यही कहूंगा कि मैंने जो थोड़े से सुझाव दिये हैं वह गरीब लोगों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के लिए कोआपरेटिव के माध्यम से है, किसानों के लिए है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए हैं अगर यह सुझाव जो मैंने दिये हैं,

सरकार माने तो गरीब क्षेत्र के लोगों का गरीब वर्ग के लोगों का भला होगा। मैं ज्यादा नहीं कह कर जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सराहनीय है। गाँव का, किसान का, मजदूर का, अपाहिजों का, इसमें कर्ज माफी की बात आयी है जो अपने वायदे निभाने की बात है, वृद्धावस्था पेन्शन की बात आयी है, सुधार होगा, जो कुछ होगा अपना जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तब सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, जो कुछ भी आपने कहा है उसको मानते हुये, यह जो एक सराहनीय कदम है।

मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीलाल जी।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सम्बोधित करते हुए इस सरकार के बारे में फरमाया था कि सरकार का विशेष दायित्व बना है कि जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये कारगर कदम उठाये और प्रदेश का तेजी से विकास करने व स्वच्छ प्रशासन देने का जनादेश है, सरकार की रीति-नीति की यही दिशा होगी।

(श्री लक्ष्मीलाल)

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इस विषय में इस सत्र में 4 महीने की पूरी सोच के बाद जो परिवर्तित बजट पेश किया है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से यह जो बजट पेश किया है वर्ष 1990-91 का, उनके भाषण के 57 पृष्ठों में और 159 पैराज में जो बजट प्रस्तुत हुआ है। इस बजट के बारे में, जब बजट पेश किया गया था तो 20-21 बार सदन की मेजें थप-थपाई गई थीं। बड़ी गम्भीरता से और उत्साह से सदन में यह बजट पेश हुआ था और माननीय सदस्यों ने भी बड़ी गम्भीरता से इसको सुना था। 20-21 बार की तालियों में एक बार तालियां उस वक्त भी बजीं जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने खच्चरों और गधों पर 2 रुपये की बजाय 10 रुपये रवन्ना फीस लगायी थी।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार के जो दायित्व की बात महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है उस गम्भीरता के अनुरूप अगर इस बजट को लिया जाता, अगर इस बजट में आमूल-चूल परिवर्तन जैसी कोई बात होती, यदि इस बजट में सारभूत या आधारभूत कोई बातें होती तो मैं निश्चित रूप से इस बजट का स्वागत करता। 2 दिन से जो सामान्य वाद-विवाद में पक्ष और विपक्ष में जो वक्ता बोल रहे हैं, उसमें कुछ व्यक्तिगत प्रशंसा और सरकार की प्रशंसा के शब्द सुनने को मिले हैं और कुछ बड़ी गम्भीरता से दूसरे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी इसको लिया है। इसमें इस बात को दर्शाया है कि सरकार की जो सोच है 4 महीने के अध्ययन के बाद में प्रशासन तंत्र के और सारी बातों के सार के बाद में जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में दिशा निर्देश न आर्थिक दृष्टि से और न राजनीतिक दृष्टि से है यह बात बिल्कुल सही है। वैसे इस बजट को आर्थिक दृष्टि से हम लें तो स्पष्ट अभिव्यक्ति के तौर पर हम यह तो नहीं कह सकते कि यह बजट पूंजीवादी पोषक है या साम्यवादी है समाजवादी है लेकिन जो रूप-रेखा बजट की पेश की गयी है, जिस तरह से बजट के आंकड़े हैं उनके बारे में मैं स्पष्ट रूप से यह धारणा अपनी निजी पर व्यक्त कर रहा हूं कि इस बजट में शाब्दिक और औपचारिकता के सिवाय और कुछ नहीं है।

बजट में कुछ नये शब्द भी सुनने को मिले हैं जैसे अभिभाषण में आये थे कि हम "अन्त्योदय योजना", दूसरी और कुछ योजनायें गरीब की गणेश मानकर, गोपाल योजना आदि जो देखने में और सुनने में बड़ी एट्रेक्टिव लगती हैं लेकिन इसके पीछे जो बजट के आंकड़े हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी हमें, पिछली सरकार के बजटों को कोसते रहे हैं कि इसमें सिवाय आंकड़ों के और कुछ नहीं है लेकिन वह भी इस बजट में आंकड़ों में ही फंसे हुये हैं। इस बजट के अन्दर आधारभूत जो बातें कही गयी है, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य जो गांव के धरातल से जुड़े हुये हैं उनकी अन्तरात्मा यह कहती है कि आमूल-चूल परिवर्तन करने की दिशा में इसमें कुछ भी नहीं है। आज यह कहती है कि किसानों के प्रति यह बजट सहानुभूति का है मैं सदन के सामने, माननीय सभापति

(श्री लक्ष्मी लाल)

महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता किसान है, कृषि के कार्यों पर, पशुपालन के कार्यों पर, कृषि उद्योगों पर या मजदूरी पर आधारित है, इस 80 प्रतिशत जनता तक हमारे देश की मुद्रा चलन में 20 प्रतिशत ही इनके यहाँ तक पहुंची है। यानि मनी सर्कुलेशन 80 प्रतिशत जनता के अन्दर केवल 20 प्रतिशत है और 20 प्रतिशत उद्योगों और व्यापारी है, उनके हाथों में 80 प्रतिशत मुद्रा का चलन है। मैं अगर इस बजट का बड़े हार्दिक रूप से स्वागत करता यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस दिशा में इस बजट में कुछ दिशा देते।

आज जो यह बजट पेश हुआ है उसके अन्दर कुल मिलाकर के आंकड़ें बता दिये हैं कि पिछली सरकार का बजट इतना था और इस बार हम इतना बजट पेश कर रहे हैं। 20 प्रतिशत अधिक धनराशि हमने इस बजट में विकास विनियोजन में जुटाई है। इसका सीधा सा अर्थ यह हो सकता है कि जो उसके अन्दर आँकड़े हैं और हम कुछ बढ़-चढ़ाकर पेश करते लेकिन आमूल-चूल परिवर्तन के नाम पर इस बजट में क्या हुआ क्या ऐसी सोच है जिसको हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह बजट आम लोगों के लिये, गरीबों के लिये कुछ दिशा निर्देश देने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, 161 करोड़ रुपये इस बजट के इजाफे में हमने जो लक्ष्य इसके अन्दर देखें हैं, बजट के अन्दर वित्त मंत्रीजी ने बजट के पैरा 7 के अन्दर कुछ बातें दर्शायी हैं। जिसके अन्दर उन्होंने यह बताया है कि गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिये देश के 14 प्रगतिशील प्रान्तों के मुकाबले में हमारा 13वां स्थान है। इसी तरह से अस्पतालों की सुविधा में हमारा 12वाँ स्थान है, गांवों को पेयजल सुविधा में 12 वां स्थान है और प्रति व्यक्ति विकास कार्यों पर खर्चे की दृष्टि से हम आठवें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति आय में 9 वें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में भी 9 वें स्थान पर हैं, रासायनिक खाद के प्रयोग में 13 वां स्थान है, शिक्षा के क्षेत्र में आखिरी 14 वें स्थान पर है और आधारभूत सुविधा में हमारा स्थान 13 वां है। मैं बड़ा अनुगृहित होता यदि वित्त मंत्रीजी इस बजट के पेश करने के बाद एक पैरा और जोड़ देते कि इस बजट के बाद में हमारा स्थान कौनसा हो जायेगा। यानि जो हमारा पिछड़ापन है उसमें हमारा लक्ष्य क्या होगा और हम इस बजट में कितना लक्ष्य पूरा कर लेंगे? क्या राजस्थान में जिस तरह का बजट पेश हुआ है देश के अन्य प्रान्तों में नहीं होगा, क्या उस प्रगति की दौड़ में हम आगे कुछ कर सकेंगे और हमारा उसमें कौन-सा स्थान होगा?

प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि इस बजट के बाद में हमारी पर कैपिटा इन्कम क्या होगी और हमारे गाँव के है, जो जरूरतमंद लोग है, किसान हैं और नीचे से नीचे के तबके के लोग हैं, उनको हम कितना इस बजट से फायदा पहुंचायेंगे, हमारे बजट का कितना पैसा वहां तक पहुंचेगा बड़े लम्बे-चौड़े हमारे इस बजट में जो आंकड़े दिये हैं उसके अन्दर 4881·37 करोड़ का एक्स-

(श्री लक्ष्मीलाल)

पैण्डिचर है और उसके अन्दर 956 करोड़ रुपये की वार्षिक विकास की योजनाएं है हमारे सामने। उसमें यह बताया गया है कि 60 प्रतिशत खर्चा हम इस बजट का उसके ऊपर कर रहे हैं। यह 60 प्रतिशत खर्चा बजट का नहीं है टोटल एक्सपैण्डिचर जहां हमारा 4881·37 करोड़ रुपये का है वहाँ मात्र हम 956 करोड़ रुपये विकास योजनाओं पर जुटा रहे। यह ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो 60 प्रतिशत बजट के खर्चे की बात है वह सरासर भ्रामक है केवल विकास योजना का प्रतिशत है उसके बारे में यह आँकड़े हो सकते हैं लेकिन उसके अन्दर भी मैं आपसे निवेदन करूं वह भी आंकड़े 60 प्रतिशत के किसानों को सीधे लाभान्वित करने वाले नहीं हैं।

मैं उदाहरणार्थ आपसे निवेदन करूं राजस्थान की विद्युत की मद में जो हमने 238 करोड़ का प्रावधान किया है उसके अन्दर हम मात्र 75 करोड़ का खर्चा ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं तो सीधा लाभ तो 75 करोड़ का ही गांवों तक पहुंचा 238 करोड़ का लाभ तो बाकी शहरों में रहा। शहरों के अन्दर विद्युत की योजनायें लागू हो जायेंगी, बिजली मिल जायेगी। गांवों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आँकड़े उसके अन्दर दिये हैं, माननीय मंत्री महोदया ने यह बताया था कि हम केवल तीन हजार ही नये कनेक्शन इस साल दे सकेंगे। इस बजट के 238 करोड़ के खर्चे के बाद में और यह जो तीन हजार नये विद्युत कनेक्शन इस राजस्थान के लिये जहां पर यह बात बताते हैं कि कितने कनेक्शन बाकी हैं, उसमें से भी पैण्डिग जो 25 हजार की बात है उसके अन्दर भी यह तीन हजार के कनेक्शन की जो बात है वह नगण्य है, उसका कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। उसका कोई लोगों को उनकी जरूरत के मुकाबले सैटिसफैक्शन होने वाला नहीं है।

इसी तरह से जो बजट की दूसरी बातें हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहता। हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य जो भरतपुर से पधारे हैं उन्होंने फरमाया कि कांग्रेस की ओर से भी इस बजट के अन्दर रचनात्मक सुझाव आने चाहिए। मैं ज्यादा इस बजट के अन्दर जो आंकड़े हैं और जो इन आंकड़ों में उथल-पुथल है, उसमें जो प्रशंसा है उसके बारे में नहीं सोचता। मैं यह सोचता हूं कि यह जो आधारभूत बातें हैं, किसानों के विकास की और देश की तरक्की की, गांवों का जब विकास होगा, गांवों का किसान जब खुशहाल होगा तो देश की तरक्की होगी और देश की तरक्की के लिये जो हमें दिशा निर्देश चाहिए वह क्या होने चाहिये। यदि योजना का कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कृषि के सुधरे उपाय कई दशकों से किसानों तक पहुंचाये जा रहे हैं लेकिन शोधकर्त्ता और किसानों के बीच सम्पर्क और तालमेल अभी भी बहुत कम है। उत्पादन संरक्षण, विपणन, भण्डारण और फसल संरक्षण आदि की जो एक मुश्त तकनीक किसानों तक पहुंचनी चाहिए उसके बारे में कोई कारगर उपाय इस बजट में नहीं है केवल कृषि के मद में हम लें तो कृषि के मद में जहां पर सारे बजट के 20·3 का इज। प

(श्री लक्ष्मीलाल)

यह बताते हैं, आंकड़ों में कृषि के ऊपर हमारी योजना का जो खर्चा है वह मात्र 8·7 है। इसी तरह से ग्रामीण विकास के अन्दर....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पशुपालन कृषि और ग्रामोद्योग है, इस बजट में इनकी घोर उपेक्षा है और जब तक इस बात के ऊपर ज्यादा प्रावधान नहीं रखा गया इस वजह से यह जो बजट है, यह इस देश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है, इसकी प्रगति को और विकास को आगे बढ़ाने वाला नहीं है बल्कि इसकी प्रगति को रोकने वाला और अवरुद्ध करने वाला है। सभापति महोदय, यह बातें इस बजट के अन्दर दूसरी तौर से उठाई हैं उन सब बातों के ऊपर मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

रोजगार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं सोचता हूं कि अब दूसरे वक्ता को भी अपना भाषण समाप्त करने जितना समय नहीं है इसलिए यह समय मुझे दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय तो बढ़ाया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीलाल : सभापति महोदय, यह बहुत सारी बातें इसके अन्दर उठाई हैं। ऋण माफी वाली बात संक्षेप में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। 170 करोड़ रुपये का प्रावधान हम कर रहे थे, 30 करोड़ हमारे बजट से, 140 करोड़ नाबार्ड से और रिजर्व बैंक से और आदि सहायता केन्द्र से हमारे बजट में यह तीस करोड़ का प्रावधान है। दस हजार रुपये यदि हम एक काश्तकार के माफ करते हैं तो सारे राजस्थान में तीन हजार आदमियों के कर्जे माफ होते हैं और तीन हजार आदमियों के अगर कर्जे माफ होते हैं तो राजस्थान में लगभग साढ़े सात हजार पंचायतें हैं और साढ़े हजार पंचायत हैं तो ढाई हजार पंचायत में हर एक आदमी का कर्जा माफ करते हैं। यह कौन सी बात है कर्जे वाली जो इसके लिये इतना चिल्लाया जा रहा है। इसी तरह से 170 करोड़ रुपये के आप ले लीजिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह फरमाया है। इसके अन्दर केलकुलेशन कर लीजिए, आंकड़े आपके पास है। आप देख लीजिए अगर इसमें गलती हो तो आप बताइये।

श्री टीकमचन्द कान्त : आँकड़ों का अध्ययन थोड़ा आवश्यक है। थोड़ा और अध्ययन कीजिए, गलत आंकड़े बोल रहे हैं आप।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय सभापति महोदय, 170 करोड़ रुपये के जो ऋण माफ करने की बात कही है उसमें 13·14 लाख आदमियों के फायदे वाली बात कही है वह सरासर गलत है, असत्य है। आप औसत निकालिये 1214 रुपये प्रति व्यक्ति आते हैं अगर 170 करोड़ रुपये के आँकड़े अगर हम इस तरह से लेते हैं तो भी 1214 रुपये

(श्री लक्ष्मीलाल)

मात्र एक काश्तकार के एवरेज माफ होते है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, यह जो दस हजार रुपये के कर्जे अगर हम माफ करते हैं तो 170 करोड़ रुपये के प्रावधान में एक लाख सत्तर हजार आदमियों के कर्जे माफ होते हैं यह जो 13·14 लाख की बात कही है यह बिल्कुल भ्रामक बात है। यह जो बजट के अन्दर 13·14 लाख का केलकुलेट करके बताया, एक लाख सत्तर हजार आदमियों के कर्जे माफ होते हैं अगर दस हजार के हिसाब से माफ होते है तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं....

(5·50 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति पदासीन)

मेरा सरकार से यह निवेदन है कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई सोच किया है ? मैं इस ऋण माफी के बारे में भी एक बात अर्ज करना चाहता हूं। क्या सरकार इतनी बात करके और चुनावों के वायदे में जो बात उठाई है उसको पूरी करके क्या उसका यह सोच है कि यह जो ऋण माफी की बात है, यह बात किसानों को ऋण से उन्मुक्त कर देगी। क्या इस ऋण माफी की योजना के बाद और इतना ऋण माफ होने के बाद में किसान ऋण मुक्त हो जायेंगे और क्या यह सदैव-सदैव के लिए जो कर्ज आज माफ हो रहे हैं, प्रतिवर्ष इसी तरह से माफ होते रहेंगे। मेरा एक निवेदन है, एक सजेशन है इसके बारे में कि मौलिक विचार इस मामले में सरकार का नहीं है। यह किसानों के हित में नहीं है। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूं, मैं किसान हूं और मनी सरक्यूलेशन में किसान होगा तो वह अपना विकास कर सकेगा। एक बार ऋण माफ होने से किसान का कोई भला होने वाला नहीं है और आपका कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है।

आपकी यह ऋण नीति नहीं है। आपकी यह ऋण नीति होनी चाहिए। आज किसानों ने कर्जे के जो तीन हजार रुपये लिये हैं उसके ऊपर पन्द्रह हजार रुपये हो गये हैं। आज आपके ऋण की जो ब्याज दर है वह 13, 14, 18 प्रतिशत पेनल ब्याज लगाने पर बहुत बढ़ जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि किसानों के हित में वह सोचते तो ऐसी राष्ट्रीय ऋण नीति बनाते जो किसानों को मनी सर्कुलेशन में लेती और किसानों को हमेशा-हमेशा के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलता। एक बार आप कर्जा माफ कर देंगे कोई उसका भला होने वाला और देश की बहुत प्रगति होने वाली बात नहीं है। मैं इसके अन्दर आपको, सरकार को यह सुझाव देता हूं कि यदि सरकार यह सोच लेती कि 6 प्रतिशत ब्याज के ऊपर मूल पूंजी से डबल तक उसके बाद ब्याज बन्द हो जाये। किसानों को जो ऋण लेने में असुविधा है उसकी प्रक्रिया को सरल कर किसानों को पास बुक जारी करें, बैंकों के जरिये उनका खाता और उनका लिंक बैठा

(164)

(श्री लक्ष्मीलाल)

कर और किसानों को हर वक्त जिस तरह से जब भी जरूरत हो विदड्रावल के जरिये पैसे की व्यवस्था करें और सरकार अगर ऐसी व्यवस्था करती है और उसके बारे में जो बजट में यह घाटा होता है उसका घाटा अगर सरकार इससे पूरा कर लेती तो किसानों के दिल में भी एक मनोवृत्ति यह नहीं आती है हम ऋण लेगें और सरकार आगे माफ करती जायेगी यह तो एक कुंठित करने वाली नीति है। किसानों को आगे बढ़ाने वाली ऋण नीति नहीं है और इस ऋण नीति से किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसलिए यह जो ऋण माफी की बात है उसके बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की एक बात मैं करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फरमाया कि भ्रष्टाचार का जो मामला है उसके अन्दर सुझाव देवें कि यह कैसे दूर हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आसन के जरिये सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का मामला दो तरफा है जनता से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी। यहां पर इस मौजूदा कानून में भ्रष्टाचार के लिए ऐसा कानून बना हुआ है कि यदि कोई शिकायत करता है तो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। दोनों को ही उसके अन्दर सजा मिलेगी। जब कोई यह शिकायत करता है कि किसी ने रिश्वत ली तो रिश्वत देने वाला तो यह बात स्वीकार करके जाता है कि मैंने रिश्वत दी लेकिन रिश्वत लेने वाले की बात अगर साबित नहीं होती है तो रिश्वत लेने वाला तो गुनाहगार है यह कानून का प्रोविजन है इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इसको आप एक तरफा बनाइयें इस तरह से प्रदेश में कोई ऐसी घटना होती है किस की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं उसी तरह से आप इस रिश्वत के मामले में भी आप ऐसी नैतिक जिम्मेदारी डालिये प्रशासन की कि यदि पटवारी रिश्वत लेता है तो उसके ऊपर उसका जो इमिजियेट सुपोरियर है वह भी उसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है और तहसीलदार रिश्वत लेता है तो उसके लिए नैतिक रूप से कलक्टर भी जिम्मेदार है और अगर कलक्टर भ्रष्टाचार करता है राज्य का मुख्य सचिव भी उसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है ऐसी नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी जिम्मेदारी आप उस पर डालिये और उसको एक तरफा करिये कि रिश्वत लेने की शिकायत कोई भी आम आदमी शासन तक पहुँचाये और उसके बाद उसकी पूरी कारगर कार्यवाही हो, मैं भ्रष्टाचार के मामले में यह अर्ज करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्रीजी के पास मंहगाई के बारे में मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह पांच मिनिट का समय है इसको और बचा लें तो पांच मिनिट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : दो मिनिट में समाप्त करें।

(65)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री भंवर लाल शर्मा (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया।

परिवर्तित आय-व्ययक 1990–91 पर अग्रेसर वाद-विवाद

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय सभापति महोदय, महंगाई के बारे में बड़ी जोर शोर से महंगाई की बात को लेकर के और चुनाव मैनिफैस्टो से लेकर अब तक बड़ी गूंज होती रही है। मैं इस महंगाई के बारे में माननीय सभापति महोदय, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह महंगाई का मामला डिमाण्ड और सप्लाई के बीच का मामला है। मांग और पूर्ति का मामला है। जब पूर्ति नहीं होती है और मांग ज्यादा होती है तो चीजें महंगी होती है और इसको ठीक करने के लिए भी प्रशासन हित के अन्दर, सरकार हित के अन्दर मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा करती है। सरकार जमाखोरी को कम करके जनता और प्रशासन तन्त्र को और दूसरी चीजों को सब तरह से व्यवस्थित करके इस महंगाई के ऊपर नियन्त्रण किया जा सकता है लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि पिछले चार महीनों में महंगाई की रफ्तार जिस ढंग से बढ़ रही है वह डिमाण्ड और सप्लाई के बीच का मामला न होकर वितरण व्यवस्था की खराबी, जमाखोरी और इस तरह के दूसरे कारणों से महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई को बढ़ने में सरकार की तरफ से कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं। इसका परिणाम यह है कि महंगाई हर तरह से बढ़ रही है। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, बहुत सी योजनायें जो पिछले समय में पिछली सरकार की है आज भी वह प्रचलित है और उन योजनाओं के बारे में माननीय सदस्य बड़े उसके हिसाब से कहते आये हैं, मैं यह कहता हूँ कि पिछली सरकार की कम से कम सौ ऐसी योजनायें, विशिष्ट योजनायें जिनका लाभ गांवों तक पहुँचा है और पिछली सरकार का जो ग्राफ बना हुआ है उससे आप आगे सोचिये। जो बजट पेश किया है इस सरकार ने वह इससे आगे सोचे। मैं माननीय सभापति महोदय, एक ही बात का सुझाव देते हुये यह कि, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में ताहीं में सुख ले। भूत काल बीत चुका उसके लिए आप चिन्तित न हो जो ग्राफ बन चुका है वह आपके सामने है और जो भविष्य है उसके बारे में आप चिन्ता न करें वह आपके बस की बात नहीं है वर्तमान जो कुछ भी उसको आप सुधारें इसी सुझाव के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण

(166)

(श्री लक्ष्मीलाल)

करता हूँ। समय मिला उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह।
(अनुपस्थित)

श्री मिश्रीलाल चौधरी।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (लाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा जो वित्त मंत्री के रूप में बजट भाषण पेश किया गया उससे काफी सहमत होते हुये इसका स्वागत करता हूँ इसमें एक बात खास करके मुझे याद आती है जब चुनाव के पहले यह भाषणों में हमारे आया करते थे और जो भी वायदे करके हमने वोट लिये उनमें काफी बातें हमारी जो कमी रह जाती है, मेरे एरिये के हिसाब से खास करके इस बजट में ढूँढ़ रहा हूँ और काफी जगह मिल नहीं रही है। ऐसी हालत में मैं जैसे ढूँढ़ रहा हूँ स्कूल शिक्षा के बारे में बारे में मेरे एरिये में कॉलेज चाहिए तो मेरे हिसाब से दो कॉलेज में से मुझे कितना फण्ड आयेगा। यह बात मैं पूछने पर बाद में बता पाऊँगा कि कितनी हाथ आ रही है। स्कूलों के मामले में पंचायत समिति के जो प्रस्ताव हमारे पास आते हैं एम. एल. ए. साहब भेजते हैं कि हमारे 10 स्कूल प्राइमरी खुलवा दो, 10 स्कूलें प्राइमरी की मिड़िल करवा दो और पांच स्कूलें जो मिड़िल हैं उनको हायर सैकण्डरी करवा दो पर इस बजट में हमारा कहीं प्रस्ताव नहीं दिख रहा है हम उन्हें क्या जवाब दें कि आपकी स्कूल बढ़ाई जायेगी और इसके साथ ही कालेज की जो मैंने बात अभी आपको बता दी है। जैसा कि मैंने पहले कहा बजट स्वागतयोग्य है इसमें कुछ राहत टैक्स की है, कुछ नये लगाये गये हैं उसमें व्यापारियों के लिए जो सरलीकरण हुआ है उसके लिए और भी सुविधाजनक हो गया और जो टैक्स लगे हैं जैसे आपको पहले बताया गया मेलों पर, जानवरों पर वह थोड़ा हमें अटपटा लग रहा है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि जानवरों पर टैक्स लगाना, उन मूक जानवरों पर उचित नहीं है। जैसा भी उचित समझे इसकी और तरह से वसूली की जाये और उनको बख्शा जाये। पानी के बारे में मैं सोच रहा हूं कि काफी हमारी जो जनसंख्या बढ़ने से साथ-साथ पिछली सरकार ने जो भी असुविधायें क्रियेट की है आज पिछली गर्मी में हमें कटु अनुभव हुआ। सरकार के चुनते ही जनता ने पानी मांगा पानी के लिए हमने पी.एच.ई.डी. आफिस में कान्ट्रक्ट किया तो वह बता रहे हैं हमारे पास सैंक्शन नहीं है। 100 फुट 50 फुट पाइप नहीं लगा पाये कोई हैण्ड पम्प खोदने की सुविधा उनको मिली हुई नहीं है। वह तो कहते हैं कि सरकार की सैंक्शन नहीं आई हुई है। अकाल राहत कार्यक्रम के मार्फत भी और भी कई तरह अधूरे कार्य रहे जो आज भी सैंक्शन की वजह से अधूरे पड़े हैं भी वह भी पूरे नहीं हो रहेहैं।

मैं सरकार मे मांग करूंगा कि जो एनिकट्स हैं उनको पूरा करवाया जाय। बिजली के कनेक्शन के बारे में तो एक बहुत बड़ी बिडम्बना रही है कि जो सरकार द्वारा 25000 कनेक्शन की घोषणायें की गई

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

थीं उसमें से बीस-पच्चीस हजार के तो कांग्रेस ने ही पैसे जमा करा दिये। नये कनैक्शन अपने खाते में कितने दे पायेंगे यह तो हम इस बार नहीं कह पायेंगे। विशेषकर मैं मेरे एरिये की बात बता सकता हूँ। इसमें लोड एक्सटेन्शन की 77 फाइलें भरी हुई हैं जिनमें इमिजिएट एक्शन होना चाहिए। कुओं में पानी गहरा चला गया था उसके कारण जो लोड था उसके हिसाब से किसानों की सिंचाई नहीं हो रही थी। लोड एक्सटेन्शन की फाइलों में फोर्टी सेवन फाइव के पैसे जमा हो पाये पर उनको अभी तक कनैक्शन नहीं दे पाये। मैंने बिजलीघर में, जाकर पूछा तो उन्होंने मैटीरियल रिक्वायरमेन्ट की जो मांग बताई उसको में सदन के सामने पेश कर दूँ। 100 के.वी. के तीन ट्रान्सफार्मर, 63 के 34, और 25 के पांच। मेरे एरिया में 44 नम्बर के ट्रान्सफार्मर चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर कनैक्शन भी बहुत पेण्डिंग हैं, उसमें से जो नम्बर बता रहे हैं, मेरे ख्याल से पुरानी फाइलों के अलावा पांच दस कनैक्शन नये आ पायेंगे। इसके साथ ही आपने जो बताये थे जी.एस. एस और एक्सटेन्शन के, वह भी बात बताई हुई है। पैरा नं. 19 के तहत 33 के. वी. लाईन बिलाड़ा से खारिया मेहतापुर की सात किलोमीटर लाईन जो बोरूंदा, बासपुरा, 33 के.वी. लाईन के, बासपुरा पर एक नई 33 इलेवन सब-स्टेशन का निर्माण इस वर्ष करवाना था। वह सैक्शन होने के बाद भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ जो कि शुरू करवाया जाये। ब्यावर से जोधपुर जाने वाली 220 के.वी. की लाईन का सब स्टेशन बिलाड़ा में बनवाया जाय ताकि वोल्टेज की भारी किल्लत है उसको भी मेन्टेन रखा जा सके। सभापति महोदय, बिलाड़ा डबल क्रोप एरिया है और इसमें कई तरह के ग्रीन फोडर वगैरह की फसलें होती हैं उसके लिए भी बिजली बहुत कम मात्रा में मिलता है। पिछले समय में बिलाड़ा एरिया में दो नगरपालिकाओं के क्षेत्र थे जिसमें टोटली कृषि एरिया होने के नाते उसमें न तो कोई रूल की फैसेलिटी मिली, और नगरपालिका होने के कारण काफी कनैक्शन्स पेण्डिंग रह गये। मैं सदन से मांग करूंगा कि अगर नगरपालिका क्षेत्र में कृषि की सुविधाएँ देनी थी तो पिछले बकाया कनेक्शन तुरन्त देने के आदेश फरमावे। बजट पर बोलते हुए मैं थोड़ा और एड करवा दूँ कृषि के बारे में फसली बीमा की जो हमने पहले बात की वह भी जरूरी है, किसानों को ओलावृष्टि से अतिवृष्टि से होने वाले नुकसानों का मुआवजा दिया जाय। सरकारी बैंकों से लोन वगैरह दिया गया उसका भी हमको काफी कटु अनुभव रहा। लोन माफ होगा, अभी तक हम यह नहीं कह पा रहे कि किसका माफ होगा या किसका नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि जिस हालत में हम लोग गांव में घूम-घूम कह रहे थे, इसलिए वही मामला रखा जाय कि जिसका भी लोन है 2 अक्टूबर 89 तक का, चाहे वह ओवर ड्यू है या नॉन ओवर ड्यू, सबका माफ किया जाय दस हजार तक। ताकि अपनी वह बात रह सके। मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य श्री चुन्नी लाल जी इंदलिया और

168

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

जगमाल सिंह जी ने जो भी बात कही, मैं उनके भाषण में कही लोन माफी की बात का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि अगर हम जनता से किये वायदे पूरे नहीं करेंगे तो एम.एल. एज. की हालत खराब होगी और हम उस एरिया में नहीं जा पायेंगे । दूसरी बात यह है कि हमारे यहां बिलाडा में और जीरे की पैदावार होती है । रायड़ा पिलाई के लिए एक मशीन वहां पर लगाई जाय ताकि कलकत्ता या सुमेरपुर रायड़ा भेजने की जरूरत नहीं पड़े । एक बार पुनः मैं सरकार से मांगा करूंगा कि जो भी लोन माफी, वृद्धावस्था पेंशन और बेरोजगारी भत्ते के वायदे करके सरकार में आये, जो भी वोट मिले, उनके विश्वास को कायमा को कायम करते हुए बजट में प्रावधान रखें, ताकि हमारी छवि बनी रहे । इसी के साथ धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां (अनुपस्थित)

माननीय श्री नन्द किशोर शर्मा ।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, सन् 1990-91 वर्ष के बजट पर सभी लोगों ने, पक्ष और विपक्ष ने अच्छी तरह अपने विचार व्यक्त किये हैं । यह बजट किसान, मजदूर, दस्तकार और हस्तशिल्पी सबके विकास के लिए अच्छा बजट है । राजस्थान का व्यापार और उद्योग बढ़ाने में, सिंचाई बढ़ाने के लिए और सबके प्रसन्नता की बात यह है कि राजस्थान और भारत की अस्सी प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है, किसान का यदि विकास किया जाता है तो जैसे पेड़ की जड़ में पानी दिया जाता है तभी पेड़ का पूर्ण विकास होता है । उसी तरह अगर किसान का विकास किया जाता है तो सारे वर्गों का विकास होता है । इस बजट में सबसे बढ़िया बात जो रखी गई है वह यह है कि जो बिजली के उत्पादन की बात सोची गई है इसमें धौलपुर, सूरतगढ़ तापीय परियोजना, बीकानेर की निजी क्षेत्र में बिजली पैदा करने की योजना, उनसे यह पता भी लगेगा कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में कितना अन्तर होता है और हम बिजली के मामले में अन्ता गैस आदि से आत्मनिर्भर होंगे । यदि किसान को बिजली, पानी मिल जाता है तो उससे कृषि और उद्योग को बहुत बड़े फायदे होते हैं, यहां का उद्योग पनपता है, कृषि पनपती है । पानी के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें लघु सिंचाई योजना पर पूरा ध्यान दिया गया है, बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती है ।

(6 10 सायं)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

उसमें केवल एक विशेष क्षेत्र को फायदा होता है और बहुत दिनों बाद लाभ मिलता है, पैसा अधिक खर्च हो जाता है । इतनी धनराशि जुटा भी नहीं पाते । इसमें कुओं पर जो अनुदान दिया जायेगा, कुओं का बीमा किया जायेगा, यह पहली बात होगी कि इससे किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । सहकारी क्षेत्र ट्यूब वैल और कुए बनेंगे उनसे भी किसान बहुत लाभ उठायेंगे । खेती को इतना बढ़ावा मिलेगा, जो अभी तक कभी नहीं मिला होगा ।

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

फव्वारा सिंचाई योजना पहले भी कम तादाद लगी और जहां लगी कम पानी में अधिक सिंचाई, उससे कई लोगों को लाभ मिला है। मेरी एक और भी मांग है–जो पुरानी योजना थी हर गांव में तालाब हुआ करते थे वह तालाब नष्ट हो गये। तालाब नष्ट होने से पानी कम बरसात है, हैण्ड पम्प और ट्यूब वैल्स से जमीन का जल-स्तर नीचे जाता जा रहा है लेकिन गांव की इसी व्यवस्था को वापस पुराने तालाबों को, हर गांव में मेरा यह सुझाव है कि तालाब की ओर भी ध्यान दिया जाय। इससे उनका जलस्तर भी बढ़ेगा। पीने के पानी के लिए भी हैण्ड पम्प आदि में बहुत सहायता मिलेगी और कहीं-कहीं तालाबों से छोटी सिंचाई की योजनाएं भी चालू हो जायेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हर क्षेत्र में ध्यान दिया है, उनके लिए वह बधाई के पात्र हैं। अन्त्योदय योजना, जिसके वह जनक हैं, गरीब का हक सरकारी खजाने पर पहला होगा, वह चाहे चिकित्सा की योजना हो, चाहे रोजगार की योजना हो, चाहे और कोई सुविधायें हो, कृषि विकास हो या कहीं पर काम पर लगाने की बात हो, भ्रष्टाचार रहित जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि गरीब की मजदूरी चौदह रुपये से बढ़ाकर बाईस रुपये कर दी गई है। कहते हैं कर्ज माफी में पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा लेकिन जो हमने घोषणाएं की हैं उनके अन्तर्गत कर्ज माफी की शुरूआत की है। जिस तरह से बजट पूरा मिलता जायेगा, पैसा जहां पर जिस श्रोत से हम जुटा पायेंगे इसलिये मेरा तो यह कहना है है कि जितना पैसा हम जुटा पायें, कर्ज माफी की जो हमारी घोषणा है उसको निश्चित रूप से पूरा करना चाहिये। पेन्शन योजना जो 100 रुपये देनी चाहिये, उसमें कुछ और माननीय सदस्यों ने भी बोला था और जगमाल सिंह जी जब बोल रहे थे तो ऐसा आभास लगा था कि इस योजना में पहले भी आश्वासन दिया था कि इस योजना में 11 करोड़ से बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जायेगा तो इसमें पूर्ण आशा है यदि गत वर्ष से जो 7 करोड़ कुछ था वह अगर दुगना भी कर दिया जायेगा और वृद्धों को पेन्शन दी जायेगी तो इस योजना से बहुत सुन्दर लाभ मिलेगा। स्कूल और डिस्पेन्सरीज खोलने वाली बात है यह निश्चित बात है कि आज स्कूल नाम मात्र के हैं। डिस्पेन्सिरियां तो गांव में खाली पड़ी रहती हैं शायद ही कोई रह पाता हो, और बजट नहीं है, कहीं भवन नहीं है कहीं केवल नाम है, केवल बोर्ड लगा हुआ है। उन भवनों को पूरा करना, उनमें पद देना यह एक बहुत बड़ी बात है कि जितनी कमियां हैं उनको हम पूरा कर देंगे और राजस्थान को बहुत कुछ देंगे और जैसी भावनात्मक बातें बताई गई है कि हम एक लाख या दो लाख बच्चों को पढ़ायेंगे वह वास्तव में सोचा और उन स्कूलों में हम यदि भेज पाये तो स्कूल खोलने की बजाय चाहे हमारा नाम कम होगा लेकिन जो वास्तविकता है कि हम शिक्षा दे पायेंगे वह बहुत अच्छी बात होगी। फिर भी मेरी एक मांग है कि दूर दराज ग्रामीण अंचल में जहां डिस्पेन्सरीज नही हैं, औषधालय नहीं हैं, पशु चिकित्सालय नहीं है ऐसे दूर अंचल में जहां जा ही नहीं सकते वहां जरूर खोलने चाहिये।

(170)

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

करों में राहत देकर गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, दस्तकार को, शिल्पी को, जो अवसर दिये है उससे निश्चित ही राजस्थान का व्यापार भी बढ़ेगा, विकास भी होगा और गरीब का विकास होगा। वन विकास को जो बढ़ावा दिया है वह बहुत ही अच्छा उपाय है लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है कि वन क्षेत्र की जमीन किसान को सहकारी के हिसाब से निजी क्षेत्र में वन लगाने के लिये दी जाये और उसकी उपज का 60 प्रतिशत भाग किसान को ही दिया जाये तो निश्चित ही एक होड़ सी लगेगी और लोग वनों की रक्षा कर सकेंगे यह वन अभी लगते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। दूसरा इन सारी योजनाओं को चलाने के लिये जो निगरानी समितियाँ बनाई है हर एक सचिव या विशिष्ठ सचिव किसी जिले का प्रभारी होगा और आठ-आठ या दस-दस गांव जायेगा, वह तो देखे ही सही उसके साथ मंत्री और विधायक महोदय भी इसे देखे। हमारी जितनी योजनायें हैं, योजनायें अच्छी होती हैं लेकिन उनकी क्रियान्विति अच्छी नहीं होती। अगर हम उन क्रियान्विति को अच्छी प्रकार देख पायेंगे तो वही फायदा कम पैसे में ज्यादा आदमियों को दे पायेंगे, ज्यादा अच्छे काम कर पायेंगे। वैसे ही जो उन्नत चूल्हा योजना है, वह बहुत सुन्दर योजना है गांवों में इसको लगाया गया धुएं रहित योजना है, कम ईंधन जलता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बुराई है कि लोग जो लगाने जाते है उसको वापिस उखाड़ फेंकते हैं। तो इसके परीक्षण के तौर पर प्रत्येक गांव में अन्त्योदय परिवारों में पांच-पांच के तरीके से लगाया जाये तो हमारा इंधन भी बचेगा और गांवों में प्रचार का एक माध्यम बन जायेगा। उसके बाद दूसरे लोग उसको देखकर अपने आप ही बना लेंगे। इस पर केवल 50 या 60 रुपये का खर्चा आता है कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। चूल्हा गाँवों में पहले भी लोग इसी प्रकार से बनाते थे लेकिन अब वह प्रथा लोगों ने बन्द कर दी है। बाकी पैसे को सौर ऊर्जा पर भी खर्च किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा की बात चली थी और इसके लिये बताया था कि यह बेकार सी योजना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वैसे यह बेकार योजना नहीं है। यह योजना बहुत सुन्दर है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि गांव में पढ़े लिखे लोगों को भावनात्मक तरीके से तय किया जाये, पैसा खर्च करने के बजाय वहां के लोगों को बिना पैसे के यदि पढ़ाया जाये तो सुन्दर होगा। अभी तो केवल पैसा करने के लिये ही केवल नाम रखे जाते हैं। इस योजना को अगर दूसरा रूप दिया जाये प्रौढ़ चिकित्सा का यदि नाम दिया जाये, जैसे प्रौढ़ शिक्षा है, उसी तरह से इस पैसे को प्रौढ़ चिकित्सा में बदल दिया जाये तो उसका सुन्दर उपयोग होगा उनकी चिकित्सा में एक लाभ होगा। यह बहुत ही एक सुन्दर योजना है। यह उन्नत चूल्हा, इसको अगर नहीं देखा गया तो इसमें करोड़

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

रुपया जाता है, केवल कागजी कार्यवाहियां हैं। इनको सही रूप से देखा जाये और दिया जाये तो बहुत सुन्दर योजना है। यह बजट राज्य के विकास के लिये हर दृष्टि से उत्तम होगा। इससे राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। इसकी प्रशंसा आज किसान, मजदूर दस्तकार जैसा पहले भी श्री मदनलाल जी ने बता दिया, कि ज्योंहि बजट पेश हुआ राजस्थान में मानसून आया, वर्षा ने भी स्वागत किया और यह सच बात है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है हम शादी या विवाह भी करेंगे तो उसके अन्दर भी बरसात होगी तो हम मानेंगे कि शुभ बात है....

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य बाहर बहुत जोर से बरसात आ रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : किसी कारण से आ रही हो बरसात आ रही है।

श्री सम्पत सिंह : जैसे-जैसे कांग्रेस जा रही है, बरसात आ रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बरसात आ जाये तो गोठ हो जाये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मैं यह बता रहा था कि जिस बजट का स्वागत इन्द्रदेव भी कर रहे हैं, किसान, मजदूर सब जगह उसमें केवल इस नाम से....

एक माननीय सदस्य : आप ज्यादा मत बोलिये, बरसात रुक जायेगी।

श्री नन्द किशोर शर्मा : बरसात नहीं रुकेगी।

मेरा निवेदन है माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री जी जिनकी कि जन मानस में कल भी बताया था कि कितनी ऊंचाई है, लोग यह आशा लगाकर यह देख रहे हैं कि किसान गरीब यह मानता है कि हमारा हक कोई खा नहीं सकेगा, वह उनको मिलेगा और जितना हम गरीब के लिये, किसान के लिये कर पायेंगे उतना बहुत अच्छा होगा। मैं इसके साथ ही उपेक्षित वात छबड़ा और छीपाबड़ोद की भी बताना चाहता हूं....

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : बरसात आ रही है इस पर सैनी जी के क्या कमेन्ट्स हैं ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : ऐसा है माननीय भार्गव साहब ने 15 लाख रुपये स्वीकृत करवाये हैं नालों के लिये....

एक माननीय सदस्य : यह मजाक हो रही है या बहस हो रही है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : आपके कमेन्ट्स क्या है, बरसात से आप खुश है न ?

श्री परसादीलाल मीणा : पुष्पाजी लड्डू बांटें तो काम पूरा हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

(172)

श्री नन्द किशोर शर्मा : मैं अपने क्षेत्र की भी एक बात बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में पाँच नदियां बहती हैं । पार्वती, अण्डेरी, लासी, देखली और वेतली । 1977 में कई का सर्वे होकर सिंचाई की योजनायें बनी थीं लेकिन उसके बाद उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और सड़क का काम वहीं पर अधूरा रह गया । उसके बाद 12 सालों में कुछ भी नहीं हुआ । मेरा क्षेत्र जो उपेक्षित है, कई गांवों से किसी तरह का कोई विकास केवल ढ़ाई साल के अलावा नहीं हो पाया । मेरी मांग है, कोटा जिले में सबसे ज्यादा नदियों का क्षेत्र है, उसकी नदियों का जितना सर्वे हुआ है उसमें लिफ्ट सिंचाई योजना से या पानी शिफ्ट किया जा सकता है, 90 ऐसी जगह हैं जिन पर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं चालू की जा सकती हैं । एक-दो मध्यम छोटे तालाबों के सर्वे के बाँध भी हैं यदि उनको भी दिया जाय तो उस क्षेत्र में अधिकतर दस, बारह, पन्द्रह बीघा जमीन वाले हैं उन सबको अच्छा लाभ मिल सकेगा ।

इसी तरह से पशु चिकित्सालय में हमारे यहाँ केवल एक अस्पताल है जो छबड़ा में, गांव में नहीं है । मेरी इस विषय में मांग है कम से कम तीन चार पशु डिस्पेन्सरी खोलें ।

श्री परसादीलाल मीणा : कुछ भी नहीं खुलेगा ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : पहले चालीस साल में नहीं खुला तो अब दूसरे साल में खुल जायेगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं यह कह रहा हूं, एक भी खोलने का प्रावधान नहीं रखा तो तीन, चार कहां से खोलेंगे । यह बात जरूर है कि आजकल सरकार में खूब धड़ाधड़ कर्मचारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, अस्पतालों के भी कर लो ।

श्री कालीचरण सराफ : कल चंदनमल जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनको बोलने के लिये मिल ही नहीं रहा है ।

श्री परसादीलाल मीणा : इधर-उधर से ट्रांसफर कर लो अस्पतालों के, स्कूलों के ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांत रहेंगे ।

श्री कालीचरण सराफ : आपने चालीस साल में जिनको बेदखल किया उनका पुनर्वास तो करायेंगे । चालीस साल की गन्दगी को साफ तो करना पड़ेगा ।

श्री सभापति : शांत होइये सब, आप जारी रखें । (व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर शर्मा : वैसे कोटा जिला इन चालीस सालों में उपेक्षित रहा है । कोटा जिले में केवल तीन तहसील ऐसी आती हैं जिनमें चम्बल नदी का पानी बहता है बाकी जगह सब सूखी और सड़क से उपेक्षित हैं । तीन तहसीलों में पानी आता है...

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : आज माननीय सैनीजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है ?

एक माननीय सदस्य : उनका गला बैठा हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ : माल खाते-खाते इनका गला भी बैठ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य दूसरी, तीसरी बार आये हैं, माननीय सदस्य पहली बार इधर बोल रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करें, उनको जरा ताड़ना दी जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहेंगे। माननीय सदस्य, आप जारी करें।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारा क्षेत्र जो उपेक्षित रहा है, उसमें सड़क, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि जिन पर सर्वे हुआ है, जिनकी मांग है उनको अवश्य दिया जावे। इस बजट में जिस प्रकार बिजली का उत्पादन रखा गया है उसमें भी हमारे यहाँ अटरू में जैसी मांगरोल में रखी गई है वैसी योजना पन बिजली की बन सकती है और उधर गुडोर है जहाँ पहले भी एक बार सर्वे हुआ था, पार्वती नदी ऊपर से पानी डालती रहती है, जो नीचे करीब 10 या 110 फीट की ऊंचाई से गिरता है उस पर भी पहले सर्वे हुआ है उसको बनाया जा सकता है। इससे बिजली और पानी दोनों किसानों को मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। इस बजट में सबसे बड़ी बात जो रखी गई है....

श्री परसादी लाल मीणा : कुछ भी नहीं है।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : कुछ भी क्या नहीं है, पहले कुछ किया ही नहीं आपने इसमें तो सब कुछ है। इसमें तो सब कुछ है। पहले चालीस वर्ष में कुछ नहीं किया वह इस बजट को पढ़ने से ही आदमी को मिल रहा है।

एक बात माननीय पारीक साहब या कौन बोल रहे थे, यह आशा कर रहे थे आप कि बेकारों को रोजगार दिया जाय। यह आशा आपसे तो चालीस वर्षों में पूरी नहीं हो सकी लेकिन मैं आशा करता हूं और यह मैं वादा करता हूं आपसे माननीय भैरोंसिंह जी बेकारों को निश्चित रूप से रोजगार देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक साल के लिये नौकरी पर बैन लगा दिया था, माननीय सदस्य, आपको शायद जानकारी नहीं होगी इस बात की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सीकर से आने वाले सदस्य जी, इस सरकार ने तो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहली बार चार-चार महिलाएं केबिनेट मंत्री हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वह जैसा अभी केलकुलेशन बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, वैसे ही आप बता रहे हैं। इसलिये आप अच्छी तरह पढ़िये उसको।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरा निवेदन है कि इस बजट में कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, माननीय भैरोंसिंहजी ने हर क्षेत्र का अध्ययन करके चाहे वह दस्तकार

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

हों, चाहे वह मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, व्यापार ज्यादा राजस्थान का बढ़े, ज्यादा से ज्यादा यहाँ उद्योग लगें, उसके लिये भी इस बजट में काफी कुछ किया है। उसको दूसरे तरीके से सोच कर आलोचना जिसको करनी होती है वह किसी भी तरीके से आलोचना कर सकता है।

टैक्स के नाम पर इस बजट में ऐसा टैक्स है जो किसी को अनुभव नहीं हो सकता कि यह टैक्स है। जैसा पहले बता रहे थे, कुछ रवन्ना फीस के नाम पर बता दिया, वैल पेड और ऐसे इस तरह से लगा दिया, मैं उस विषय में भी कहना चाहता हूं। कई नगरपालिकाओं में कई मेलों में सैंकड़े पर पहले से ही टैक्स लगता है, जो पांच रुपये सैंकड़ा या दस रुपया सैकड़ा तक भी होता है। इसमें इतनी बात नहीं बढ़ाई गई है, पहले से लगता आया है, हर जगह लगता है। खूंटी टैक्स पहले से लगता है। प्रवेश शुल्क के नाम से कोई भी ऐसा मेला अछूता नहीं है। कई मेलों में जाकर इस बात को देखा गया है।

एक माननीय सदस्य : इससे कालीचरण जी को तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : मैं कह रहा हूं कि अपने भाइयों पर कोई टैक्स बढ़े तो तकलीफ होगी ही।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : अन्त्योदय योजना नाम से अच्छी नहीं लगती इसलिये उसको बिगाड़ दिया था। आज फिर गांवों में इस नाम को सुनते ही लोगों ने यह सोचा है, अन्त्योदय के नाम से यह सोचा है अन्त्योदय नाम आने के बाद जो पाँच आदमी छटेंगे उनसे कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लेगा, हमें जो कोई चीज मिलेगी वह बिना उसके मिलेगी। अब किसी चीज में डॉक्टर खा जाता, विकास अधिकारी खा जाते हैं और कोई नेता भी इसमें पाँती पता लेते हैं। बैंक का आदमी इसमें देता या आधे पैसे से भी कम मिल पाता, रूप वही था इस बात में लेकिन इस नाम से ही आज इतनी दशहत है। गांव के मजदूरों को जो छटेंगे, इतना लाभ मिलेगा। फिर इसमें तो एक और भी बात ज्यादा जोड़ दी है कि हर चीज का चिकित्सा की या और जो सुविधाएं दी जायेंगी रोजगार की, चिकित्सा की, कृषि विकास की वह सब पहला हक उसे मिलेगा। इस बात पर हम हर साल ईमानदारी से काम कर पायेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है हम सारी योजना चाहे पहले की हो, चाहे आज की हो, नैतिक मूल्यों पर हमारे अधिकारी या हम सब मिलकर जिस प्रकार से हमने ऊपर से भ्रष्टाचार को मिटाने वाली बात कही है उस बात का ईमानदारी से सारे पालन करें तो जो पैसा हम लगाते हैं उस पैसे का कोई 25 पर्सेंट बताता है, कोई 50 पर्सेन्ट बताता है तो मैं यह मानता हूं अगर 100 पर्सेन्ट पैसे को लगाते तो निश्चित मेरा मत है जो बजट बन रहा है वह ड्योढ़े से ज्यादा काम करेगा, लोगो को ज्यादा राहत मिलेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : यह बजट इतना अच्छा है और मुझे जो बोलने का अवसर दिया सबने उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। बजट का सब स्वागत करेंगे और आगे आने वाले वर्षों में भी हम फिर राज कर पायेंगे ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार, 2 जुलाई, 1990 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तद्नन्तर सदन की बैठक सायं 6·30 बजे, सोमवार, दिनांक 2 जुलाई, 1990 के म. पू. 11·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची)

राजस्थान सरकार

उद्योग (ग्रुप–.) विभाग

क्रमांक: प. 16 (8) उद्योग/2/73 जयपुर, दिनांक 20–4–83

आज्ञा

विषय—पलाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के पक्ष में कुचामन झील में आवंटित लवण भूखण्ड सं. 49, 50, 51 व 52 का हस्तान्तरण।

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 19–8–75 को रद्द करते हुए पलाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कुचामन के पक्ष में आवंटित कुचामन झील के लवण भूखण्ड सं. 49, 50, 51 व 52 को राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आवंटन) नियम, 1970 की धारा 12 (7) के अन्तर्गत श्री रामेश्वर लाल चौधरी के पक्ष में हस्तान्तरण करने की राज्य सरकार की सहमति प्रदान की जाती है। ईकाई से समस्त बकाया भू राजस्व एवं विकास शुल्क प्रथम वसूल किया जावे।

आज्ञा से,

ह०—

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निदेशक, उद्योग विभाग, राज., जयपुर।
2. लवण आयुक्त, भारत सरकार, जयपुर।
3. उप निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
4. नमक निरीक्षक, कुचामन सिटी।
5. तहसीलदार, कुचामन सिटी।
6. श्री रामेश्वर लाल चौधरी।

ह०

उप शासन सचिव

परिशिष्ट–"ख"

राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आवंटन नियम, 1970 की धारा 12) (vii) की अंश प्रति।

नियम 12. **(Conditions of Allotment—**

12 (vii) The lessee shall not sublet, mortgage, sell, gift or any other way alienate the area or any portion there of without the prior permission in writing, of the Government.

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या74 की सूची)

क्रमांक	योजना का नाम/तहसील	मद	अनु. लागत लाख रु.	व्यय लाखों रु. में			वर्ष 1989–90 तक किया गया कुल व्यय लाख रु. में	सिचाई क्षमता है0
				1987–88	1988–89	1989–89		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गलवा (उनियारा)	आधु. परियोजना	681·20	6·64	25·10	5·26	104·17	3667
2.	माशी (विवाई)	,,	180.00	1.44	05.19	3.77	143.77	4130
3.	सूथडा (उनियारा)	ल0सि0परि0	39·36	वर्ष 1987 से	पहले पूर्ण करली गई।		—	300
4.	सिरोही (मिवाई)		09·00	,,	,,	,,	—	78
5.	कासीर (देवली		17·06	,,	,,	,,	—	119
6.	श्योदानपुरा (उनि.)	,,	91.11	2·93	5.04	2.03	90.80	702
7.	टिकरिया (उनियारा)	,,	86.68	6.90	32.98	21.72	70·37	310
8.	बोमुन्डा (टोडा)	,,	51.80	6·49	21.95	10.08	45.51	243
9.	शहोदरा (टोडा)	,,	105.32	6.47	11.94	07.74	83.42	702
10.	सरदारपुरा (देवली	,,	33.21	—	10.97	06.55	24.67	163
11.	आकोड़िया (देवली) डी.पी.ए.पी.	,,	16.33	3.29	01.04	कार्य पूर्ण हो गया	—	111
12.	रूपवास (उनियारा)	,,	50.00	4.73	18.76	16.54	40.03	208
		योग	1363.07	38.89	132.97	73.68	602.74	10733

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राज्य के डेयरी संयंत्र

77. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कहां-कहां पर कितने डेयरी संयन्त्र स्थापित है ?

(2) क्या इन संयन्त्रों पर विगत 10 वर्षों में दुग्ध संकलन में कमी आई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) राज्य में 10 डेयरी संयन्त्र हैं, जो कि निम्न स्थानों पर स्थापित हैं—जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, रानीवाड़ा एवं कोटा।

(2) जी हाँ।

दुग्ध संकलन में वर्ष 1986-87 से वर्ष 1988-89 तक कमी आई हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य में शताब्दी का भीषणतम् अकाल हैं।

वर्ष 1989-90 में दुग्ध संकलन में काफी बढ़ोतरी हुई हैं।

राज्य के भेड़ फार्म

78. **श्री मोहनलाल बारुपाल** (जायल) : एवं **श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित** (सुमेरपुर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अच्छी नस्ल की भेड़ों के फार्म कहां-कहां पर हैं, और उनमें कितनी-कितनी भेड़ें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फतेहपुर स्थित वृहद् प्रजनन फार्म भारी घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में इसमें कितना घाटा रहा है ? लाभ-हानि का वर्ष बार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भेड़ पालकों के लिये चारागाह भूमि की कोई व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कहां-कहां पर कब तक चारागाह भूमि की व्यवस्था की जावेगी ?

(4) भेड़ पालकों को प्रोत्साहित करने की भविष्य में सरकार की क्या योजना हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में भेड़ व ऊन विभाग के अन्तर्गत नस्ल सुधार हेतु भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर, पुराणा घाट जयपुर, बोजुन्दा भेड़ प्रजनन फार्म चित्तौड़गढ़ एव भेड़ प्रजनन फार्म, बॉकलिया तहसील लाडनूं ज़िला नागौर में स्थापित हैं। माह मई 90 में इन फार्मों पर उपलब्ध भेड़ों की संख्या की सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(भेड़ व ऊन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं । फतेहपुर का भेड़ प्रजनन फार्म व्यवसायिक संस्था नहीं है । अतः लाभ-हानि का प्रश्न ही नहीं उठता । इस फार्म का मुख्य उद्देश्य इस प्रदेश की जलवायु में पनपने वाली विदेशी/संकर नस्ल के प्रजनन योग्य मेढ़ें उत्पन्न करना है, जिससे कि भेड़पालकों की भेड़ों में नस्ल-सुधार किया जा सके और विदेशी नस्ल के मेंढ़ों का आयात नहीं करना पड़े । संकर प्रजनन कार्यक्रम से राजस्थान की भेड़ों में ऊन एवं मांस के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके जिससे कि भेड़पालकों को अधिक आर्थिक लाभ हो ।

(3) भेड़पालकों के लिए अलग से चारागाह भूमि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । वन विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्र में पशुओं के लिए माह जुलाई 1983 से नहर के बांये किनारे पर प्रादेशिक सेना (टेरीटोरियल आर्मी) की ईकोटास्क फोर्स के माध्यम से वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है । वर्ष 1988-89 तक इस फोर्स के द्वारा 5150 हैक्टर क्षेत्र में चारागाह विकास कार्य कराया जा चुका है । इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में जहां जिप्सम ऊपरी सतह के नजदीक है, ऐसे क्षेत्रों को चरागाह में विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है । उक्त चारागाह क्षेत्र भेड़ों के लिए भी उपलब्ध होंगे ।

(4) भेड़ पालकों की सुविधा के लिये विभाग द्वारा नए प्रसार केन्द्र खोलने, वर्तमान में कार्यरत प्रसार केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण करने, जिला मुख्यालयों पर चल रोग निदान प्रयोगशाला खोलने, वर्तमान में चल रहे संकर प्रजनन कार्यक्रम को सघन रूप में कलस्टर के आधार पर करने, मरुक्षेत्र में भेड़ों को पानी उपलब्ध कराने, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में सघन जल ग्रहण विकास कार्यक्रम चलाने आदि योजनायें प्रस्तावित है ।

परिशिष्ट–"अ"

भेड़ फार्मों पर माह मई 1900 में उपलब्ध भेड़ों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	फार्म का नाम	विदेशी	संकर	योग	अन्य	कुल योग
1.	फतेहपुर	524	2771	3295	119	3414
2.	जयपुर	575	367	942	12	954
3.	बॉकलिया	186	14	200	8	208
4.	चित्तौड़गढ़	208	504	712	—	712
	योग	1493	3656	5149	139	5288

झुंझुनूं जिलाधीश कार्यालय की साज-सज्जा

79. **श्री बाबूलाल खांडा** (सूरजगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश झुंझुनूं के कार्यालय कक्ष की शानदार साज सज्जा करने में डेढ़ लाख रुपये खर्च किये गये हैं ? यदि नहीं, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और क्या यह औचित्य परक था ?

(2) इस अनावश्यक व्यय के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। जिला कलक्टर झुंझुनूं के कार्यालय के कक्ष के पुराने पर्दों व फटे फर्श को बदलने हेतु 5 हजार सात सौ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सवाईमाधोपुर में खाद कारखाना

80. **जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर जिले में प्रस्तावित खाद कारखाने की स्थापना अभी तक संभव नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण ? क्या केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

(2) इस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) अब उक्त खाद का कारखाना कब तक लगने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। भारत सरकार की टाईगर सैंचूरी के संदर्भ में प्रदूषण एवं पर्यावरण सम्बन्धी नीति के कारण उक्त परियोजना सवाईमाधोपुर के स्थान पर कोटा जिले के ग्राम गढ़ेपान तहसील दिगोद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-10-88 को मूल आशय-पत्र में स्थान परिवर्तन कर संशोधन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) राज्य सरकार द्वारा खाद कारखाने हेतु ग्राम गढ़ेपान जिला कोटा में निम्नलिखित भूमि आवंटित/अवाप्त की जा चुकी है :—

1. 670 बीघा 7 बिस्वा—राजकीय भूमि
2. 163·27 हैक्टेयर—वन भूमि
3. 974 बीघा 5 बिस्वा—खातेदारी भूमि।

(3) ग्राम गढ़ेपान जिला कोटा में उक्त खाद कारखाना वर्ष 1992 के अंत तक स्थापित होने की सम्भावना है।

जैसलमेर जिले में वानिकी कार्य

81. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 10 वर्ष में जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वानिकी कार्य में अब तक कितना खर्चा हुआ है ?

(2) उक्त क्षेत्र में वानिकी कार्य में अब तक की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या विदेशों से भी जैसलमेर जिले के वानिकी कार्य हेतु धनराशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी किस देश से और किस माध्यम से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विगत 10 वर्षों में जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वानिकी कार्यों पर अब तक रु. 950.33 लाख व्यय हुआ है ।

(2) उक्त क्षेत्र में अब तक 10229 हैक्टर क्षेत्र में 126·59 लाख पौधे लगाये गये हैं । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) विश्व खाद्य संगठन से प्राप्त खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से रु. 109.52 लाख की राशि इस जिले में गत तीन वर्षों में व्यय की गई है ।

(182)

जैसलमेर जिले में विभिन्न वृक्षारोपणों के तहत उपलब्धि की सूचना

क्र. सं.	नाम कार्य	इकाई	वन मण्डल		योग
			फलौदी	जैसलमेर	
1	2	3	4	5	6
1.	**लेखामद सी. ए. डी. स्टेज-II**				
	वर्ष 1987-88				
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	आर.के.एम.	575	470	1045
2.	ब्लाक प्लान्टेशन	हैक्टर	32	25	57
3.	पर्यावरण वृक्षारोपण	पौधों की सं.	12700	20000	32700
	वर्ष 1988-89				
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	आर.के.एम.	798	3200	3998
2.	ब्लाक प्लान्टेशन	हैक्टर	205	150	255
3.	चारागाह विकास	हैक्टर	200	300	500
4.	टिब्बा स्थिरीकरण	हैक्टर	100	200	300
5.	पर्यावरण वृक्षारोपण	पौधों की सं.	17200	20000	37200
	वर्ष 1989-90				
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	आर.के.एम.	205	686	891
2.	ब्लाक प्लान्टेशन	हैक्टर	140	70	210
	(II) लेखामद विश्व खाद्य कार्यक्रम				
	वर्ष 1987-88				
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	आर.के.एम.	320	400	720
2.	सड़क किनारे वृक्षारोपण	आर के.एम.	60	—	60
3.	टिब्बा स्थिरीकरण	हैक्टर	2000	500	2500
	वर्ष 1988-89				
1.	ब्लाक वृक्षारोपण	हैक्टर	—	40	40
	वर्ष 1989-90				
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	आर.के.एम.	70	850	920
2.	ब्लाक वृक्षारोपण	हैक्टर	—	50	60
3.	पर्यावरण वृक्षारोपण	पौधों की सं.	—	50000	50000
4.	टिब्बा स्थिरीकरण	हैक्टर	155	—	155
5.	लेखामद डी. डी. पी. (मरू विकास कार्यक्रम)				

1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1988-89				
1.	टिब्बा स्थिरीकरण	हैक्टर	921	800	172
2.	चारागाह विकास	हैक्टर	400	500	900
	वर्ष 1989-90				
1.	टिब्बा स्थिरीकरण	हैक्टर	775	700	1475
2.	नहर किनारे वृक्षारोपण	आर.के.एम.	—	1000	1000
			5632 है.	4598 है.	12229 है.

लगाये गये पौधों की सूची वर्ष 87-88 से 89-90

	फलोदी वन मण्डल	**जैसलमेर वन मण्डल**	**योग**
वर्ष 87-88	27·26	6·96	34·22
,, 88-89	22·17	30·01	52·18
,, 89-90	14·14	26·05	40·19
	63·57	63·02	126·59

(184)

जमवारामगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

82. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार इस वर्ष अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर क्या सरकार नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है—

विद्यालय	प्रथम वेतन शृंखला अध्यापक	द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापक	तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक
	9	10	8

जी हां शीघ्र ही नियुक्तियां कर दी जायेगी।

रामगंज, निम्बाहेडा व चित्तौड़गढ़ की खानें

83. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है, कि निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़, रामगंज मण्डी में लाइम स्टोन, पट्टी फर्शी के साथ निकलने वाले मलबे को डालने के स्थान का अभाव है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

(2) क्या रामगंज मण्डी, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ तहसील में आने वाले क्वारी ब्लाकों के पास सीमेन्ट फैक्ट्रियां है ? यदि हां, तो उनमें सीमेन्ट बनाने के लिये उपयोग होने वाले खनिज की औसत ग्रेड क्या है ?

(3) रामगंज मण्डी, निम्बाहेडा. चित्तौड़गढ़ की खानों से निकलने वाले ओवर बर्डन स्टोन की औसत ग्रेड क्या है ? खनिज विश्लेषण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियमों के अनुसार मलबे को डालने के स्थान की व्यवस्था पट्टाधारी को स्वयं करनी पड़ती है।

(2) जी हां। सीमेन्ट फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाले खनिज लाइम स्टोन की औसत ग्रेड 45 प्रतिशत केल्शियम ऑक्साइड है।

(3) विभाग द्वारा ओवर बर्डन का विश्लेषण नहीं कराया गया है।

चूरू छात्रावास की अनुसूचित जाति की छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति

84. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चूरू मुख्यालय पर अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए कन्या छात्रावास का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह छात्रावास कितनी छात्राओं के लिए है और इसमेंहा फिलल कितनी छात्रायें अध्ययनरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में दूरस्थ गांवों की अनुसूचित जाति की छात्राओं में शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए उन्हें विशेष छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ताकि वे अपने निवास के समीप ही विद्यालयों में अध्ययन कर सकें ?

उत्तर

(1) जी हां। यह छात्रावास 25 छात्राओं के लिये स्वीकृत है। गत शिक्षा सत्र वर्ष 1989-90 में 21 छात्रायें छात्रावास में निवास कर अध्ययन कर रही थी। इस समय छात्रावास ग्रीष्म अवकाश के कारण बन्द है। सत्र 89–90 में छात्रावास में निवास कर रही अध्ययनरत छात्राओं की सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में दूरस्थ गांवों की अनुसूचित जाति की छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(६६)

शैक्षणिक सत्र 1989-90 में अध्ययनरत राजकीय कन्या छात्रावास समाज कल्याण विभाग, चूरू की आवासीय छात्राओं की सूची—

क्र.सं.	नाम छात्रा व पिता का नाम	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम
1.	सुश्री संतोष पुत्री श्री गोविन्दराम	चमार	10	रा.बागला क.उ.मा.वि.चूरू
2.	,, विमला रानी पुत्री श्रीशंकरलाल	,,	8	रा.पारख बा.उ.प्रा.वि.चूरू
3.	,, बाली पुत्री श्री बनवारीलाल	,,	6	,, ,,
4.	,, परमेश्वरी पुत्री श्री आशाराम	,,	6	,, ,,
5.	,, मधु कुमारी पुत्री श्री शंकरलाल	,,	6	,, ,,
6.	,, रुकमणी पुत्री श्री गणेशाराम	,,	6	,, ,,
7.	,, संतोष पुत्री श्री सुगनाराम	,,	6	,, ,,
8.	,, शादा पुत्री श्री पोथाराम	,,	6	,, ,,
9.	,, सुशीला पुत्री श्री ओंधाराम	,,	4	,, ,,
10.	,, संतोष पुत्री श्री जीवणाराम	,,	4	,, ,,
11.	,, शारदा पुत्री श्री छोटूराम	,,	3	,, ,,
12.	,, अनिता पुत्री श्री अदाराम	,,	2	,, ,,
13.	,, कैलाश पुत्री श्री रामकुमार	,,	2	,, ,,
14.	,, संजू पुत्री श्री नानूराम	,,	2	,, ,,
15.	,, सुमन पुत्री श्री मघाराम	,,	1	,, ,,
16.	,, किरण पुत्री श्री सांवलाराम	,,	1	,, ,,
17.	,, गौरा पुत्री श्री गणपतराम	,,	1	,, ,,
18.	,, नारायजी पुत्री श्री रूपाराम	,,	2	,, ,,
19.	,, कौशल्या पुत्री श्री लूणाराम	,,	2	,, ,,
20.	,, सुलोचना पुत्री श्री काशीराम	,,	2	,, ,,
21.	,, ललिता पुत्री श्री रामेश्वरलाल	,,	2	,, ,,

दाऊदी बोहरा वक्फ सम्पति

85. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में दाऊदी बोहरा वक्फ समिति को लेकर सरकार ने दि. 10–8–70 को धर्मगुरू सैयदना साहब से हुए समझौते के अन्तर्गत उन्हें 'सोल ट्रस्टी' मानते हुए 5000/-रु. वार्षिक अभिदाय के आधार पर धर्मगुरू को हिसाब किताब के निरीक्षण से मुक्त कर दिया तथा वक्फ बोर्ड में एक बोहरा सदस्य का मनोनयन भी उनकी इच्छानुसार करना स्वीकार कर लिया ? यदि हां, तो क्या यह वक्फ एक्ट के अन्तर्गत एक संवैधानिक कृत्य है तथा अभिदाय की राशि का निर्धारण एक मुश्त किया जाना क्या नियम सम्मत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि दि. 20-5-1976 को राजस्व विभाग ने अभिदाय की न्यायोचित राशि निर्धारण के निर्देश वक्फ बोर्ड को दिये जिस पर दि. 4-8-1978 को बोर्ड ने उक्त समझौते को असंवैधानिक ठहराया ?

(3) यह क्या भी सही है कि दि 21-9-1978 को राजस्व विभाग ने धर्मगुरु को हिसाब प्रस्तुत करने सम्बन्धी नोटिस जारी करने के निर्देश बोर्ड को दिये जिस पर कोई कार्यवाही किये बिना वक्फ बोर्ड ने अभिप्राय की राशि में कुछ वृद्धि कर समझौते का नवीनीकरण कर लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार को उक्त समझौते को निरस्त कराने के संबंध में कोई मांग पत्र अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहां । समझौता वक्फ एक्ट के प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

(2) राज्य सरकार ने सचिव, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ को दिनांक 20–5–76 को निर्देश दिये थे कि बोहरा सम्प्रदाय के प्रतिनिधि से राजस्थान स्थित बोहरा औकाफ की आमदनी की तफसील मंगवायें ताकि कन्ट्रीब्यूशन की राशि तय की जा सके । राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ ने अपनी बैठक दिनांक 4–8–78 में समझौते को कानूनन अलअदम और गैर आइनी मानते हुये बोहरा फिरके के दयाल मुतलक को बोर्ड की आइन्दा मीटिंग में उज्र पेश करने हेतु कारण बताओ नोटिस देने का निर्णय लिया था ।

(3) जी हां । अभिदाय की राशि में वृद्धि एवं समझौते का नवीनीकरण वक्फ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन में किया है ।

(4) जी हां । राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 86)

(स्थगित)

पींडला बांध का निर्माण

87. **श्री बाल चन्द्र आर्यवीर** : (डग) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बालचन्द्र आर्य वीर)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में पोंडला बाँध के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हाँ, तो इसके निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) उक्त बांध का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । स्वीकृति के बाद धन-राशि के प्रावधान के विषय में विचार किया जावेगा ।

(2) जी हां । अभी इस कार्य के तख-मीनें को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं ।

(3) बांध का निर्माण कार्य तखमीनें की स्वीकृति होने के बाद व बजट आवंटित होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

पाली क्षेत्र के गिरिजनों की कृषि भूमि

88. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिला कुल कितने वन क्षेत्र हैं ? और उसमें अभयारण्य क्षेत्र कितना हैं ? वन अभयारण्य क्षेत्र में पुस्तैनी खेती-शुदा कितने गिरिजनों (वनवासियों) की कृषि भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जा कर लिया गया है ?

(2) रेन्ज मादड़ो (पाली) के धाणेराव चौकी के अन्तर्गत गरासियों व भीलों की कितनी खेती की भूमि पर कब्जा कर लिया है ?

(3) क्या सरकार आदिवासियों की पुश्तैनी खेती की जमीन उन्हें वापस दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पाली जिले का कुल वन क्षेत्र 887.23 वर्ग किलोमीटर है । इसमें से 558·86 वर्ग कि. मी. क्षेत्र अभयारण्य में है । किसी गिरिजन की कृषि भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जा नहीं किया गया है ।

(2) वन विभाग द्वारा गरासियों व भीलों की कृषि भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पचपदरा क्षेत्र की शालाओं में रिक्त पद

89. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं

(श्री चम्पालाल बांठिया)

उक्त विद्यालयों में कुल कितने पद अध्यापकों के स्वीकृत है तथा उनमें से कितने रिक्त है ?

(2) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेंगी ?

(3) क्या ऐसे भी विद्यालय हैं जहां वर्तमान में एक-एक अथवा दो-दो अध्यापक ही पदस्थापित हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं उनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) शिक्षा विभाग के अधीनस्थ माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शुरू की जा रही है और निकट भविष्य में पद भर लिये जावेंगे। पंचायत समितियों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हां, पदों की स्वीकृति छात्र संख्या के आधार पर दी जाती है।

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों एवं उनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

माध्यमिक विद्यालय

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		1	2	3	1	2	3
1.	रामावि, कल्याणपुर	1	3	—	—	—	—
2.	रामावि, टिटनौद	1	3	—	1	1	—
3.	रामावि, जसोल	1	6	4	—	1	—
4.	आसोतरा रामावि	1	6	3	—	2	—
5.	रामावि, असाडा	1	7	3	—	—	—
6.	हीरा की ढाणी	1	6	4	1	2	—
7.	कनाका रामावि	1	6	3	—	—	—
8.	रामावि, पाकादी	1	6	3	—	—	—
9.	मूलजी की ढाणी	1	3	—	—	2	—
10.	राप्रावि. नं. 2 हनुमानपुरा बालोतरा	—	1	6	—	—	—
11.	रामावि, नं. 3 हरिजन बस्ती	—	—	1	—	—	—
12.	रा. प्रा. वि. नं. 4 वार्ड नं. 5	—	0	2	—	—	—
13.	रा. प्रा. वि. नं 5 रबारियों का घोरा	—	—	2	—	—	—
14.	रा. प्रा. वि. वार्ड नं. 8 नेहरू कालोनी	—	—	4	—	—	—
15.	रा. प्रा. वि. नदीपार	—	—	1	—	—	—
16.	रा. प्रा. वि. नं. 8 नरेन्द्र कालोनी समदडी रोड	—	—	5	—	—	2
17.	रा. प्रा. वि. नं. 9 मार्केटिंग सोसाइटी	—	—	2	—	—	—
18.	राबाप्रावि. नं. 2 बालोतरा	—	1	5	—	—	—
19.	राबाप्रावि. घोरा ,,	—	—	1	—	—	—
20.	मावि, इन्द्राणा	1	6	3	—	—	—
21.	बामावि. बालोतरा	1	5	3	—	—	—

प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	प. स. का नाम	विद्यालयों की सं.	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	बालोतरा	120	317	36
2.	बायतु	118	172	4

दुठवा ग्राम में गोदाम निर्माण

90. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला जालौर की तहसील सांचौर के मौजा चिमड़ा में अब तक कोई गोदाम बना हुआ नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुठवा गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गोदाम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मौजा चिमड़ा गाँव में अभी कोई गोदाम नहीं हैं। वित्तीय साधन नहीं होने से अभी ग्राम सेवा सहकारी समिति दुठवा के लिए गोदाम बनाने का प्रस्ताव नहीं हैं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 91)

(स्थगित)

(तारांकित प्रश्न संख्या 92)

(स्थगित)

कालीसील बांध की नहरों की मरम्मत

93. **श्री प्रभूलाल** (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सपोटरा क्षेत्र के कालीसील बांध की कच्ची व टूटी-फूटी नहरों को पक्की करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त क्षेत्र में सिंचाई के कितने बांधों का निर्माण कार्य चालू है और कितनों का रुका हुआ है ? रुके हुये निर्माण कार्यों को कब तक चालू करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नहरों को पक्का करने का कार्य इस बांध के आधुनिकीकरण के आंकलन की स्वीकृति होने पर सम्भव होगा। इस आंकलन को अभी केन्द्रीय जल आयोग के मापदण्डों के अनुसार बनाया जा रहा हैं। नहरों की टूट फूट की मरम्मत प्रतिवर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराई जाती हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना के तहत मरम्मदा बांध का कार्य प्रगति पर है। तीन लघु सिंचाई योजनाएं क्रमशः बैरूड़ा, मण्डावरा, खेडा अधूरी है उनका संशोधित तखमीना बनाया जा रहा है संशोधित तखमीने की स्वीकृति एवं बजट आवंटन होने पर कार्य पुनः शुरू करा दिया जायेगा। और आर. एल. ई. जी. पी. के

(३७)

(सिंचाई मंत्री)

तहत राहिर बनिजरा एवं अटेवा बांध का कार्य अपूर्ण हैं । राहिर बनिजरा लघु सिंचाई योजना के तहत प्रस्तावित किया गया है । स्वीकृति जारी होने व बजट आवंटन होने पर कार्य शुरू करा दिया जायेगा । अटेवा को लघु सिंचाई में अभी लेना है । साथ ही अकाल राहत के तहत उडावदा व लखरू कि बांध का कार्य अधुरा पड़ा है इनको धन राशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा ।

उपवन संरक्षक चूरू द्वारा सामग्री की खरीद

94. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपवन संरक्षक चूरू ने वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में कितनी राशि का किस किस फर्म या व्यक्तियों से किस-किस दर पर क्या-क्या सामान खरीदा ? क्या उक्त खरीद नियमानुसार की गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में ज्यादातर सामान की खरीद माह फरवरी एवं मार्च में की गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त माह में कितना-कितना सामान खरीदा गया ?

(3) उक्त सामान किस किस रेंज को कितनी कितनी मात्रा में दिया गया तथा उसका उपयोग कहां कहां किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उप वन संरक्षक, चूरू द्वारा वर्ष 1989–90 में एवं 90–91 में खरीदे गये सामान फर्मवार एवं राशिवार विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है । यह खरीद नियमानुसार की गई है ।

(2) जी नहीं । फरवरी एवं मार्च माह में खरीदे गये सामान का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) उक्त सामान का रेंजवार वितरण परिशिष्ट "ग" पर तथा जिन स्थलों पर उपयोग किया गया का विवरण परिशिष्ट "घ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री डूंगरगढ़ की शालाओं में रिक्त पद

95. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र की डूंगरगढ़ में कुल कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय कहां कहां पर है ? क्या यह क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त है ?

(2) क्या उक्त विद्यालयों में समस्त अध्यापकों के पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो किन किन विद्यालयों में किस किस विषय के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ?

(3) भविष्य में सरकार उक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) विद्यालयों की सूची संलग्न है। जी हां।

(2) रिक्त/पदों का विवरण संलग्न है।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

श्री डूंगरगढ़ (चूरू) विधान सभा क्षेत्र में स्थित विद्यालय एवं उनमें रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं. 1	विद्यालय का नाम 2	कुल स्वीकृत पद 3	रिक्त पद विषय वार 4	
1.	रासीउमावि. श्री डूंगरपुर	43	1 व.अ. 2 व्याख्याता	=3
2.	रासीउमावि. बीदासर	28	1 व.अ. सामान्य	=1
3.	रा. रूपादेवीमावि. श्रीडूंगरगढ़	10	—	
4.	रामावि. दुलचासर	12	2तृवेश्रे.	=2
5.	रामावि. मोमासर	10	2 तृवेश्रे.	=2
6.	रामावि. बिग्गा	09	—	
7.	रामावि. सोनियासर	8	1 पद वअ. जीव, 2 तृवेश्रे.	=3
8.	रामावि. गुसाईसरबड़ा	07	—	
9.	रामावि. रिड़ी	08	1 व.अ. संस्कृत	=1
10.	रामावि. पुनरासर	07	1 व.अ.जीव, अंग्रेजी	=2
11.	रामावि. आड़सर	10	—	
12.	रामावि. बेनीसर	12	1 व.अ. हिन्दी	=1
13.	रामावि. सावतसर	10	—	
14.	रामावि. बाना	11	—	
15.	रामावि. बरंजागसर	09	—	
16.	रामावि. लालगढ़	08	1 वअ.संस्कृत	=1
17.	रामावि. शेरूणा	11	1 व.अ. सामान्य	=1
18.	रा. बाठिया उप्रावि. बीदासर	09	—	
19.	राउप्रावि. डाडवा	09	—	
20.	रा. मोहता उप्रावि. डूंगरगढ़	15	—	
21.	राडागा उप्रावि. डूंगरगढ़	13	—	
22.	राप्रावि. नं. 1 डूंगरगढ़	02	—	

(194)

1	2	3	4	
23.	राप्रावि. नं. 2 डूंगरगढ़	01	—	
24.	राप्रावि. नं. 3 डूंगरगढ़	01	—	
25.	राप्रावि. नं. 5 डूंगरगढ़	04	—	
26.	राप्रावि. वार्ड नं. 2 डूंगरगढ़	01	—	
27.	राप्रावि. वार्ड नं. 06 डूंगरगढ़	01	—	
28.	राप्रावि. वार्ड नं. 11 डूंगरगढ़	01	—	
29.	राप्रावि. वार्ड नं. 1 बीदासर	06	—1 तृ.वे.श्रृं.	=1
30.	राप्रावि. वार्ड नं. 2 बीदासर	02	—	
31.	राप्रावि. वार्ड न. 3 बीदासर	07	1 तृ.वे.श्रृं.	=1
32.	राबासीउमावि. डूंगरगढ़	11	—	
33.	राबामावि. बीदासर	09	—	
34.	राबाउप्रावि. डूंगरगढ़	07	—	

(तारांकित प्रश्न संख्या 96)

(स्थगित)

माँडलगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन

97. **श्री. रतनलाल** (सहाड़ा) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत 5 वर्षों में मांडलगढ़ तहसील में अवैध खनन के कितने मामले पंजीकृत हुए हैं ? उनमें से कितने न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सरकार राज्य में काश्तकार या निजी भूमि धारियों को उसकी भूमि से खनन कार्य के लिए लीज या पट्टा देने का विचार रखती है ?

(3) उक्त तहसील में गत 5 वर्षों में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के खनन के पट्टे आवंटित किये गये व कितने पर कार्य चालू हैं ? कितना खनन कार्य स्वयं द्वारा किया जा रहा है व कितने सवर्णों या अन्य पार्टियों की लीज पर या बेचान कर दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में अवैध खनन के 1.076 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें से 60 मामले न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

(3) उक्त तहसील में खननपट्टे आवंटित करने की नीति नहीं होने से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्वीकृत किये गये खननपट्टों की सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगानगर में खातेदारी भूमि के बेचान पर पाबन्दी

98. **श्री डूंगराम पंवार** (टीबी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में खातेदारी भूमि का बिना पूर्व स्वीकृति के बेचान पर पाबन्दी है ? यदि हां, तो क्यों जबकि खातेदारी कृषि भूमि पर अन्य जिलों में बेचान के लिये जिला कलक्टर से स्वीकृति लेनी अनिवार्य नहीं है ?

(2) क्या सरकार अन्य जिलों की भांति गंगानगर में भी उक्त पाबन्दी हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर।

(1) जी हां । राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर की बिना पूर्व स्वीकृति के भूमियों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता । उक्त उप धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा कुछ जिलों में यह स्वीकृति अनिवार्य नहीं रखी गई है ।

(2) गंगानगर जिले में वृहद सिंचाई योजनाएं हैं एवं यह देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है । अतः मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस जिले में उक्त पाबन्दी हटाने का राज्य सरकार का विचार नहीं है । साधारणतया भूमि विक्रय की सम्मति के आवेदन-पत्र का निस्तारण, उन प्रकरणों को छोडकर, जिनमें नियमानुसार विक्रेता द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं, 45 दिवस में हो जाता है ।

(196)

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची

प्रेषक :

मोतीलाल मीणा,

विधायक,

राजस्थान विधान सभा

क्षेत्र सवाई माधोपुर ।

प्रेषिति:

माननीय खनिज मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषयः—बनास नदी (सवाईमाधोपुर) के बजरी के ठेके को निरस्त करने के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि गत वर्ष उक्त ठेका 5 लाख रुपये में दिया गया था जबकि इस वर्ष उपरोक्त ठेका केवल मात्र 2-50 लाख रुपये में ही दे दिया गया है जिससे सरकार को 2-50 लाख की नुकसान होगा ।

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ठेके की मंजूरी के लिये फाईल आपके पास है अतः इसे रोककर इसे निरस्त किया जावे तथा ठेके की नीलामी पुनः की जावे ताकि सरकार को हो रहे घाटे को रोका जा सके । उक्त ठेके का स्थान मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

सादर,

भवदीय
ह०

(मोती लाल मीणा)

श्रीमान् भैरोंसिंह शेखावत,
मुख्य मंत्री,
राजस्थान जयपुर ।

विषय—बनास नदी के (ग्राम दुब्बी सवाई माधोपुर) बजरी के ठेके को निरस्त कर पुनः निलामी करवाये जाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्ष 1989–90 के बनास नदी के (ग्राम दुब्बी सवाई माधोपुर के पास) बजरी के ठेके की निलामी 5 लाख रुपये में हुई थी परन्तु इस वर्ष 90–91 का उक्त बजरी का ठेका विधान सभा चुनावों के गर्म माहौल में प्रशासन एवं ठेकेदार ने मिलकर केवल मात्र 2-50 लाख रुपये में छुड़वा लिया जिसका मुख्य कारण श्राम व्यक्ति को ठेके की निलामी की सूचना नहीं होना था अन्यथा उक्त ठेका करीब 7 लाख रुपये में निलाम होती ।

अतः प्रशासन एवं ठेकेदार ने राज्य सरकार को करीब 4–50 लाख रुपये का घाटा पहुंचाया है ।

अतः उपरोक्त निलामी को तुरन्त रद्द किया जाकर इसकी पुनः निलामी करवायी जावे ताकि ठेकेदार एवं प्रशासन की मिलीभगत जो घाटा राज्य सरकार को पहुंचाया जा रहा है उसे समाप्त किया जा सके साथ ही उक्त अनियमितता में लिन सरकारी अफसरों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे ।

सादर,

भवदीय,
ह०

(गणेशराम मीणा)
प्रदेश महासचिव,
युवा जनता दल राजस्थान ।

प्रतिलिपि :

श्री के. एल. गुर्जर खनिज मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
ह०

(गणेश राम मीणा)

198

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची

परिशिष्ट (अ)

सार (एब्स्ट्रेक्ट)

प्रतिलिपि वित्त विभाग (व्यय-नियम) द्वारा जारी अधिसूचना सख्या एफ–9 (47) वित्त (व्य. नि.) 68 जयपुर दिनांक 28-1-1969, राजस्थान राज पत्र प्रकाशित जनवरी 28, 1969—केवल सिंचाई विभाग में मिस्त्री के पद के वेतनमान हेतु

राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतन मान)
नियम 1969

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—(1) ये नियम राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम 1969 कहलायेंगे ।

2. 1 सितम्बर 1968 से प्रभावशील हुये समझे जायेंगे ।

3. उन सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होते हैं ।

---

(1) ये नियम अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को छोड़कर, राज्यकार्य से सम्बन्धित सिविल सेवाओं में, और पदों पर नियुक्त उन व्यक्तियों पर लागू होगे जिनका वेतन राज्य की संचित निधि से देय है ।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे ।

(क) वे व्यक्ति जो सरकार के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है ।

(ख) वे व्यक्ति जिन्हें "आकस्मिक व्यय राशि" से भुगतान किया जाता है ।

(ग) सविदा पर नियोजित व्यक्ति, जब तक कि सविदा में अन्यथा प्रवाहित न हो,

(घ) सेवा निवृत्त सरकार कर्मचारी जिन्हें सरकार ने पुनर्नियोजित किया है तथा जो 1 सितम्बर, 1968 को सेवा में है या इस तारीख के पश्चात् पुनर्नियोजित किये जायें,

(ङ) वे व्यक्ति जो कार्यप्रभावित आधार पर नियोजित किये गये है उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए जो राजस्थान पी. डब्ल्यू. डी. (बी एण्ड आर) इन्क्लयूडिंग गाडन्स इरीगेशन, वाटर वर्क्स एण्ड आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट वर्कचार्ज्ड सर्विस रूल्स 1964 द्वारा शासित होते हैं ।

(च) वे व्यक्ति जिन्हें राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से, पूर्णतः या अंशतः इन नियमों के प्रवर्तन से अपवर्जित कर दिया गया है ।

अनुभाग (ख) राज्य सेवायें

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्तमान वेतन मान	नवीन वेतनमान	वेतनमान संख्या	विशेष विवरण
		(ग) सिंचाई विभाग			
17	मिस्त्री	90-225	11-230		(7)

Abstract copy of the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967, for appointment of Mistries in Scale No. 7.

Post	Methods of recruitments with percentage.	Qualificotion and Experience required for direct recruitment.
Mistry	100% by direct recruitment	Matric or its equivalent with 2 Years experience as work-Charged mistry of on the equivalent post or others for 5 years experience as work-charged mistry or on the equivalent post.

परिशिष्ठ (ब)

SCHEDULE-II.

PART—A.

General Pay Scales for Work Charged Employees

S. No. Name of the post 1 2	Existing Pay Scale & Scale No. 3	New Pay Scale & Scale No. 4	Remarks. 5
1. Beldars.	45-80 (1)	60-85 (1)	A person posted at Jaipur, Ajmer, Jodhpur, Kota Bikaner and Udaipur may be allowed a fixed House Rent Allowance of Rs. 5/-P.M.
2. Mazdoors.			
3. Halies.			
4. Chowkidars.			
5. Ward-keepers.			
6. Farrashes.			
7. Sweepers.			
8. Dhobi.			
9. Waterman.			
10. Khalasies.			
11. Bhisti.			
12. Mali.			
13. Mates.			
14. Head Beldars.			In future appointmet of workers on these posts by direct recruitment and promotion shall be made if they have passed VIII Class Examination.
15. Store-Attendants.			
16. Store-Assistants.			
17. Head-Gardner	50-90 (2)	66-90 (2)	
18. Jamadar			
19. Helper Grade II			

1	2	3	4	5
20.	Fireman Grade II			
21.	Road Mistries	65-110 (3)	70-110 (3)	In future appointments of workers on these posts by direct recruitment be made of persons who have passed VIII class examination and possess adequate experience of trade concerned.
22.	Moharrirs			
23.	Amin.			
24.	Munshi.			
25.	Godamies.			
26.	Helper Grade I.			
27.	Fireman Grade I.			
28.	Junior-Upholster.	65-110 (3)	70-110 (3)	do
29.	Junior Caneman.			
30.	Mistry (Civil Works)	75-175 (6)	100-180 (6)	In future appointmenrs on these posts by direct recruitment shall bc person possessing I. T. I. Certificate or other equivalent qualifications recognised by the Government.
31.	Stone Cutter or Dresser			
32.	Mason.			
33.	Junior Carpenter			
34.	Black Smith.			
35.	Tailor.			
36.	Mechanic Grade II			Or equivalent qualifications to be prescribed by the Chief Engineer in cases of Trades or jobs where training is not provided in Rajasthan in any Technical Institution.
37.	Fitters.			
38.	Lineman.			
39.	Painters.			
40	Plumber.			
41.	Turner Grade II.			
42.	Moulder Grade II.			
43.	Electrician Grade II.			

Abstract Copy of promotion rules of W/c employees of Irrigation Deptt. for the post of Mistry in Scale (6)

Sl. No.	Name of the promotion. post.	By Pecomotion			By Direct Recruitment.	
		Percentage	from the post of	Qualifcation	Percentage	Qualifcation & Experience.
7	Mistry	75%	Mates/Head Beldar & Jamadar	8 th Class passed with 5 years experience.	25%	Matric with adequate experience.

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची

सिचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ताओं व उच्चाधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच चल रही है।

क. सं.	नाम व पद		जांच जिस स्तर पर चल रही है उस कार्यालय का नाम ।		विशेष विवरण
1	2		3		4
1.	श्री एस. एस. कल्ला	अधीक्षण अभि.	अति. मुख्य अभि. सि. संभाग,	जयपुर।	
2.	श्री आर. सी. शर्मा	,,	,,	जयपुर।	
3.	श्री जे. के. शर्मा	,,	,,	जोधपुर।	
4.	श्री एम. सी. सक्सैना	,,	,,	जयपुर।	
5.	श्री के. एस. चण्डक	,,	,,	,,	
6.	श्री ओ. पी. जाट	,,	,,	जोधपुर।	
7.	श्री शंकर सुखानीग्र	अधिशाषी अभियन्ता	,,	जयपुर।	
8.	श्रीमती एस. पंडित	,,	,,	जोधपुर।	
9.	श्री वी. पी. अग्रवाल	,,	,,	जयपुर।	
10.	श्री डी. एन. मोहता	,,	,,	जयपुर।	
11.	श्री एस. एन. सक्सैना	,,	,,	,,	
12.	श्री एम. एस. सोढ़ी	,,	,,	,,	
13.	श्री डी. सी. सूद	,,	,,	कोटा	
14.	श्री शिखर चंद जैन	,,	,,	जयपुर।	
15.	श्री आर. एल. गुप्ता	,,	,,	जयपुर।	
16.	श्री जितेन्द्र कोठारी	,,	,,	बीसलपुर।	
17.	श्री आर. पी. छाबड़ा	,,	,,	कोटा।	
18.	एम. पी. रंकावत	,,	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग		अभिलेख उपलब्ध करा दिये हैं।
19.	श्री गोविन्द सिंह चारण	,,	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जोधपुर।	

1	2	3	4
20.	श्री तरसेम सिंह	अधिशाषी अभियन्ता	अति. मुख्य अभि. जोधपुर।
21.	श्री आर. एस. वर्मा	,,	,, ,,
22.	आर. के. गुप्ता	,,	,, जयपुर।
23.	श्री एस. एन. सेठिया	,,	,, जोधपुर।
24.	श्री जी. एल. गर्ग	,,	,, उदयपुर।
25.	श्री टी. सी. जैन	,,	,, जयपुर।
26.	श्री आर. एस. खण्डेलवाल	,,	,, ,,
27.	श्री जयसिंह छाजेड़	,,	,, उदयपुर।
28.	श्री जयपाल सिंह	,,	,, जोधपुर।
29.	श्री मूलचन्द अग्रवाल	,,	,, उदयपुर।
30.	श्री सुभाष चौधरी	,,	,, जयपुर।
31.	श्री बी. प. माथुर	,,	,, कोटा।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची

अस्थाई आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण तहसील लालसोट

अस्थाई आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण

क्र. सं.	नाम ग्राम	ख. नं.	रकबा (बीघा–बिस्वा)	किस्म जमीन	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	बिरदखा	111	40–00	गै. मु. नदी	
2.	कवरपुरा	124	10–19	,,	
3.	मण्डलाई	121	18–15	,,	
4.	रामनगर खेडी	290	15–00	,,	
5.	जगनेर बुर्गान	366	31–14	,,	
6.	अमराबाद	23	5–00	,,	
7.	बाढ़ देहलाल	25	10–00	,,	
		17	15–00	,,	
8.	श्रीया	113	25–00	,,	
9.	,,	120	20–00	,,	
10.	राणोली	1	20–00	,,	
11.	कुन्तलवास	269	00–17	खातली	
		271	00–13	,,	
		178	20–00	गै. मु. नदी	
12.	नयावास	204	4–00	गै। मु. तालाब	
13.	सलेमपुरा	231 मि.	30–00	गै. मु. नदी	
14.	रालावास	213 मि.	40–00	,, ,,	
		275	20–00	,, ,,	
15.	लाहड़िका बास	101/1	00–10	,, ,,	
		102/2	1–00	,,	
		132	1–06	,,	
16.	देवल्दा	137	1–00	,,	
		1	40–00	,,	
		240	30–00	,,	
17.	कानलोदा	114	30–00	,,	

1	2	3	4	5	6
18.	काकरिया	2	10–00	गै. मु. डूबबंधा	
		16	40–10	गै. मु. नदी	
		-127-	8–01	गै. मु. तलाई	
19.	बाढ कल्याणपुरा	206	7–15	गै. मु. नाला	
20.	बिनोरी	56	38–00	तालाब पेटा	
		56/370	40–00	,,	
		56/372	40–00	,,	
21.	सहारिया	235/1	10–00	गै. मु. तालाब	
		426	21–00	,, ,,	
		510	30–00	,, ,,	
22.	बाडा	115	25–00	गै. मु. नदी	
23.	झापदा	1	10–00	,, ,,	
24.	भोज्याडा	131/1	10–00	,, ,,	
25.	समेल	1 मि.	20–00	,, ,,	
		योग	831–02		

ह.
कलक्टर, जयपुर

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 का उद्धरण

42. (क) विक्रय, दान और वसीयत पर साधारण निर्बंधन–किसी खातेदार अधिधारी द्वारा अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी, यदि....

(ख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो ।

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1,7 की सूची

परिशिष्ट (क)

बिन्दु संख्या–1 का उत्तर (बाड़मेर)

तहसील	वर्ष 89-90 में पाये गये अतिक्रमण कार्य निपटाया अभियान के समय के	तादाद जिन्हें बेदखल किया गया	इनमें भूमि हीन की तादाद	इनमें अन्य
1	2	3	4	5
बाड़मेर	1,089	346	—	346
चौहटन	3,963	3,689	1,232	2,457
बायतु	627	377	147	230
गुडामालानी	—	—	—	—
शिव	70	8	—	8
सियाणा	1,683	1,683	965	718
पचपदरा	1,001	1,001	223	778

बिन्दु संख्या 3 का उत्तर

तहसील	तादाद अतिक्रमण गोचर भूमि पर	तादाद जिनकी बेदखली की गई	शेष
1	2	3	4
बाड़मेर	229	139	90
चौहटन	103	103	—
बायतु	70	70	—
गुडामालानी	172	—	172
शिव	241	241	—
सियाना	659	86	573
पचपदरा	339	339	—

परिशिष्ट (ख)

बिन्दु संख्या–1 का उत्तर (जैसलमेर)

राजस्व अभियान वर्ष 1989 में कुल 1,215 अतिक्रमण के मामले पाये गये जिनमें से 32 मामलों में नियमन की कार्यवाही की गई एवं शेष 1,183 मामलों में अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल के आदेश दिये गये। वर्ष 1990 में राजस्व अभियान आयोजित नहीं किया गया। तहसील जैसलमेर व पोकरण में भूमिहीनों की संख्या क्रमशः 709 एवं 2,142 है।

210

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची

सूची (अ)

औद्योगिक क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में आवंटनधारियों की सूची :

आवंटनधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	आवंटन दिनांक
1. मैसर्स जय हनुमान गम इण्डस्ट्री	1	4000 वर्गमीटर	28-3-74
2. मैसर्स प्रीमियर सिरामिक्स प्रा. लि.	2,3,4.5	18000 वर्गमीटर	23-7-88
3. मैसर्स खादी ग्रामोद्योग विकास समिति	7	1000 वर्गमीटर	7-9-89
4. मैसर्स हिन्द इण्डस्ट्रीज	8	1000 वर्गमीटर	5-4-89
5. मैसर्स रामा इण्डस्ट्रीज	9	1000 वर्गमीटर	19-12-88
6. मैसर्स विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज	10,11	2000 वर्गमीटर	22-6-87
7. मैसर्स पारीक ऑयल मिल्स	12	2000 वर्गमीटर	3-8-87
8. मैसर्स एस. एस. एम. इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	13,14	4000 वर्गमीटर	15-6-87
9. मैसर्स माहेश्वरी इण्डस्ट्रीज	15,16	4000 वर्गमीटर	24-5-86
10. मैसर्स विजय लक्ष्मी इण्डस्ट्री	17	2000 वर्गमीटर	17-9-84
11. मैसर्स डागा केबल्स	18,19.20	4000 वर्षमीटर	6-9-77
12, मैसर्स प्रजापति ऑयल मिल्स	21	1200 वर्गमीटर	5-8-87
13. मैसर्स श्री इन्डस्ट्रीज	22	1000 वर्गमीटर	12-5-87
14. मैसर्स कैलाश मार्बल इण्डस्ट्रीज	23	1000 वर्गमीटर	18-3-89
15. मैसर्स बोथरा इन्जिनियरिंग	24,25	2000 वर्गमीटर	5-1-79
16. मैसर्स के. आर. प्रिन्टर्स	26	1200 वर्गमीटर	3-3-87
17. मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	27	1350 वर्गमीटर	27-11-86
18. मैसर्स अरिहन्त केमीकल्स	28	1000 वर्गमीटर	18.10.89
19. मैसर्स सिरामिक्स स्पेशकेटिज	30,31,31(अ)	4000 वर्गमीटर	23-1-30
20. मैसर्स श्री रामा इण्डस्ट्रीज	31(पी)	1000 वर्गमीटर	23-9-88
21. मैसर्स महा लक्ष्मी दाल व ऑयल मिल	32	5394 वर्गमीटर	6-3-74
22. मैसर्स श्याम एण्ड श्याम	33	1950 वर्गमीटर	9-1-90
23. मैसर्स सिखवाल प्रोडक्टस	34	1950 वर्गमीटर	13-2-90
24. मैसर्स हनुमान आयल इण्डस्ट्रीज	6	1000 वर्गमीटर	31-3-90

(211)

सूची (ब)

औद्योगिक क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में उत्पादनरत इकाईयों की सूची :—

क्र. सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या	स्थिति वर्तमान में
1.	मैसर्स जय हनुमान गम इण्डस्ट्रीज	1	वर्तमान में चालू है।
2.	मैसर्स प्रीमियर सिरामिक्स प्रा. लि.	2,3,4,5.	,,
3.	मैसर्स हिन्द इण्डस्ट्रीज	8	,,
4.	मैसर्स रामा इण्डस्ट्रीज	9	,,
5.	मैसर्स विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज	10, 11	,,
6.	मैसर्स पारीक ऑयल मिल्स	12	,,
7.	मैसर्स एस. एम. एस. एन्टरप्राईज प्रा. लि.	13, 14	,,
8.	मैसर्स माहेश्वरी इण्डस्ट्रीज	15, 16	,,
9.	मैसर्स विजय लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	17	,,
10.	मैसर्स प्रजापति ऑयल मिल्स	21	,,
11.	मैसर्स के. आर. प्रिन्टर्स	26	,,
12.	मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	27	,,

औद्योगिक क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में बन्द इकाईयों की सूची :—

1.	मैसर्स डागा केबल्स	18,19,20	वर्तमान में बन्द है
2.	मैसर्स श्री इण्डस्ट्रीज	22	,,
3.	मैसर्स रामा इण्डस्ट्रीज	9	,,
4.	मैसर्स श्री रामा इण्डस्ट्रीज	31 (बी)	,,

212

सूची (स)

राजस्थान वित्त निगम द्वारा डूंगरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र
में स्वीकृत ऋण की इकाईवार सूचना।

क्र. सं.	इकाई का नाम		ऋण स्वीकृत	
			दिनांक	राशि (लाखों में)
1.	मैसर्स	माहेश्वरी इण्डस्ट्रीज	10-12-86	4·00
2.	,,	श्याम एण्ड श्याम	21-2-90	5·80
3.	,,	कैलाश मार्बल इण्डस्ट्रीज	21-2-90	2·70
4.	,,	पारीक आईल मिल	21-3-88	5·45
5.	,,	विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज	28-3-88	2·85
6.	,,	एस. एस. एम. एण्टरप्राईजेज	20-2-87	6·15
7.	,,	एस. एस. एम. एण्टरप्राईजेज	21-11-88	8·30
8.	,,	के. आर. प्रिन्टर्स	31-3-87	2·56
9.	,,	विजय लक्ष्मी आइस फैक्ट्री	31-3-87	0·72
10.	,,	जय हनुमान गम इण्डस्ट्रीज	24-7-76	3·75
11.	,,	लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	2-7-87	2·00
12.	,,	रामा इण्डस्ट्रीज	20-12-89	2·60
13.	,,	श्रीराम इण्डस्ट्रीज	31-10-88	4·15
14.	,,	हिन्द इण्डस्ट्रीज	27-10-89	5·75
15.	,,	महालक्ष्मी दाल एण्ड आयल मिल	5-9-83	3·26
16.	,,	श्री इण्डस्ट्रीज	2-7-87	4·14
17.	,,	डागा केबल्स	—	1-24
				65·42

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची

सूची "क"

क्र. सं. 1	उद्योग का नाम 2	स्वीकृति की दिनांक 3	स्वीकृत ऋण 4	वितरित ऋण राशि 5
1.	संजय रोलर फ्लोर मिल लि०, ग्राम मोकलसर (क्रियाशील नहीं)	19·12·87	रु. 60,00,000·00	रु. 4.51,000·00
2.	मै. मोकल ग्रेनाइट्स ग्राम मोकलसर (क्रियाशील इकाई)	10·12·87	रु. 5,00,000·00	रु. 4,62,000.00
3.	मैं. राजपुरोहित ग्रेनाइट्स ग्राम मोकलसर (क्रियाशील इकाई)	26·8·87	रु. 1,85,000·00	रु. 66,000·00

सूची "ख"

1.	मै. हिन्दुस्तान फर्टीलाइज़र प्रोजेक्ट्स ग्राम सिणधरी (क्रियाशील इकाई)	3·12·88	रु. 4,70,000·00	रु. 3,25,000·00
2.	मै. श्री बूडी कली चूना भट्टा उद्योग, ग्राम सिणधरी (क्रियाशील इकाई)	27·3·89	रु. 4,65,000·00	रु. 4,29,000·00
	मै. जगदम्बा चूना भट्टा उद्योग, ग्राम सिणधरी (क्रियाशील इकाई)	27·3·89	रु. 4,65,000·00	रु. 4,29,000·00
4.	मै. महालक्ष्मी ग्रेनाइट ग्राम सिणधरी (क्रियाशील इकाई)	20·8·87	रु. 3,59000,00	रु. 3,58,700·00
5.	मै. छगन आटो रिपेयरिंग वर्क्स, ग्राम सिणधरी	28·10·87	रु. 45,000·00	रु. 40,500·00
6.	मै. अरीहंत ग्रेनाईट इण्डस्ट्रीज ग्राम सिणधरी (निर्माणाधीन)	31·3·90	रु. 5,06,000·00	—

२१८

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 122 की सूची

बूंदी जिले में पंजीकृत बुनकर एवं गैर बुनकर सहकारी समितियों की सूची

क्र. सं. स्थान	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	वर्तमान स्थिति
1–बून्दी	सहस्त्र बाहु बुनकर सहकारी समिति	290 जी 1960	अवसायन
2– ,,	पावरलूम वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लि.	418 जी 1961	अवसायन
3– ,,	बून्दी मसूरिया साड़ी उत्पा. स. स. लि.	628/जी 22.9.83	कार्यशील
4– ,,	ब्रह्मपुरी बुनकर सह. समिति. लि.	8 जी 65, 5.1.85	कार्यशील
5– ,,	जस हाथ करघा वस्त्र उत्पा. सह. स. लि.	8 जी 42, 5.1.85	अवसायन
6– तालेडा	हाथकरघा वस्त्र उत्पा. स स.लि. तालेडा	702/जी 20.10.87 (ऋण व अनुदान जमा करा दिया है ।	बन्द
7– हिण्डोली	हिण्डोली हाथकरघा वस्त्र उत्पा. स. स. लि. हिण्डोली	616/जी 1982	अवसायन
8– ,,	लक्ष्मी नारायण हाथकरघा वस्त्र उत्पा. स. स. लि. बडानया गांव हिन्डोली	8/जी/47 दि. 19.11	अवसायन
9– ,,	रानीपरा बुनकर सहकारी समिति लि.	644/जी–4.3.86	अवसायन
11. ,,	ग्रामीण हाथकरघा वस्त्र उत्पा. स.स.लि. देई	609/जी 22.2.81	अवसायन
12. ,,	मार्टन हाथकरघा वस्त्र उत्पा. स.स. लि. नैनवा	656/जी 8.10.87	कार्यशील

1	2	3	4	5
13.	के. पाटन	विजय हाथकरघा वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लि., झाली जी का बराना	678/जी 6.10.86	बन्द
गैर बुनकर सहकारी समितियां				
1–		आजाद बीडी वर्क्स कोपरेटिव सोसाइटी लि.,बून्दी	29.1.55	कार्यशील
2–		बून्दी तेल घाणी उत्पादक सहकारी समिति लि., बून्दी	27.4.57	कार्यशील
3–		माटन्दा तेल घाणी उत्पादन सहकारी समिति लि., माटून्दा	18.2.60	बन्द
4–		माटन्दा गुड़ खाण्डसारी उत्पादक सहकारी समिति लि., माटन्दा	19.5.60	बन्द
5–		करवर चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि. करवर	27.14.57	बन्द
6–		दबलाना चर्म उत्पादक सहकारो समिति लि. दबलाना	31.1.58	बन्द

२१८

(216)

शुद्धि पत्र

दिनांक 29 जून, 1990

क्रम सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	12	मत्री	मंत्री
2.	3	24	की रा म प्रसाद	श्री रामप्रसाद
3.	फोलियो	5	तरांकित	तारांकित
4.	5	21	मिचाई मंत्री	सिंचाई मंत्री
5.	33	28	मत्रीजी	मंत्रीजी
6.	40	9	श्री विजयसिंह माला	श्री विजयसिंह झाला
7.	112	13	श्री कालीचरण सर्राफ	श्री कालीचरण सराफ
8.	123	1	श्रीमती उजला अरोड	श्रीमती उजला अरोड़ा
9.	129	फोलियो	नियम 295 के अन्तर्गत उल्लेख	नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख
10.	205	1	श्री रमाकान्त शर्मा	श्री रमाकान्त शर्मा
11.	275	10	श्री सम्पत्त सिंह	श्री सम्पत सिंह
12.	331	7	बि (लाडा)	(बिलाडा)
13.	351	1	परिशिष्ट	परिशिष्ट–1
14.	364	1	श्री चम्पालाल बाठिया	श्री चम्पालाल बाँठिया
15.	369	फोलियो	परिशिय्ट	परिशिष्ट
16.	383	2	अतारांकित प्रश्न संख्या 1.7 की सूची	अतारांकित प्रश्न संख्या संख्या 117 की सूची